

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936
No. 182]	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

### कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि.250(अ).– केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3, धारा 4, धारा 5 की उप-धारा (5) और उप-धारा (6), धारा 6, धारा 7 की उप-धारा (1) और उप-धारा 2, धारा 8 की उप-धारा (1) और उप-धारा 2, धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख), धारा 12 की उप-धारा (2), उप-धारा (3), उप-धारा (4) और उप-धारा (5) तथा धारा 13 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) तथा उप-धारा (5) के परन्तुक, धारा 14 की उप-धारा (5), धारा 17 की उप-धारा (1) और धारा 20 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) तथा कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 या इन नियमों में शामिल विषयों पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत विहित किसी अन्य संगत नियम को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) नियम, 2014 है।
- (2) यह नियम 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
  - (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
  - (ख) ''उपाबंध'' से इन नियमों का उपाबंध अभिप्रेत है;

#### 1483GI/2014

- (ग) "ई-प्ररूप" से अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट और अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में प्ररूप अभिप्रेत है;
- (घ) "फीस" से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा विनिर्दिष्ट फीस अभिप्रेत है;
- (ङ) ''क्षेत्रीय निदेशक'' से केन्द्रीय सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (च) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों के, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

#### 3. एकल व्यक्ति कंपनी -

- (1) केवल एक प्रकृत व्यक्ति, जो कोई भारतीय नागरिक और भारत का निवासी है-
  - (क) एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन के लिए पात्र होगा;
  - (ख)एकल व्यक्ति कंपनी के एकमात्र सदस्य के लिए नामनिर्देशिती होगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''भारत का निवासी'' पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्काल पूर्ववर्ती एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान भारत में न्यूनतम एक सौ बयासी दिन की अवधि के लिए रहा हो।

(2) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक एकल व्यक्ति कंपनियों के निगमन या इस प्रकार की एक से अधिक कंपनियों में नामनिर्देशिती होने का पात्र नहीं होगा।

(3) जहां कोई प्रकृत व्यक्ति, जो इस नियम के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी में सदस्य है नाते इस प्रकार की किसी अन्य कंपनी में उक्त एकल व्यक्ति कंपनी में अपने नामनिर्देशिती होने के कारण सदस्य बन जाता है, तब ऐसा व्यक्ति एक सौ बयासी दिनों की अवधि के भीतर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करेगा।

(4) कोई अवयस्क एकल व्यक्ति कंपनी का सदस्य या नामनिर्देशिती नहीं होगा या लाभकारी हित सहित शेयर धारित नहीं कर सकेगा।

(5) इस प्रकार की कंपनी, अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत कंपनी के रूप में निगमित या परिवर्तित नहीं की जा सकेगी।

(6) इस प्रकार की कंपनी, किन्हीं कारपोरेट निकायों की प्रतिभूतियों में निवेश सहित गैर-बैंककारी वित्तीय निवेश संबंधी गतिविधियां नहीं कर सकती है।

(7) इस प्रकार की कोई भी कंपनी, अवसीमा (समादत्त शेयर पूंजी) के पचास लाख रुपए से अधिक हो जाने या संगत अवधि के दौरान उसकी औसत वार्षिक आवर्त्त दो करोड़ रुपए से अधिक हो जाने के सिवाय, एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन की तारीख से दो वर्ष पूरे होने तक स्वैच्छिक रूप से किसी भी प्रकार की कंपनी में परिवर्तित नहीं हो सकेगी।

#### 4. एकल व्यक्ति कंपनी के अभिदाता या सदस्य द्वारा नामनिर्देशन

धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के प्रयोजनों के लिए,

- (1) एकल व्यक्ति कंपनी के ज्ञापन का अभिदाता किसी ऐसे व्यक्ति की पूर्व में लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा जो अभिदाता की मृत्यु या संविदा के लिए उसकी अयोग्यता की स्थिति में उक्त एकल व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन जाएगा।
- (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एकल व्यक्ति कंपनी के ज्ञापन में उल्लिखित होगा और प्ररूप सं. **आई एन सी-3** में प्राप्त की गई उक्त नामनिर्देशिती की सहमति और **कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014** में यथा उपबंधित फीस सहित प्ररूप सं. **आई एन सी-2** में ऐसे

नामनिर्देशन को, उसके ज्ञापन और अनुच्छेदों सहित कंपनी के निगमन के समय रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) धारा 3 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक के अनुसरण में, एकल व्यक्ति कंपनी का अभिदाता या सदस्य द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उक्त एकल सदस्य और एकल व्यक्ति कंपनी को लिखित में सूचना देकर अपनी सहमति वापस ले सकता है। परन्तु यह कि एकल सदस्य, सहमति वापस लेने संबंधी सूचना प्राप्त होने से पंद्रह दिन के भीतर अन्य

व्यक्ति को नामनिर्देशिती के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार के नामनिर्देशन की सूचना, इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट किए गए अन्य व्यक्ति की लिखित सहमति के साथ प्ररूप सं. **आई एन सी-3** में कंपनी को लिखित रूप में भेजेगा।

- (4) कंपनी, उप-नियम (3) के अंतर्गत सहमति वापस लेने की सूचना प्राप्त होने से 30 दिन के भीतर, इस प्रकार की सहमति वापस लेने की सूचना और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में उपबंधित फीस के साथ प्ररूप संख्या आई एन सी-4 में एकल सदस्य द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के नाम की सूचना तथा प्ररूप संख्या आई एन सी-3 इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए गए अन्य व्यक्ति की लिखित सहमति रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- (5) एकल व्यक्ति कंपनी का अभिदाता या सदस्य कंपनी को लिखित रूप में सूचना देकर, नामनिर्देशिती की मृत्यु या संविदा के लिए अयोग्यता सहित किसी भी कारण से किसी भी समय अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के नाम को बदल सकेगा और प्ररूप संख्या **आई एन सी-3** में इस प्रकार के दूसरे व्यक्ति की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात दूसरे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा। परन्तु यह कि इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर कंपनी, परिवर्तन की सूचना की प्राप्त के तीस दिन के भीतर, **कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014** में यथा उपबंधित फीस और प्ररूप संख्या **आई एन सी-3** के साथ प्ररूप संख्या **आई एन सी-4** में इस प्रकार के दूसरे व्यक्ति की लिखित सहमति के साथ प्ररूप संख्या **आई एन सी-4** में इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- (6) जहां एकल व्यक्ति कंपनी का एकल सदस्य, मृत्यु या संविदा के लिए अयोग्य होने की स्थिति में सदस्य नहीं रह जाता है और उसके द्वारा नामनिर्देशिती व्यक्ति उक्त एकल व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन जाता है तब वह नया सदस्य, सदस्य बनने के पंद्रह दिन के भीतर एक ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा जो उसकी मृत्यु या संविदा के लिए उसकी अयोग्यता की स्थिति में उक्त कंपनी का सदस्य हो जाएगा और कंपनी, सदस्यता में परिवर्तन होने के तीस दिन के भीतर और प्ररूप संख्या आई एन सी-3 में, इस प्रकार नामनिर्दिष्ट हुए व्यक्ति की पूर्व लिखित सहमति के साथ कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में उपबंधित फीस के साथ प्ररूप संख्या आई एन सी-4 में इस प्रकार के परिविरति और नामनिर्देशन की सूचना रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- 5. शास्ति –

यदि एकल व्यक्ति कंपनी या उक्त कंपनी का कोई अधिकारी इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तब एकल व्यक्ति कंपनी या एकल व्यक्ति कंपनी के किसी भी अधिकारी पर जुर्माना, जिसे दस हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है और प्रथम के पश्चात, इस प्रकार का उल्लंघन जारी रहने के दौरान, उक्त के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

#### 6. कतिपय मामलों में, एकल व्यक्ति कंपनी स्वयं को एक सार्वजनिक कंपनी या एक निजी कंपनी में परिवर्तित कर सकती है -

(1) जहां किसी एकल व्यक्ति कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए से अधिक हो या संगत अवधि के दौरान उसका औसत वार्षिक कारोबार दो करोड़ रुपए से अधिक हो, तो वह कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी के रूप में बने रहने की हकदार नहीं रहेगी। (2) इस प्रकार की एकल व्यक्ति कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह उस तारीख को, यथास्थिति, जिस तारीख को उसकी समादत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए से अधिक हो गई हो या संगत अवधि, जिसके दौरान उसका औसत वार्षिक कारोबार दो करोड़ रुपए से अधिक हो गया हो, के अंतिम दिन, के छह माह के भीतर स्वयं को अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम दो सदस्य और दो निदेशकों सहित एक निजी कंपनी या न्यूनतम सात सदस्यों और तीन निदेशकों के साथ एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर ले।

(3) एकल व्यक्ति कंपनी परिवर्तन को प्रभावी बनाने और तत्संबंधी प्रासंगिक आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, अधिनियम की धारा 122 की उप-धारा (3) के अनुसार एक संकल्प पारित करके अपने ज्ञापन और अनुच्छेदों में परिवर्तन करेगी।

(4) उप-नियम (1) के लागू होने के साठ दिन के भीतर एकल व्यक्ति कंपनी यह सूचित करते हुए **प्ररूप संख्या** 

**आई एन सी-5** में रजिस्ट्रार को सूचना देगी कि वह एकल व्यक्ति कंपनी नहीं रह गई है और यह कि उसकी समादत्त शेयर पूंजी या औसत वार्षिक कारोबार, उप-नियम (1) में निर्धारित अवसीमा से बढ़ जाने के कारण उसका एक निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित होना अपेक्षित हो गया है।

*स्पष्टीकरण*– इस नियम के प्रयोजनों के लिए,– 'संगत अवधि' से ठीक पूर्ववर्ती तीन क्रमिक वित्तीय वर्ष की अवधि अभिप्रेत है; और

(5) यदि एकल व्यक्ति कंपनी या एकल व्यक्ति कंपनी का कोई अधिकारी इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तब एकल व्यक्ति कंपनी या एकल व्यक्ति कंपनी के किसी भी अधिकारी पर जुर्माना, जिसे दस हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है और प्रथम के पश्चात, इस प्रकार का उल्लंघन जारी रहने के दौरान, उक्त के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक बढाया जा सकता है।

(6) एकल व्यक्ति कंपनी, यथास्थिति, सदस्यों और निदेशकों की न्यूनतम संख्या को दो या न्यूनतम सात सदस्य और दो या तीन निदेशकों, तक बढ़ा़कर और उक्त श्रेणी की कंपनी के लिए अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार न्यूनतम समादत्त पूंजी बनाए रखकर तथा परिवर्तन के लिए अधिनियम की धारा 18 का सम्यक् अनुपालन करके स्वयं को एक निजी कंपनी या एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर सकती है।

## 7. निजी कंपनी का एकल व्यक्ति कंपनी में परिवर्तन –

(1) अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कंपनी को छोड़ कर कोई भी निजी कंपनी, जिसकी समादत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए या उससे कम हो या जिसका वार्षिक औसत कारोबार, संगत अवधि के दौरान दो करोड़ रुपए या उससे कम हो, साधारण अधिवेशन में एक विशेष संकल्प पारित करके स्वयं को एकल व्यक्ति कंपनी में परिवर्तित कर सकती है।

(2) इस प्रकार के संकल्प को पारित करने से पूर्व कंपनी, सदस्यों और लेनदारों से लिखित में अनापत्ति प्राप्त करेगी।

(3) एकल व्यक्ति कंपनी इस प्रकार के संकल्प के पारित होने के तीस दिन के भीतर कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष **प्ररूप संख्या एम जी टी-14** में विशेष संकल्प की प्रति प्रस्तुत करेगी।

(4) कंपनी, **कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014** में उपबंधित फीस के साथ एकल व्यक्ति कंपनी में अपना संपरिवर्तिन होने के संबंध में **प्ररूप संख्या आई एन सी-6** में आवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न होने चाहिएं, अर्थात्:-

- I. कंपनी के निदेशक विधिवत रूप से शपथ लेते हुए शपथ पत्र के द्वारा यह पुष्टि करते हुए घोषणा करेंगे कि कंपनी के सभी सदस्यों और लेनदारों ने परिवर्तन के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए या औसत वार्षिक टर्नओवर दो करोड़ रुपए, से कम है।
- II. सदस्यों की सूची और लेनदारों की सूची:

- III. अद्यतन लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा; और
- IV. आरक्षित लेनदारों के अनापत्ति-पत्र की प्रति।

(5) रजिस्ट्रार, संतुष्ट होने पर तथा इसमें उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात प्रमाणपत्र जारी करेगा।

#### 8. अवांछित नाम

(1) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रस्तावित नाम दूसरे नाम के समान है, निम्नलिखित के आधार पर किए गए प्रभेद पर विचार नही किया जाएगा-

- (क) प्राइवेट, पी वी टी, पी वी टी., (पी), लिमिटेड, एल टी डी, एल टी डी., एल एल पी, सीमित दायित्व भागीदारी जैसे शब्द;
- (ख) नामों के अंत में आने वाले शब्द कंपनी, एंड कंपनी, सी ओ., सी ओ, कारपोरेशन, सी ओ आर पी, सी ओ आर पी एन, सी ओ आर पी.;
- (ग) नाम में उल्लिखित किसी भी शब्द का बहुवचन रूप;
- (घ) अक्षरों का प्रकार और बड़े या छोटे शब्द, अक्षरों के बीच जगह, विरामादि-चिन्ह;
- (ङ) शब्दों को जोड़ने या अलग करने से किसी नाम का उस नाम से भेद नहीं हो पाता है जिसमें समान, अलग या संयुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ हो।
- (च) एक ही शब्द का अलग काल या वचन में प्रयोग होने से एक नाम, दूसरे नाम से अलग नहीं हो सकता है;
- (छ) पृथक ध्वन्यात्मक वर्तनी या वर्तनी में भिन्नता के प्रयोग को एक नाम से दूसरे नाम का अलग होने के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। निदर्शन (उदाहरणस्वरूप, यदि पी. क्यू. इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड मौजूद हो तब पी एन क्यू इंडस्ट्रीज़ या पी एंड क्यू इंडस्ट्रीज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसी प्रकार से यदि किसी नाम में संख्या अक्षर जैसे 3 शामिल हो तब 'थ्री' के साथ उसकी समरूपता की भी जांच की जाएगी;)
- (ज) अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द चाहे जान-बूझकर या सामान्य रूप से लिखे गए हों, वे समान, उचित वर्तनी वाले शब्दों के परस्पर-विरोधी नहीं होंगे।
- (झ) सी ओ एम, एन ई टी, ई डी यू, जी ओ वी, ओ आर जी, आई एन जैसे इंटरनेट से संबंधित पदनाम जोड़ने से कोई नाम, दूसरे नाम से अलग नहीं हो जाएगा चाहे उसमें (.) को 'डॉट' ही क्यों न लिखा गया हो।
- (ञ) न्यू, मॉडर्न, नव, एस एच आर आई (श्री), एस आर आई (श्री), एस एच आर ई ई (श्री), एस आर ई ई (श्री), ओम, जय, सांई, दि, आदि जैसे शब्द जोड़ने से कोई नाम किसी मौजूदा नाम से अलग नहीं हो जाएगा और इसी प्रकार से यदि किसी मौजूदा कंपनी का नाम केवल स्थान का नाम जोड़कर अलग किया गया हो तो उक्त की अनुमति नहीं दी जाएगी: इस प्रकार के नामों की अनुमति तभी प्रदान की जाएगी जब बोर्ड संकल्प के माध्यम से विद्यमान कंपनी द्वारा अनापत्ति प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है:
- (ट) समान शब्दों के अलग-अलग युग्मों से कोई नाम किसी मौजूदा नाम से अलग नहीं हो जाएगा, उदाहरणस्वरूप यदि कोई कंपनी 'बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड' नाम से है, तब 'कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड' नाम की अनुमति नहीं दी जाएगी बशर्ते कि वह विद्यमान कंपनी के नाम में परिवर्तन हो ।
- (ठ) यदि प्रस्तावित नाम अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी में, यथास्थिति, किसी विद्यमान कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी, के नाम का हिन्दी या अंग्रेज़ी अनुवाद या लिप्यंतरण हो।
- (2)(क) किसी नाम को अवांछित समझा जाएगा, यदि
  - I. इस पर संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) की धारा 3 के उपबंध लागू होते हों :

- II. यदि इसमें रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न या एक ऐसे व्यापार चिह्न का नाम हो, जो रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन का विषय हो, बशर्ते कि व्यापार चिह्न के संबंध में, यथास्थिति, स्वामी या रजिस्ट्रीकरण के आवेदक, की सहमति प्राप्त न कर ली जाए और प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत न कर दी जाए:
- III. यदि इसमें ऐसा कोई अक्षर या शब्द शामिल हो जो समाज के किसी भी वर्ग के लिए आपत्तिजनक हो:
- (ख) किसी नाम को सामान्यतः अवांछित समझा जाएगा, यदि
  - i. यदि प्रस्तावित नाम सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के समान या अत्यधिक सन्निकट हो:
  - ii. यदि वह संगम के ज्ञापन में यथा निर्धारित प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है:

परन्तु यह कि प्रत्येक नाम को अनिवार्यतः कंपनी के उद्देश्यों का सूचक होना आवश्यक नहीं है किन्तु जहां कहीं भी नाम में उद्देश्यों का कुछ संकेत हो तब उसे ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए:

- iii. कंपनी का मुख्य व्यापार यदि वित्त-पोषण, पट्टा, चिट फंड, निवेश, प्रतिभूति या इनका संयोजन हो, तब इस प्रकार के नाम की अनुमति नहीं दी जाएगी बशर्ते कि नाम उस प्रकार की संबंधित वित्तीय गतिविधियों अर्थात् चिट फंड या निवेश या ऋण, आदि का सूचक हो:
- iv. यह किसी विद्यमान कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के लोकप्रिय या संक्षिप्त विवरण के बहुत समरूप हो:
- v. प्रस्तावित नाम भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी और उक्त कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा रजिस्ट्रार के पास आरक्षित किए गए नाम के समान या बहुत अधिक समरूप हो:

**परन्तु यह** कि यदि वह विदेशी कंपनी भारत में अपनी नियंत्रित कंपनी को निगमित कर रही हो तब नियंत्रक कंपनी का मूल नाम जो भी हो उसे इंडिया शब्द या किसी भारतीय राज्य या नगर, यदि वह अन्यथा उपलब्ध हो, को जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है:

vi. प्रस्तावित नाम के किसी भाग में ऐसे शब्द शामिल हैं जो अलग प्रकार के व्यापार संघटन या कानूनी व्यक्ति या उससे संबंधित अर्थ देते हों, उदाहरणस्वरूप कॉपरेटिव, सहकारी, ट्रस्ट, एल एल पी, पार्टनरशिप, सोसायटी, प्रोप्राइटर, एच यू एफ, फर्म, आई एन सी., पी एल सी, जी एम बी एच, एस ए, पी टी ई, एस डी एन, ए जी आदि: *स्पष्टीकरण* :- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित की जानेवाली कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए '**इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट'** वाक्यांश वाले नाम की अनुमति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट स्कीम, 2013 के अनुसार दी जाएगी:

परन्तु यह कि नाम के आवेदन के साथ इस संबंध में एक शपथ-पत्र संलग्न हो कि प्राप्त किया जाने वाला नाम, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट स्कीम के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए ही होगा।

- vii. प्रस्तावित नाम में 'ब्रिटिश इंडिया' शब्द शामिल हों;
- viii. प्रस्तावित नाम का अर्थ दूतावास या कंसूलेट या किसी विदेशी सरकार से सम्बद्ध या जुड़ा हुआ हो;
- ix. प्रस्तावित नाम में किसी राष्ट्रीय नायक या बहुत सम्मानित व्यक्ति के संरक्षक या महत्वपूर्ण संरक्षक, जो सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे हों या आसीन हों, शामिल हों या उसमें उनसे सम्बद्ध या जुड़े होने का अर्थ सम्मिलित हो:
- x. प्रस्तावित नाम, अस्पष्ट या 'ए बी सी लिमिटेड' या '23के लिमिटेड' या 'डी जे एम ओ' लिमिटेड जैसे संक्षिप्त नाम हों; प्रोत्साहकों के नाम पर आधारित नाम की अनुमति नहीं दी जाएगी। उदाहरणस्वरूप :-बी एम सी डी लिमिटेड, जो भारत, महेश, चंदन और डेविड जैसे प्रवर्तक के नाम के पहले अक्षर का प्रतिनिधित्व कर रहा हो:

परन्तु यह कि विद्यमान कंपनी, नियंत्रित या संयुक्त उपक्रम या सम्बद्ध कंपनी के रूप में नई कंपनी के गठन के लिए नाम के एक भाग के रूप में अपने संक्षिप्त नाम का प्रयोग कर सकती है किंतु इस प्रकार के संयक्त उपक्रम या सम्बद्ध कंपनी का मात्र संक्षिप्त नाम ही नहीं रहेगा. उदाहरणस्वरूप दिल्ली पेपर मिल्स लिमिटेड डी पी एम पेपर्स लिमिटेड के रूप में संयुक्त उपक्रम या सम्बद्ध कंपनी प्राप्त कर सकता है. डी पी एम लिमिटेड के रूप में नहीं।

परन्तु यह भी कि अपने-अपने क्षेत्रों में संक्षिप्त नामों से सुप्रसिद्ध कंपनियों को अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् उनके वर्तमान नाम को उनके संक्षिप्त रूप में नाम परिवर्तित किए जाने की अनमति है:

- प्रस्तावित नाम, परिसमापन की कार्यवाही के परिणामस्वरूप विघटित कंपनी के नाम के समान है और xi. इस प्रकार के विघटन को हुए दो वर्ष का समय नहीं हुआ है। परन्तु यह कि यदि प्रस्तावित नाम किसी ऐसी कंपनी के नाम के समान है जिसे अधिनियम की धारा 248 के अंतर्गत कार्रवाई के अनसरण में हटा दिया गया है तब इस प्रकार के हटाए जाने को राजपत्र में प्रकाशन से बीस वर्ष की समाप्ति से पूर्व उक्त की अनुमति नहीं दी जाएगी;
- यह परिसमापन के अंतर्गत किसी सीमित दायित्व भागीदारी या पांच वर्ष की अवधि के लिए हटाए गए xii. सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के समान या बहुत अधिक समरूप है;
- प्रस्तावित नाम में 'इन्श्युरेंस', 'बैंक', 'स्टॉक एक्सचेंज', 'वेंचर कैपिटल', 'असेट मैनेजमेंट', 'निधि', xiii. 'म्युच्युअल फंड' आदि शब्द शामिल हों बशर्ते कि आवदेक द्वारा यह घोषणा प्रस्तत नहीं की जाती है कि संबंधित विनियामक जैसे कि आई आर डी ए, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, एम सी ए आदि, द्वारा आज्ञापक अपेक्षाओं का आवेदक ने अनुपालन कर लिया है।
- प्रस्तावित नाम में "स्टेट" शब्द शामिल हो, उक्त की अनुमति उसी स्थिति में दी जाएगी यदि कंपनी एक xiv. सरकारी कंपनी हो:
- प्रस्तावित नाम में केवल महाद्विप. देश, राज्य, शहर का नाम शामिल हो, जैसे कि एशिया लिमिटेड, XV. जर्मनी लिमिटेड, हरियाणा लिमिटेड, मैसूर लिमिटेड;
- नाम केवल एक सामान्य नाम हो जैसे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड या सिल्क मैन्यफैक्चरिंग लिमिटेड xvi. और न कि लक्ष्मी सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड:
- जिससे उसके पास मौजुद संसाधनों से परे गतिविधियों के कार्यक्षेत्र और मात्रा का आशय निकलता हो या xvii. भ्रामक आभास उत्पन्न होने की संभावना हो;

प्रस्तावित नाम में किसी दूसरे देश या किसी दूसरे देश के शहर का नाम शामिल हो, उक्त की अनुमति xviii. तभी दी जाएगी यदि आवेदक उक्त देश की कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन जैसा उक्त देश के साथ व्यापारिक संबंध होने का कोई उल्लेखनीय प्रमाण प्रस्तुत कर देता है:

परन्तु यह कि नाम में इंडिया के प्रयोग के साथ किसी दुसरे देश का नाम जोड़े जाने जैसे इंडिया जापान या जापान इंडिया की अनुमति तभी दी जाएगी यदि उसमें सरकार से सरकार की भागीदारी या संरक्षण हो और कोई भी कंपनी किसी भी शत्र देश के नाम का प्रयोग करके निगमित नहीं होगी।

व्याख्या – इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए शत्र देश से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किए गए देश अभिप्रेत हैं।

(3) यदि किसी कंपनी ने अपने क्रियाकलाप में परिवर्तन किया है, जो उसके नाम में प्रदर्शित नहीं होता है तो वह नाम के परिवर्तन के संबंध में यथा लागू सभी उपबंधों का अनुपालन करके क्रियाकलापों में परिवर्तन से छह माह की अवधि के भीतर अपने क्रियाकलापों के अनुरूप अपने नाम में परिवर्तन करेगी।

यदि प्रस्तावित नाम में मुख्य शब्द प्रवर्तकों या उनके नज़दीकी रक्त सम्बंधियों के नाम के अलावा किसी (4)व्यक्ति का नाम है तब नाम के लिए आवेदन के साथ उन अन्य व्यक्तियों की अनापत्ति संलग्न की जाएगी। यदि नाम में संबंधियों का नाम शामिल है तब तत्संबंधी साक्ष्य संलग्न किया जाना होगा और प्रवर्तकों या उनके संबंधियों के

नामों से निकाले गए शब्दों के प्रयोग के संबंध में उनकी महत्ता और उनका प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक, एकल प्रोत्साहन या भागीदारी या कोई अन्य निगमित या अनिगमित निकाय जैसे किसी अन्य व्यापार संघटन में किसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन के आवेदित नाम के संबंध में सकारात्मक या नकारात्मक (पुष्टि या मना करने के संबंध में) रूप में यह घोषणा करेगा कि वह इसका प्रयोग कर रहा है या विगत पांच वर्षों के दौरान करता रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण और यथास्थिति, प्रस्तावित कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी, द्वारा उक्त नाम के प्रयोग के संबंध में अन्य भागीदारों और सहयुक्तों की अनापत्ति तथा यह भी घोषणा कि क्या इस प्रकार का अन्य व्यापार प्रस्तावित कंपनी या सीमित दायित्व भागीदार द्वारा अधिगृहित कर लिया जाएगा या नहीं।

(6) निम्नलिखित शब्दों और उनके सम्मिश्रणों का प्रयोग अंग्रेज़ी में या समान अर्थ प्रदर्शित करते हुए किसी अन्य भाषा में कंपनी के नाम में नहीं किया जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार के शब्द या पद के प्रयोग हेतु केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया गया हो-

- (क) बोर्ड;
- (ख) कमीशन;
- (ग) अथॉरिटी;
- (घ) अंडरटेकिंग;
- (ङ) नेशनल;
- (च) यूनियन;
- (छ) सेंट्रल;
- (ज) फेडरल;
- (झ) रिपब्लिक;
- (ञ) प्रेजीडेंट;
- (ट) राष्ट्रपति;
- (ठ) स्माल स्केल इंडस्ट्रीज;
- (ड) खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन;
- (ढ) फाइनेंशियल, कॉरपोरेशन और इनके जैसे शब्द;
- (ण) म्यूनिसिपल;
- (त) पंचायत;
- (थ) डेवलपमेंट अथॉरिटी;
- (द) प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर;
- (ध) मिनिस्टर;
- (न) नेशन;
- (प) फॉरेस्ट कॉरपोरेशन;
- (फ) डेवलपमेंट स्कीम;
- (ब) स्टैट्यूट या स्टैट्यूट्री;
- (भ) कोर्ट या ज्यूडिशरी;
- (म) गवर्नर;
- (य) सरकार, राज्य, इंडिया, भारत या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के नाम के साथ स्कीम शब्द का प्रयोग या कोई अन्य तरीका, जिससे केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय सरकारों और प्राधिकरणों द्वारा आरंभ की गई स्कीमों का आभास होता हो; और

(य क) ब्युरो

अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत कंपनियों के संबंध में नाम में फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, (7)चैम्बर्स, कन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्स्ट और इनके जैसे शब्द आदि शामिल हो सकते हैं। **''निधि'' के रूप में** 

# निगमित प्रत्येक कंपनी के नाम के एक भाग के रूप में अंतिम शब्द "निधि लिमिटेड" होंगे।

किसी कंपनी द्वारा नाम के परिवर्तन पर जारी नाम डाटाबेस में रहेंगे और किसी कंपनी के समूह सहित (8) किसी अन्य कंपनी. जिसने समझौता. व्यवस्था और समामेलन की कार्यवाही में अधिकरण के विशिष्ट निदेश के अध्यधीन परिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम में परिवर्तन किया है. द्वारा लिए जाने की अनुमति नहीं होगी।

#### 9 नाम का आरक्षण-

नाम आरक्षण के लिए आवेदन प्ररूप संख्या आई एन सी 1 में कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम. 2014 में यथा उपबंधित फीस के साथ किया जाएगा।

- जहां अनुच्छेदों में सुरक्षित अवस्था के संबंध में उपबंध विहित हैं, कंपनी के निगमन के समय कंपनी 10. (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा उपबंधित फीस के साथ, यथास्थिति, प्ररूप संख्या आई एन सी 2 या प्ररूप संख्या आई एन सी 7, में या मौजूदा कंपनियों के मामले में अनुच्छेदों की सरक्षित अवस्था की तारीख से तीस दिन के भीतर. कंपनी (रजिस्टीकरण कार्यालय और फीस) नियम. 2014 में यथा उपबंधित फीस के साथ प्ररूप संख्या एम जी टी-14 में उक्त उपबंधों के बारे में रजिस्टार को सचना देगी।
- अनुसूची-। की सारणी च, छ, ज, झ और ञ में यथा निर्धारित मॉडल अनुच्छेद, कंपनी के मामले में, 11. यथास्थिति, पूर्णतः या अन्यथा कंपनी द्वारा अंगीकार किया जाएगा।

#### कंपनियों के निगमन के लिए आवेदन-12.

कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, **कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014** में यथा उपबंधित फीस सहित प्ररूप संख्या आई एन सी 2 (एकल व्यक्ति कंपनी के लिए) और प्ररूप संख्या आई एन सी 7 (एकल व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त) में उस रजिस्टार के पास प्रस्तुत किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में प्रस्तावित कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है;

#### ज्ञापन और अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर 13.

कंपनी के संगम-ज्ञापन और अनुच्छेदों पर निम्नलिखित तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे, अर्थातु:-

- (1) कंपनी के संगम-ज्ञापन और अनुच्छेदों पर ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो उसके साथ, अपना नाम, पता, विवरण और व्यवसाय, यदि कोई हो, न्युनतम एक गवाह की उपस्थिति में दर्ज़ करेगा जो उसके हस्ताक्षर को अधिप्रमाणित करेगा और वह भी इसी प्रकार से हस्ताक्षर करेगा और अपने नाम, पते, विवरण और व्यवसाय, यदि कोई हो, दर्ज़ करेगा और गवाह यह उल्लेख करेगा कि "मैं अभिदान करने वाले अभिदाता/अभिदाताओं का गवाह हूँ और उन्होंने मेरी उपस्थिति (तारीख और स्थान का उल्लेख किया जाएगा) में हस्ताक्षर किए हैं; इसके अतिरिक्त मैंने उनकी पहचान हेत् उन्हें या उनके पहचान संबंधी ब्यौरों (पहचान-पत्र को सत्यापित कर लिया है और मैं उनके द्वारा भरे गए पहचान संबंधी विवरणों से संतुष्ट हूं''
- (2) जहां ज्ञापन का अभिदाता निरक्षर है, वह अपने अंगुठे का निशान या चिन्ह दर्ज करेगा जिसका विवरण उसकी ओर से लिख रहे व्यक्ति द्वारा लिया जाएगा, जो चिन्ह के सामने या नीचे अभिदाता का नाम लिखेगा और अपने हस्ताक्षर द्वारा उसे प्रमाणित करेगा और वह अभिदाता के नाम के सामने उसके द्वारा धारित शेयरों की संख्या भी लिखेगा।
- (3) ऐसा व्यक्ति अभिदाता के समक्ष संगम-ज्ञापन और अनच्छेदों की विषय-वस्त पढ़ेगा और उसे स्पष्ट करेगा और इस बारे में संगम-ज्ञापन और अनुच्छेदों पर पृष्ठांकन करेगा।

- (4) जहां संगम-ज्ञापन का अभिदाता एक कारपोरेट निकाय है तब संगम-ज्ञापन और अनुच्छेदों पर कारपोरेट निकाय के निदेशक-बोर्ड के संकल्प द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत कारपोरेट निकाय के निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और जहां अभिदाता सीमित दायित्व भागीदारी हो वहां सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदारों द्वारा अनुमोदित संकल्प द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत सीमित दायित्व साझीदारी के एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे: परन्तु यह कि किसी भी मामले में इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति, उस समय संगम-ज्ञापन और अनुच्छेदों का अभिदाता नहीं होना चाहिए।
- (5) जहां ज्ञापन का अभिदाता भारत के बाहर निवास कर रहा विदेशी राष्ट्रिक है-

(क)राष्ट्रमंडल के किसी देश में संगम-ज्ञापन और अनुच्छेद पर उसके हस्ताक्षर और पते तथा पहचान का सबूत राष्ट्रमंडल के उस भाग के लेख्यप्रमाणक (पब्लिक) द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। (ख)उस देश में, जो हेग एपोस्टाइल कन्वेंशन, 1961 का पक्षकार है, संगम-ज्ञापन और अनुच्छेदों पर उसका हस्ताक्षर और पता तथा पहचान का सबूत, उसके मूल देश के लेख्यप्रमाणक (पब्लिक) के समक्ष प्रमाणित किया जाएगा और यह उक्त हेग कन्वेंशन के अनुसार सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया जाएगा।

- (ग) किसी ऐसे देश में जो राष्ट्रमंडल से बाहर है और जो हेग एपोस्टाइल कन्वेंशन, 1961 का पक्षकार नहीं है संगम-ज्ञापन और अनच्छेदों पर उसके हस्ताक्षर और पते तथा पहचान का सबूत, उक्त देश के लेख्यप्रमाणक (पब्लिक) के समक्ष प्रमाणित होंगे और लेख्यप्रमाणक (पब्लिक) का प्रमाण-पत्र, राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 40) की धारा 3 के अंतर्गत इस संबंध में अधिकारप्राप्त राजनयिक या कौंसलीय अधिकारी द्वारा या जहां कहीं इस प्रकार के अधिकारी नहीं हैं वहां शपथ आयुक्त अधिनियम, 1889 (52 और 53 वी आई सी. सी.10) की धारा 6 में या उक्त को संशोधित करने वाले किसी अधिनियम में उल्लिखित किसी भी पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- (घ) यदि किसी विदेशी राष्ट्रिक ने भारत का दौरा किया है और उसका आशय कंपनी के निगमन हेतु है, तो उस मामले में निगमन की अनुमति दी जाएगी यदि वह व्यक्ति वैध व्यापार वीजा धारक हो। स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए यह प्रमाणित किया जाता है कि यदि व्यक्ति भारतीय मूल का या भारत का अनिवासी नागरिक हो तो व्यापार वीजा की अपेक्षा लागू नहीं होगी।

#### 14. वृत्तिकों द्वारा घोषणा

धारा 7 की उप धारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, व्यवसाय कर रहे अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेट्री द्वारा घोषणा, **प्ररूप संख्या आई एन सी. 8** में की जाएगी।

*स्पष्टीकरण*– (i) "चार्टर्ड एकाउंटेंट '' से चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उप धारा 2 के खंड (ख) में यथा परिभाषित चार्टर्ड एकाउंटेंट, अभिप्रेत है (ii) "कॉस्ट एकाउंटेंट" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित कास्ट एकाउंटेंट अभिप्रेत है और (iii) "कंपनी सेकेट्री" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित "कंपनी सेकेट्री" या 'सेकेट्री" अभिप्रेत है।

#### 15. अभिदाताओं और प्रथम निदेशकों से शपथपत्र

धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए शपथ पत्र, ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता और अनुच्छेदों में उल्लिखित प्रत्येक प्रथम निदेशकों द्वारा **प्ररूप संख्या आई एन सी 9** में प्रस्तुत किए जाएंगे।

16. निगमन के समय रजिस्ट्रार के पास प्रत्येक अभिदाता का भरा जाने वाला विवरण

(1) ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता का निम्नलिखित विवरण रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा –

- (क)नाम (उप नाम या कुल नाम सहित) और एम ओ ए तथा ए ओ ए के साथ चिपकाया और स्कैन किया गया नवीनतम फोटोग्राफ:
- (ख)पिता/माता का नाम:
- (ग) राष्ट्रीयताः
- (घ) जन्म की तारीख :
- (ङ) जन्म स्थान (जिला और राज्य):
- (च) शैक्षणिक अर्हता :
- (छ)व्यवसाय:
- (ज) आय-कर स्थायी खाता संख्या:
- (झ)स्थायी आवासीय पता और वर्तमान पता (वर्तमान पते पर कब से रह रहे हैं और यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष से कम समय से रह रहे हों तो पिछले आवास का पता) इसी प्रकार से कार्यालय/व्यापार संबंधी पते:
- (ञ)अभिदाता की ई-मेल आई डी:
- (ट) अभिदाता का टेलीफोन नम्बर :
- (ठ) अभिदाता का फैक्स नम्बर (वैकल्पिक) : स्पष्टीकरण- (झ) से (ठ) से संबंधित सूचना व्यक्तिगत अभिदाता की होगी न कि कंपनी के निगमन में शामिल व्यवसायिक की।
- (ड) पहचान का सबूत:
  - भारतीय राष्ट्रिकों के लिए :
    - पैन कार्ड (अनिवार्य) और निम्नलिखित में से कोई एक
    - मतदाता पहचान पत्र
    - पासपोर्ट की प्रति
    - ड्राइविंग अनुज्ञप्ति की प्रति
    - विशिष्ट पहचान संख्या (यू आई एन)
  - विदेशी राष्ट्रिकों और अनिवासी भारतीयों के लिए :
    - ० पासपोर्ट
- (ढ) आवासीय सबूत जैसे कि बैंक विवरण, बिजली बिल, टेलीफोन/मोबाइल बिल
  - **परन्तु यह** कि बैंक विवरण, बिजली बिल, टेलीफोन या मोबाइल बिल दो माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए:
- (ण) यदि अभिदाता विदेशी राष्ट्रिक हो तो राष्ट्रीयता का सबूत
- (त) यदि अभिदाता पहले से किसी कंपनी का निदेशक या प्रवर्तक है तो निम्नलिखित से संबंधित विशिष्टियां:
  - (i) कंपनी का नाम :
  - (ii) सी आई एन
  - (iii) क्या निदेशक या प्रवर्तक के रूप में हितबद्ध हैं:
- (थ) **बैंकर या लेख्यप्रमाणक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित नमूना हस्ताक्षर और नवीनतम फोटोग्राफ** निर्धारित **प्ररूप संख्या आई एन सी-10** में होना चाहिए।

- (2) जहां ज्ञापन का अभिदाता निगम निकाय है तब रजिस्ट्रार के समक्ष निम्नलिखित विशिष्टियां फाइल की जाएंगी-
  - (क) कंपनी की निगम पहचान संख्या/निगम निकाय की रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि कोई हो
  - (ख)जी एल एन, यदि कोई हो
  - (ग) निगम निकाय का नाम
  - (घ) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता या व्यापार का मुख्य स्थान
  - (ङ) ई-मेल आई डी
  - (च)यदि निगम निकाय एक कंपनी है, तब बोर्ड-संकल्प की प्रमाणित सही प्रति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्तावित कंपनी के संगम-ज्ञापन के अभिदान तथा प्रस्तावित कंपनी में निवेश करने के संबंध में प्राधिकार, निगम निकाय द्वारा अभिदान हेतु प्रस्तावित शेयरों की संख्या और ज्ञापन के अभिदान हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के नाम, पते और पदनाम का उल्लेख किया गया हो।
  - (छ)यदि निगम निकाय एक सीमित दायित्व भागीदारी या भागीदारी फर्म है तब सभी भागीदारों द्वारा सहमत संकल्प की प्रमाणित सही प्रति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित कंपनी के संगम-ज्ञापन के अभिदान तथा प्रस्तावित कंपनी में निवेश करने के संबंध में प्राधिकार, निगम निकाय द्वारा अभिदान हेतु प्रस्तावित शेयरों की संख्या और ज्ञापन के अभिदान हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के नाम, पते और पदनाम का उल्लेख किया गया हो।
  - (ज) निगम निकाय के लिए अभिदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के निबंधनों के अनुसार अभिदाताओं के लिए उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट विवरण।
  - (झ)विदेशी निगम निकायों के मामले में, निम्नलिखित से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे:-
    - (i) विदेशी निगम निकाय के निगमन के प्रमाण पत्र की प्रति; और
    - (ii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

### 17. कंपनी के प्रथम निदेशकों की विशिष्टियां और इस प्रकार की कार्रवाई किए जाने के संबंध में उनकी सहमति

अनुच्छेदों में कंपनी के प्रथम निदेशक के रूप में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टियां और कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने संबंधी उनकी सहमति सहित अन्य फर्मों या कारपोरेट निकाय में उनके हित, **कंपनी** (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा उपबंधित फीस के साथ प्ररूप संख्या डी आई आर 8 में प्रस्तुत किए जाएंगे।

#### 18. निगमन का प्रमाणपत्र

निगमन का प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार द्वारा **प्ररूप संख्या आई एन सी 11** में जारी किया जाएगा।

#### 19. पूर्त उद्देश्यों वाली नई कंपनियों के लिए धारा 8 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति

- (1) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम (जिसे इसके बाद इस नियम में 'प्रस्तावित कंपनी' कहा गया है), जो, यथास्थिति, "लिमिटेड" शब्द को अपने नाम से जोड़े बिना या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्दों के साथ, सीमित दायित्व के साथ कंपनी निगमित करने का आशय रखता हो धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के संदर्भ में रजिस्ट्रार के समक्ष कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा उपबंधित फीस के साथ प्ररूप संख्या आई एन सी 12 में आवेदन करेगा।
  - (2) प्रस्तावित कंपनी का संगम-ज्ञापन, प्ररूप संख्या आई एन सी 13 में होगा।
  - (3) उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न होने चाहिएं, अर्थात् : (क) प्रस्तावित कंपनी के संगम-ज्ञापन और अनुच्छेद का प्रारूप;

- (ख) कारबार कर रहे अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एकाउंटेंट या कंपनी सेकेट्री द्वारा प्ररूप संख्या आई एन सी 14 द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा कि संगम-ज्ञापन और अनुच्छेद का प्रारूप, धारा 8 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है और धारा 8 के अंतर्गत कंपनी के रजिस्ट्रीकरण और प्रासंगिक या अनुपूरक मामलों से संबंधित अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;
- (ग) आगामी तीन वर्षों के लिए कंपनी की भविष्य में होने वाली वार्षिक आय और व्यय का अनुमान, जिसमें आय के स्रोतों तथा व्यय के उद्देश्यों को विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- (घ) आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा **प्ररूप संख्या आई एन सी 15** में घोषणा।

#### 20. वर्तमान कंपनियों के लिए अनुज्ञप्ति -

(1) धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी उद्देश्य और उक्त उप-धारा के खंड (ख) एवं (ग) में क्रमश: निर्बंधन एवं प्रतिषेध के साथ इस अधिनियम या पूर्ववर्ती कंपनी विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत लिमिटेड कंपनी, जो, यथास्थिति, "लिमिटेड" शब्द या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्दों, को अपने नाम से जोड़े बिना धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत होने का आशय रखती हो, धारा 8 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के लिए, रजिस्ट्रार के समक्ष **कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014** में यथा उपबंधित फीस के साथ **प्ररूप संख्या आई एन सी 12** में आवेदन करेगी।

- (2) उप-नियम (4) के अंर्तगत किए गए आवेदन के साथ निम्नलिखत दस्तावेज़ संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्:-
  - (क) कंपनी के संगम-ज्ञापन और अनुच्छेद;
  - (ख) कारबार कर रहे अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एकाउंटेंट या कंपनी सेकेट्री द्वारा प्ररूप संख्या आई एन सी 14 द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा कि संगम-ज्ञापन और अनुच्छेद, धारा 8 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप तैयार किए गए हैं और धारा 8 के अंतर्गत कंपनी के रजिस्ट्रीकरण और प्रासंगिक या अनुपूरक मामलों से संबंधित अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;
  - (ग) आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व दो वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के संबंध में या कंपनी ने केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए कार्य किया है तो उक्त वर्ष के लिए, विद्यमान कंपनियों से संबंधित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्टें और लेखापरीक्षा रिपोर्टें।
  - (घ) आवेदन की तारीख़ की स्थिति के अनुसार या उक्त तारीख से पूर्व तीस दिन के भीतर कंपनी की परिसंपत्तियों (उनके मूल्य सहित) और दायित्वों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण:
  - (च) आगामी तीन वर्षों के लिए कंपनी की भविष्य में होने वाली वार्षिक आय और व्यय का अनुमान जिसमें आय के स्रोतों तथा व्यय के उद्देश्यों को विनिर्दिष्ट किया गया हो:
  - (छ) साधारण अधिवेशन/बोर्ड बैठकों में पारित संकल्पों की प्रमाणित प्रति जिसमें धारा 8 के अंतर्गत कंपनी के रजिस्ट्रीकरण को अनुमोदित किया गया हो; और
  - (ज) आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा **प्ररूप संख्या आई एन सी 15** में घोषणा।
- (3) कंपनी, रजिस्ट्रार को आवेदन करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अपने व्यय के संबंध में सूचना प्रकाशित करेगी और प्रकाशित सूचना की प्रति रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और उक्त सूचना प्ररूप संख्या आई एन सी 26 में होगी और वह प्रकाशित होगी:

- (क) उस जिले के मुख्य स्थानिक भाषा के स्थानिक और उक्त जिले में परिचालित समाचार पत्र में न्यूनतम एक बार, जहां प्रस्तावित कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित होगा या स्थित है और उक्त जिले में परिचालित अंग्रेजी समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में न्यूनतम एक बार; और
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली वेबसाइटों पर।
- (4) रजिस्ट्रार, आवेदक से किसी उचित प्राधिकरण, विनियामक निकाय, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या मंत्रालय का अनुमोदन या सहमति की मांग कर सकते हैं।
- (5) रजिस्ट्रार सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर उन्हें प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने तथा अपने विवेकाधिकार से किसी प्राधिकरण, विनियामक निकाय, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या मंत्रालय से परामर्श करने के बाद यह निर्णय लेंगे कि अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए या नहीं।
- (6) अनुज्ञप्ति, यथास्थिति, **प्ररूप संख्या आई एन सी 16** या **प्ररूप संख्या आई एन सी 17**, में होगी और रजिस्ट्रार के पास अनुज्ञप्ति में ऐसी अन्य शर्तें, जो उनके द्वारा उचित समझी जाएंगी, को शामिल करने की शक्तियां होंगी।
- (7) रजिस्ट्रार इस संबंध में, कंपनी को उसके ज्ञापन या उसके अनुच्छेदों या अंशत: एक में और दूसरे में अंशत:, रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट की गई अनुज्ञप्ति की ऐसी शर्तों को शामिल करने का निदेश दे सकते हैं।

#### 21. धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कंपनी के दूसरे प्रकार की कम्पनी में परिवर्तित होने की शर्तें

- (1) धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कंपनी, जिसका आशय स्वयं को दूसरे प्रकार की कंपनी में परिवर्तित करने का है, ऐसे परिवर्तन के अनुमोदन हेतु साधारण अधिवेशन में एक विशेष संकल्प पारित करेगी।
- (2) साधारण अधिवेशन के आयोजन से संबंधित सूचना के साथ संलग्न स्पष्टीकारक विवरण में निम्नलिखित को शामिल करते हुए ऐसे परिवर्तन का विकल्प चुनने के कारणों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए अर्थात्:-
  - (क) कंपनी के निगमन की तारीख;
  - (ख) संगम-ज्ञापन में यथा निर्धारित कंपनी के मूल उद्देश्य;

(ग) वे कारण, जिनके आधार पर कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियां वर्तमान ढांचे अर्थात् धारा 8 कंपनी के रूप में चलाई नहीं जा सकती हैं;

(घ) यदि कंपनी के मूल या मुख्य उद्देश्य परिवर्तन के लिए प्रस्तावित हैं तब परिवर्तित उद्देश्य और उक्त के परिवर्तन के कारण क्या होंगे;

(ड.) कंपनी का विशेषाधिकार या वर्तमान में कर छूट जैसी उठाई जा रही छूट, विदेशी अभिदाय, भूमि और अन्य अचल संपत्तियों, यदि कोई हो, जो कंपनी द्वारा रियायती दरों या मूल्यों या निःफीस अधिगृहित किये गए थे, सहित संदान या अंशदान प्राप्त करने से संबंधित अनुमोदन और यदि ऐसा हो, तो अधिग्रहण के समय में विद्यमान बाजार मूल्य तथा कंपनी द्वारा भुगतान किया गया मूल्य, उनके उपयोग आदि से संलग्न शर्तों के कारण कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया कोई संदान या उत्तरदान।

(च) इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप सदस्यों को प्राप्त होने लाभ के ब्यौरे सहित कंपनी के सदस्यों पर पड़ने वाला प्रस्तावित परिवर्तन का प्रभाव का ब्यौरा।

(2) स्पष्टीकारक विवरण सहित बैठक के आयोजन से संबंधित सूचना की प्रति सहित विशेष संकल्प की सत्यापित सही प्रति रजिस्ट्रार के समक्ष फीस सहित **प्ररूप संख्या एम जी टी–14** में प्रस्तुत की जाएगी।

(3) कंपनी स्वयं को दूसरे प्रकार की कंपनी में परिवर्तन करने संबंधी अनुमोदन के बारे में स्पष्टीकारक विवरण सहित विशेष संकल्प की सत्यापित सही प्रति और बैठक के आयोजन से संबंधित सूचना की प्रति के साथ फीस सहित क्षेत्रीय निदेशक को **प्ररूप संख्या आई एन सी-18** में आवेदन करेगी और कंपनी, नियम 22 के उपनियम (2) में उल्लिखित सभी प्राधिकारियों को सूचना की तामीली का प्रमाण संलग्न करेगी। (4) क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष यथा प्रस्तुत उपाबंधों सहित आवेदन की प्रति रजिस्ट्रार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

22. दूसरी प्रकार की कंपनी में परिवर्तन की मांग करने हेतु धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कंपनियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली अन्य शर्तें:-

(1) कंपनी, क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अपने व्यय के संबंध में सूचना प्रकाशित करेगी और प्रकाशित सूचना की प्रति क्षेत्रीय निदेशक को भेजी जाएगी और उक्त सूचना **प्ररूप संख्या आई एन सी-19** में होगी और वह प्रकाशित होगी:

- (क) उस जिले के मुख्य स्थानिक भाषा के स्थानिक और उक्त जिले में व्यापक रूप से परिचालित होने वाले समाचार पत्र में न्यूनतम एक बार, जहां प्रस्तावित कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित होगा या स्थित है और उक्त जिले में व्यापक रूप से परिचालित होने वाले अंग्रेज़ी समाचार पत्र में अंग्रेज़ी भाषा में न्यूनतम एक बार;
- (ख) कंपनी की वेबसाईट, यदि कोई हो, पर और केन्द्रीय सरकार द्वारा आगे अधिसूचित या निदेशित किए गए अनुसार।
- (2) कंपनी, सूचना के प्रकाशन के साथ-साथ उसकी प्रति, आवेदन की प्रति सहित सभी संलग्नकों को कंपनी के ऊपर अधिकारिता रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त, कंपनी के ऊपर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर अधिकारी, पूर्त आयुक्त, उस राज्य के मुख्य सचिव, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, कंपनी जहां कार्य कर रही है वहां की अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के संगठन या विभाग अन्य प्राधिकरण के पास भेजेगी और यदि इनमें से कोई प्राधिकरण क्षेत्रीय निदेशक को प्रतिवेदन करना चाहता है तो वह कंपनी को अवसर देने के पश्चात् सूचना प्राप्त होने से साठ दिन के भीतर ऐसा कर सकता है।
- (3) आवेदन के साथ सूचना की तामीली के प्रमाण की प्रति संलग्न की जाएगी।
- (4) निदेशक-बोर्ड इस संबंध में एक घोषणा करेगा कि कंपनी ने अपनी आय या सम्पत्ति का कोई भाग, उन व्यक्तियों को, जो कंपनी के सदस्य हैं या रहे हैं या किसी एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों को या एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों से अधिक के माध्यम से दावा कर रहे किसी भी व्यक्ति को, लाभांश या बोनस के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भुगतान या अंतरण नहीं किया है या करेगी।
- (5) जहां कहीं कंपनी ने आयकर विभाग, पूर्त आयुक्त या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के किसी संगठन या विभाग, नगरपालिका निकाय या किसी मान्यताप्राप्त प्राधिकरण जैसे किसी भी प्राधिकरण से विशेष दर्जा, विशेषाधिकार, छूट, लाभ या अनुदान प्राप्त किया हो तो संबंधित प्राधिकरण से उक्त विशेष दर्जा विशेषाधिकार, छूट, लाभ या अनुदान की शर्तों के अंतर्गत अपेक्षित होने पर "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए और उक्त को आवेदन सहित क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (6) कंपनी द्वारा क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय वर्ष तक अपने सभी वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणियां और क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख तक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सभी विवरणियां प्रस्तुत की जा चुकी हो और यदि वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तारीख से तीन माह की समाप्ति के पश्चात् आवेदन किया गया हो तो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से उस तारीख तक जो आवेदन प्रस्तुत करने के तीस दिन पूर्व न हो, प्रमाणित वित्तीय स्थिति की ब्यौरा संलग्न किया जाना चाहिए।
- (7) कंपनी, कारबार कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट या कारबार कर रहे कंपनी सचिव या लागत लेखाकार का एक प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न करेगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया होगा कि

अधिनियम में निर्धारित शर्तों और धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कंपनी के किसी दूसरे प्रकार की कंपनी में परिवर्तन से संबंधित नियमों का अनुपालन किया गया है।

- (8) क्षेत्रीय निदेशक परिवर्तन के संबंध में अपना अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदक से किसी विशेष प्राधिकरण के अनुमोदन या सहमति की मांग कर सकते हैं और वह रजिस्ट्रार से रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं।
- (9) आवेदन प्राप्त होने तथा संतुष्ट होने पर क्षेत्रीय निदेशक प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निम्नलिखित शर्तों सहित लगाई गईं निबंधन और शर्तों के अध्यधीन, कंपनी को किसी दूसरे प्रकार की कम्पनी में परिवर्तन करने का अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी करेंगे, अर्थात् ;-
  - (क) कंपनी, परिवर्तन के प्रभावी होने की तारीख से धारा 8 के उपबंधों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत होने के नाते प्राप्त हुए किसी विशेष दर्जे, छूट या विशेषाधिकार का त्याग करेगी और उसका दावा नहीं करेगी।
  - (ख) यदि कंपनी ने किसी सरकार या प्राधिकरण से नि:फीस रियायती लागत पर कोई अचल सम्पत्ति अर्जित की है, तो उसे अचल संपत्ति मुहैया कराने वाली सरकार या प्राधिकरण में किसी एक को, उक्त सम्पत्ति अर्जित करने के समय उसकी लागत तथा परिवर्तन के समय उक्त सम्पत्ति के बाज़ार मूल्य के बीच के अन्तर का भुगतान करना होगा।
  - (ग) विगत वर्षों से आगे लाया गया कंपनी का संचयी लाभ या अप्रयुक्त आय का उपयोग पहले सभी बकाया सांविधिक दायित्वों, देनदारों को देय राशि, लेनदारों, आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं और कर्मचारियों सहित अन्य व्यक्तियों के दावों और अंततः प्रवर्तकों या सदस्यों द्वारा अग्रिम रूप में दिए गए ऋण या उन्हें बकाया कोई अन्य राशि के निपटान हेतु किया जाएगा और शेष धनराशि, यदि कोई हो, परिवर्तन का अनुमोदन प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष में अंतरित कर दी जाएगी ।
- (10) आवेदन में शर्तों को लगाने या उसे रद्द करने से पूर्व कंपनी को, क्षेत्रीय निदेशक द्वारा सुने जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (11) क्षेत्रीय निदेशक का अनुमोदन प्राप्त होने पर,
  - (i) कंपनी, धारा 8 कंपनी के किसी दूसरे प्रकार की कंपनी में परिवर्तित हो जाने के पश्चात अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अपने संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद में संशोधन हेतु एक विशेष संकल्प पारित करने के लिए अपने सदस्यों की साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी;
  - (ii) तत्पश्चात कंपनी, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी-
    - (क) आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर फीस सहित प्ररूप संख्या आई एन सी 20 में क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन की प्रमाणित प्रति;
    - (ख) कंपनी का संशोधित संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद;
    - (ग) निदेशकों द्वारा इस संबंध में यह घोषणा कि क्षेत्रीय निदेशक द्वारा लगाई गई शर्ते, यदि कोई हों, का पूर्णत: अनुपालन किया गया है।
- (12) उपर्युक्त **उप-नियम (10)** में उल्लिखित दस्तावेज़ प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकृत करेंगे और नया निगमन प्रमाणपत्र जारी करेंगे ।

#### 23. धारा 8 के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के संबंध में रजिस्ट्रार को सूचना

जहां धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कंपनी को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर दिया गया हो, तो कंपनी, तदनुसार अपने दर्जे और नाम में परिवर्तन हेतु फीस सहित **प्ररूप संख्या आई एन सी 20** में रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी।

#### 24. व्यापार आरम्भ करने के समय घोषणा

निदेशक द्वारा फीस सहित **प्ररूप संख्या आई एन सी 21** में घोषणा की जाएगी और प्ररूप की विषय-वस्तु का सत्यापन कारबार कर रहे कंपनी सेकेट्री या कारबार कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट या कास्ट एकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा;

परन्तु यह कि किसी कंपनी के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी आदि जैसे सैक्टर संबंधी विनियामकों से रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है, वहां ऐसे मामले में ऐसे विनियामक का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, उक्त अपेक्षित होगा।

#### 25. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन-

- (1) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन फीस सहित प्ररूप संख्या आई एन सी 22 में प्रस्तुत किया जाएगा, और
- (2) उक्त प्ररूप के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज़ संलग्न किया जाएगा, अर्थात्-
  - (क) कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिसर के स्वामित्व का रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़; या
  - (ख) भुगतान किए गए किराए की रसीद, जो एक माह से अधिक पुरानी नहीं होगी, की प्रति सहित कंपनी के नाम पर पट्टा या किराया-समझौता की प्रमाणित प्रति;
  - (ग) अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के रूप में कंपनी द्वारा परिसर के उपयोग के संबंध में स्वामित्व या दखल संबंधी प्राधिकार सहित परिसर के स्वामी या प्राधिकृत दखलकार से प्राधिकार; और
  - (घ) स्वामी के नाम पर परिसर के पते को दर्शाने वाले दूरभाष, गैस, बिजली आदि जैसी जन-सुविधाओं के साक्ष्य का सबूत या दस्तावेज, जैसा भी मामला हो, जो दो माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

#### 26. कंपनी द्वारा नाम का प्रकाशन

केन्द्रीय सरकार, जैसे और जब अपेक्षित हो, अन्य दस्तावेज़ अधिसूचित करेगी, जिन पर कंपनी का नाम मुद्रित होगा।

## 27. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की अवस्थिति में परिवर्तन की सूचना और सत्यापन

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की अवस्थिति में परिवर्तन की सूचना और तत्संबंधी सत्यापन, **प्ररूप संख्या आई एन सी 22** में प्रस्तुत किया जाएगा और उक्त प्ररूप के साथ समान दस्तावेज संलग्न होंगे और सत्यापन का तरीका, धारा 12 की उप-धारा (2) के अनुसार निगमन पर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के सत्यापन के संबंध में ऊपर यथा विनिर्दिष्ट किए गए तरीके के समान होगा।

## 28. एक ही राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थानांतरण:-

- 1) एक ही राज्य के भीतर एक कंपनी रजिस्ट्रार की अधिकारिता से दूसरे कंपनी रजिस्ट्रार की अधिकारिता में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक से पुष्टि मांगे जाने संबंधी आवेदन कंपनी द्वारा फीस के साथ **प्ररूप सं. आई एन सी 23** में क्षेत्रीय निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा।
- कंपनी रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय निदेशक को कोई आवेदन प्रस्तुत करने से कम से कम एक माह पूर्व-

- क) अंग्रेजी में प्रकाशित किसी दैनिक समाचार पत्र में तथा उस जिला की, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, मुख्य भाषा में कम-से-कम एक बार सूचना प्रकाशित करेगी और उस जिला में परिचालित करेगी
- ख) कंपनी के प्रत्येक डिबेंचर धारक, निक्षेपक एवं लेनदार को अलग-अलग सूचना तामिल करेगी जिसमें आवेदन के विषय को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा और यह बताया जाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका हित ज्ञापन के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, उस सूचना के प्रकाशन की तारीख के इक्कीस (21) दिन के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय को अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार की सूचना दे सकता है जिसकी एक प्रति कंपनी को दी जाएगी:

**परंतु** यह कि यदि सूचना के तामिल होने या प्रकाशित होने की तारीख से इक्कीस (21) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि सबंधित व्यक्ति ने आवेदन में प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है:

**परंतु** यह और कि यदि कंपनी के विरुद्ध कोई जांच, निरीक्षण या पड़ताल शुरू की गई है या अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित होगा तो रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थानांतरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

#### 29. नाम बदलकर ज्ञापन का परिवर्तन:

- किसी ऐसी कंपनी को नाम बदलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसने अपनी वार्षिक विवरणियां या वित्तीय विवरण या प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत कोई दस्तावेज रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने में चूक की हो या जिसने परिपक्व निक्षेप या डिबेंचर या निक्षेप या डिबेंचर पर बयान के प्रतिसंदाय में चूक की है।
- 2) कंपनी का नाम बदलने के लिए फीस सहित एक आवेदन प्ररूप सं. आई एन सी 24 में प्रस्तुत किया जाएगा और नाम बदल जाने के परिणामस्वरूप कंपनी को प्ररूप सं. आई एन सी 25 में निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

#### 30. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का एक राज्**य या संघ राज्य क्षेत्र (यू टी) से दूसरे रा**ज्य में स्थानांतरण

- (1) एक राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थान बदलने के संबंध में ज्ञापन के परिवर्तन के लिए अनुमोदन मांगे जाने के प्रयोजन हेतु धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन एक आवेदन फीस के साथ प्ररूप सं. आई एन सी 23 में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात:-
  - क) संगत ज्ञापन और संगत अनुच्छेद की प्रति;
  - ख) साधारण अधिवेशन बुलाने संबंधी नोटिस की प्रति और साथ ही संगत स्पष्टीकरण विवरण;
  - ग) कंपनी के सदस्यों द्वारा परिवर्तन की स्वीकृति देने संबंधी विशेष संकल्प की प्रति;
  - घ) साधारण अधिवेशन, जिसमें ऐसे परिवर्तन को प्रस्तावित करने संबंधी संकल्प पारित हुआ था, के कार्यवृत्त की प्रति जिसमें संकल्प के पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या का ब्यौरा दिया गया हो
  - ङ) आवेदन को सत्यापित करते हुए एक शपथ पत्र;
  - च) आवेदन पर आपत्ति करने के लिए हकदार लेनदारों एवं डिवेंचर धारकों की सूची;
  - छ) लेनदारों की सूची सत्यापित करने संबंधी शपथ पत्र;

- ज) आवेदन फीस के संदाय से संबंधित दस्तावेज;
- झ) यथास्थिति, बोर्ड संकल्प या मुखतारनामा या निष्पादित वकालतनामा की प्रति,
- आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पहले एक माह से अनाधिक नवीनतम व्यवहार्य तारीख तक लेनदारों एवं डिबेंचर धारकों की सूची आवेदन के साथ संलग्न होगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए गए हैं, अर्थात:-
  - क) कंपनी के प्रत्येक लेनदार एवं डिबेंचर धारक का नाम एवं पता
  - ख) ऋणों, दावों या दायित्वों के बावत उनको देय संबंधित रकम और प्रकृति:

**परंतु यह कि** आवेदक कंपनी इस बारे में कि उन्होंने कंपनी के कार्यों की पूरी जांच की है और ऐसा करने के बाद यह राय बनाई है कि लेनदारों की सूची सही है और यह कि ऋणों या आकस्मिकता पर संदेय दावों की सूची में दिया गया अनुमानित मूल्य या अभिनिश्चित नहीं है; ऐसे ऋणों एवं दावों के मूल्यों के समुचित अनुमान हैं और यह कि उनकी जानकारी में कंपनी के कोई अन्य ऋण नहीं हैं या उनके विरूद्ध कोई दावे नहीं हैं, कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा, यदि कोई हो, और कंपनी के अन्यून दो निदेशकों द्वारा, जिसमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, जहां एक है, हस्ताक्षरित एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी।

- (3) आवेदन के साथ कंपनी के निदेशकों का एक शपथ पत्र भी शामिल होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी और यह भी कि कंपनी द्वारा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में लेनदारों की सूची की एक अधिप्रमाणित प्रति रखी जाएगी और इसका निरीक्षण करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति सामान्य कार्य समय के दौरान कभी भी निरीक्षण कर सकता है और कंपनी को प्रति पृष्ठ 10 रु. से अनधिक धनराशि को संदाय करके उसका उद्धरण ले सकता है।
- (5) उस राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, जहां आवेदन प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के रजिस्ट्रार एवं मुख्य सचिव को पूर्ण अनुलग्नक सहित आवेदन की प्रति प्रदान करने की पावती की प्रति भी आवेदन के साथ संल्गन होगी।
- (6) कंपनी सुनवाई की तारीख से कम-से-कम चौदह दिन पहले:
  - क) उस जिला में, जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, प्रमुख स्थानीय भाषा में स्थानीय समाचार पत्र में तथा उस जिला में परिचालित अंग्रेजी समाचार पत्र में कम-से-कम एक बार **प्ररूप सं. आई एन सी 26** में आवेदन विज्ञापित करेगी;
  - ख) कंपनी के प्रत्येक डिबेंचर-धारक एवं लेनेदार को खंड (क) में निर्धारित प्रभाव के बारे में अलग-अलग सूचना (सूचनाएं) सम्यक पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक से तामिल करेगी; और
  - ग) सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में, रजिस्ट्रार को और भारत के प्रतिपूर्ति एवं विनिमय बोर्ड को, विशेष अधिनियम या तत्स्थानिक रूप से लागू विधि के अधीन विनियमित कंपनी की दशा में, विनियामक निकाय को, आवेदन की प्रति सहित एक सूचना सम्यक पावती के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक से तामिल करेगी।
- (7) जहां किसी व्यक्ति से, जिसका हित प्रस्तावित आवेदन से प्रभावित होने की संभावना है, कोई आपत्ति आवेदक को प्राप्त होती है वहां वह सुनवाई की तारीख को या उससे पहले केन्द्रीय सरकार को उसकी प्रति तामील करेगी।
- (8) जहां किन्हीं पक्षों से, जिनको सम्यक रूप से तामील की गई है, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, वहां आवेदन को बिना सुनवाई के आदेशों के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- (9) परिवर्तन की पुष्टि करने से पहले केन्द्रीय सरकार सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक लेनदार एवं डिबेंचर धारक, जो केन्द्रीय सरकार की राय में परिवर्तन के लिए आपत्ति करने हेतु हकदार है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित रीति में अपनी आपत्ति दर्ज कराता है, या तो परिवर्तन के लिए उसकी सहमति अभिप्राप्त कर ली

गई है या उसके ऋण या दावे को खारिज कर दिया गया है या अवधारित कर दिया गया है या सुरक्षित कर ली गई है, जिससे केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है।

(10) केन्द्रीय सरकार ऐसे निबंधनों एवं शर्तों, यदि कोई हों, पर परिवर्तन की पुष्टि करते हुए आदेश कर सकती है, जो वह उचित समझे, और लागतों के बारे में ऐसा आदेश कर सकती है, जो वह उचित समझे; परंत यह कि रजिस्टीकत कार्यालय का स्थानांतरण अनुज्ञात नहीं होगा यदि कंपनी के विरुद्ध कोई जांच.

नरिषु पह कि राजरे द्राप्त के विद्या अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के विरूद्ध कोई अभियोजन लंबित है।

31. एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए ज्ञापन का परिवर्तन अनुमोदित करने से संबंधित केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्रति, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर राज्य के रजिस्ट्रार को फीस सहित प्ररूप सं. आई एन सी 28 में प्रस्तुत किया जाएगा।

#### 32. उद्देश्यों, जिनके लिए विवरणिका के माध्यम से धनराशि उगाही गई है, का परिवर्तन

(1) जहां कंपनी ने विवरणिका के माध्यम से जनता से धनराशि उगाही है और इस प्रकार उगाही गई धनराशि में से कोई अप्रयुक्त धनराशि है, वहां वह उन उद्देश्यों को नहीं बदलेगी जिनके लिए इस प्रकार उगाही गई धनराशि का उपयोग किया जाना है जब तक कि डाक मत पत्र के जरिए एक विशेष संकल्प पारित नहीं हो जाता है और उद्देश्यों को परिवर्तित करने के लिए संकल्प के बाबत सूचना में निम्नलिखित विवरणियां शामिल न की जाती हैं; अर्थात:-

- क) प्राप्त कुल राशि
- ख) विवरणिका में वर्णित उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल धनराशि;
- ग) विवरणिका के माध्यम से इस प्रकार उगाही गई धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि,
- घ) उद्देश्यों में फेरबदल या परिवर्तन की विवरणियां
- ङ) उद्देश्यों में फेरबदल या परिवर्तन के लिए औचित्य
- च) किन्हीं नए उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित रकम;
- छ) कंपनी के अर्जनों एवं नकद प्रवाह के बारे में प्रस्तावित फेरबदल का अनुमानित वित्तीय प्रभाव;
- ज) अन्य संगत सूचना जो प्रस्तावित संकल्प पर पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने के लिए सदस्यों के लिए आवश्यक है;
- झ) वह स्थान, जहां कोई हितबद्ध व्यक्ति पारित किए जाने वाले प्रस्ताव के नोटिस की प्रति प्राप्त कर सकता है।
- (2) उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए प्रस्तावित किए जाने वाले प्रत्येक संकल्प का ब्यौरे देते हुए विज्ञापन जो अंशधारकों को डाक मत पत्र सूचनाएं प्रेषित करने के साथ-साथ प्रकाशित किया जाएगा।
- (3) सूचना को कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी डाला जाएगा।

#### 33. 1. अनुच्छेदों का फेरबदल:-

- (1) प्राइवेट कंपनी के पब्लिक कंपनी में या पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन को प्रभावी करने के लिए, आवेदन को फीस के साथ प्ररूप सं. आई एन सी 27 में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) फेरबदल को अनुमोदित करने संबंधी सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रति को केंद्रीय सरकार से आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर फेरबदल किए गए अनुच्छेदों की मुद्रित प्रति और फीस के साथ प्ररूप सं. आई एन सी 27 में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "सक्षम प्राधिकारी" पद से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है।

# 34. सदस्यों द्वारा किए जा रहे अनुरोधों पर उनको दी जाने वाली ज्ञापन एवं अनुच्छेदों, आदि की प्रतियां –

कम्पनी फीस के संदाय के बाद, किसी सदस्य द्वारा किए जा रहे अनुरोध के सात दिनों के भीतर उसको निम्नलिखित प्रत्येक दस्तावेज की प्रति भेजेगी :--

- (1) ज्ञापन;
- (2) अनुच्छेद;
- (3) धारा 117 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक करार एवं प्रत्येक संकल्प, यदि एवं जहां तक उनको ज्ञापन एवं अनुच्छेदों में समाविष्ट नहीं किया गया है ।

#### 35. दस्तावेजों की तामील----

- (1) कंपनी को या उसके किसी अधिकारी को इलेक्ट्रानिक पारेषण के माध्यम से कोई दस्तावेज तामील किया जा सकेगा।
- (2) उप नियम (i) के प्रयोजनों के लिए, पद "इलेक्ट्रानिक पारेषण" से एक ऐसा संवाद/पत्र अभिप्रेत है जो
- (क) निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया गया हो---
- प्रतिकृति दूरसंचार या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा, जब क्रमशः प्रतिकृति संख्या का इलेक्ट्रानिक, डाक पता पर भेजा गया हो, जो कंपनी या अधिकारी को समय-समय पर संवाद/पत्र भेजने के लिए क्रमशः कंपनी या अधिकारी को प्रदान किया गया है;
- (ii) इलेक्ट्रानिक संदेश बोर्ड या नेटवर्क को डाक में देना जो कंपनी या अधिकारी ने ऐसे संवादों/पत्रों के लिए नामनिर्दिष्ट किया है और जो पारेषण डाक में देने के बाद विधिमान्य रूप से सुपुर्द किया जाएगा; या
- (iii) इलेक्ट्रानिक संवाद/पत्र के अन्य साधन, जिसके बावत कंपनी या अधिकारी ने यह सत्यापित करने के लिए
   प्रेषक, पारेषण को भेजने के लिए तात्पर्यित व्यक्ति है, समुचित प्रणाणियां स्थापित की हैं; और
- (ख) जो एक अभिलेख सृजित करता है जो प्रतिधारण, पुन: प्राप्ति एवं पुनरीक्षा में सामर्थ्यवान है जिसे उसके बाद स्पष्टरूप से पठनीय मूर्तरूप में बदला जा सकेगा।
- (3) रजिस्ट्रार या किसी सदस्य को इलेक्ट्रानिक पारेषण के माध्यम से कोई दस्तावेज तामिल किया जा सकेगा।
- (4) उप-नियम (3) के प्रयोजन हेतु, पद "इलेक्ट्रानिक पारेषण" से एक ऐसा संवाद/पत्र अभिप्रेत है जो
- (क) निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया गया हो –
- प्रतिकृति दूरसंचार या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा, जब क्रमश: प्रतिकृति संख्या का इलेक्ट्रानिक, डाक पता पर भेजा गया हो, जो कंपनी या अधिकारी को समय-समय पर संवाद/पत्र भेजने के लिए क्रमश: कंपनी या अधिकारी को प्रदान किया गया है;
- (ii) इलेक्ट्रानिक संदेश बोर्ड या नेटवर्क को डाक में देना जो कंपनी या अधिकारी ने ऐसे संवादों/पत्रों के लिए नामनिर्दिष्ट किया है और जो पारेषण डाक में देने के बाद विधिमान्य रूप से सुपुर्द किया जाएगा; या
- (iii) इलेक्ट्रानिक संवाद/पत्र के अन्य साधन, जिसके बावत कंपनी या अधिकारी ने यह सत्यापित करने के लिए प्रेषक, पारेषण को भेजने के लिए तात्पर्यित व्यक्ति है, समुचित प्रणाणियां स्थापित की हैं; और
- (ख) जो एक अभिलेख सृजित करता है जो प्रतिधारण, पुन: प्राप्ति एवं पुनरीक्षा में सामर्थ्यवान है जिसे उसके बाद स्पष्टरूप से पठनीय मूर्तरूप में बदला जा सकेगा।
- (5) धारा 20 की उप-धारा (1) एवं (2) के प्रयोजनों के लिए ''कूरियर'' से एक ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जो कूरियर के माध्यम से भेजा जाता है जो सुपुर्दगी का प्रमाण देता है।
- (6) डाक से सुपुर्दगी की दशा में, ऐसी सेवा प्रभावी मानी जाएगी-(i) बैठक के नोटिस की दशा में, नोटिस वाले पत्र को डाक में देने के अड़तालिस (48) घंटा की समाप्ति पर; और (ii) किसी अन्य दशा में, उस समय, जिस पर पत्र को डाक के समान्य क्रम में सुपुर्द किया जाएगा।

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 1	नाम के आरक्षण के लिए
[ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 (4) तथा कंपनी ( निगमन और अनुषंगिक ) नियम 2014 के नियम 8 एवं 9 के अनुसरण में ]	आवेदन
सत्यमेव जयते	
प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी	
प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट को पढ़ें।	
1. *निम्नलिखित के लिए आवेदन :	
किसी नई कंपनी के निगमीकरण ( भाग क, ख, ग ) किसी विद्यमान कंपनी के नाम को बदलने ( भाग ख, ग, घ )	
भाग क : किसी नई कंपनी के निगमन के लिए नाम हेतु आरक्षण	
2. आवेदक का ब्यौरा (यदि आवेदक को डिन आवंटित किया गया है तो उस डिन की	प्रविष्टि आज्ञापक है)
(क) *निदेशक पहचान सं. ( डिन ) या आयकर	पूर्व - प्रित
स्थाई लेखा सं. ( पैन ) या पासपोर्ट सं.	ब्यौरे का सत्यापन करं
(ख) *प्रथम नाम	
मध्य नाम	
*उपनाम	
(ग) *व्यवसाय का प्रकार 0 स्व नियोजित 0 वृत्तिक 0 होममेकर 0 छात्र 0 नौकरी पे	शि
व्यवसाय का क्षेत्र	
(घ) पता *लाइन ।	
लाइन ॥	
(उ.) *शहर	
(च) *राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	
यदि 'एन. ए.' चयनित, विनिर्दिष्ट करें	
(छ) *पिन कोड	
(ज) *आई. एस. ओ. देश कोड	
(झ) देश	
(ञ) *ई-मेल आई. डी.	
(ट) *फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ )	
(ठ) मोबाईल ( देश कोड के साथ ) -	
(ड) फैक्स	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

3. (क) *कंपनी का प्रकार
🛿 धारा ८ कंपनी 🛛 भाग। कंपनी ( अध्याय XXI ) 🛛 उत्पादक कंपनी 🛛 नई कंपनी ( अन्य )
(ख) *प्रस्तावित कंपनी का वर्ग बताएँ
🛿 पब्लिक 🖻 प्राइवेट 🛛 प्राइवेट ( एक व्यकि की कंपनी )
(ग) *प्रस्तावित कंपनी की श्रेणी बताएँ
{ मान ( वेल्यू ) : शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड, गारंटी द्वारा कंपनी लिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनी }
(घ) *प्रस्तावित कंपनी की उपश्रेणी बताएँ
{ मान : संघ सरकार की कंपनी, राज्य सरकार की कंपनी, गैर सरकारी कंपनी, विदेशी कंपनी की समानुषंगी, गारंटी एवं संघ
कंपनी )
4. *उस राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसमें प्रस्तावित कंपनी को पंजीकृत किया जाना है।
5. *उस कंपनी के रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम जिसमें प्रस्तावित कंपनी को पंजीकृत किया जाना है।
6. प्रवर्तक(कों) के ब्यौरे ( यदि प्रवतर्क (कों) को डिन, आबंटित किया गया है तो उस डिन की प्रविष्टि करना आज्ञापक है )
* प्रवतर्क (कों) की संख्या की प्रविष्टि करें
।. * श्रेणी
<mark>{</mark> मान : व्यष्टि / कंपनी / विदेशी कंपनी / भारत के बाहर निगमित कंपनी / कॉरपोरेट निकाय / अन्य <mark>}</mark>
* डिन या आय-कर पैन या पासपोर्ट संख्या या कॉरपोरेट पहचान संख्या ( सी. आई. एन. ) या विदेशी
कंपनी रजिस्ट्रीकृत संख्या ( एफ. सी. आर. एन. ) या पर्व - परित
कोई अन्य पंजीकृत सं.
* जास
7. *संगम ज्ञापन में शामिल की जाने वाली प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य
8. *प्रस्तावित निदेशक (कों) की विशिष्टियां
(एक निदेशक की जानकारी विनिर्दिष्ट करें यदि प्रस्तावित कंपनी एक व्यक्ति की कंपनी है, दो निदेशकों की सूचना
विनिर्दिष्ट करें यदि प्रस्तावित कंपनी प्राइवेट कंपनी हे ( उत्पादक कंपनी से भिन्न ) तीन निदेशकों की सूचना
विनिर्दिष्ट करें यदि प्रस्तावित कंपनी पब्लिक कंपनी है या पाँच निदेशकों की सूचना विनिर्दिष्ट करें यदि प्रस्तावित
कंपनी उत्पादक कंपनी है )
* निदेशक पहचान संख्या ( डिन )
नाम
पिता का नाम
राष्ट्रीयता
आयकर स्थाई लेखा सं. ( पैन )
पासपोर्ट संख्या
आधार संख्या
वर्तमान आवासीय पता

T

9. (क) 'क्या प्रवर्तक उस नाम से कोई आगौदारी कर्म, पूर्ण रूप से स्वत्वधारी या अरजिस्ट्रीकृत संस्थान चला रहे हैं जिस् नाम से आदेदन किया है ० हॉ ० नहीं (यदि हॉ तो ऐसे नाम के उपयोग के लिप ऐसे संस्थान के सभी स्वानियों / भागीदारों से आनापत्ति प्रामण पत्र संलग्न करें ) यदि हॉ तो क्या ऐसे संस्थान का कारवार प्रस्तावित कंपनी द्वारा उनके निवंतण में ते लिया जाएगा ० हॉ ० नहीं [यदि हॉ तो ऐसे व्यक्ति (यॉ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें ] (य) 'क्या प्रस्तावित नाम (मॉ) में प्रदेश्वर को नाम शामिल है ० हॉ ० नहीं [यदि हॉ, तो ऐसे व्यक्ति (यॉ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें ] (ग) 'क्या प्रस्तावित नाम (मॉ) में रिश्तेदारों का नाम शामिल है ० हॉ ० नहीं यदि हॉ, तो ऐसे व्यक्ति (यॉ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें ] 10 'क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तवित कंपनी के उद्देश्य को दर्शाता है ० हॉ ० नहीं यदि हॉ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है ० हॉ ० नहीं यह एस्तावित नाम प्रमुख या बनाए गए शब्द प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द प्रस्तावित नाम प्रमुख या बनाए गर शब्द प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द यह तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए यह प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का सहत्व यदि इंत तो कृपया व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हॉ ० नहीं 12. 'क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हॅं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अपीन (उनका) नाम बताएँ 13. 'क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हॅं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अपीन दजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन परन्तुत करें। ्रां नहीं यदि हॉ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन परन्तुत करें।		
( यदि हाँ तो ऐसे नाम के उपयोग के लिए ऐसे संस्थान के सभी स्वामियों / भागीदारों से अनापत्ति प्रामण पत्र संलग्न करें ) यदि हाँ तो ऐसे नंस्था ऐसे संस्थान का कारवार प्रस्तावित कंपनी द्वारा उनके नियंवण में ले लिया जाएगा ० हाँ ० नहीं ख) 'क्या प्रस्तावित नाम (मों) में प्रवर्तक (कों) या उनके विकटतम रिश्तेदारों से भिन्न किसी व्यक्ति का नाम शामिल है ० हाँ ० नहीं [ यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्ति (यों) से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें ] (ग) 'क्या प्रस्तावित नाम (मों) में रिश्तेदारों का नाम शामिल है ० हाँ ० नहीं (यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्ति (यों) से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें ] (ग) 'क्या प्रस्तावित नाम (मों) में रिश्तेदारों का नाम शामिल है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो रिश्ते का प्रमरा प्रसाग संलग्न के उद्देश्य को दर्शाता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य को अनुरूप है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है ० हाँ ० नहीं यदि इं तो त्वी प्रस्तावित नाम भूं में विवरणियाँ . 'कंपनी के लिए प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए यहद का महत्व यदि युस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए यहद का महत्व यदि हाँ, तो कृपया न्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह तियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (बगी) को विनिदिष्ट करें 13. 'क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हँ या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए संतित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुगोदन प्रस्तुत करे।		फर्म, पूर्ण रूप से स्वत्वधारी या अरजिस्ट्रीकृत संस्थान चला रहे हैं जिस
यदि हाँ, तो क्या ऐसे संस्थान का कारवार प्रस्तावित कंपनी द्वारा उनके नियंतण में ने लिया जाएगा ० हाँ ० नहीं (व) क्या प्रस्तावित नाम (मॉ) में प्रवर्तक (कॉ) या उनके निकटतम रिश्तेदारों से मिल्न किसी व्यक्ति का नाम शामिल है ० हाँ ० नहीं (व) क्या प्रस्तावित नाम (मॉ) में रिश्तेदारों का नाम शामिल है ० हाँ ० नहीं (व) क्या प्रस्तावित नाम प्रसागित कंपनी के उद्देश्य को दर्शाता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो देशते का प्रमाण संजन्म करें ) 10 क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है ० हाँ ० नहीं यद हाँ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है ० हाँ ० नहीं यद हाँ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित नाम के संख्या ( कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें ) प्रस्तावित नाम प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए श्वद का महत्व यदि प्रस्तावित नाम द्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिन्नता जुनता है ० हाँ ० नहीं 12 'क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह भर आधारित है / हॅ या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिप संवित जावेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह वा आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
<ul> <li>० हॉ ० नहीं</li> <li>ख्या परतावित नाम (मॉ) में प्रवर्तक (कॉ) या उनके निकटतम रिश्तेदारों से मिन्न किसी व्यक्ति का नाम शामिल है ० हॉ ० नहीं</li> <li>[यदि हॉ, तो ऐसे व्यक्ति (यॉ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र संतरन करें ]</li> <li>(ग) 'क्या प्रस्तावित नाम (मॉ) में रिश्तेदारों का नाम शामिल है</li> <li>० हॉ ० नहीं</li> <li>10 'क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है</li> <li>० हॉ ० नहीं</li> <li>यदि हॉ, तो ऐसे व्यक्ति नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है</li> <li>० हॉ ० नहीं</li> <li>यदि हॉ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है</li> <li>० क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है</li> <li>० हॉ ० नहीं</li> <li>यदि हॉ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है</li> <li>० हॉ ० नहीं</li> <li>यद प्रस्तावित नाम (मॉ) के बारे में विवरणियाँ</li> <li>. 'कंपनी के लिए प्रस्तावित नाम के संख्या</li> <li>(कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें )</li> <li>प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए</li> <li>शब्द प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए</li> <li>शब्द का सहत्व</li> <li>यदि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए</li> <li>श्वि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए</li> <li>शब्द का महत्व</li> <li>यदि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए</li> <li>श्व प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए</li> <li>श्व प्रस्तावित नाम तर्गे में त्यानीय भाषा</li> <li>(ओं) का उपयोग किया गया है तो उसका</li> <li>(उनका) नाम दतापर चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है</li> <li>० हॉ ० नहीं</li> <li>यदि हॉ, ते कृपया व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है</li> <li>१३ 'क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह आधीनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषर वस्तु है।</li> <li>३ 'क्वा प्र स्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह मा वीमियम के अधीन रहिं नहीं</li> <li>यदि हॉ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियां और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुगोदन प्रत्तुत करें।</li> </ul>		
<ul> <li>० हाँ ० नहीं</li> <li>[ यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्ति (याँ) से अनापत्ति प्रमाण पव संलग्न करें ]</li> <li>(ग) "क्या प्रस्तावित नाम (मौ) में रिश्वेदारों का नाम शामिल है</li> <li>० हाँ ० नहीं</li> <li>(यदि हाँ, तो दिश्ते का प्रमाण संलग्न के उद्देश्य के उर्शाता है</li> <li>० हाँ ० नहीं</li> <li>यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है</li> <li>० हाँ ० नहीं</li> <li>ग क प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है</li> <li>० हाँ ० नहीं</li> <li>ग क प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है</li> <li>० हाँ ० नहीं</li> <li>ग छ प्रस्तावित नाम प्रस्तावित नाम की संख्या</li> <li>(कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें )</li> <li>प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए</li> <li>शब का महत्व</li> <li>यदि इरॅं, तो कृपया व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है</li> <li>० हाँ ० नहीं</li> <li>यदि इरॅ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग</li> <li>(वगो) को दिनिदिष्ट करे</li> <li>13. "क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन दजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवंदत की विषय वस्तु है।</li> <li>हाँ</li> <li>वदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह वा आवंदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवंदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अधीन दजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवंदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवंदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुगोदन प्रस्तुत करें।</li> </ul>		कपना द्वारा उनक ।नयत्रण म ल ।लया जारगा
[ यदि हाँ, तो रेसे व्यक्ति (यां) से अनापत्ति प्रमाण पव संवन्न करें ] (म) 'क्या प्रस्तावित नाम (मों) में रिश्तेदारों का नाम शामिल है ठहाँ ० नहीं (यदि हाँ, तो रिश्ते का प्रमाण संवन्न करें ) 10 'क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है ठहाँ ० नहीं यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है ठहाँ ० नहीं म ख. प्रस्तावित नाम (मों) के बारे में विवरणियाँ . 'कंपनी के लिए प्रस्तावित नाम की संख्या (कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें ) प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम मं स्थानीय भाषा (अं) का उपयोग किया गया है तो उसका (उनका) नाम बताएँ 12. 'क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		के निकटतम रिश्तेदारों से भिन्न किसी व्यक्ति का नाम शामिल है
<ul> <li>(ग) "क्या प्रस्तावित नाम (मों) में रिशेतदारों का नाम शामिल है</li> <li>० हॉ ० नहीं (यदि हॉ, तो रिश्ते का प्रमाण संलग्न करें)</li> <li>10 "क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य को दर्शाता है</li> <li>० हॉ ० नहीं</li> <li>यदि हॉ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है</li> <li>० हॉ ० नहीं</li> <li>थ प्रस्तावित नाम प्रमं) के बारे में विवरणियाँ</li> <li>. "कंपनी के लिए प्रस्तावित नाम के संख्या</li> <li>प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए</li> <li>शब प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए</li> <li>शब द्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए</li> <li>शब द्र का महत्व</li> <li>यदि प्रस्तावित नाम वेत्या गया है तो उसका</li> <li>(उनका) नाम बताए</li> <li>12. "क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है</li> <li>० हॉ ० नहीं</li> <li>13. "क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हॅ या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है।</li> <li>हॉ</li> <li>वदि हॉ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करे।</li> </ul>		पत्र मंतरन करें।
० हाँ ० नहीं (यदि हाँ, तो रिश्ते का प्रमाण संलग्न करें) 10 *क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य को दर्शाता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है ० हाँ ० नहीं ग ख. प्रस्तावित नाम (मॉ) के बारे में विवरणियाँ . *कंपनी के लिए प्रस्तावित नामां की संख्या (कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें) प्रस्तावित नाम प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम महत्व यदि प्रस्तावित नाम वर्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ०हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (दनगी) को विनिर्दिष्ट करें 13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
10 *क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य को दर्शाता है ० हॉ ० नहीं यदि हॉ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है ० हॉ ० नहीं ग ख. प्रस्तावित नाम (मॉ) के बारे में विवरणियाँ . *कंपनी के लिए प्रस्तावित नामों की संख्या ( कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें ) प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम द्यापार पिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हॉ ० नहीं 21. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार पिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हॉ ० नहीं यदि हॉ, तो कृपया व्यापार पिन्ह का वर्ग (उनमें) को विनिर्दिष्ट करं 13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार पिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार पिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हॉ बहीं यदि हॉ, तो व्यापार पिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार पिन्ह के आवेदक या व्यापार पिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
० हों ० नहीं यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है ० हाँ ० नहीं म ख. प्रस्तावित नाम (मॉ) के बारे में विवरणियाँ . *कंपनी के लिए प्रस्तावित नाम की संख्या (कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें) प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में स्थानीय भाषा (ऑ) का उपयोग किया गया है तो उसका (उनका) नाम बताएँ 12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गो) को विनिर्दिष्ट करें 13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		-
यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित नाम प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है ० हाँ ० नहीं ग ख. प्रस्तावित नाम (मों) के बारे में विवरणियाँ कंपनी के लिए प्रस्तावित नामां की संख्या ( कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें ) प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में स्थानीय भाषा (ऑ) का उपयोग किया गया है तो उसका (उनका) नाम बताएँ 12. 'क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गो) को विनिर्दिष्ट करें 13. 'क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
० हाँ ० नहीं म ख. प्रस्तावित नाम (माँ) के बारे में विदरणियाँ . *कंपनी के लिए प्रस्तावित नामां की संख्या (कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें) प्रस्तावित नाम प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में स्थानीय आषा (ऑ) का उपयोग किया गया है तो उसका (उनका) नाम बताएँ 12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गो) को विनिर्दिष्ट करं 13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवंदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवंदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवंदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें। 		5 उदेश्य के भलगूप है
<ul> <li>म ख. प्रस्तावित नाम (मॉ) के बारे में विवरणियाँ</li> <li>. *कंपनी के लिए प्रस्तावित नामों की संख्या</li> <li>(कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें)</li> <li>प्रस्तावित नाम</li> <li>प्रस्तावित नाम</li> <li>प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए</li> <li>शब्द का महत्व</li> <li>यदि प्रस्तावित नामें में स्थानीय भाषा</li> <li>(ऑ) का उपयोग किया गया है तो उसका</li> <li>(उनका) नाम बताएँ</li> <li>12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है</li> <li>०हाँ ० नहीं</li> <li>यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग</li> <li>(वर्गो) को विनिर्दिष्ट करें</li> <li>13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है।</li> <li>हाँ</li> <li>यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।</li> </ul>		
. *कंपनी के लिए प्रस्तावित नामों की संख्या (कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें) प्रस्तावित नाम प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में स्थानीय आषा (अंगे) का उपयोग किया गया है तो उसका (उनका) नाम बताएँ 12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गो) को विनिर्दिष्ट करें 13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ बदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
( कृपया वरीयता के क्रम में अधिकतम छ: नाम दें ) प्रस्तावित नाम प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में स्थानीय आषा (ऑ) का उपयोग किया गया है तो उसका (उनका) नाम बताएँ 12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ०हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वगाँ) को विनिर्दिष्ट करं 13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
प्रस्तावित नाम       प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए         शब्द का महत्व       यदि प्रस्तावित नाम में म्हे स्थानीय आषा         (ऑ) का उपयोग किया गया है तो उसका       (उनका) नाम बताएँ         12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है          ०हाँ ० नहीं       यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग         13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है।         हाँ       नहीं         यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नाम में स्थानीय आषा (ओं) का उपयोग किया गया है तो उसका (उनका) नाम बताएँ 12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ०हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गों) को विनिर्दिष्ट करें 13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।	•	, I
शब्द का महत्व यदि प्रस्तावित नामं में स्थानीय आषा (आं) का उपयोग किया गया है तो उसका (उनका) नाम बताएँ          12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ०हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गों) को विनिर्दिष्ट करें         13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।	प्रस्तावित नाम	
यदि प्रस्तावित नामॅ में स्थानीय भाषा (ऑ) का उपयोग किया गया है तो उसका (उनका) नाम बताएँ 12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ०हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गो) को विनिर्दिष्ट करें 13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।	प्रस्तावित नाम में प्रमुख या बनाए गए	
(ऑ) का उपयोग किया गया है तो उसका (उनका) नाम बताएँ         12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ०हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गो) को विनिर्दिष्ट करें         13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
(उनका) नाम बताएँ         12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है         ० हाँ ० नहीं         यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग         (वर्गो) को विनिर्दिष्ट करें         13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है।         हाँ         गहीं         यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।	यदि प्रस्तावित नामें में स्थानीय भाषा	
<ul> <li>12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के किसी वर्ग से मिलता जुलता है ० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गों) को विनिर्दिष्ट करें</li> <li>13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।</li> </ul>	(ओं) का उपयोग किया गया है तो उसका	
<ul> <li>० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गो) को विनिर्दिष्ट करें</li> <li>13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।</li> </ul>	(उनका) नाम बताएँ	
<ul> <li>० हाँ ० नहीं यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गो) को विनिर्दिष्ट करें</li> <li>13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।</li> </ul>	12. *क्या प्रस्तावित नाम व्यापार चिन्ह नियम. 200	2 के किसी वर्ग से मिलता जलता है
यदि हाँ, तो कृपया व्यापार चिन्ह का वर्ग (वर्गो) को विनिर्दिष्ट करें 13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
(वर्गों) को विनिर्दिष्ट करें 13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।	•	
रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।	13. *क्या प्रस्तावित नाम रजिस्टीकत व्यापार वि	वेन्ह पर आधारित है / हैं या व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन
हाँ नहीं यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।	Ū	
यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।		
यदि हाँ, तो व्यापार चिन्ह या आवेदन की विवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी क अनुमोदन प्रस्तुत करें।	नहीं	
अनुमोदन प्रस्तुत करें।		वेवरणियाँ और व्यापार चिन्ह के आवेदक या व्यापार चिन्ह स्वामी का
14. यदि नाम किसी मौजूदा कंपनी या किसी विदेशी कंपनी के नाम से मिलता-जुलता है तो ऐसी कंपनी का नाग		
14. यदि नाम किसी मौजूदा कंपनी या किसी विदेशी कंपनी के नाम से मिलता-जुलता है तो ऐसी कंपनी का नाग		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14. यदि नाम किसी मौजुदा कंपनी या किसी रि	वेदेशी कंपनी के नाम से मिलता-जुलता है तो ऐसी कंपनी का नाम
विनिर्दिष्ट करें और बोर्ड संकल्प द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करें ( उस कंपनी के निदेशक	द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित )	

Т

[ भाग II—खण्ड 3(i) ]

क. क्या नाम निम्नलिखित से मिलता–जुलता है : 🗖 मौजूदा कंपनी 🔲 विदेशी कंपनी ख. मौजूदा कंपनी की दशा में, सी. आई. एन. प्रदान करें पूर्व पूरित ग. कंपनी का नाम 15. (क) \*क्या प्रस्तावित नाम में बीमा, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर पूंजी, परिसंपत्ति प्रबंधन, निधि या म्यूच्वल फंड आदि जैसे शब्द शामिल है। हाँ नहीं यदि हाँ, तो क्या ( ड्रौप डाउन : वेल्यू - आई. आर. डी. ए., आर. बी. आई., सेबी, एम. सी. ए., अन्य) से सैंखांतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि अन्य हो तो विनिर्दिष्ट करें। ० हाँ ० नहीं (यदि हाँ, तो अनुमोदन की प्रति संलग्न करें या यदि नहीं, तो निगमन प्ररूप भरते समय अनुमोदन की प्रति संलग्न करें। ) (ख) \*क्या प्रस्तावित नाम में 'इलेक्टोरल टूस्ट' मुहावरा शामिल है। हाँ नहीं [ यदि हाँ, तो नियम 8(2)(ख)(vi) के अनुसार शपथ पत्र संलग्न करें ] भाग ग---ऐसे नाम जिनके लिए केंद्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक हो 16.\* क्या प्रस्तावित नाम (मों) में ऐसे शब्द या अभिव्यक्ति शामिल हैं जिनके लिए केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक हो हाँ नहीं (यदि हाँ, तो इस प्ररूप को ऐसे अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार के लिए आवेदन माना जाएगा तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी) पूर्व पुरित भाग घ---किसी मौजूदा कंपनी द्वारा नाम बदलने के लिए नाम का आरक्षण 17. (क) \*कंपनी का सी. आई. एन. (ख) कंपनी का वैश्विक अवस्थान संख्या (जी. एल. एन. ) 18. (क) कंपनी का नाम (ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता (ग) कंपनी का ई-मेल आई. डी. 19. (क) \*बताएँ कि क्या केंद्रीय सरकार से प्राप्त निदेश के कारण नाम बदलना है . 🛛 हाँ 🛛 नहीं (यदि हाँ, तो ऐसे निदेशों की प्रति संलग्न करें ) (ख) \*क्या प्रस्तावित नाम नियम 8(8) के अन्सार है और अधिकरण का विशिष्ट निदेश संलग्न है 🛙 हाँ 🛛 नहीं (यदि 'हाँ' चुना गया है तो नियम 8(8) में यथा अपेक्षित अधिकरण का आदेश संलग्न करें।

25

20. (क) *क्या नाम बदलने के लिए कंपनी के उद्देश्य को बदलना अपेक्षित है। 🛙 हाँ 🛙 नहीं				
्य ला जगर। (ख) नाम बदलने के लिए कारण (उपर्युक्त हाँ की दशा में, कंपनी के प्रस्तावित उद्देश्यों का उल्लेख करें)				
संलग्नकों की सूची :				
(1) किसी मौजूदा कंपनी का नाम बदलने की दशा में बोर्ड	संलग्न करें			
संकल्प की एक प्रति ;				
(2) यदि केंद्रीय सरकार से प्राप्त निदेश के कारण				
नाम बदलना है तो ऐसे निदेश की प्रति ;	संलग्न करें			
(3) यदि प्रस्तावित नाम किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर				
आधारित है (हैं) या व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के	संलग्न करें			
अधीन रजिस्ट्रीकृत के लिए लंबित आवेदन की विषय वस्तु है (हैं) तो				
व्यापार चिन्ह के स्वामी या व्यापार चिन्ह के				
रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे आवेदन के आवेदक का अनुमोदन ;				
(4) यदि प्रस्तावित नाम में ऐसे शब्द या अभिव्यक्ति (याँ) शामिल हैं	संलग्न करें			
जिसके (जिनके) लिए केंद्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है तो				
केंद्रीय सरकार के अनुमोदन की प्रति ;	<del>*</del>			
(5) रिश्ते का सबूत ;	संलग्न करें			
(6) संबंधित विनियामक से सैदांतिक अनुमोदन ;	संलग्न करें			
(7) एक मात्र स्वत्वधारियों / भागीदारों / अन्य एसोसिएट्स से अनापत्ति	संलग्न करें			
प्रमाण पत्र ;				
(8) मौजूदा कंपनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र ,	संलग्न करे			
(9) शपथ पत्र की प्रति, यदि प्रस्तावित नाम में 'इलेक्टोरल ट्रस्ट'	संलग्न करें			
मुहावरा शामिल है।				
(10) अध्याय XXI ( भाग। ) कंपनियों की दशा में अरजिस्ट्रीकृत	संलग्न करें			
कंपनियों का संकल्प ;	·			
(11) नियम 8(8) में यथापेक्षित अधिकरण का आदेश	संलग्न करें			
(12) नियम 8(4) में यथापेक्षित ऐसे अन्य व्यक्तियों से अनापत्ति	संलग्न करें			
प्रमाण पत्र				
(13) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई है।	संलग्न करें			
		संलग्नक हटाएँ		
,				
घोषणा				

में संगम ज्ञापन के लिए प्रवर्तक (प्रस्तावित प्रथम अभिदाता) हूँ और मैं इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए दूसरे प्रस्तावित प्रवर्तक ( प्रवर्तकों ) और प्रथम अभिदाता द्वारा भी प्राधिकृत हूँ।

\* मैंने कंपनी अधिनियम, 2013, उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों तथा नाम के आरक्षण के बाबत उसके अधीन बनाए गए विहित दिशानिर्देशों को पढ़ लिया हैं, उसके अर्थ को समझ लिया है तथा प्रस्तावित नाम उसके अनुरूप है / हैं।

\* मैंने पहले ही क्रमश: रजिस्ट्रीकृत कंपनियों एवं सीमित दायित्व भागीदारी ( एल. एल. पी. ) या पहले ही अनुमोदित नामों से प्रस्तावित नामों की समानता की जाँच करने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम. सी. ए.) के पोर्टल पर तलाश ( सर्च ) सुविधाओं का उपयोग कर लिया है। मैंने व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह और व्यापार चिन्ह की विषय वस्तु की समानता की जाँच करने के लिए तलाश ( सर्च ) सुविधा तथा नामों की समानता के लिए अधिनियम और उसके नियमों के उपबंधों के अनुपालन के बारे में स्वयं के समाधान के लिए प्रस्तावित नाम (मों) की समानता की जाँच करने के लिए अन्य संगत तलाश ( सर्च ) सुविधा का भी उपयोग कर लिया है।

\* प्रस्तावित नाम समय – समय पर यथा संशोधित संप्रतीक और नाम ( अनुचित प्रयोग निवारण ) अधिनियम, 1950 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं है / हैं।

\* प्रस्तावित नाम किसी भी वर्ग के लिए अपमानजनक नहीं होगा अर्थात् प्रस्तावित नाम में ऐसी निंदा या शब्द या मुहावरे नहीं हैं जो किसी जातिगत समूह, धर्म, जैंडर या विरासत के प्रति सामान्यता कलंक माने जाते हों।

\* प्रस्तावित नाम ऐसा (ऐसे) नहीं है (हैं) कि कंपनी द्वारा इसका उपयोग तत्समय लागू किसी कानून के अधीन उपराध हो।

मैंने संबंधित अधिनयम / विनियामक अर्थात् आई. आर. डी. ए., आर. बी. आई., सेबी, एम. सी. ए. आदि की आज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है ( केवल तब ही लागू जब प्रस्तावित नाम में बीमा, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, परिसंपत्ति प्रबंधन, निधि, म्यूच्वल फंड, निधियन, निवेश पट्टा, हायर परचेज आदि या उसका कोई मिश्रण जैसे शब्द शामिल हों )।

\* मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, इस आवेदन तथा इसके संलग्नक ( अटैचमेंट ) में दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है तथा इस प्ररूप से संगत किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

मुझे दिनांक \_\_\_\_\_\_\_\_ के निदेशक बोर्ड की संकल्प संख्या \_\_\_\_\_\_\_ द्वारा इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने एवं इसे जमा करने ( नाम बदलने के लिए ) हेतु प्राधिकृत किया गया है।

\* यदि नाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) एवं धारा 4(4) एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में पाया जाता है तो मैं उसके परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होने का वचन देता हूँ तथा मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(5) (ii) (क) एवं (ख) तथा उसके अधीन नियमों के उपबंधों को पढ़ एवं समझ भी लिया है तथा उसके परिणामों के लिए

स्वयं को पूरी तरह जिम्मेदार घोषित करता हूँ।
* डिजिटल हस्ताक्षर डी.एस.सी. बॉक्स
* पदनाम
* ओवेदक का डिन या आयकर पैन या पासपोर्ट संख्या या निदेशक का निदेशक पहचान संख्या; प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक
अधिकारी या मुख्य वित्त अधिकारी ( सी. एफ. ओ. ) का डिन या पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या
टिप्पण :धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ यह उपबंध
किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधडी़ की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया
जाता है जिसमें क्रमश: झूठे वचन एवं गलत साक्ष्य के लिए सजा का उपबंध किया गया है।
उपांतरित करें प्रिरूप की जाँच करें पर्व संवीक्षा प्रस्तुत करें
उपांतरित करें पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत करें
केवल कार्यालय के उपयोग के लिए
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या ( एस. आर. एन. ) प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर
यह ई-प्ररूप एतद्द्वारा स्वीकृत
यह ई-प्ररूप एतद्द्वारा अस्वीकृत
हस्ताक्षर की तारीख
या
इस ई-प्ररूप को नाम की उपलब्धता संबंधी दिशा निर्देशों के संदर्भ में इलेक्ट्रोनिक मोड के जरिए आवेदक द्वारा दिए गए सत्यता
के विवरण और व्यवसायरत वृत्तिक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

[भाग II—खण्ड 3(i)]

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 2 एक व्यक्ति वाली कंपनी
[ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा <i>3(1)</i> एवं 🔰 💭
7(1) तथा कंपनी ( निगमन और अनुषगिंक)
नियम, 2014 के नियम 4, 10, 12 एवं 15 के सत्यमेव जयते
अन्सरण में ]
प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी
प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट को पढ़ें।
1. * प्ररूप आई. एन. सी.1 की सेवा अनुरोध संख्या ( एस. आर. एन. ) पूर्व पूरित
2. (क) कंपनी का नाम
(ख) कंपनी का प्रकार (ग) कंपनी का वर्ग
(घ) श्रेणी (इ.) उपश्रेणी
* (च) क्या कंपनी (रेडियो बटन) है शेयर पूंजी वाली है बिना शेयर पूंजी वाली है ।
3. (क) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है
(ख) कंपनी रजिस्टार के कार्यालय का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्टीकृत किया जाना है।
<ol> <li>* क्या पत्राचार के लिए पता कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता होगा।</li> </ol>
□ हाँ □ नहीं
I कंपनी का कार्यालय स्थापित होने की तारीख तक पत्राचार के लिए पता
* लाइन I
ताइन II
* शहर
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 📃 👘 👘 👘 👘
* जिला
आई. एस. ओ. देश कोड
देश
* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ )
फैक्स
* कंपनी का ई-मेल आई. डी.
II (क) निगमन की तारीख से कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
* लाइन I
लाइन II
* शहर
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
* जिला
आई. एस. ओ. देश कोड
देश
* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ )
फैक्स
* कंपनी का ई-मेल आई. डी.

29

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है				
0 कंपनी के स्वामित्व वाला 0 निदेशक के स्वामित्व वाला (कंपनी द्वारा पट्टा पर नहीं लिया गया )				
0 कंपनी द्वारा पद्टा पर लिया गया 0 किसी अन्य संस्थान/व्यक्ति के स्वामित्व वाला (कंपनी द्वारा पद्टा पर नहीं लिया गया)				
(ग) पुलिस स्टेशन का पूरा पता जिसकी अधिकारिता में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है				
* पुलिस स्टेशन				
नाम				
* पता लाइन ।				
लाइन ।।				
* शहर				
* राज्य				
*पिन कोड				
<ul> <li>(घ) * रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पता को दर्शाने वाला उपयोगिता ( यूटिलिटी ) सेवा बिल की विशिष्टियां ( दो महीने से अधिक पुराना नहीं )</li> <li>5. * कंपनी की पूंजीगत संरचना, शेयर पूंजी वाली कंपनी की दशा में</li> </ul>				
(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रू. मे)				
(i) इक्विटी शेयरों की संख्या				
इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रू. में)				
(ii) अधिमान शेयरों की संख्या				
अधिमान शेयरों की कुल राशि (रू. में )				
(ख) कंपनी की प्रतिश्रुत पूंजी (रू. में )				
(i) इक्विटी शेयरों की संख्या				
इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रू. में)				
(ii) अधिमान शेयरों की संख्या				
अधिमान शेयरों की कुल राशि (रू. में)				
<ol> <li>* औद्योगिक क्रियाकलाप का मुख्य प्रभाग</li> </ol>				
मुख्य प्रभाग का विवरण				
* क्या संप्रवर्तक कंपनी का एकमात्र निदेशक होगा 0 हाँ 0 नहीं				

निदेशक पहचाप	न संख्या (डिन) पूर्व - पूरित
* आयकर स्था	यी लेख संख्या (पैन) 🔹 👘 👘 👘 👘 👘
* प्रथम नाम	ज्यार सत्यागरा गर
मध्य नाम	
* उपनाम	
परिवार नाम	
*0 <mark>पिता का ना</mark>	म ० माता का नाम ० पति / पत्नी का नाम
* लिंग 🛛 पुर	ल्ष 🗆 महिला 🗆 ट्रांसजेंडर
* राष्ट्रीयता	* जन्म तिथि
* जन्म स्थान	(जिला एवं राज्य)
* शैक्षिक अर्हता	T L
* व्यवसाय का	प्रकार
व्यवसाय का क्षे	a
स्थायी पता	
* लाइन I	
लाइन II * शहर	
* राज्य / संघ	राज्य क्षेत्र 🛛 🔭 पिन कोड
आई. एस. ओ.	
देश	
	टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ ) -
मोबाईल ( देश : 	कोई संहित )
फैक्स	
* ई- मेल आई.	डी.
* क्या वर्तमान	पता एवं स्थायी पता एक ही है 🗆 हाँ 🗆 नहीं
वर्तमान पता	
* लाइन I	
लाइन II	
* शहर	
* राज्य / संघ	राज्य क्षेत्र 🛛 👘 👘 👘
* आई. एस. अं	
देश	
•	टी. डी. / आई. एस. डी. कोड सहित)
मोबाइल ( देश र	के कोड सहित)

31

32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

ई-मेल आई. डी.          इं. मैल आई. डी.         * वर्तमान पता पर रहने की अवधि         • वर्तमान पता पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम हे तो पूर्व आवास का पता         * पहचान का सबूत         वदि वर्तमान पता पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम हे तो पूर्व आवास का पता         * एवचान का सबूत         यदि पहले से कंपनी (कंपनियों) का निदेशक या संप्रवर्तक है तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का व्यौरा विनिर्दिष्ट (अहां तीन से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रवर्तक है की दशा में वैकल्पिक संतम्नक के रूप में अलग से (शीट) संतग्न करें।         निदेशक       संप्रवर्तक       सी. आई. एन.         निदेशक       संप्रवर्तक       सी. आई. एन.         लदेशक       संप्रवर्तक       सी. आई. एन.         निदेशक       संप्रवर्तक का अमिदाता, एतद्वारा ( ट्रॉप डाउन वेल्यू - भी, शीमति ( छोटा विव प्रिंत्र) का नाम         * (फ) नामाकंकन       संप्रवर्तक कं जिप पात्र है         मैं (छोटा विवरण वॉक्स), संगत जापन का अमिदाता, एतद्वारा ( ट्रॉप डाउन वेल्यू - भी, शीमति ( छोटा विव नामाकंक के लिए पात्र है         (व) नामनिर्देशिती के विदरणियाँ       प्र्यं - पूर्य - पूर्य व्योरेका सत्य भया का स         * प्रयम नाम       प्रयन ना	
यदि वर्तमान पता पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम हे तो पूर्व आवास का पता  * पहचान का सबूत  * पहचान का सबूत  * पहचान का सबूत  ali the street of t	
यदि वर्तमान पता पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम हे तो पूर्व आवास का पता  * पहचान का सबूत  * पहचान का सबूत  * पहचान का सबूत  ali the street of t	
<ul> <li>* पहचान का सबूत</li> <li>* पहचान का सबूत</li> <li>* आवास का सबूत</li> <li>यदि पहले से कंपनियों) का निदेशक या प्रंयतर्तक है तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का व्यौरा विनिर्दिश्त (उहां तीन से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रवर्तक है की दशा में वैकल्पिक संतग्नक के रूप में अलग से (शीट) संतग्न करें।</li> <li>निदेशक</li></ul>	
* आवास का सबूत यदि पहले से कंपनी (कंपनियों) का निदेशक या संग्रवर्तक है तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा विनिर्दिष्ट (जहां तीन से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रवर्तक है की दशा में वैकल्पिक संलग्नक के रूप में अलग से (शीट) संलग्न करें। निदेशक	
* आवास का सबूत यदि पहले से कंपनी (कंपनियों) का निदेशक या संग्रवर्तक है तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा विनिर्दिष्ट (जहां तीन से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रवर्तक है की दशा में वैकल्पिक संलग्नक के रूप में अलग से (शीट) संलग्न करें। निदेशक	
* आवास का सबूत यदि पहले से कंपनी (कंपनियों) का निदेशक या संग्रवर्तक है तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा विनिर्दिष्ट (जहां तीन से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रवर्तक है की दशा में वैकल्पिक संलग्नक के रूप में अलग से (शीट) संलग्न करें। निदेशक	
* आवास का सबूत यदि पहले से कंपनी (कंपनियों) का निदेशक या संग्रवर्तक है तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा विनिर्दिष्ट (जहां तीन से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रवर्तक है की दशा में वैकल्पिक संलग्नक के रूप में अलग से (शीट) संलग्न करें। निदेशक	
यदि पहले से कंपनी (कंपनियों) का निदेशक या संप्रवर्तक है तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा विनिर्दिण्ट (जहां तीन से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रवर्तक है की दशा में वैकल्पिक संलग्नक के रूप में अलग से (शीट) संलग्न करें। निदेशक	
(जहां तीन से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रवर्तक है की दशा में वैकल्पिक संलग्नक के रूप में अलग से (शीट) संलग्न करें। निदेशक	
(शीट) संलग्न करें। निदेशक	
निदेशक	ା ଏ ମ ୩
<ul> <li>कंपनी का नाम</li> <li>निदेशक</li></ul>	
निदेशक	
कंपनी का नाम	
निदेशक	
पूरित) कंपनी का नाम	
पूरित) कंपनी का नाम	
कंपनी का नाम       *         * (क) नामांकन       मैं ( छोटा विवरण बॉक्स ), संगत जापन का अभिदाता, एतद्वारा ( ड्रॉप डाउन वेल्यू - श्री, श्रीमति ( छोटा विव बॉक्स) को नामित करता हूँ जो मेरी मृत्यु या संविदा करने की असमर्थता की स्थिति में कंपनी का सदस्य होगा घोषणा करता हूँ कि नामनिर्देशिती कंपनी ( निगमन एवं आनुषंगिक ) नियम, 2014 के नियम 3 के अर्थ के श्री नामांकन के लिए पात्र है (ख) नामनिर्देशिती की विवरणियाँ         विदेशक पहचापन संख्या (डिन )       पूर्च - पूरित         * आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)       ब्बारे का सत्य         * प्रथम नाम	मा पूव
* (क) नामांकन मैं ( छोटा विवरण बॉक्स ), संगत जापन का अभिदाता, एतद्वारा ( ड्रॉप डाउन वेल्यू – श्री, श्रीमति ( छोटा विव बॉक्स) को नामित करता हूँ जो मेरी मृत्यु या संविदा करने की असमर्थता की स्थिति में कंपनी का सदस्य होगा घोषणा करता हूँ कि नामनिर्देशिती कंपनी ( निगमन एवं आनुषंगिक ) नियम, 2014 के नियम 3 के अर्थ के भ्री नामांकन के लिए पात्र है (ख) नामनिर्देशिती की विवरणियाँ निदेशक पहचापन संख्या (डिन ) पूर्व - पूरित * आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) द्यौरे का सत्य * प्रथम नाम मध्य नाम * उपनाम	
मैं ( छोटा विवरण बॉक्स ), संगत जापन का अभिदाता, एतद्वारा ( ड्रॉप डाउन वेल्यू - श्री, श्रीमति ( छोटा विव बॉक्स) को नामित करता हूँ जो मेरी मृत्यु या संविदा करने की असमर्थता की स्थिति में कंपनी का सदस्य होगा घोषणा करता हूँ कि नामनिर्देशिती कंपनी ( निगमन एवं आनुषंगिक ) नियम, 2014 के नियम 3 के अर्थ के भ्री नामांकन के लिए पात्र है (ख) नामनिर्देशिती की विवरणियाँ निदेशक पहचापन संख्या (डिन ) पूर्व - पूरित * आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) ख्यौरे का सत्य * प्रथम नाम मध्य नाम रउपनाम	
मैं ( छोटा विवरण बॉक्स ), संगत जापन का अभिदाता, एतद्वारा ( ड्रॉप डाउन वेल्यू - श्री, श्रीमति ( छोटा विव बॉक्स) को नामित करता हूँ जो मेरी मृत्यु या संविदा करने की असमर्थता की स्थिति में कंपनी का सदस्य होगा घोषणा करता हूँ कि नामनिर्देशिती कंपनी ( निगमन एवं आनुषंगिक ) नियम, 2014 के नियम 3 के अर्थ के भ्री नामांकन के लिए पात्र है (ख) नामनिर्देशिती की विवरणियाँ निदेशक पहचापन संख्या (डिन ) पूर्व - पूरित * आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) ख्यौरे का सत्य * प्रथम नाम मध्य नाम रउपनाम	
मैं ( छोटा विवरण बॉक्स ), संगत जापन का अभिदाता, एतद्वारा ( ड्रॉप डाउन वेल्यू - श्री, श्रीमति ( छोटा विव बॉक्स) को नामित करता हूँ जो मेरी मृत्यु या संविदा करने की असमर्थता की स्थिति में कंपनी का सदस्य होगा घोषणा करता हूँ कि नामनिर्देशिती कंपनी ( निगमन एवं आनुषंगिक ) नियम, 2014 के नियम 3 के अर्थ के भ्री नामांकन के लिए पात्र है (ख) नामनिर्देशिती की विवरणियाँ निदेशक पहचापन संख्या (डिन ) पूर्व - पूरित * आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) ख्यौरे का सत्य * प्रथम नाम मध्य नाम र उपनाम	
बॉक्स) को नामित करता हूँ जो मेरी मृत्यु या संविदा करने की असमर्थता की स्थिति में कंपनी का सदस्य होगा घोषणा करता हूँ कि नामनिर्देशिती कंपनी ( निगमन एवं आनुषंगिक ) नियम, 2014 के नियम 3 के अर्थ के भी नामांकन के लिए पात्र है (ख) नामनिर्देशिती की विवरणियाँ निदेशक पहचापन संख्या (डिन ) पूर्व - पूरित * आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) द्यौरे का सत्य * प्रथम नाम मध्य नाम * उपनाम	
घोषणा करता हूँ कि नामनिर्देशिती कंपनी ( निगमन एवं आनुषंगिक ) नियम, 2014 के नियम 3 के अर्थ के भी नामांकन के लिए पात्र है (ख) नामनिर्देशिती की विवरणियाँ निदेशक पहचापन संख्या (डिन ) पूर्व - पूरित * आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) ब्यौरे का सत्य * प्रथम नाम मध्य नाम * उपनाम परिवार का नाम	वरण
नामांकन के लिए पात्र है (ख) नामनिर्देशिती की विवरणियाँ निदेशक पहचापन संख्या (डिन) पूर्व - पूरित * आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) ब्यौरे का सत्य * प्रथम नाम मध्य नाम * उपनाम परिवार का नाम	
(ख) नामनिर्देशिती की विवरणियाँ         निदेशक पहचापन संख्या (डिन )         * आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)         * प्रथम नाम         मध्य नाम         * उपनाम         परिवार का नाम	भीतर
निदेशक पहचापन संख्या (डिन) पूर्व - पूरित * आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) ब्यौरे का सत्य * प्रथम नाम मध्य नाम * उपनाम परिवार का नाम	
* आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)     पूर्व - पूरित       * प्रथम नाम     ब्यौरे का सत्य       मध्य नाम	
* уधम नाम нध्य नाम * उपनाम	r
* प्रथम नाम मध्य नाम * उपनाम परिवार का नाम	-यापन
* зчनाम чरिवार का नाम	-11 101
परिवार का नाम	
परिवार का नाम	
* ापता का नाम ाम ा नाम ा पति / पत्नी का नाम	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

* লিঁग □ पुरूष □ म	हिला 🗆 ट्रांसजेंडर
•	े
* जन्म स्थान ( जिला	
* शैक्षिक योगयता	
* व्यवसाय का प्रकार	 Oव – नियोजित o वृत्तिक o होम मेकर o छात्र o नौकरी
व्यवसाय का क्षेत्र	
स्थायी पता	
* लाइन I	
लाइन II	
* शहर * राज्य / संघ राज्य क्षे	त्र िंग कोड
आई. एस. ओ. देश कोड	
देश	
* फोन ( एस. टी. डी. /	/ आई. एस. डी. कोड सहित )
मोबाइल ( देश कोड सहि	ज )
फैक्स	
* ई- मेल आई. डी. 🗌	
L	र स्थायी पता एक ही है □ हाँ □ नहीं
वर्तमान पता	
* लाइन I	
लाइन II	
* शहर	
* राज्य / संघ राज्य क्षे	त्र * पिन कोइ
* आई. एस. ओ. देश व	nis
देश	
* फोन ( एस. टी. डी. /	/ आई. एस. डी. कोड के साथ )
मोबाइल ( देश के कोड	के साथ) -
फैक्स	
ई-मेल आई. डी.	
* वर्तमान पता पर रहने	
यदि वर्तमान पता पर र	हने की अवधि एक वर्ष से कम हे तो पूर्व आवास का पता
× '	
* पहचान का सबूत	
* आवासीय का सबूत	

9. (क) * क्या अनुच्छेद की छँटनी की गई है या नहीं □ हाँ □ नहीं ( यदि हाँ, तो छँटनी किए गए अनुच्छेद को संलग्न किया जाना चाहिए )					
( याद हा, ता छटना किए गए (ख) अनुच्छेदों की संख्या जिन	5				
•		0			
अनुच्छेद के ब्यौरे जिनपर	छँटनी के उपबंध लागू होंगे				
क्र. सं. अनुच्छेद सं. विषय	वस्तु				
10. स्टांप इयूटी के संदाय की वि	शेष्टियां				
(क) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिस	<b>ा बावत स्टांप इ्यूटी संद</b> त्त	किया जाना है	( पूर्व	पूरित )	
(ख) क्या स्टांप ड्यूटी एम. सी. ए.	21 प्रणाली के माध्यम से	इलेक्ट्रॉनिक रू	प से संदत्त किया जाना है	1	
🗆 हाँ 🗆 नहीं 🗆 लागू नहीं					
(i) संदत्त किए जाने वाले स्टांग	न ड्यूटी का ब्यौरा				
दस्तावेज / विशिष्टियों का ब्यौरा	प्ररूप आई. एन. सी. 2		संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद	
संदत्त किए जाने वाले स्टांप					
ड्यूटी की राशि (रू. में)					
			I		
(ii) पहले संदत्त किए जाने वाले स्ट	ांप ड्यूटी का ब्यौरा दें				
दस्तावेज / विशिष्टियों का प्रकार	प्ररूप 1	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद	अन्य	
संदत्त स्टांप इयूटी की कुल राशि					
स्टांप इयूटी के संदाय की पद्धति					
बेंडर या खजाने या प्राधिकारी का					
नाम जो स्टांप ड्यूटी संग्रह करने या					
स्टांप पेपर की बिक्री करने या					
दस्तावेजों को उत्कीर्ण करने या					
सरकार की ओर से स्टांप वाउचर को					
संवितरित करने के लिए प्राधिकृत हैं					
उत्कीर्ण या स्टांप या स्टांप पेपर की क्रम संख्या या खजाना चलान					
क्रम संख्या या खजाना चलान संख्या					
वेंडर की रजिस्ट्रीकरण संख्या					
स्टांप या स्टांप पेपर की खरीद या स्टांप ड्यूटी के संदाय की तारीख					
स्टाप ड्यूटा क सदाय का ताराख (दिन / महीना / वर्ष)					
स्टांप या स्टांप पेपर की खरीद या					

[भाग II—खण्ड 3(i)]

स्टांप ड्यूटी के संदाय का स्थान			
			· · · · · ·
संलग्नक			
1. * संगम ज्ञापन			संलग्न करें
2. * संगम अनुच्छेद			संलग्न करें
<ol> <li>संपन अगुण्ठप</li> <li>* सदस्य एवं नामनिर्देशिती की पहचान का प्रमाण</li> </ol>			संलग्न करें
			संलग्न करें
5. * सदस्य एवं नामनिर्देशिती के पैन काई की प्रति			संलग्न करें
6. * प्ररूप आई. एन. सी. – 3 में नामनिर्देशिती की सहमति			संलग्न करें
7. * प्ररूप सं. आई. एन. सी. – 9 में ज्ञापन के प्रथम निदेशक एवं अभिदाता से शपथ पत्र			संलग्न करें
8. एक समान रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते, यदि कोई हो, वाली सभी कंपनियों की सूची			संलग्न करें
( उनके सी. आई. एन. को विनिर्दिष्ट करते हुए )			संलग्न करें
9. प्ररूप आई. एन. सी. – 10 में नमूना हस्ताक्षर			संलग्न करें
10. छँटनी किए गए संगम अनुच्छेद			संलग्न करें
11. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पता का सब्त			
( वाहन / पट्टा विलेख / किराया रसीद सहित किराया करार )			संलग्न करें
12. उपर्युक्त यूटिलिटी बिलों की प्रतियाँ			संलग्न करं
( दो महीने पुराने से अधिक नहीं			
13. कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के रूप में यह प्रमाण कि कंपनी को उस पता का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, यदि उसका स्वामित्व किसी अन्य संस्थान / व्यक्ति			
· ·		ता अन्य सस्यान / व्यार	τςι ep
पास भी है ( कंपनी द्वारा पद्टा पर नहीं लिया गया ) 14. निदेशक की सहमति			संलग्न करें
14. जिंदरांक का सहमात 15. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हों			संलग्न करें
IJ. বকাল্পক রালত্বক, থাও কাই চা			
	ঘাষ	णा	
			ोदाता के रूप में और कंपनी के एक मात्र
			ग्रंगी या अनुषंगी सभी विषयों के बावत कंपनी गया है। यह भी घोषणा एवं सत्यापित किया
जाता है कि :		3	

- इस प्ररूप और उसके संलग्नक में जो भी कहा गया है वह सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए महत्पूर्ण सूचना को दबाया या छिपाया नहीं गया है तथा संगम ज्ञापन एवं सगम अनुच्छेद के प्रतिश्रुत द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।
- 2. सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से, सही ढंग से एवं पठनीय रूप से संलग्न किया गया है।

<ol> <li>मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है;</li> </ol>				
<ol> <li>मैं पिछले पांच वर्षों में इस अधिनियम या किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधि के अंतर्गत किसी कंपनी में धोखाधडी़ या अपकरण या कर्तव्य अ का दोषी नहीं पाया गया हूँ;</li> </ol>				
5. मैं किसी ऐसी कंपनी का निदेशक / प्रवर्तक नहीं हूँ जो वित्तीय विवरण एवं वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में चूककर्ता हो और / या कि ऐसी कंपनी का निदेशक / प्रवर्तक नहीं हूँ जिसे डूबंत कंपनी घोषित किया गया हो, और				
6. मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(5), 7(6), 447, 448 एवं 449 के उपबंधों को पढ़ लिया है तथा मैं समझता हूँ कि कंपनी के पंजीकरण के लिए गलत या झूठ सूचना प्रस्तुत करने या महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने की दशा में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(5) एवं 7(6) के अनुसार सजा के लिए दार्यी होऊँगा।				
घोषणा				
मैंमें वार्ल्य क्रियो प्रबंधक / कंपनी से पंजीकरण और उससे पूर्वांगी या अनुषंगी सभी विषयों के बावत कंपनी सचिव ) के रूप में नामित व्यक्ति घोषणा करता हूँ कि कंपनी के पंजीकरण और उससे पूर्वांगी या अनुषंगी सभी विषयों के बावत कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मुझे यह घोषणा करने और इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने एवं इसे प्रस्तुत करने के लिए संगम जापन एवं सगम अनुच्छेद के अभिदाता संप्रवर्तक तथा पहले निदेशक (कों) द्वारा प्राधिकृत किया गया है। यह भी घोषणा एवं सत्यापित किया जाता है कि:				
<ol> <li>इस प्ररूप और उसके संलग्नक में जो भी कहा गया है वह सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए महत्पूर्ण सूचना को दबाया या छिपाया नहीं गया है तथा संगम ज्ञापन एवं सगम अनुच्छेद के अभिदाता संप्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।</li> </ol>				
2. सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से, सही ढंग से एवं सुपाठ्य रूप में संलग्न किया गया है।				
* डिजिटल हस्ताक्षर डी. एस. सी. बॉक्स				
* निदेशक का डिन या प्रबंधक का डिन या आयकर पैन या कंपनी सचिव की सदस्यता सं.				
टिप्पण :धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विशिष्टियां प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन कपट की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध किया गया है। फाईल किए जाने				
उपांतरण करें प्ररूप की जाँच करें संवीक्षा पूर्व प्रस्त <u>त</u> करें चिपकाएं				
केवल कार्यालय के उपयोग के लिए				
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या ( एस. आर. एन. )ई-प्ररूप फाईल करने की तारीख यह ई-प्ररूप एतद् द्वारा स्वीकृत किए जाता है				
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का अंकीय हस्ताक्षर जमा करने की पुष्टि				
हस्ताक्षर की तारीख (दिन/महीना/वर्ष)				

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 3	एक व्यक्ति वाली कंपनी -
[ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(1) और 🕢 🦉	नामनिर्देशिती सहमति प्ररूप
कंपनी ( निगमन ) नियम, 2014 के नियम 4 (2),	
(3), (4), (5) एवं (6) के अनुसरण में ] स्ट्यमेव जयते	
प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी	
प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट को पढ़ें।	पूर्व पूरित
1. (क) * प्ररूप आई. एन. सी. 1 का एस. आर. एन. ( नई कंपनी की दशा में ) या	
निगम पहचान सं. ( सी. आई. एन. ) ( मौजूदा कंपनी की दशा में )	
(ख) वैकल्पिक अवस्थान सं. ( जी. एल. एन. )	
2. (क) एक व्यक्ति वाली कंपनी का नाम	
(ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का नाम	
3. * सहमति	
मैं ( छोटा विवरण बॉक्स ) एतद्वारा कंपनी के ( छोटा विवरण बॉक्स ) अभिदाता	सदस्य की मृत्यु या संविदा करने में उनकी अक्षमता
की दशा में ( छोटा विवरण बॉक्स ) का सदस्य बनने के लिए अपनी सहमति देता	ं हूँ।
4. नामनिर्देशिती की विवरणियाँ	~
निदेशक पहचान संख्या (डिन)	पूर्व - पूरित
<ul> <li>* आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)</li> </ul>	ब्यौरे को सत्यापित करें
* учи пн	
मध्य नाम	
* ЗЧनІН	
परिवार नाम	
*ः पिता का नाम ः माता का नाम ः पति / पत्नी का नाम	
* लिंग 🛛 पुरूष 🗆 महिला 🗆 ट्रांसजेंडर 📃 🗌	

### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

* राष्ट्रीयता 📃 * जन्म तिथि
* जन्म स्थान ( जिला एवं राज्य )
* शैक्षिक योगयता
* उपजीविका का प्रकार () स्व – नियोजित () वृत्तिक () होम मेकर () छात्र () नौकरी
उपजीविका का क्षेत्र
स्थायी पता
* पंक्ति I
पंक्ति II
* शहर
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 🛛 🔭 👘 👘
आई. एस. ओ. देश कोड
देश
* फोन ( एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ )
मोबाइल ( देश कोड के साथ )
फैक्स
* ई- मेल आई. डी.
* क्या वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक ही है □ हाँ □ नहीं
वर्तमान पता
* पंक्ति I
पंक्ति II
* शहर
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र * पिन कोड
* आई. एस. ओ. देश कोड
देश
* फोन ( एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ ) -
मोबाइल ( देश के कोड के साथ) –
फैक्स
ई-મૅल आई. डी.
* वर्तमान पते पर रहने की अवधि वर्ष महीना

मूलरूप से हस्ताक्षर नामनिर्देशिती * तारीख * त्यान * त्यान . पैन कार्ड की प्रति 2. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण . आशोधित करें प्ररूप की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी श्री सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर श्री ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्ष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	
<ul> <li>में आवासीय प्रमाण</li> <li>घोषणा</li> <li>मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत का निवासी हूँ और मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन. गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन. गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी में धोखाधड़ी या अपकरण या कर्तव्य शंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति वाली किसी दूसरी कंपनी में नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विदित अवधि के भीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करेंगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है।</li> <li>मूलरूप से हस्ताक्षर</li> <li></li></ul>	यदि वर्तमान पते पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम है तो पूर्व आवास का पता
<ul> <li>में आवासीय प्रमाण</li> <li>घोषणा</li> <li>मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत का निवासी हूँ और मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन. गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन. गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी में धोखाधड़ी या अपकरण या कर्तव्य शंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति वाली किसी दूसरी कंपनी में नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विदित अवधि के भीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करेंगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है।</li> <li>मूलरूप से हस्ताक्षर</li> <li></li></ul>	
<ul> <li>में आवासीय प्रमाण</li> <li>घोषणा</li> <li>मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत का निवासी हूँ और मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन. गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन. गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी में धोखाधड़ी या अपकरण या कर्तव्य शंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति वाली किसी दूसरी कंपनी में नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विदित अवधि के भीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करेंगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है।</li> <li>मूलरूप से हस्ताक्षर</li> <li></li></ul>	
<ul> <li>में आवासीय प्रमाण</li> <li>घोषणा</li> <li>मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत का निवासी हूँ और मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन. गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन. गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी में धोखाधड़ी या अपकरण या कर्तव्य शंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति वाली किसी दूसरी कंपनी में नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विदित अवधि के भीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करेंगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है।</li> <li>मूलरूप से हस्ताक्षर</li> <li></li></ul>	
<ul> <li>में आवासीय प्रमाण</li> <li>घोषणा</li> <li>मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत का निवासी हूँ और मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन. गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन. गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी में धोखाधड़ी या अपकरण या कर्तव्य शंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति वाली किसी दूसरी कंपनी में नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विदित अवधि के भीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करेंगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है।</li> <li>मूलरूप से हस्ताक्षर</li> <li></li></ul>	
घोषणा मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत का निवासी हूँ और मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों में इस अधिनियम या किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधि या एल. एल. पी. अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी में धोखाधड़ी या अपकरण या कर्तव्य भंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ। मैं यह श्री घोषणा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति वाली किसी दूसरी कंपनी में नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विहित अवधि के श्रीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करूँगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है। मूलरूप से हस्ताक्षर बामनिर्देशिती . पैन कार्ड की प्रति . पैत्व कार्ड की प्रति . पहचान का प्रमाण . आशोधित करें प्ररूप की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी श्री सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन पोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर शी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें आव्र	* पहचान का प्रमाण
में सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि में एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत का निवासी हूँ और मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों में इस अधिनियम या किसी पूर्वतों कंपनी विधि या एल. एल. पी. अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी में घोखाधड़ी या अपकरण या कर्तव्य का दोषी नहीं पाया गया हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति वाली किसी दूसरी कंपनी में माननिर्देशिती नहीं हूँ और विहित अवधि के भीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पावता मानदंडों का अनुपालन करूँगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विहित अवधि के भीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पावता मानदंडों का अनुपालन करूँगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है। मूलरूप से हस्ताक्षर नामनिर्देशिती . पैन कार्ड की प्रति 2. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण देप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्न्र हा जतत	* आवासीय प्रमाण
मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि में एक आरतीय नागरिक हूँ और आरत का निवासी हूँ और मुझे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी कंपनी या एल. एल. पी. के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों में इस अधिनियम या किसी पूर्वतर्ती कंपनी विधि या एल. एल. पी. अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी में धोखाधडी या अपकरण या कर्तटय अंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति वाली किसी दूसरी कंपनी में नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विहित अवधि के श्रीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करेंगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विहित अवधि के श्रीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करेंगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है। मूलरूप से हस्ताक्षर नामनिर्देशिती ?. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण 3. आवासी के और ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधडी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	घोषणा
एल. एल. पी. के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है और मैं पिछले पांच वर्षों में इस अधिनियम या किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधि या एल. एल. पी. अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी में धोखाधड़ी या अपकरण या कर्तव्य शंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति वाली किसी दूसरी कंपनी में नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विहित अवधि के भीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करूँगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विहित अवधि के भीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करूँगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है। मूलरूप से हस्ताक्षर नामनिर्देशिती * लारीख . पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण 3. जावासीय जात ता हो जा का ता हो जाता है जिसम क्र कर्या जाता है जिसम क्र स्रम या ता ता के लिया ग लत विवरणियाँ प्रस्तुत करा या किसी स्वयान जाता है जिसम क्रम्य वा ता है जिसम क्रम या ता	
अधिनियम या किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधि या एल. एल. पी. अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी में धोखाधडी या अपकरण या कर्तव्य अंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति वाली किसी दूसरी कंपनी में नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विहित अवधि के भीतर नियम 3(3) में विनिर्दिण्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करूँगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है। मूलरूप से हस्ताक्षर नामनिर्देशिती * तारीख * तारीख . पैन कार्ड की प्रति 2. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण दिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधडी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गतत	
का दोषी नहीं पाया गया हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति वाली किसी दूसरी कंपनी में नामनिर्देशिती नहीं हूँ और विहित अवधि के भीतर नियम 3(3) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करूँगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है। मूलरूप से हस्ताक्षर नामनिर्देशिती * तारीख * त्यांत * तारीख * त्यांत * त्यांत * स्थान 	
विहित अवधि के श्रीतर नियम 3(3) में विनिर्दिण्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन करूँगा। मैं समझता हूँ कि मुझे नामनिर्देशिती करने वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है। मूलरूप से हस्ताक्षर नामनिर्देशिती * तारीख * स्थान अनुलग्नक 1. पैन कार्ड की प्रति 2. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण आशोधित करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी श्री सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधडी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर श्री ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रनश: गलत	
वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है। मूलरूप से हस्ताक्षर नामनिर्देशिती * तारीख * तारीख * तारीख * तारीख * तारीख * त्यान * त्यान	
मूलरूप से हस्ताक्षर नामनिर्देशिती * तारीख * त्यान * त्यान . तारीख . तारीख . तारीख . तारीख . पहचान का प्रमाण . पहचान का प्रमाण . आवासीय प्रमाण . आवामीय प्रमाण . आव	वाला व्यक्ति बिना मेरी सहमति के मेरा नामांकन वापस ले सकता है।
नामनिर्देशिती * तारीख * स्थान अनुलग्नक 1. पैन काई की प्रति 2. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण जाशोधित करें प्ररूप की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधडी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	
नामनिर्देशिती * तारीख * स्थान अनुलग्नक 1. पैन काई की प्रति 2. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण जाशोधित करें प्ररूप की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधडी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	मनऊए मे हम्माक्षर
* तारीख * स्थान अनुलग्नक 1. पैन काई की प्रति 2. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण आशोधित करें प्रिल्प की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी श्री सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधडी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर श्री ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	
* तारीख * स्थान अनुलग्नक 1. पैन काई की प्रति 2. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण आशोधित करें प्रिल्प की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी श्री सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधडी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर श्री ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	
* स्थान अनुलग्नक 1. पैन कार्ड की प्रति 2. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण आशोधित करें प्ररूप की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	
अनुलग्नक 1. पैन काई की प्रति 2. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण आशोधित करें प्रिष्प की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	
<ol> <li>1. पैन काई की प्रति</li> <li>2. पहचान का प्रमाण</li> <li>3. आवासीय प्रमाण</li> <li>आशोधित करें</li> <li>प्ररूप की जाँच करें</li> <li>टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत</li> </ol>	* स्थान
2. पहचान का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण आशोधित करें प्ररूप की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	अनुलग्नक
3. आवासीय प्रमाण आशोधित करें प्ररूप की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	1. पैन काई की प्रति
3. आवासीय प्रमाण आशोधित करें प्ररूप की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	2. पहचान का प्रमाण
आशोधित करें प्रिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	
प्ररूप की जाँच करें टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	आशोधित करें
किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधडी़ की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	प्ररूप की जाँच करें
किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधडी़ की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	िप्पण · धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध
के अधीन धोखाधडी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत	•
	बयान एवं गलत साक्ष्य के लिए सजा का उपबंध किया गया है।
गट ई-एऊए नहीं है। एग्रोकना टनाग एऊए का दलेक्टानिक ऊप में क्षेरा जाना भपेक्षित है तथा सम्यक ऊप में इस्ताक्षरित पति को	यह ई-प्ररूप नहीं है। प्रयोक्ता दवारा प्ररूप का इलेक्ट्रानिक रूप से भरा जाना अपेक्षित है तथा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रति को
•	
	यथास्थिति, ई-प्ररूप आई. एन. सी. 2, आई. एन. सी. 4 या आई. एन. सी. 6 के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 4 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(1) और कंपनी ( निगमन एवं अनुषंगी) नियम, 2014 के नियम 4	एक व्यक्ति वाली कंपनी के
(4), (5) एवं (6) के अनुसरण में ]	💮 लिए सदस्य / नामनिर्देशिती
	सत्यमेव जयते
	में परिवर्तन
 प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी	
प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट को पढ़ें।	
1. * यह प्ररूप निम्नलिखित के लिए है :	पूर्व - पूरित
<ul> <li>नामनिर्देशिती द्वारा सहमति को वापस लेने का नो</li> </ul>	टेस
<ul> <li>नामनिर्देशिती के नाम बदलने के बारे में सूचना</li> </ul>	
□ सदस्यता की समाप्ति की सूचना	
2. * (क) कंपनी का कॉरपोरेट पहचान संख्या ( सी. आई	पूर्व - पूरित
2. * (क) की भेजी की की रिपारंट भेरुभाज राख्या ( सा. आड़	. एन. )
(ख) कंपनी का वैश्विक अवस्थान संख्या	
3. (क) एक व्यक्ति वाली कंपनी का नाम	
(ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता	
	J
(ग) कंपनी का ई-मेल आई. डी.	
(গ) পাশলা পা হৃশাগে সাহ. <b>সা.</b> ——	
4. सहमति वापस लेने का नोटिस	
एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि जिसे	के नामनिर्देशिती के रूप में नामित किया
गया था, ने अपने तारीख के नोटिस द्वारा अपन	
5. नामांकन में परिवर्तन के बारे में सूचना	
एतद्वारा नोटिस किया जाता है कि	के सदस्य नेके सदस्य ने
∗पर तारीख की सूचना द्वा	राहे जो उसकी मृत्यु/संविदा
	सदस्य होगा। वह घोषणा करता / करती हैं कि नामनिर्देशिती कंपनी (
निगमन एवं अनुषंगी ) नियम, 2014 के नियम 3 के	अर्थ के भीतर नामांकन के लिए पात्र है।
6. सदस्यता समाप्ति की सूचना	
(क) एतद्वारा सूचित किया जाता है कि	ड्रॉप डाउन - वेल्यू : सदस्य की मृत्यु, संविदा

करने में सदस्य की अक्षमता, स्वामित्व में परिवर्तन के कारण तारीख* से से का सदस्य नहीं रह
गया है *और /( ड्रॉप डाउन : उसका नामनिर्देशिती अंतरिती ) उपयुक्त कंपनी का एक मात्र सदस्य हो गया है।
(ख) क्या नामनिर्देशिती वहीं है ( स्वामित्व में परिवर्तन की दशा में ) 0 हाँ 0 नहीं
7. नामनिर्देशिती में परिवर्तन के बारे में सूचना
े यह भी नोटिस दिया जाता है कि∗
अपना नामनिर्देशिती नामित किया है जो उसकी मृत्यु/संविदा करने में उसकी अक्षमता की स्थिति में कंपनी का सदस्य हो
जपना नामानपारिता नामता पिया है जो उसपन मृत्युरापिया परेंज में उसपने जयानता पने स्थिति में परेंगा पने सदस्य हो जाएगा। वह घोषणा करता / करती हैं कि नामनिर्देशिती कंपनी (निगमन एवं अनुषंगी ) नियम, 2014 के नियम 3 के अर्थ के
जारगा। वह वापणा करता / करता हाक नामानदाराता कपना (ानगमन रव जनुपगा ) ानयम, 2014 का नयम उक जय क भीतर नामांकन के लिए पात्र है।
-
8. नए नामनिर्देशिती की विवरणियाँ
निदेशक पहचापन संख्या (डिन) पूर्व - पूरित
* भायकर म्थायी लेख मंख्या (पैन)
ब्यारे सत्यापित करे
* प्रथम नाम
मध्य नाम
* उपनाम
परिवार नाम
*० पिता का नाम ० माता का नाम ० पति / पत्नी का नाम
* लिंग 🛛 पुरूष 🗆 महिला 🗅 ट्रांसजेंडर
* राष्ट्रीयता * जन्म तिथि
* जन्म स्थान ( जिला एवं राज्य )
ें जन्म स्थान ( ाजला एव राज्य )
* शैक्षिक योगयता
* उपजीविका का प्रकार
उपजीविका का क्षेत्र
* लाइन I
लाइन II
* शहर
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 🛛 👘 👘 👘 👘 👘 👘
आई. एस. ओ. देश कोड
देश

* फोन ( एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ )
मोबाइल ( देश कोड के साथ )
फैक्स
* ई- मेल आई. डी.
* क्या वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक ही है □ हाँ □ नहीं
वर्तमान पता
* लाइन I
लाइन II
* शहर
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
* आई. एस. ओ. देश कोड
देश
* फोन ( एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ )
मोबाइल ( देश के कोड के साथ) –
फैक्स
ई-मेल आई. डी.
* वर्तमान पता पर रहने की अवधि वर्ष महीना
यदि वर्तमान पता पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम हे तो पूर्व आवास का पता
* पहचान का प्रमाण
* आवासीय का प्रमाण
9. नए सदस्य की विवरणियाँ
निदेशक पहचापन संख्या (डिन) पूर्व - पूरित
* आयकर स्थायी लेख संख्या (पैन) ब्यौरे सत्यापित करें
* प्रथम नाम
मध्य नाम
* зчени
परिवार नाम

*ः पिता का नाम ामा ामा ापति / पत्नी का नाम
* लिंग 🛛 पुरूष 🗆 महीला 🗆 ट्रांसजेंडर
* राष्ट्रीयता
* जन्म स्थान ( जिला एवं राज्य )
* शैक्षिक योगयता
* उपजीविका का प्रकार <sub>()</sub> स्व – नियोजित <sub>()</sub> वृत्तिक () होम मेकर () छात्र () नौकरी पेशा
उपजीविका का क्षेत्र
स्थायी पता
* लाइन I
लाइन II
* शहर
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 🛛 👘 👘 👘 👘 👘 👘
आई. एस. ओ. देश कोड
देश
* फोन ( एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ )
मोबाइल ( देश कोड के साथ )
फैक्स
* ई- मेल आई. डी.
* क्या वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक ही है 🛛 हाँ 🗇 नहीं
वर्तमान पता
* लाइन I
लाइन II
* शहर
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र * पिन कोड
* आई. एस. ओ. देश कोड
देश
* फोन ( एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ )
मोबाइल ( देश के कोड के साथ)
फैक्स
ई-मेल आई. डी.
* वर्तमान पता पर रहने की अवधि वर्ष महीना
यदि वर्तमान पता पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम हे तो पूर्व आवास का पता

<ul> <li>* पहचान का प्रमाण</li> <li>* आवासीय प्रमाण</li> </ul>			
संलग्नक			
1. * प्ररूप सं. आई. एन. सी. 3 में नामनिर्देशिती की सहमति	संलग्न करें		
2.* नए नामनिर्देशिती और नए सदस्य के पैन कार्ड की प्रति	संलग्न करें		
<ol> <li>* नए नामनिर्देशिती और नए सदस्य के पहचान का प्रमाण</li> </ol>	संलग्न करें		
<ol> <li>* नए नामनिर्देशिती और नए सदस्य के आवासीय प्रमाण</li> </ol>	संलग्न करें		
<ol> <li>* नामनिर्देशिती द्वारा प्रस्तुत सहमति को वापस लेने का नोटिस</li> </ol>	संलग्न करें		
<ol> <li>* नामनिर्देशिती में परिवर्तन के लिए सदस्य द्वारा दी गई सूचना की प्रति</li> </ol>	संलग्न करें		
7. * सदस्यता समाप्त होने का प्रमाण	संलग्न करें		
8. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो	संलग्न करें		
<ul> <li>* सदस्य द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर</li> <li>डी. एस.टी. बॉक्स</li> <li>* सदस्य का आयकर पैन या निदेशक पहचान संख्या</li> </ul>			
डी. एस.टी. बॉक्स निदेशक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर			
निदेशक का निदेशक पहचान संख्या, या प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक अधिकरी या मुख्य वित्त	Ŧ		
अधिकारी का डिन या पैन			
कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या			
टिप्पण : धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: गलत वचन और गलत साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध किया गया है।			
आशोधित करें पूर्व संवीक्षा	प्रस्तुत करें		
यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रोनिक पद्धति के माध्यम से कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर	( और कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता विवरण		
के आधार पर लिया गया है।			

[भाग II—खण्ड	3(	(i)	)]
--------------	----	-----	----

4	5

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 5		एक व्यक्ति वाली कंपनी के लिए
[ कंपनी ( निगमन एवं अनुषंगी ) नियम, 2014 के नियम <i>6(4)</i> के अनुसरण में ]	सत्यमेव जयते	थ्रेशहोल्ड से अधिक होने की सूचना
प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी		~
प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट को पढ़ें।		
1. (क) * कंपनी का कॉरपोरेट पहचान सं. ( सी. आई. ए	रन. )	पूर्व पूरित
(ख) वैश्विक अवस्थान संख्या ( जी. एल. एन. )		
2. (क) कंपनी का नाम		
(ख्) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता		
(ग) कंपनी का ई-मेल आई. डी.		
3. एक व्यक्ति वाली कंपनी के निगमन की तारीख		
4. (क) * निम्नलिखित में से कौन थ्रेशहोल्ड सीमा से :	अधिक हो गया है।	
<ul> <li>समादत्त अंश पूंजी</li> <li>औसत वार्षिक आवर्त</li> </ul>		
(ख) * थ्रेशहोल्ड सीमा से अधिक राशि		
(ग) * वह तारीख जिसको कंपनी की, यथास्थिति, सम है।	ादत्त अंश पूंजी या	औसत वार्षिक आवर्त थ्रेशहोल्ड सीमा से अधिक हो गय
 5. #* *		
एक व्यक्ति वाली कंपनी का ( ड्रॉप डाउन ) : ( वेल्यू मुख्य वित्त अधिकारी ) एतद्दवारा पुष्टि करता हूँ वि	•	क या कंपनी सचिव या मुख्य कार्यपालक अधिकारी य
आवर्त दो करोड़ रू. से अधिक हो गया है, और प	गरेणामस्वरूप कंपर्न धारा 122 के साथ	क हो गई है या संगत अवधि के दौरान औसत वार्षिव ो को, यथास्थिति प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी व ा पठित धारा 18 के उपबंधों के अनुसार ऐसे संपरिवर्तव

संलग्नक	
1. * नोटिस देने के लिए प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की प्रति	संलग्न करें
2. * सम्यक रूप से अधिप्रमाणित नवीनतम वित्तीय विवरण की प्रति	संलग्न करें
3. ऐसे मानदंड के आधार पर संपरिवर्तन की दशा में संगत अवधि के दौरान औसत वार्षिक	संलग्न करें
आवर्त की गणना करने के लिए कार्यरत सनदी लेखाकार से प्रमाण पत्र	राल <sup>®</sup> ना कार
4. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो	संलग्न करें
घोषणा	
भें जे के के की के की	किनियम २०१२ और उसके अक्षीन जन्म
मैंघोषणा करता हूँ कि कंपनी अ गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुर	
में दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है।	
* डिजिटल हस्ताक्षर	डी. एस.टी. बॉक्स
पदनाम	
निदेशक का निदेशक पहचान संख्या, या प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
या मुख्य वित्त अधिकारी का डिन या पैन	
कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या	
टिप्पण : धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमध	श: गलत बयान और गलत साक्ष्य के
लिए दंड का उपबंध किया गया है।	
आशोधित करें प्ररूप की जाँच करें पूर्व संवीक्षा	प्रस्तुत करें
यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रोनिक पद्धति के मध्यम से कंपनियों के रजिस्ट्रार दवारा रखी गई फाइल पर	र और कंपनी दवारा दिए गए सत्यता
विवरण के आधार पर लिया गया है।	

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 6 [ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18, कंपनी ( निगमन एवं अनुषंगी) नियम, 2014 की धारा 7(4)
अनुसरण में ] सत्यमेव जयते
फॉर्म की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी
फॉर्म भरने के लिए अनुदेश किट को पढ़ें।
<ol> <li>0 *एक व्यक्ति वाली कंपनी का प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन</li> <li>0 एक व्यक्ति वाली कंपनी का पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तन</li> <li>0 प्राइवेट कंपनी का एक व्यक्ति वाली कंपनी में संपरिवर्तन के लिए ओवदन</li> </ol>
2. (क) * कंपनी का कॉरपोरेट पहचान संख्या ( सी. आई. एन. )
(ख) वैश्विक अवस्थान संख्या ( जी. एल. एन. )
3. (क) कंपनी का नाम
(ख) श्रेणी
(ग) कंपनी की उपश्रेणी
(घ) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता –
(इ) कंपनी के निगमन की तारीख
(च) कंपनी का ई-मेल आई. D.
(छ) क्या कंपनी की अंश पूंजी है या नहीं
<ol> <li>* निगमन के समय कंपनी का नाम ( प्रमाण पत्र में प्रदर्शित किया जाने वाला )</li> </ol>
भाग क
5. (क) * क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों द्वारा संपरिवर्तन आज्ञापक है o हाँ o नहीं
(ख) * उल्लेख करें कि निम्नलिखित में से कौन थ्रेशहोल्□ सीमा से अधिक हो गई है
o समादत्त अंश पूंजी o औसत वार्षिक आवर्त
ण समादत अस पूजा - 0 आसत पाषिपर आपत
(ग) * प्ररूप आई. एन. सी. 5 के एस. आर. एन. 5 का उल्लेख करें
6. * (क) थ्रेशहोल्य सीमा से अधिक होने की तारीख
* (ख) थ्रेशहोल्प सीमा से इस प्रकार अधिक हुई राशि
* (ग) संगत अवधि विनिर्दिष्ट करें
7. मे *,
1. चूँकि उपर्युक्त कंपनी की समादत्त अंश पूंजी पांच लाख रूपए से अधिक हो गई है या संगत अवधि के दौरान औसत

वार्षिक आवर्त दो करोड़ रू. से अधिक हो गया है, और परिणामस्वरूप कंपनी को, यथास्थिति, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाना अपेक्षित है।;
2. अधिनियम की धारा 122 के साथ पठित धारा 18 के उपबंधों के अनुसार ऐसे संपरिवर्तन को प्रभावी करने के लिए
आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
भाग ख
8. * कंपनी में निदेशकों की मौजूदा सं.
8. * कपनी में निर्देशकों की मौजूदा स.
( निदेशकों की संख्या प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन की दशा में न्यूनतम 2 और पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तन की दशा में
न्यूनतम 3 होगी )
9. विशेष संकल्प की विवरणियाँ
(क) * प्ररूप एम. जी. टी. 14 का एस. आर. एन.
<ul> <li>(ख) * प्ररूप एम. जी. टी. 14 प्रस्तुत करने की तारीख</li> </ul>
(ग) * विशेष संकल्प पारित करने की तारीख
10. I. कंपनी की पूंजीगत संरचना
(a) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रू. में)
(u) इक्विटी शेयरों की संख्या प्रति इक्विटी सांकेतिक राशि
*(ii) अधिमान शेयरों की संख्या प्रति अधिमान शेयर सांकेतिक राशि
अधिमान शेयरों की कुल राशि (रू. में )
*(ख) कंपनी की समादत पूंजी (रू. में )
(i) इक्विटी शेयरों की संख्या
इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रू. में )
(ii) अधिमान शेयरों की संख्या प्रति अधिमान शेयर सांकेतिक राशि
अधिमान शेयरों की कुल राशि (रू. में)
II. सदस्यों की संख्या
(क) सदस्यों की अधिकतम संख्या
(ख) प्रस्तावित कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की अधिकतम संख्या
(ग) सदस्यों की संख्या
(घ) प्रस्तावित कर्मचारी (कर्मचारियों) को छोड़कर सदस्यों की संख्या
भाग ग
11. ऐसे व्यक्ति की विवरणियाँ जो संपरिवर्तन के बाद एक व्यक्ति वाली कंपनी का एकमात्र सदस्य होगा।
निदेशक पहचान संख्या ( 10न ) पूर्व पूरित
* आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) ब्यौरा सत्यापित करें
* प्रथम नाम
मध्य नाम

* <b>3</b> पनाम
परिवार नाम
*० पिता का नाम ० माता का नाम ० पति / पत्नी का नाम
* लिंग 🗆 पुरूष 🗆 महिला 🗆 ट्रांसजें 🗤
* राष्ट्रीयता
* जन्म स्थान ( जिला एवं राज्य )
* शैक्षिक योगयता
* उपजीविका का प्रकार 🔿 स्व – नियोजित 🔿 वृत्तिक 🔿 होम मेकर 🔿 छात्र 🔿 नौकरी पेशा
उपजीविका का क्षेत्र
स्थायी पता
लाइन II * शहर
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र * पिन को।
देश
* फोन ( एस. टी. 1). / आई. एस. 1). को। के साथ )
मोबाइल ( देश को। के साथ )
फैक्स
* ई- मेल आई. पी.
* क्या वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक ही है 🛛 हाँ 🖓 नहीं
वर्तमान पता
* लाइन I
लाइन II
* शहर
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
* आई. एस. ओ. देश को
देश
* फोन ( एस. टी. D. / आई. एस. D. कोD के साथ )
मोबाइल ( देश के को। के साथ)
फैक्स
ई-मेल आई. 🗅.
* वर्तमान पता पर रहने की अवधि वर्ष महीना
यदि वर्तमान पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम है तो पूर्व आवास का पता
·

* पहचान का प्रमाण * आवासीय का प्रमाण
12. नामांकन मैं ( छोटा विवरण बॉक्स ), ( छोटा विवरण बॉक्स ) का सदस्य एतद्द्वारा ( छोटा विवरण बॉक्स ) को नामनिर्देशित करता हूँ जो मेरी मृत्यु या संविदा करने की असमर्थता की स्थिति में कंपनी का सदस्य होगा। मैं घोषणा करता हूँ कि नामनिर्देशिती कंपनी ( निगमन एवं अनुषंगी ) नियम, 2014 के नियम 3 के अर्थ के भीतर नामांकन के लिए पात्र है। 13. ऐसे व्यक्ति की विवरणियाँ जो संपरिवर्तन के बाद एकमात्र सदस्य का नामनिर्देशिती होगा
निदेशक पहचापन संख्या (ग्रिन )       पूर्व पूरित         * आयकर स्थायी लेख संख्या (पैन)       ब्यौरा सत्यापित करें         * प्रथम नाम       -         मध्य नाम       -         * उपनाम       -         परिवार नाम       -
*० पिता का नाम ० माता का नाम ० पति / पत्नी का नाम * लिंग ा पुरूष ा महिला ा ट्रांसजेंगर * राष्ट्रीयता * जन्म तिथि * जन्म स्थान ( जिला एवं राज्य ) * शैक्षिक योगयता
* उपजीविका का प्रकार       २ म्य - नियोजित       २ वृत्तिक       २ होम मेकर       २ छात्र       २ नौकरी पेशा         उपजीविका का क्षेत्र
आइ. एस. आ. दूश का         देश         * फोन ( एस. टी. D. / आई. एस. D. को         के साथ )         मोबाइल ( देश को         के साथ )         फैक्स         * ई- मेल आई. D.         * कया वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक ही है

वर्तमान पता	
* लाइन I	
लाइन II	
* शहर * राज्य / संघ राज्य क्षेत्र पिन को।	
* आई. एस. ओ. देश कोD	
देश	
* फोन ( एस. टी. I). / आई. एस. I). कोI के साथ )	
मोबाइल ( देश के को□ के साथ)	
फैक्स	
ई-मेल आई. पी.	
* वर्तमान पता पर रहने की अवधि वर्ष महीना	
यदि वर्तमान पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम है तो पूर्व आवास का पता	
* पहचान का प्रमाण	
* आवासीय प्रमाण	
संलग्नकों	
1. * परिवर्तित संगम ज्ञापन	संलग्न करें
2. * परिवर्तित संगम अनुच्छेद	संलग्न करें
3. * सम्यक रूप से अधिप्रमाणित नवीनतम वित्तीय विवरण की प्रति	संलग्न करें
4. * नोटिस देने के लिए प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की प्रति;	संलग्न करें
5. ऐसे मानदं🛛 के आधार पर संपरिवर्तन की दशा में संगत अवधि के दौरान औसत वार्षिक	संलग्न करें
आवर्त की गणना करने के लिए कार्यरत सनदी लेखाकार से प्रमाण पत्र.	
6. शपथ पत्र जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि कंपनी के सभी सदस्यों ने संपरिवर्तन के	
लिए अपनी सहमति दे दी है। पूर्वगामी वर्ष में कंपनी की समादत्त पूंजी 50 लाख रू.	संलग्न करें
या इससे कम है तथा आवर्त 2 करोड़ रू. से कम है।	
7. कार्यवृत्त की प्रति, लेनदारों की सूची एवं सदस्यों की सूची।	संलग्न करें
8. संपरिवर्तन के आवेदन के साथ प्रत्येक लेनदार के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।	संलग्न करें
9. प्ररूप सं. आई. एन. सी. 3 में नामनिर्देशिती की सहमति	संलग्न करें
10. नामनिर्देशिती और सदस्य के पैन कार्b की प्रति	
11. नामनिर्देशिती और सदस्य के पहचान का प्रमाण	
12. नामनिर्देशिती एवं सदस्य का आवासीय प्रमाण	संलग्न करें
13. वैकल्पिक संलग्नक – यदि कोई हो	संलग्न करें

घोषणा				
मैं *कंपनी का एक* ( ड्रॉप वाउन ) वेल्यू : निदेशक / प्रबंधक / कंपनी सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मुख्य वित्त अधिकारी घोषणा करता हूँ कि पंजीकरण और उससे पूर्वागी या अनुषंगी सभी विषयों के बावत कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मुझे यह घोषणा करने और इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने एवं इसे प्रस्तुत करने के लिए निदेशक बोर्घ द्वारा प्राधिकृत किया गया है। यह भी घोषणा एवं सत्यापित किया जाता है कि:				
* इस प्ररूप और उसके संलग्नक में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए महत्वपूर्ण सूचना को दबाया या छिपाया नहीं गया है तथा संगम ज्ञापन एवं सगम अनुच्छेद के अभिदाता प्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।				
🛿 प्राइवेट कंपनी को एक व्यक्ति वाली कंपनी में संपरिवर्तन के बारे में सदस्यों एवं लेनदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया है। .				
🛙 * सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से, सही 🏽 ग से एवं सुपाठ्य रूप में संलग्न किया गया है।				
* गिजिटल हस्ताक्षर				
पदनाम				
निदेशक का निदेशक पहचान संख्या या प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक अधिकरी या मुख्य वित्त अधिकारी का ग्रिन या पैन, या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या				
णिजिटल हस्ताक्षर				
सदस्य ( एक व्यक्ति वाली कंपनी में संपरिवर्तन की दशा में )				
सदस्य का पैन या िन				
टिप्पण :धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमशः गलत बयान एवं गलत साक्ष्य के लिए सजा का उपबंध किया गया है।				
आशोधित करें पूरूप की जाँच करें पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत करें				
केवल कार्यालय के उपयोग के लिए				
ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या ( एस. आर. एन. ) ई-फॉर्म प्रस्तुत करने की तारीख ( दिन / महीना / वर्ष ) यह ई-फॉर्म एतद्द्वारा स्वीकृत यह ई-फॉर्म एतद्द्वारा अस्वीकृत				
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का ग्रिजीटल हस्ताक्षर हस्ताक्षर की तारीख ( दिन / महीना / वर्ष ) .				

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 7 कंपनी ( एक टयकित ताली				
प्ररूप स. आई. एन. सी. 7 [ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(1) तथा				
कंपनी ( निगमन एवं अनुषंगी ) नियम, 2014 के कंपनी से भिन्न ) के निगमन				
नियम 10, 12, 14 एवं 15 के अनुसरण में ] सत्यमेव जयते				
के लिए प्ररूप				
प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी				
प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट को पढ़ें।				
1 * एकप आई एन. मी 1 का मेना अनगेश मंहता (एम. आर. एन.)				
2. (क) कंपनी का नाम				
(ख) कंपनी का प्रकार (ग) कंपनी की श्रेणी				
(घ) श्रेणी (इ.) उप श्रेणी				
(च) धारा 8 लाइसेंस संख्या				
* (छ) कंपनी शेयर पूंजी वाली है बिना शेयर पूंजी वाली है।				
3. (क) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसमें कंपनी को पंजीकृत किया जाना है।				
(ख) कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम जिसमें कंपनी को पंजीकृत किया जाना है।				
(ग) * क्या पत्राचार के लिए पता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता होगा। ————————————————————————————————————				
हाँ व्हीं				
(घ) कंपनी का कार्यालय स्थापित होने की तारीख तक पत्राचार के लिए पता				
* लाइन I				
लाइन II				
* शहर				
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र				
* जिला * पिन कोड				
आई. एस. ओ. देश कोड				
देश				
* फोन ( एस. टी. डी. / आई. एस डी. कोड के साथ )				
फैक्स				
* कंपनी का ई-मेल आई. डी.				

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

4. <b>⊺</b> * कं	पनी की पूंजीगत संरचना,
	(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रू. में.)
	(i) इक्विटी शेयरों की संख्या
	इक्विटी शेयर की कुल राशि
	अधिमान शेयर की कुल राशि
	(ख) कंपनी की कुल अंशद्त्त पूंजी (रूप. में.) (ग) सदस्यों की संख्या
	(i) इक्विटी शेयरों की संख्या प्रति इक्विटी शेयर सांकेतिक राशि
	इक्विटी शेयर की कुल राशि
II.* सद	स्यों की संख्या का ब्यौरा
	(क) सदस्यों की अधिकतम संख्या की प्रविष्टि करें
	(ग) प्रस्तावित कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की अधिकतम संख्या
	(ग) सदस्यों की संख्या
	(घ) प्रस्तावित कर्मचारी (कर्मचारियों) को छोड़कर सदस्यों की संख्या
5.	* कंपनी के औद्योगिक क्रियाकलाप का मुख्य प्रभाव
	मुख्य प्रभाव का विवरण
6.	* (क) क्या प्रस्तावित कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 - झ के अर्थ के भीतर कोई गैर बैंककारी वित्तीय
	एवं निवेश ( एन. बी. एफ. आई. ) क्रियाकलाप करेगी। ः हाँ ः नहीं
(ख) यहि	दे हाँ, तो उस तारीख की प्रविष्टि करें जिसकों भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा इसे
सैद्धांतिकः	अनुमोदन प्रदान किया गया था।
7.	* प्रवर्तकों ( संगम ज्ञापन के प्रथम अभिदाता ) की संख्या की प्रविष्टि करें
	प्रवर्तकों ( संगम ज्ञापन के प्रथम अभिदाता ) की विवरणियाँ
	* श्रेणी
	* निदेशक पहचान संख्या ( डिन ) या आय-कर स्थायी लेखा संख्या
	(आय-कर पैन) या पासपोर्ट संख्या या कारपोरेट पहचान संख्या (सिन) पूर्व - पूरित ब्यौरे सत्यापित करें
	या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या (एफ. सी. आर. एन. )या काई अन्य पंजीकरण संख्या
	* प्रथम नाम

मध्य नाम
* उप नाम
परिवार नाम
* О पिता का नाम О माता का नाम О पति / पत्नी का नाम
* राष्ट्रीयता 🔄 👘 अन्म तिथि
* लिंग ( रेडियो बटन ) 🗆 पुरूष 🗆 महिला 🗆 ट्रांसजेंडर
* जन्म स्थान ( जिला एवं राज्य )
* उपजीविका का प्रकार स्व - नियोजित वृत्तिक होम मेकर छात्र नौकरी पेशा
* उपजीविका का क्षेत्र
* शैक्षिक योग्यता
* संस्थान का नाम
* आयकर स्थायी लेखा संख्या ( पैन )
स्थाई पता / पंजीकृत पता / कारोबार का मुख्य स्थान
*लाइन I
लाइन II
*शहर
* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
* आई. एस. ओ. देश कोड
देश
* फोन ( एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ )
मोबाइल
फैक्स
* ई- मेल आई. डी.
* क्या वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक ही है □ हाँ □ नहीं
स्थायी पता
* लाइन I
लाइन II
* शहर

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र		*पिन कोड
* आई. एस. ओ. देश कोड		
देश		
* फोन ( एस. टी. डी. / आई	एस. डी. कोड के साथ )	
मोबाइल		
फैक		
* वर्तमान पता पर रहने की अर्वा	धे वर्ष	महीना
यदि वर्तमान पता पर रहने की अ	वधि एक वर्ष से कम हे तो पूर्व आवास का	पता
*		
* पहचान का प्रमाण * आवासीय प्रमाण		
	×	
	•	सी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें पक संलग्नक के रूप में अलग से पत्रक (शीट)
(पाद (गर्भ ) । संलग्न करें) ।		
	<u> </u>	सी. आई. एन
	มินิส์	-
-	प्रवर्तक	सी. आई. एन
<u></u>	<b>c_</b> _	-•
-	प्रवर्तक	सी. आई. एन
	* प्रतिश्रुत अंशों की कुल रा	
* प्राधिकृत व्यक्तियों की विवरणि		
(क) प्राधिकृत व्यक्ति का	नाम	
(ख) O पिता का नाम	O माता का नाम O पति / पत्नी	का नाम
(ग) लिंग 🛛 पुरूष 🗆 म	हिला 🗆 ट्रांसजेंडर	
(घ) राष्ट्रीयता	(घ) जन्म	तिथि
(ड.) फोन ( एस. टी. डी. /	आई. एस. डी. कोड के साथ )	
(च) ई- मेल आई. डी.		
(ч) <b>γ</b> - गरा आठु. अ.		

8. (क) * क्या अनुच्छेद की छँटनी की गई है या नहीं 🗆 हाँ 🗆 नहीं						
-	( यदि हाँ, तो छँटनी किए गए अनुच्छेद को संलग्न किया जाना चाहिए )					
(ख) अनुच्छेदों की संख्या जिनमें छँटनी के उपबंध लागू होंगे						
अनुच्छेद के ब्यौरे जिनपर छँटनी के उपबंध लागू होंगे						
क्र. सं. अनुच्छेद सं. विषय	वस्तु					
<ol> <li>रूटांप इयूटी के संदाय की विव</li> </ol>	वरणियाँ					
(क) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिस	मके बावत स्टांप डयटी संद	त्त किया उ	जाना है		( पर्व	परित )
(ख) क्या स्टांप इयूटी एम. सी. ए.					••	
🕺 🗆 हाँ 🗆 नहीं 🗆 लागू नहीं		•				
(i) संदत्त किए जाने वाले स्टां	प ड्यूटी का ब्यौरा					
	प्ररूप आई. एन. सी. 7		संगम ज्ञा	पन	संगम अ	ान्च्छेद
ब्यौरा						5
संदत्त किए जाने वाले स्टांप						
ड्यूटी की राशि (रू. में)						
(ii) पहले संदत्त किए जाने वाले स्व	टांप ड्यूटी का ब्यौरा दें					
दस्तावेज / विवरणियों का प्रकार	प्ररूप 1	संगम ज्ञा	पन	संगम अनुच्छे	द	अन्य
संदत्त स्टांप इयूटी की कुल राशि (	रू.					
में)						
स्टांप इयूटी के संदाय की पद्धति						
वेंडर या खजाने या प्राधिकारी का न						
जो स्टांप ड्यूटी संग्रह करने या स्व						
पेपर की बिक्री करने या दस्तावेजों						
उत्कीर्ण करने या सरकार की ओर स्टांप वाउचर को संवितरित करने						
स्टाप वाउचर का सावतारत करन लिए प्राधिकृत हैं	en					
उत्कीर्ण या स्टांप या स्टांप पेपर	की					
क्रम संख्या या खजाना चलान संख्या	47					
वेंडर की पंजीकरण संख्या						
स्टांप या स्टांप पेपर की खरीद या स्व	टांप					
इयूटी के संदाय की तारीख ( दिन						
महीना / वर्ष)						
स्टांप या स्टांप पेपर की खरीद या स्व	टांप					
इयूटी के संदाय का स्थान						
रं रे						
1) * संगम ज्ञापन						
2) * संगम अनुच्छेद	-					संलग्न करें
3) * प्ररूप सं. आई. एन्. सी. 8 में	घोषणा					संलग्न करें

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

4)	* प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 9 में ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता का शपथ पत्र	संलग्न करें	
5)	* आवासीय पता का प्रमाण	संलग्न करें	
6)	प्ररूप सं. आई. एन. सी. 10 में नमूना हस्ताक्षर	संलग्न करें	
7)	पहचान का प्रमाण	संलग्न करें	
8)	छँटनी किए गए संगम अनुच्छेद	संलग्न करें	
9)	भारतीय रिजर्व बैंक या किसी संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रति	संलग्न करें	
10)	प्रवर्तकों (संगम ज्ञापन के प्रथम अभिदाता ) में परिवर्तन की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र	संलग्न करें	
11)	राष्ट्रीयता का प्रमाण ( यदि अभिदाता कोई विदेशी राष्ट्रिक है )	सलग्न करें	
12)	पैन कार्ड ( भारतीय राष्ट्रिक की दशा में )		
13)	विदेशी निगमित निकाय के निगमन के प्रमाण पत्र तथा पंजीकृत कार्यालय पता की प्रति	संलग्न करे	
14)	संगम ज्ञापन में अभिदान के लिए प्राधिकृत करने से संबंधित सभी भागीदारों द्वारा संकल्प / सहमति या मंडल संकल्प	ाकी प्रति	
15)	वैकल्पिक सहमति यदि कोई हो		
	( छोटा विवरण बॉक्स ) * ( ड्रॉप डाउन ) ( वेल्यू : निदेशक / प्रबंधक / कंपनी सचिव ) के रूप में अनुच्छेद में नार्टि 		
	। करता हूँ कि कंपनी के पंजीकरण और उससे पूर्वांगी या अनुषंगी विषयों के बावत कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नेयमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मुझे यह घोषणा करने और इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने एवं इसे		
	नियमा का सभा अपताआ का अनुपालन किया गया है। मुझ यह यापणा करने आर इस प्ररूप पर हस्तातार करने एव इस ए संगम ज्ञापन एवं सगम अनुच्छेद में अभिदान करने वाले अन्य प्रवर्तकों तथा पहले निदेशक दवारा प्राधिकृत किया गर	•	
	र रागन सामन रप रागन जनुष्ठद न जानदान करने पाल जन्य प्रपतका तथा पहल निदराक द्वारा प्राथकृत किया गर । एवं सत्यापित किया जाता है कि :	ୟା ହା ସହ ମା	
	रप सत्पातर जिला जाता है जि. इस प्ररूप और उसके संलग्नकों में जो भी कहा गया है वह सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु के लि	ए सहत्वर्ण	
	मूचना को दबाया या छिपाया नहीं गया है तथा संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद में अभिदान करने वाले प्रवर्तकों द्वारा		
	अभिलेखों के अनुसार है।		
	सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और सुपाठ्य रूप में संलग्न किया गया है।		
	* (छोटा विवरण बॉक्स ), एक * (ड्रॉप डाउन ) { वैल्यू : सनदी लेखाकार / कंपनी सचिव / लागत लेखाकर / वकील	<mark>}</mark> जिसकी	
	सदस्यता संख्या * और / या प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्याहै, को धारा 7 (1) (ख) के अंतर्ग		
ā	करने के लिए नियुक्त किया गया है तथा ऐसी घोषणा संलग्न है।		
डिजिट	ल हस्ताक्षर डी. एस. सी. बॉक्स		
* पदन	ाम <b>ड्रॉप डाउन</b> { वेल्यू : निदेशक, प्रबंधक, कंपनी सचिव }		
* निर्दे	शिक का डिन या प्रबंधक का डिन या आयकर पैन या कंपनी सचिव की सदस्यता सं.		
<u> </u>		- <u> </u>	
ाटप्पण :	धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – सा		
	किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना व		
	लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान	आकृष्ट किया	
	जाता है जिसमें क्रमश: गलत बचन एवं गलत साक्ष्य के लिए सजा का उपबंध किया गया है।		
आशोधि	त करें प्ररूप की जाँच करें संवीक्षा पूर्व प्रस्त्त करें		
केवल व	फार्यालय के उपयोग के लिए		
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या ( एस. आर. एन. )ई-प्ररूप प्रस्तुत करने की तारीख			
यह ई-प्ररूप एतद् द्वारा स्वीकृत			
	ल्प एतद् द्वारा अस्वीकृत		
	करने वाले अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर		
•	की तारीख ( दिन/महीना/वर्ष )		

फॉर्म सं. आईएनसी-8 घोषणा

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 की धारा 7(1)(ख) और नियम 14 के अनुसरण में]

कम्पनी का नाम :

मैं, .....

- एक अधिवक्ता जो कम्पनी के संघटन में कार्यरत है
- भारत का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कम्पनी के संघटन में कार्यरत है
- भारत का एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो कम्पनी के संघटन में कार्यरत है
- भारत में प्रैक्टिस कर रहा एक कम्पनी सेक्रेटरी जो कम्पनी के संघटन में कार्यरत है

यह घोषित करता हूँ कि कम्पनी के पंजीकरण और इससे पूर्व के अथवा इससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है ।

दिनांक :

हस्ताक्षर :

सदस्यता सं. :

स्थान :

फॉर्म सं. आईएनसी-9

#### शपथपत्र

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(1)(ग) और कम्पनी(निगमन) नियम,2014 के नियम 15 के अनुसरण में]

प्रस्तावित कम्पनी का नाम :

में ...... उपर्युक्त कम्पनी के ज्ञापन-पत्र का अभिदाता होने/ अनुच्छेदों में प्रथम निदेशक के रूप में नामित किए जाने के नाते एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि :

- मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी कम्पनी के प्रवर्तन, गठन अथवा प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया हुँ; और
- मैं पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कम्पनी कानून के अंतर्गत किसी कम्पनी के साथ धोखाधड़ी अथवा अपकरण अथवा कर्त्तव्य-भंग का दोषी नहीं पाया गया हूँ; और
- कम्पनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में दी गई सूचना मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है।

तारीख :

हस्ताक्षर :

स्थान :

## फार्म सं. आई एन सी-10

#### अंशदाता हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए फार्म

# [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 16(1) (थ)के अनुसरण में]

4' X 4' आकार (पासपोर्ट आकार)

निम्नलिखित द्वारा साक्ष्यांकित किए गए

### बैंकर/नोटरी

- 1. अंशदात/प्रथम निदेशक का नाम, पिता का नाम और पताः
- 2. नमूना हस्ताक्षरः

.....

साक्ष्यांकन

(साक्ष्य के हस्ताक्षर)

#### टिप्पणः

- 1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 में, जो लागू न हो उसे हटा दें।
- 2. सांक्ष्याकन करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और पहचान पत्र संख्या

फॉर्म सं. आईएनसी-11
निगमीकरण का प्रमाण-पत्र
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उप-धारा (2) और कम्पनी(निगमन एव अनुषंगी) नियम,2014 के
नियम 8 के अनुसरण में]
मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि (कम्पनी का नाम) को
दो हजार के के दिन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित किया जाता है
और यह कि शेयर से लिमिटेड / गारंटी से लिमिटेड/ अनलिमिटेड कम्पनी है।
कम्पनी का सीआईएन है
दो हजार के दिन में मुझे सौंपी गई है ।
मोहर :
कम्पनी रजिस्ट्रार
(राज्य)

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 12	धारा 8 के अधीन लाइसेंस प्रदान
[ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(1) एवं 8(5)	
कंपनी ( निगमन एवं अनुषंगी ) नियम, 2014	करने के लिए आवेदन
के नियम 19 एवं 20 के अनुसरण में ]	
सत्यमेव जयते	
प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी	
प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट को पढ़ें।	
1. * निम्न के लिए आवेदन	
किसी नई कंपनी को लाइसेंस प्रदान करने ( भाग क )	
किसी मौजूदा कंपनी को लाइसेंस प्रदान करने ( भाग ख )	
भाग क : किसी नई कंपनी को लाइसेंस प्रदान करना	
2. (क) * आवेदक का नाम	
(ख) * पता	
(ग) * उपजीविका का प्रकार О स्व- नियोजित () वृत्तिक	() होममेकर () छात्र () नौकरी पेशा
उपजीविका का क्षेत्र	
(ग) * फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ 📃 - 느	(घ) फैक्स
(इ.) * ई-मेल आई. डी.	
<ol> <li>* नाम अनुमोदन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार ( आर. ओ. सी. ) संदर्भ संख्य</li> </ol>	
( प्ररूप आई. एन. सी. 1 का सेवा अनुरोध संख्या)	पूर्व पूरित
<ol> <li>(क) कंपनी का नाम</li> </ol>	
(ख) कंपनी है (ग) कंपर्न	ो का प्रकार
(घ) श्रेणी (इ.) उप	श्रेणी
* (च) क्या कंपनी की अंश पूंजी होगी अंश पूंजी नहीं होगी	
5. I. प्रस्तावित प्राधिकार	
II. सदस्यों की प्रस्तावित अधिकतम संख्या	
प्रस्तावित कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की प्रस्तावित अधिकतम संख्या	
<ol> <li>* क. प्रस्तावित कंपनी के औदयोगिक क्रियाकलाप का मुख्य प्रभाव</li> </ol>	
	—

मुख्य प्रभाग का विवरण
* ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई पहले ही किया गया हो या धारा 8 के अनुसरण में किया जाना प्रस्तावित हो
* ग. आधार जिनपर आवेदन किया गया है
<ul> <li>7. * प्रस्तावित प्रवर्तकों की संख्या प्रविष्ट करें ( संगम जापन का प्रथम अभिदाता )</li> </ul>
प्रवर्तकों की विवरणियाँ ( संगम ज्ञापन का प्रथम अभिदाता )
( यदि प्रस्तावित कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी है तो दो प्रवर्तकों या यदि प्रस्तावित कंपनी कोई पब्लिक कंपनी है तो सात प्रवर्तकों की सूचना विनिर्दिष्ट करें ) I * श्रेणी
* निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संरूप (पैन) या पासपोर्ट संख्या या कॉरपोरेट पहचान संख्या (
सी. आई. एन.) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या ( एफ. सी. आर. एन. ) या कोई अन्य पंजीकरण संख्या
* नाम ( पूर्व – पूरित )
प्राधिकृत प्राधिकारी का नाम
* निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संरूप (पैन) या पासपोर्ट संख्या या कॉरपोरेट पहचान संख्या (
सी. आई. एन.) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या ( एफ. सी. आर. एन. ) या कोई अन्य पंजीकरण संख्या
* नाम ( पूर्व – पूरित )
प्राधिकृत प्राधिकारी का नाम
° 8. * प्रस्तावित निदेशक की संख्या प्रविष्ट करें
प्रस्तावित निदेशकों की विवरणियाँ
* प्रस्तावित पदनाम पूर्व पूरित
* निदेशक पहचान संख्या (डिन)
व्यक्ति का नाम
कंपनी या संस्थान का नाम

# THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

जिसका नामनिर्देशिती नियुक्त होने वाले व्यक्ति होगा
( केवल नामनिर्देशिती निदेशक की दशा में )
Π
* प्रस्तावित पदनाम
पूर्व पूरित पूर्व पूरित
* निदेशक पहचान संख्या (डिन)
व्यक्ति का नाम
कंपनी या संस्थान का नाम
जिसका नामनिर्देशिती नियुक्त होने वाला व्यक्ति होगा
( केवल नामनिर्देशिती निदेशक की दशा में )
9. * प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की संख्या प्रविष्ट करें
( चार प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की सूचना विनिर्दिष्ट करें )
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ
J
* प्रस्तावित पदनाम
पूर्व पूरित
* निदेशक पहचान संख्या (डिन) या
आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)
व्यक्ति का नाम
सदस्य संख्या ( कंपनी सचिव की दशा में )
ΙΙ
* प्रस्तावित पदनाम
* निदेशक पहचान संख्या (डिन) या पर्व परित
आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)
עם עוזה
आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)
आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)
आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) व्यक्ति का नाम
आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) व्यक्ति का नाम 
आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) व्यक्ति का नाम
आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) व्यक्ति का नाम 
आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) व्यक्ति का नाम 
आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) ट्यक्ति का नाम 
<ul> <li>आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)</li> <li>ट्यक्ति का नाम</li> <li>सदस्य संख्या ( कंपनी सचिव की दशा में )</li> <li>10. (क) * क्या अनुच्छेद की छँटनी की गई है □ हाँ □ नहीं</li> <li>(यदि हाँ, तो छँटनी किए गए अनुच्छेद को उसके साथ संलग्न किया जाना चाहिए। )</li> <li>(ख) ऐसे अनुच्छेद की संख्या जिसपर छँटनी के उपबंध लागू होंगे</li> </ul>
आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) ट्यक्ति का नाम 

क्र. सं. अनुच्छेद संख्या विषय वस्तु	
	_
भाग ख : मौजूदा कंपनी को लाइसेंस प्रदान करना	
पूर्व - पूर्वि	त
11. * (क) कॉरपोरेट पहचान संख्या ( सी. आई. एन. )	
(ख) कंपनी का वैश्वित अवस्थान संख्या ( सी. आई. इएन. )	
12. (क) कंपनी का नाम	٦
(ख) कंपनी का पता	
(ग) कंपनी का ई-मेल आई. डी.	
13. (क) कंपनी है	
(ख) श्रेणी (ग) उप श्रेणी	
(घ) क्या कंपनी की अंश पूंजी होगी अंश पूंजी नहीं होगी	
14. I. कंपनी की प्राधिकृत पूंजी	
II. सदस्यों की अधिकतम संख्या	
वर्तमान एवं विगत कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की संख्या	
15. क. प्रस्तावित कंपनी के औद्योगिक क्रियाकलाप का मुख्य प्रभाव	
मुख्य प्रभाग का विवरण	
* ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई पहले ही किया गया हो या धारा 8 के अनुसरण में किया जाना प्रस्तावित हो	
* ग. आधार जिनपर आवेदन किया गया है	
16. * प्रस्तावित निदेशक की संख्या प्रविष्ट करें	
(यदि प्रस्तावित कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी है तो दो निदेशकों या यदि प्रस्तावित कंपनी कोई पब्लिक कंपनी है तो ती	न
निदेशकों की सूचना विनिर्दिष्ट करें )	

# THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

प्रस्तावित निदेशकों की विवरणियाँ
I
• पदनाम
* निदेशक पहचान संख्या (डिन) पूर्व पूरित
व्यक्ति का नाम
जिसका नामनिर्देशिती नियुक्त होने वाला व्यक्ति होगा
( केवल नामनिर्देशिती निदेशक की दशा में )
II
* पदनाम
* निदेशक पहचान संख्या (डिन) व्यक्ति का नाम
कंपनी या संस्थान का नाम
जिसका नामनिर्देशिती नियुक्त होने वाला व्यक्ति होगा
( केवल नामनिर्देशिती निदेशक की दशा में )
17. * प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की संख्या प्रविष्ट करें
דר. איז שמאוים טוירוטו או מפטו אוטיט איז
( चार प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की सूचना विनिर्दिष्ट करें )
(चार प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की सूचना विनिर्दिष्ट करें ) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I * पदनाम पूर्व पूरित
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I * पदनाम * निदेशक पहचान संख्या (डिन) या
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I * पदनाम पूर्व पूरित
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I * पदनाम * निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I * पदनाम * निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I * पदनाम * निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I * पदनाम * निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) व्यक्ति का नाम
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I * पदनाम * निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) व्यक्ति का नाम सदस्य संख्या ( कंपनी सचिव की दशा में )
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I * पदनाम
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I  * पदनाम  * निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) व्यक्ति का नाम  सदस्य संख्या ( कंपनी सचिव की दशा में )  II  * पदनाम
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ * पदनाम       पूर्व पूरित         * निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)       पूर्व पूरित         स्वदस्य संख्या ( कंपनी सचिव की दशा मं )
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ * पदनाम       पूर्व पूरित         * निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)       पूर्व पूरित         स्वदस्य संख्या ( कंपनी सचिव की दशा मं )
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की विवरणियाँ I * पदनाम

	. जनुच्छद संख्या	क. सं. अनुच्छेद संख्या विषय वस्तु					
लग्न	क						
)		n. सी. 13 के अनुसार प्रारूप संगम ज्ञापन	संलग्न				
)	* प्रारूप संगम अनुच्छेत	a la	संलग्न संलग्न				
)	* प्ररूप सं. आई. एन	त. सी. 14 के अनुसार घोषणा					
)	* प्ररूप सं. आई. एन	त. सी. 15 के अनुसार घोषणा	संलग्न				
)	* अगले तीन वर्षों के	न् लिए अनुमानित आय एवं व्यय	संलग्न				
)	संबंधित प्राधिकारी /	र सेक्टोरल विनियामक, केंद्रीय या राज्य सरकार (रों) के विभाग या मंत्रालय	संलग्न				
	का अनुमोदन / सहम	मति / अनापत्ति प्रमाण पत्र	संलग्न				
	ँ छँटनी किए गए संग		संलग्न				
)		ु बैठक में परिवर्तित संकल्प की प्रति	संलग्न				
		के वित्तीय विवरण (णों) बोर्ड रिपोर्ट (टौं) और लेखा परीक्षा रिपोर्ट (टौं) की प्रति	संलग्न				
		यित्वों संबंधी विवरण और लागू नियम के अनुसार उनके मूल्य	संलग्न				
	प्रस्तावित प्रवर्तकों की		संलग्न				
	प्रस्तावित निदेशकों /		संलग्न				
	प्रमुख प्रबंधकीय कार्वि		संलग्न				
	5						
4)	वैकल्पिक संलग्नक,	ଧାର କାର୍ଚ୍ଚ ରା 	संलग्न				

मुझे संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के अन्य प्रस्तावित प्रवर्तकों एवं प्रथम अभिदाताओं द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने			
और इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।			
* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में संलग्नकों सहित इसमें दी गई सभी सूचना सत्य, सही एवं पूर्ण है।			
* एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ( छोटा विवरण बॉक्स ), ( ड्रॉप डाउन ) { वेल्यू : सनदी			
लेखाकार / कंपनी सचिव / लागत लेखाकार } जिसकी सदस्यता संख्या ( बड़ा टेक्स्ट बॉक्स ) और प्रैक्टिस सं.			
का प्रमाण ( बड़ा टैक्स्ट बॉक्स ) का प्रमाण पत्र संलग्न है, को धारा 8(1) या 8(5) तथा नियम 19(3)(ख) या			
नियम 20(2)(ख) के अंतर्गत घोषणा करने के लिए नियुक्त किया गया है तथा यह घोषणा संलग्न है।			
* डिजिटल हस्ताक्षर डी. एस. सी. बॉक्स			
* पदनाम			
* निदेशक का निदेशक पहचान संख्या, या प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक अधिकरी			
या मुख्य वित्त अधिकारी का डिन या पैन			
कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या			
टिप्पण :धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध			
किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या गलत विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के			
लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 एवं 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया			
जाता है जिसमें क्रमश: गलत बयान एवं गलत साक्ष्य के लिए सजा का उपबंध किया गया है।			
आशोधित करें प्रिरूप की जाँच करें पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत करें			
 केवल कार्यालय के उपयोग के लिए			
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या ( एस. आर. एन. )ई-प्ररूप प्रस्तुत करने की तारीख(दिन / महीना / वर्ष)			
यह ई-प्ररूप एतद् दवारा स्वीकृत			
यह ई-प्ररूप एतद् द्वारा अस्वीकृत			
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर			
हस्ताक्षर की तारीख ( दिन / महीना / वर्ष ).			

# फॉर्म सं. आईएनसी-13 धारा 8 कंपनियों के लिए संबद्धता का ज्ञापन

[कम्पनी (निगमन एव अनुषंगी) नियम, 2014 के नियम 19(2) के अनुसरण में]

- 1. कम्पनी का नाम है "....." ।
- 2. कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ..... राज्य में स्थित होगा।
- कम्पनी जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई है वे हैं :

.....

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी विधिसम्मत कार्य करना : परंतु कि कम्पनी अपनी निधि से अथवा प्रयासों से किसी ऐसे विनियम अथवा प्रतिबंध को इसके सदस्यों अथवा अन्यों पर लागू करने अथवा उनके द्वारा ऐसा किए जाने का प्रबंध करने का समर्थन नहीं करेगी जो कम्पनी के एक उद्देश्य के रूप में इसे एक ट्रेड यूनियन बना दे।

- कम्पनी के उद्देश्य ..... की सीमा तक हैं।
   [यहां राज्य अथवा राज्यों और देश अथवा देशों के नाम प्रविष्ट करें]
- (i) कम्पनी को कोई लाभ, यदि कोई हो, अथवा आय एवं सम्पत्ति, जब भी प्राप्त हो, केवल इस ज्ञापन-पत्र में बताए गए उद्देश्यों के संवर्धन के लिए प्रयोग की जाएगी।

(ii) उपर्युक्त लाभ, अन्य आय अथवा सम्पत्ति का कोई हिस्सा किसी भी समय कम्पनी के सदस्य रह चुके व्यक्तियों अथवा किसी एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को अथवा किसी एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को लाभांश, बोनस अथवा लाभ के माध्यम से अन्यथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त अथवा अंतरित नहीं किया जाएगा।

(iii) कम्पनी द्वारा इसके किसी सदस्य, चाहे वह कम्पनी का अधिकारी अथवा सदस्य हो अथवा नहीं, को जेबी खर्च, उधार ली गई राशि पर तर्कसंगत एवं उचित ब्याज, अथवा कम्पनी द्वारा किराये पर लिए गए भवनों के लिए तर्कसंगत एवं उचित किराये को छोड़ कर रुपये-पैसे अथवा रुपये-पैसे के मूल्य में कोई पारिश्रमिक अथवा अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा।

(iv) इस खंड में कोई भी नियम कम्पनी को वास्तव में दी गई सेवाओं के बदले कम्पनी द्वारा इसके किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी (सदस्य न रहते हुए) अथवा किसी और व्यक्ति (सदस्य न रहते हुए) को सदभावना में विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकेगा ।

(v) खंड (iii) और (iv) में निर्धारित कोई भी शर्त कम्पनी के किसी सदस्य द्वारा कम्पनी को वास्तव में दी गई किन्हीं सेवाओं (जो एक सदस्य द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित सेवाएं न हों) के बदले कम्पनी द्वारा सद्भावना से विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकेगी।

- 6. इस संबद्धता के ज्ञापन में अथवा अस्थायी रूप से लागू कम्पनी की संबद्धता के अनुच्छेदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि यह परिवर्तन पूर्व में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत न किया गया हो और रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित न किया गया हो ।
- 7. सदस्यों की जिम्मेदारी सीमित है।
- 8. [गारंटी से लिमिटेड कम्पनियों के लिए]

प्रत्येक सदस्य, सदस्य रहते हुए अथवा उसके बाद एक वर्ष के अंदर कम्पनी के बंद होने की स्थिति में उसके सदस्य रहते हुए कम्पनी द्वारा किए गए करारों के संबंध में ऋण अथवा देयताओं के भुगतान और समापन

[शेयर से लिमिटेड कम्पनियों के लिए]

कम्पनी की शेयर पूँजी ...... रुपये होगी जो प्रत्येक शेयर के लिए ..... रुपये के ..... शेयरों में विभाजित की जाएगी ।

9. कम्पनी को प्राप्त होने वाली और कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली सभी राशियों और ऐसे मामलों जिनके संबंध में ऐसी रसीदें अथवा व्यय होते हैं और कम्पनी की सम्पत्ति, ऋण अथवा देयताओं का सही-सही लेखा रखा जाएगा; और, कम्पनी के विनियमों के अनुसार अस्थायी रूप से निरीक्षण के समय एवं पद्धति के संबंध में लगाए गए किसी उचित प्रतिबंध के शर्ताधीन लेखे सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कम से कम वर्ष में एक बार कम्पनी के लेखों की जाँच की जाएगी और एक अथवा अधिक योग्य लेखापरीक्षक अथवा लेखापरीक्षकों द्वारा तुलन-पत्र एवं आय तथा व्यय लेखों की तथातथ्यता सुनिश्चित की जाएगी ।

- 10. यदि कम्पनी को बंद किए जाने अथवा इसका विघटन किए जाने पर सभी ऋण एवं देयताएं चुकाने के बाद कोई सम्पत्ति बचती है तो यह कम्पनी के सदस्यों के बीच नहीं बांटी जाएगी बल्कि अधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन इस कम्पनी के समान उद्देश्यों वाली किसी और कम्पनी को दे दी जाएगी अथवा अंतरित कर दी जाएगी अथवा बेच दी जाएगी और इससे मिलने वाली राशि इस अधिनियम की धारा 269 के अंतर्गत गठित पुनर्वास एवं दिवालियापन कोष को दे दी जाएगी।
- 11. इस कम्पनी को केवल अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कम्पनी के साथ आमेलित किया जा सकेगा ।
- 12. हम, विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम, पते, विवरण और व्यवसाय नीचे दर्शाए गए हैं, लाभ के लिए नहीं बल्कि इस संबद्धता ज्ञापन के अनुसरण में एक कम्पनी के रूप में संगठित होने के इच्छुक हैं :

अभिदाताओं के नाम, पते, विवरण और व्यवसाय :

1.	का	*
2.	का	*
3.	का	*
4.	का	*
5.	का	*
6.	का	*
7.	का	*

उपर्युक्त हस्ताक्षरों के गवाह :

- 1. .....
- 2. .....

दिनाँक ...... दिन

\* यदि संगठन शेयर से लिमिटेड कम्पनी है तो यहां प्रत्येक अभिदाता द्वारा लिए गए "शेयरों की संख्या" प्रविष्ट करें

# प्ररूप सं. आईएनसी-14 घोषणा

[धारा 7(1) (ख) और कंपनी (निगमन और अनुषंगिक) नियम, 2014 के नियम 19(3)(ख) के अनुसरण में)] कंपनी का नामः

मैं.....,

- कंपनी के गठन में शामिल अधिवक्ता
- कंपनी के गठन में शामिल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट
- कंपनी के गठन में, शामिल लागत लेखाकार
- कंपनी के गठन में शामिल पेशारत कंपनी सचिव

यह घोषणा करता हूं कि अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के पंजीकरण और उसके पूर्व उदाहरण अथवा अनुषंगिक मामलों के संबंध मे कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं।

दिनांकः	हस्ताक्ष	Ĺ
स्थानः	सदस्यता सं. :	

[PART II—SEC. 3(i)]

फार्म संख्या आईएनसी-15

#### घोषणा

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 की धारा 7(1)(ख) और नियम 19 (3)(ख) के अनुसरण में]

- (क) प्रारूप संगम ज्ञापन और अनुच्छेद धारा 8 के उपबंधो और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमो के अनुरूप तैयार किए गए है; तथा
- (ख)धारा 8 के अंतर्गत कंपनी के पंजीकरण से संबंधित अधिनियम की सभी अपेक्षाओं और उसके अंतर्गत बनाए गे नियमों तथा उससे संबंधित अथवा प्रासंगित विषयों का अनुपालन किया गया है;

और मैं यह विश्वास करते हुए सोच-विचार कर घोषणआ करता हूं कि यह सत्य हैं।

स्थानः

हस्ताक्षरः

तारीखः

पताः

नामः

# फॉर्म संख्या आईएनसी -16 कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 8(1) के तहत लाइसेंस (कम्पनी (निगमन) नियम,2004 के नियम 20 के अनुसरण में)

जबकि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत, अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (क) में बढ़ावा देने हेतु पंजीकृत किए जाने वाला ....., कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तिओं का संघ, और कि वह अपने लाभों, यदि कोई हो, अथवा अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में किसी अन्य आय और सम्पत्ति तथा अपने सदस्यों को किसी लाभांश के भुगतान को रोकने का इच्छुक है,

अतः अब उल्लिखित अधिनियम की धारा 8 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ....... में पंजीयक, एतद्वारा यह निर्देश देते हुए यह लाइसेंस प्रदान करता हूँ कि उल्लिखित व्यक्ति अथवा संघ अथवा व्यक्तियों को सीमित दायित्व सौंपते हुए इनके नाम के साथ "लिमिटेड" अथवा "प्राइवेट लिमिटेड', जैसा भी मामला हो, शब्द जोड़े बिना निम्नलिखित शर्ताधीन कम्पनी के रुप में पंजीकृत किया जाता है, अर्थातः

(1) कि उल्लिखित कम्पनी के सभी कार्य पूरी तरह संघ के अपने ज्ञापन में शामिल शर्तों और प्रावधानों के शर्ताधीन होंगे और उनके द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे,

(2) कि उल्लिखित कम्पनी के लाभ, यदि कोई हो, अथवा अन्य आय और सम्पत्ति, जब भी प्राप्त होता है, का उपयोग संघ के अपने ज्ञापन में आगे निर्धारित उद्देश्य को बढ़ावा देने मात्र में ही किया जाएगा और कि ऐसे किसी व्यक्ति, जो उल्लिखित कम्पनी का सदस्य है अथवा किसी भी समय सदस्य रह चुका है, अथवा उनमें से किसी एक अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को जो उनमें से एक अथवा एक से अधिक होने का दावा करता है, को लाभांश, बोनस, अथवा लाभ के रुप में उसके किसी भी भाग को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से अदा अथवा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा,

(3) कि जेबी खर्च, ऋण राशि पर उचित और सही ब्याज, अथवा कम्पनी के लिए किराए पर लिए गए परिसर के लिए उचित और सही किराए की अदायगी को छोड़ कर कम्पनी द्वारा अपने किसी सदस्य को राशि अथवा राशि के मूल्य के रुप में कोई पारिश्रमिक अथवा लाभ नहीं दिया जाएगा,

(4) कि इस खण्ड में कुछ भी, कम्पनी को वास्तव में दी गई किसी भी सेवा के बदले कम्पनी द्वारा अपने अधिकारियों अथवा सेवकों ( जो सदस्य न हों) अथवा किसी अन्य व्यक्ति ( जो सदस्य न हो) को विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकता है,

(5) कि खण्ड (3), (4) और (5) में कुछ भी, कम्पनी को वास्तव में दी गई किसी भी सेवा (जो कि सदस्य द्वारा दी जाने वाली सेवा की अपेक्षा वाली सेवा न हो) के बदले कम्पनी द्वारा अपने किसी भी सदस्य को सद्भाव से विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकता है,

(6) कि कम्पनी के संघ के ज्ञापन अथवा संघ के अनुच्छेदों, जो अस्थायी रुप से लागू हैं, में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि परिवर्तन को पूर्व में प्रस्तुत एवं पंजीयक द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए,

(7) कम्पनी को, अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कम्पनी के साथ ही विलय जा सकता है, और

(8) कि अस्थायी रुप से लागू किसी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए बिना किसी पूर्वाग्रह के यह लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा. यदि कम्पनी

(क) अधिनियम की धारा 8 की किन्हीं अपेक्षाओं अथवा दिए गए नियमों अथवा लाइसेंस जारी करने संबंधी किसी शर्त, जिसके तहत लाइसेंस जारी किया गया है, की अवहेलना करती है,

(ख) यदि कम्पनी के कार्य धोखाधड़ी वाले अथवा कम्पनी के उद्देश्यों की अवहेलना करने वाले अथवा सार्वजनिक हित के लिए पूर्वाग्रही होते हैं।

पंजीयक

तारीख : ...... 20.....

# फॉर्म संख्या आईएनसी -17 कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 8(5) के तहत लाइसेंस (कम्पनी (निगमन एव अनुषंगी) नियम,2014 के नियम 20 के अनुसरण में)

जबकि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि एक लिमिटेड कम्पनी के रुप में ...... लिमिटेड/ प्राइवेट लिमिटेड के उद्देश्यों को , कम्पनी अधिनियम,...... के तहत पंजीकृत कम्पनी होने के कारण उल्लिखित अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों तक ही सीमित किया जाता है और कि यह अपने लाभ, यदि कोई हो, अथवा अन्य आय और सम्पत्ति को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में इस्तेमाल करने तथा अपने किसी सदस्य को किसी लाभांश की अदायगी को रोकने का इच्छुक हूँ,

अतः अब, उल्लिखित अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (5) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ....... में क्षेत्रीय निदेशक, एतद्वारा कम्पनी को अपने नाम से "लिमिटेड" अथवा "प्राइवेट लिमिटेड', जैसा भी मामला हो, शब्द हटा कर अपने नाम का परिवर्तन करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा प्राधिकृत करते हुए निम्नलिखित शर्ताधीन यह लाइसेंस प्रदान करता हूँ, अर्थातः-

(1) कि उल्लिखित कम्पनी के सभी कार्य पूरी तरह संघ के अपने ज्ञापन में शामिल शर्तों और प्रावधानों के शर्ताधीन होंगे और उनके द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे,

(2) कि उल्लिखित कम्पनी के लाभ, यदि कोई हो, अथवा अन्य आय और सम्पत्ति, जब भी प्राप्त होता है, का उपयोग संघ के अपने ज्ञापन में आगे निर्धारित उद्देश्य को बढ़ावा देने मात्र में ही किया जाएगा और कि ऐसे किसी व्यक्ति, जो उल्लिखित कम्पनी का सदस्य है अथवा किसी भी समय सदस्य रह चुका है, अथवा उनमें से किसी एक अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को जो उनमें से एक अथवा एक से अधिक होने का दावा करता है, को लाभांश, बोनस, अथवा लाभ के रुप में उसके किसी भी भाग को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से अदा अथवा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा,

(3) कि जेबी खर्च, ऋण राशि पर उचित और सही ब्याज, अथवा कम्पनी के लिए किराए पर लिए गए परिसर के लिए उचित और सही किराए की अदायगी को छोड़ कर कम्पनी द्वारा अपने किसी सदस्य को राशि अथवा राशि के मूल्य के रुप में कोई पारिश्रमिक अथवा लाभ नहीं दिया जाएगा,

(4) कि इस खण्ड में कुछ भी, कम्पनी को वास्तव में दी गई किसी भी सेवा के बदले कम्पनी द्वारा अपने अधिकारियों अथवा सेवकों ( जो सदस्य न हों) अथवा किसी अन्य व्यक्ति ( जो सदस्य न हो) को विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकता है,

(5) कि खण्ड (3), (4) और (5) में कुछ भी, कम्पनी को वास्तव में दी गई किसी भी सेवा (जो कि सदस्य द्वारा दी जाने वाली सेवा की अपेक्षा वाली सेवा न हो) के बदले कम्पनी द्वारा अपने किसी भी सदस्य को सद्भाव से विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकता है,

(6) कि कम्पनी के संघ के ज्ञापन अथवा संघ के अनुच्छेदों, जो अस्थायी रुप से लागू हैं, में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि परिवर्तन को पूर्व में प्रस्तुत एवं पंजीयक द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए,

(7) कम्पनी को, अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कम्पनी के साथ ही विलय जा सकता है, और

(8) कि अस्थायी रुप से लागू किसी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए बिना किसी पूर्वाग्रह के यह लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा, यदि कम्पनी;

(क) अधिनियम की धारा 8 की किन्हीं अपेक्षाओं अथवा दिए गए नियमों अथवा लाइसेंस जारी करने संबंधी किसी शर्त, जिसके तहत लाइसेंस जारी किया गया है, की अवहेलना करती है,

(ख) यदि कम्पनी के कार्य धोखाधड़ी वाले अथवा कम्पनी के उद्देश्यों की अवहेलना करने वाले अथवा सार्वजनिक हित के लिए पूर्वाग्रही होते हैं।

.....

पंजीयक

तारीख : ...... 20 .....

[भाग II—खण्ड 3(i)]

फॉर्म संख्या आईएनसी 18 धारा 8 कम्पनी का किसी अन्य प्रकार की
[ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(4) (ii) और कम्पनी में बदलने हेतु क्षेत्रीय निदेशक को
कम्पनी (निगमन एवं अनुषंगी) नियम, 2014 के आवेदन
नियम 21 (3) के अनुसरण में ] सत्यमेव जयते
फार्म की भाषा o अंग्रेजी o हिन्दी
फॉर्म को भरने हेतु निर्देश किट देखें ।
1. (क)* कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
(ख) कम्पनी की वैश्विक स्थान संख्या (जीएलएन)
2. (क) कम्पनी का नाम
(ख) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता
(ग) कम्पनी की ई-मेल आईडी
3. धारा 8 के तहत कम्पनी को जारी लाइसेंस संख्या
4. (क) कम्पनी के निगमीकरण की तारीख
(ख) कम्पनी का प्रकार
5. • कम्पनी का वर्तमान उद्देश्य
6. • परिवर्तन के बाद कम्पनी के प्रस्तावित उद्देश्य और कम्पनी की गतिविधियों तथा प्रचालन में परिवर्तन और प्रस्तावित परिवर्तन के बाद इसवे
आय एवं सम्पत्ति के उपयोग की पदति
7. धारा 8 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो
8. * किसी अन्य प्रकार की कम्पनी में बदलने संबंधी विस्तृत कारण

75

76

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

9. (क) *बोर्ड द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख
(ख) *विशेष प्रस्ताव पास करने की तारीख
(ग) *फॉर्म संख्या एमजीटी 14 का एसआरएन
10. (क) क्स्पा कम्पनी को एक विशेष अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है 🛛 हाँ 🗆 नहीं
(ख) यदि हाँ तो निम्नलिखित ब्योरा दें
(i) *विनियामक निकाय का नाम
(ii)+परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले विनियामक निकाय का अनुमोदन प्राप्त करने की तिथि
11. <b>∗वर्तमान निदेशक( निदेशकों) और मुख्य प्रबंधकीय का</b> र्मिकों की संख्या
<ul> <li>वर्तमान निदेशक( निदेशकों) और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण</li> </ul>
(i) डीआईएन अथवा आयकर पीएएन
(ii) नाम
(iii) पदनाम
12. • क्या कम्पनी ने नियम 22(4) में उल्लेखानुसार कोई विशेष स्थिति/विशेषाधिकार प्राप्त किया है
हाँ व नहीं
(यदि हाँ तो, प्राधिकारी का नाम और अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें)
13. * क्या कम्पनी ने निगमीकरण के समय से रियायती दर पर अथवा मुफ्त में किसी सरकार अथवा प्राधिकरण अथवा कार्पोरेट निकाय अथवा व्यक्ति से पद्टा के माध्यम अथवा अन्यथा कोई अचल सम्पत्ति संग्रह किया है
□ हाँ □ नहीं
(यदि हाँ तो, नियमानुसार अतिरिक्त राशि की अदायगी का प्रमाण संलग्न करें)
14. * क्या कम्पनी ने निगमीकरण के समय से किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण से कोई दान और/अथवा अनुदान/लाभ प्राप्त
किया है □ हाँ □ नहीं (यदि हाँ तो, विवरण संलग्न करें)
15. * क्या लागू नियमानुसार बकाया को देने के बाद आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने वाली कोई अतिरिक्त राशि है
हाँ व नहीं
यदि हाँ तो, ऐसे हस्तांतरित किए जाने वाली राशि का उल्लेख करें
16. * क्या कम्पनी वित्तीय विवरणों, वार्षिक विवरणियों और अपेक्षित सांविधिक विवरणों को नि.मित रुप से प्रस्तुत करते है
□ हाँ □ नहीं
17. * क्या सभी लेनदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है
🗅 हाँ 🗅 नहीं (यदि हाँ तो , अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

[भाग II—खण्ड 3(i)]

-

	7
1	/

18. * क्या किसी विनियामक द्वारा कम्पनी को विनियमित किया जा रहा है 🛛 🛛 हाँ 🗆 नहीं			
यदि हाँ तो, विनियामक का अनुमोदन/स्वीकृति संलग्न करें तथा नीचे उल्लेख करें			
विनियामक का नाम			
पत्र संख्या अनुमोदन/ स्वीकृति तारीख			
19. 井・			
कम्पनी का निदेशक एतद्वारा सुनिश्चित करता हूँ कि:			
क) लेनदारों को उनकी देय राशि से वंचित करने अथवा किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने अथवा पूर्वाग्रह के	उद्देश्य से बदलने की मांग नहीं की		
जा रही है।			
ख) कम्पनी के आय अथवा सम्पत्ति का कोई हिस्सा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति,			
अथवा प्रोमोटर है अथवा किसी भी समय सदस्य रह चुका है, अथवा उनमें से किसी एक अथवा ऐसे वि			
अथवा एक से अधिक होने का दावा करता है, को लाभांश, बोनस, अथवा लाभ के रुप में अदा अथवा हस्तां			
ग) मै/हम अधिनियम की धारा 448 के तहत और भारतीय दंड संहिता, 1960 के संबंधित प्रवधानों तथ	ा लागू अन्य कानून के तहत दायी		
होउँगा/होंगे, यदि इस आवेदन में कोई विवरण गलत पाया जाता है अथवा किसी विवरण में कोई तथ्य हटा	या गया पाया जाता है।		
संलग्नक			
1. * संगम ज्ञापन;	संलग्नक		
2. * संगम के अनुच्छेद;	संलग्नक		
3. * बोर्ड संकल्प( संकल्पों ) की प्रतिलिपि;	संलग्नक		
4. * पारित विशेष संकल्प की प्रति और आम बैठक आयोजित करने की सूचना के साथ संलग्न			
संबंधित व्याख्यात्मक विवरण;	संलग्नक		
5. * सीए/सीएस/सीडब्ल्यूए (कार्यरत) से प्रमाण-पत्र जो यह प्रमाणित कर रहा हो कि अधिनियम की			
शर्तां तथा नियमों का अनुपालन किया गया है;	संलग्नक		
6. * तारीख तक कम्पनी की परिसम्पत्तियाँ और देयताओं का विवरण जो लेखापरीक्षक द्वारा			
विधिवत् प्रमाणित किए जाने के तीस दिन से पहले का न हो ;	संलग्नक		
<ol> <li>*परिसम्पत्तियो के बाजार मूल्य के बारे में पंजीकृत मूल्य निर्धारक द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट;की प्रति</li> </ol>	संलग्नक		
8. * लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्टें, वार्षिक विवरणी और आवेदन की तिथि से ठीक पहले			
के दो वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष कीअथवा जहाँ कम्पनी ने मात्र एक ही वित्तीय वर्ष कार्य किया हो,	संलग्नक		
ऐसे में उस वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट;			
9. वित्तीय स्थिति का विवरण, यदि लागू हो;	संलग्नक		
10. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अचल सम्पत्तियों, यदि कोई हो, के हस्तांतरण का पूर्ण विवरण;	संलग्नक		
11. ऋणदाताओं की लिखित सहमति, यदि कोई ऋण बकाया हो, तो;			
12. विशेष स्थिति के मामले में संबंधित प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र;	संलग्नक		
13. अन्तर की राशि की अदायगी का प्रमाण	संलग्नक		
14. कम्पनी के निगमीकरण के समय से प्राप्त दान/अनुदान/लाभ का विवरण;	संलग्नक		
15. क्षेत्रक विनियामक प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति;			
16. सभी लेनदारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र	संलग्नक		
17. वैकल्पिक संलग्नक			
घोषणा			
मुझे तारीख * के संकल्प संख्या * के माध्यम से कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स	द्वारा यह फॉर्म हस्ताक्षरित करने		
अर यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि इस फॉर्म की विषय-वस्तु के संबंध में और इससे संबंधित मामलों में कम्पनी अधिनियम,			
2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है । मैं यह भी घोषण			

78

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

1.		न दस्तावेजों में जो भी कहा गया कम्पनी के पास उपल्ब्ध मूल रिको		ौर इस फॉर्म से संबंधित कोई सूचना दबाई
2.	2. सभी आवश्यक संलग्नक इस फॉर्म के साथ पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में संलग्न किए गए हैं ।			
3.	*मुझे * <mark>(ड्रॉप डाउन- वेल्यूजः चार्टड :</mark> *प्रेक्टिस संख्या वैसी घोषणा संलग्न है।	अकाउंटेंट/कम्पनी सचिव/ कॉस्ट अक का प्रमाणपत्र		और और ोषणा करने हेतु नियुक्त किया गया है और
*नि	म्नलिखित द्वारा डिजिटली हरू	ताक्षरित किया जाना है		
*पद	नाम		डीएससी बॉक्स	
	रेशक की निदेशक पहचान संख् क या सीईओ या सीएफओ का		<b></b>	
	क या साइजा या सारफजा का नी सेक्रेटरी की सदस्यता संख्य			
	णी : धारा 448 और 449 की दंड का प्रावधान है ।	ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है	है जिनमें क्रमश: झूठे विवरण / प्रम	गण-पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के
संध	ोधन करें	फॉर्म जाँचें	पूर्व-जाँच	प्रस्तुत करें
केवल	ा कार्यालय के प्रयोग के लिए :	दायर किए जाने वाल	ग ब्यौरा संलग्न करें	
ई-फॉर्म सर्विस अनुरोध संख्या (एसआरएन)ई-फॉर्म प्रस्तुत करने की तिथि(दिन/माह/वर्ष)				
प्राधि	कृत करने वाले अधिकारी के हि	डेजिटल हस्ताक्षर		
यह ई-फॉर्म एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है				
यह ई-फॉर्म एतद्वारा रद्द किया जाता है (प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करें)				
हस्त	क्षिरित किए जाने की तारीख	(दिन/	माह/वर्ष)	

फॉर्म संख्या आईएऩसी-19

# सूचना (कम्पनी (निगमन और अनुषंगी) नियम,2014 के नियम 22 के अनुसरण में)

2. कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं -

.....

3. प्रस्तावित कम्पनी के मसौदा ज्ञापन और अनुच्छेदों की एक प्रति ...... पर देखी जा सकती है। ( यहाँ पता दें)

4. एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगम अथवा कार्पोरेट निकाय इस आवेदन के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर ...... (यहाँ पता दें) पते पर पंजीयक को संबोधित पत्र द्वारा आपत्ति सूचित किया जा सकता है, जिसकी एक प्रति ...... (यहाँ पता दें) आवेदक को अग्रेषित की जाएगी।

तारीख .....

आवेदक(कों) के नाम

 1.

 2.

फॉर्म संख्या आईएनसी 20 धारा 8 के अधीन जारी लाइसेंस को
[ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(4) और 8(6)
और कम्पनी (निगमन और अनुषंगी) नियम, 2014 के में पंजीयक को सूचित करना
नियम 23 के अनुसरण में ] सत्यमेव जयते
फार्म की भाषा o अंग्रेजी o हिन्दी
फॉर्म को भरने हेतु निर्देश किट देखें
1.(क) * कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
(ख) कम्पनी की वैश्विक स्थान संख्या (जीएलएन)
2.(क) कम्पनी का नाम
ख) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता
(ग) कम्पनी का प्रकार
(घ) कम्पनी की ई-मेल आईडी
3. धारा 8 के तहत कम्पनी को जारी लाइसेंस संख्या
4. *क्या लाइसेंस को पुनःवैध करने हेत् आवेदन
<ol> <li>भया लाइतत्त का पुनन्धय करन हतु जापदन</li> <li>० स्वैच्छिक ० केन्द्र सरकार के निर्देशों पर किया गया है</li> </ol>
5. (क) * आदेश जारी करने की तारीख
(ख) * आदेश प्रस्तुत करने की नियत तारीख
(ग) *फॉर्म आईएनसी 18 का एसआरएन
्रसआरण्न (घ) * ऐसे लाइसेंस को पुनःवैध करने/सरेंडर करने का कारण
6. * धारा 8 के अधीन लाइसेंस के पुनःवैधीकरण आदेश को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के नाम का उल्लेख करें
चेम्बर,कॉन्फेडरेशन, परिषद, आदि जैसे शब्द(शब्दों) को नाम से हटाया जायेगा। तदनुसार कम्पनी की स्थिति मे परिवर्तन किया जाएगा।)
संलग्नक
(1) * केन्द्र सरकार के आदेश की प्रति;
(2) *बदले गए जापन और संघ के अनुच्छेद की प्रति; संलग्नक
(3) * अनुपालन स्थिति के लिए निदेशकों की घोषणा; संलग्नक
(4) वैकल्पिक मंतरनक (यदि कोई हो)
() यहार गर (ताय होस् रह) संतरनक

80

	,	घोषणा	
मुझे तारीख * के संकल्प संख्या *के माध्यम से कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा यह फॉर्म हस्ताक्षरित करने और यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि इस फॉर्म की विषय-वस्तु के संबंध में और इससे संबंधित मामलों में कम्पनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि: 1. इस फॉर्म अथवा इसके संलग्न दस्तावेजों में जो भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस फॉर्म से संबंधित कोई सूचना दबाई अथवा छुपाई नहीं गई है और कम्पनी के पास उपल्ब्ध मूल रिकॉर्ड के अनुसार हैं।			
2. सभी आवश्यक संलग्नक इ	स फॉर्म के साथ पूर्ण एवं स्पष्ट	र रूप में संलग्न किए गए हैं ।	
*निम्नलिखित द्वारा डिजिटली	हस्ताक्षरित किया जाना है	डीएससी बॉक्स	
*पदनाम			
*निदेशक की निदेशक पहचान	संख्या; अथवा		
प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ	का डीआईएन या पैन; अथवा		
कम्पनी सेक्रेटरी की सदस्यता स	ांख्या		
टिप्पणी : धारा 448 और 449	की ओर ध्यान आकर्षित किया	जाता है जिनमें क्रमश: झूठे वि	वरण / प्रमाण-पत्र के लिए दंड और
झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्राव		Ň	
· · ·		ب م	····
संशोधन करें	फॉर्म जाँचें	पूर्व-जाँच	प्रस्तुत करें
केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए :			
ई-फॉर्म सर्विस अनुरोध संख्या (एसआरएन)(दिन/माह/वर्ष)			
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर			
यह ई-फॉर्म एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है			
हस्ताक्षरित किए जाने की तारीर	ब	. (दिन/माह/वर्ष)	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

फॉर्म संख्या आईएनसी 21 [ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 11(1)(क) औ 8(6) और कम्पनी (निगमन और अनुषंगी) नियम, 2014 के नियम 24 के अनुसरण में] फार्म की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी फॉर्म को भरने हेतु निर्देश का अवलोकन 1. *(क) कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआई (ख) फॉर्म को भरने हेतु निर्देश का अवलोकन क 2. (क) कम्पनी का नाम (ख) कम्पनी का नाम	सबधा शाक्तया क प्रयाग क सत्यमेव जयते आरंभ की पूर्व घोषणा
(ग) कम्पनी की ई-मेल आईडी	
	मक द्वारा विनियमित किया जाता है (।जैसे एनबीएफआई गतिविधियों के मामले में
<ul><li>(ग) * पत्र संख्या/पंजीयन संख्या</li><li>4. * प्रदत्त पुंजी का विवरण</li></ul>	और अनुमोदन/ पंजीयन की तिथि का उल्लेख करें
<ul> <li>कम्पनी की कुल प्रदत्त पुंजी</li> <li>(i)(क) कुल इक्विटी शेयर की संख्या</li> <li>(ग) इक्विटी शेयरों की कुल राशि</li> <li>(ii)(क) कुल अधिमान शेयर की संख्या</li> <li>(ग) अधिमान शेयरों की कुल राशि</li> </ul>	
<ol> <li>स्टेंप शुल्क की अदायगी का विवरण</li> </ol>	
राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र, जिसके संबंध में स	टेंप शुल्क का भुगतान किया गया है
दस्तावेज का प्रकार/विवरण	फार्म आईएनसी 21
स्टेंप पेपर की कुल राशि (रुपए में) -	
स्टेंप शुल्क की आदायगी की विधि-	
सरकार की ओर से स्टेंप पेपर बेचने हेतु प्राधिकृ	त
दुकानदार का नाम	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

स्टेंप पेपर की क्रम संख्या	-			
दुकानदार की पंजीयन संख्	या-			
स्टेंप पेपर के खरीद की ति	থি–			
स्टेंप पेपर के खरीद का स्व	थान			
संलग्नक (1)* फार्म आईएनसी 10 में नग	मुना हस्ताक्षर	संलग्नक	संलग्नक की सूची	
(2)आरबीआई द्वारा (मात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनि से जारी पंजीयन का प्रमाणपत्र	नेयों के मामले में)/ अन्य विनिया	मकों संलग्नक		
		<del></del>	संलग्नक हटाएं	
(3) वैकल्पिक संलग्नक (यदि क	गेड़ हो)	सलग्नक		
		घोषणा		
यह फॉर्म हस्ताक्षरित करव संबंध में और इससे संबंधि आवश्यकताओं का अनुपाल 1. इस फॉर्म अथवा इसवे संबंधित कोई सूचना क 2. सभी आवश्यक संलग्न 3. संगम जापन का प्रत्येक अ पूंजी प्राईवेट कंपनी की दश 4. कंपनी ने धारा 12 की उपध	ने और यह घोषणा करने ह धित मामलों में कम्पनी 3 ान किया गया है । मैं यह के संलग्न दस्तावेजों में जो दबाई अथवा छुपाई नहीं गई तक इस फॉर्म के साथ पूर्ण रांशधारक उसके द्वारा लिए गए स ा में 1 लाख रूपए या पब्लिक कं धारा (2) में यथा उपबंधित अपने जेटली हस्ताक्षरित किया जा	के लिए प्राधिकृत किया अधिनियम, 2013 और भी घोषणा करता हूँ कि: 1 भी कहा गया है वह स् हे है और कम्पनी के पास एवं स्पष्ट रूप में संलग्न तहमति से शेयरों के लिए मूल्य पनी की दशा में 5 लाख रूपए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के सत्या	ा का संदाय किया है और कंपनी की संदाय से अधिक नहीं होगी। पन को रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किया है।	त्तु के सभी ॉर्म से ।
टिप्पणी : धारा 448 और 449 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: झूठे विवरण / प्रमाण-पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है ।				
संशोधन करें	फॉर्म जाँचें	पूर्व-जाँच	प्रस्तुत करें	
यह ई प्ररूप इलेक्ट्रानिक पद्ध विवरण के आधार पर लिया		रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई प	जिल पर और कंपनी द्वारा दिए गए स	त्यता

फॉर्म संख्या आईएनसी 22
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(2) एवं सिथति के परिवर्तन का नोटिस
(4) और कम्पनी (निगमन और अनुषंगी) नियम, 🕵
2014 के नियम 25 और 27 के अनुसरण में] सत्यमेव जयते
फार्म की भाषा o अंग्रेजी o हिन्दी
फॉर्म को भरने हेतु निर्देश किट देखें
1. *यह फॉर्म ० नई कम्पनी ० मौजूदा कम्पनी के लिए है
2. *(क) कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
अथवा फॉर्म संख्या आईएनसी 1 का एसआरएन
(ख) कम्पनी की वैश्विक स्थान संख्या (जीएलएन)
3. (क) कम्पनी का नाम
(ख) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता 
। (ग) कम्पनी के वर्तमान पंजीयक (आरओसी) के कार्यालय का नाम
(יו) אישיאון אי ענוחוח זטועאי (אונאונא) אי אועומע אין חוח
(घ) *फॉर्म का उद्देश्य
(प) पण पा उद्दर्प नगर, शहर अथवा गाँव की स्थानीय सीमा के भीतर परिवर्तन
नगर, शहर अथवा गाँव की स्थानीय सीमा के बाहर परिवर्तन, उसी आरओसी और राज्य के भीतर
उसी राज्य के भीतर आरओसी में परिवर्तन
उसी आरओसी के क्षेत्राधिकार के भीतर राज्य में परिवर्तन
वर्तमान आरओसी के क्षेत्राधिकार के बाहर राज्य में परिवर्तन
<ol> <li>एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि</li> <li>*(क)</li> <li>(दिन/माह/वर्ष) से लागू कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है-</li> </ol>
*(क) (दिन/माह/वर्ष) से लागू कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है-
о कम्पनी के निगमीकरण की तिथि है
*पता लाइन।
लाइन ॥
* नगर
* जिला
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
देश
*पिन कोड
* ई-मेल आईडी

[ भाग	ll—खण्ड	3(i)]

(ख) * पंजीकृत कार्यालय			
o कम्पनी के स्वामित्व में है o निदेशक के स्वामित्व में है (कम्पनी द्वारा पट्टे पर नहीं लिया गया है)			
o कम्पनी द्वारा पट्टे पर लिया गया है o किसी अन्य निकाय/व्यक्ति के स्वामित्व में है(कम्पनी द्वारा पट्टे पर नहीं			
लिया गया है)			
(ग) * प्रस्तावित आरओसी अथवा नए आरओसी के कार्यालय का नाम			
(घ) पुलिस स्टेशन का पूरा पता जिसके क्षेत्राधिकार में पंजीकृत कार्यालय स्थित है			
*नाम			
*पता लाइन ।			
पता लाइन ॥			
*नगर			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
*पिन कोड			
(ङ) *पंजीकृत कार्यालय का पता बताने वाले उपयोग सेवा बिल का विवरण			
(दो महिने से पहले का न हो)			
5. (क) *फॉर्म एमजीटी 14 का एसआरएन			
(ग) *केन्द्र सरकार के आदेश की तिथि (दिन/माह/वर्ष)			
संलग्नक संलग्नकों की सूची			
(1) * पंजीकृत कार्यालय का पता का प्रमाण (वाहन/ पट्टा			
संलग्नक			
करार/ किराया रसीद सहित किराया समझौता) आदि.;			
(2) *उपर उल्लेखानुसार युटीलीटी बिलों की प्रतियाँ संलग्नक			
(दो महिने से पहले का न हो);			
(3) * यह कि कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के रुप मे पता का			
संलग्नक			
उपयोग करने हेतु कम्पनी को अनुमति देने संबंधी प्रमाण			
पत्र यदि इसका स्वामित्व किसी अन्य निकाय/व्यक्ति के			
पास है (कम्पनी द्वारा पट्टे पर नहीं लिया गया है);			
(4) *सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रति;			
(+ <i>)</i> למנוסד אווטיטוע או סווקצו איז אות,			
(5) समान पंजीयन कार्यालय पता वाले सभी कम्पनियों (उनकी संलग्नक गंगराज हराण			
सीएनआई का उल्लेख करते हुए) की सूची,यदि कोई हो सलग्नक हटाएँ			
(6) वैक्लपिक संलग्नक, यदि कोई हो।			

### THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

घोषणा				
में *				
कम्पनी के एक (ड्रॉप डाउनः निदेशक/प्रबंधक/कम्पनी सचिव)) के रुप में अनुच्छेदों नामित एक व्यक्ति को इस फॉर्म के हस्ताक्षर हेतु संकल्प संख्या दिनांकके माध्यम से कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है और घोषित किया जाता है कि *कम्पनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं तथा इस फॉर्म की विषय वस्तु और इसके प्रासंगिक मामलों के संबंध मे किए गए नियमों का अनुपालन किया गया है। *मैं यह भी घोषित करता हूँ कि इस फॉर्म के संलग्नको सहित उप्रयुक्त दी गई सभी सूचना सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा कोई भी सामग्री छुपाया नही गया है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि (संक्षिप्त विवरण बॉक्स), स् और प्रेक्टिस संख्याका प्रमाणपत्र वाले (ड्रॉप डाउन) <mark>{वेल्यूज: चार्टर्ड अकाउंटेंट/कम्पनी सचिव/</mark> कॉस्ट अकाउंटेंट} को इस उद्देश्य के लिए विधिवत नियुक्त किया गया है।				
*निम्नलिखित द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित किया जाना है डीएससी बॉक्स				
*पदनाम				
*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा				
प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; अथवा				
कम्पनी सेक्रेटरी की सदस्यता संख्या				
कार्यरत पेशेवरों द्वारा प्रमाण-पत्र				
· ·				
मैं घोषित करता हूँ कि मुझे इस फॉर्म के प्रमाणन के लिए यथोचित रूप से नियुक्त किया गया है । एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और इस फॉर्म की विषय-वस्तु एवं इससे संबंधित मामलों के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत नियमों को पढ़ लिया है और मैंने उपर्युक्त सूचना (संलग्नकों सहित) कम्पनी के पास उपलब्ध मूल रिकॉर्ड से सत्यापित की है जो कि इस फॉर्म की विषय-वस्तु है और उन्हें सत्य, सही एवं पूर्ण पाया है और इस फॉर्म से संबंधित कोई भी सूचना छुपाई नहीं गई है । मैं यह भी सत्यापित करता हूँ				
कि: 1 सार्यकर प्रेकॉर्ट रचिर का मे नैयार किए या हैं कम्पनी के मंतंशिर अधिकारियों टवारा हम्राक्षरित किए				
<ol> <li>उपर्युक्त रिकॉर्ड उचित रूप से तैयार किए गए हैं, कम्पनी के संबंधित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 के मंबंधित पावधानों के अनुमार रखे जाते हैं और ठीक पाए गए</li> </ol>				
गए हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार रखे जाते हैं और ठीक पाए गए;				
<ol> <li>सभी आवश्यक संलग्नक इस फॉर्म के साथ पूर्ण और स्पष्ट रूप में संलग्न किए गए हैं।</li> <li>तमके अभिनित पर भी फोफिर कारण है कि फॉर्म से एप गांगीकर कार्यातम के रनियमित परे पर रैंने परां तैय</li> </ol>				
<ol> <li>इसके अतिरिक्त यह भी घोषित करता हूँ कि फॉर्म मे दिए गए पंजीकृत कार्यालय के उल्लिखित पते पर मैंने स्वयं दौरा किया है और सत्यापित किया कि कम्पनी का उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय कम्पनी के व्यापार उद्देश्यों के लिए कार्य कर</li> </ol>				
किया है और सत्यापित किया कि केन्द्रकों की अल्लाखत पंजाकृत कार्यालय केन्द्रकों के ज्यापार अर्थयों के लिए कीय कर रहा है।				

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राज	नपत्र : असाधारण		87
*निम्नलिखित द्वारा डिजिट		T है डीएसर्स	। बॉक्स	
○ चार्टर्ड अक	गउंटेंट (पूर्णकालिक प्रैक्टिस	में)		
० कॉस्ट अक	गउंटेंट (पूर्णकालिक प्रैक्टिस	में)		
० कम्पनी से	क्रेटरी (पूर्णकालिक प्रैक्टिस	में)		
एसोसिएट अथवा फैलो	0. एसोसिएट	0. फैलो		
सदस्यता संख्या				
प्रैक्टिस संख्या का प्रमाप	ण-पत्र			
टिप्पणी : धारा 448 और 4 लिए दंड और झूठे साक्ष्य के			में क्रमश: झूठे विवरण / प्रमाण-पत्र	 के
संशोधन करें	फॉर्म जाँचें	पूर्व-जाँच	प्रस्तुत करें	
केवल कार्यालय के प्रयोग के	िलिए : संलग्न करें	जाने वाला ब्यौरा		
ई-फॉर्म सर्विस अनुरोध संख्य	ग (एसआरएन)	ई-फॉर्म प्रस्तुत करने	की तिथि(दिन/माह/वर्ष	<del>أ</del> )
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर				
यह ई-फॉर्म एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है				
यह ई-फॉर्म एतद्वारा रद्द किया जाता है (प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करें)				
हस्ताक्षरित किए जाने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)				
अथवा				
इस ई फॉर्म को इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से कम्पनियों के पंजीयक द्वारा अनुरक्षित फाइल पर और कम्पनी द्वारा दी गई तथातथ्यता के आधार पर लिया गया है।				
तिपतिच्यता के जायार पर लिया गया है।				

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

फॉर्म सं. आईएनसी.23 [कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(5) और 13(4) और कम्पनी (निगमन और अनुषंगी) नियम, 2014 के नियम 28 और 30 के अनुसरण में]
फॉर्म की भाषा o अंग्रेजी o हिंदी
फॉर्म भरने के लिए निर्देश किट देखें ।
1. *आवेदन पंजीकृत कार्यालय को निम्नलिखित से बदलने के लिए है
<ul> <li>एक राज्य से दूसरे राज्य में</li> </ul>
<ul> <li>एक ही राज्य में एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के अंतर्गत लाने के लिए</li> </ul>
2. (क) *कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
(ख) कम्पनी की वैश्विक स्थल संख्या (जीएलएन)
3. (क) कम्पनी का नाम
(ख) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता
(ग) वर्तमान आरओसी का नाम
4. *(क) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जहां कम्पनी का नया पंजीकृत कार्यालय बनाया जाएगा
*(ख) नये आरओसी के कार्यालय का नाम जहां कम्पनी का नया प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय बनाया जाएगा
*(ग) पंजीकृत कार्यालय को बदलने के कारण
5. *(क) फॉर्म एमजीटी.14 की सेवा अनुरोध संख्या

88

[ भाग	ग।I—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	89
	*(ख) फॉर्म एमजीटी.14 भरने की तारीख		
	*(ग) विशेष संकल्प पारित किए जाने की त	नारीख	
6.	(क) जिस बैठक में कार्यालय बदलने का शेयरों की संख्या	निर्णय लिया गया था उसमें उपस्थित सदस्यों का ब्यौर	ा और उनके
	(i) सदस्यों की संख्या		
	(ii) उनके शेयरों की संख्या		
	(ख) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत (i) * सदस्यों की संख्या (ii) उनके शेयरों की संख्या	त दिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या	
	(ग) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में म (i) * सदस्यों की संख्या (ii) उनके शेयरों की संख्या	मत दिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या	
	(घ) जिन सदस्यों ने वोटिंग में भाग नहीं ति (i) * सदस्यों की संख्या (ii) उनके शेयरों की संख्या	त्रेया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या	
7.	*(क) ऋणदाताओं की कुल संख्या		
	*(ख) जमाकर्ताओं की कुल संख्या		
	*(ग) डिबेंचरहॉल्डरों की कुल संख्या		
	(घ) यदि विज्ञापन की प्रतिक्रिया में कोई आ	ापत्तियां प्राप्त हुई हों तो उनका संक्षिप्त ब्यौरा	_
8.	*क्या इस अधिनियम के अधीन कम्पनी के 0 हाँ 0 नहीं	विरूद्ध कोई अभियोग लम्बित है	

यदि हाँ तो अभियोग का संक्षिप्त ब्यौरा दें
9. *क्या अधिनियम के अधीन कम्पनी के विरूद्ध इनमें से कोई मामला लम्बित है
o जाँच o निरीक्षण o अन्वेष्ण
यदि हाँ तो जाँच, निरीक्षण, अन्वेषण का संक्षिप्त ब्यौरा दें
10. *क्या कम्पनी ने आवेदन की प्रति सम्पूर्ण अनुलग्नकों के साथ रजिस्ट्रार अथवा राज्य के मुख्य सचिव को प्रस्
कर दी है o हाँ o नहीं
यदि हाँ तो प्रस्तुत करने की तारीख
का उल्लेख करें
11. मामले के तथ्य नीचे दिये गये हैं
(तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दीजिए, प्रत्येक पैरा में यथासंभव एक अलग मुद्दा, तथ्य अथवा
अन्य मामला हो)

#### संलग्नक

1.	*संबद्धता ज्ञापन और संबद्धता के अनुच्छेदों की प्रति;	संलग्न करें
2.	*संबंधित विस्तृत विवरण सहित आम बैठक के नोटिस की प्रति;	संलग्न करें
3.	*विशेष संकल्प स्वीकृति परिवर्तन की प्रति;	संलग्न करें
4.	*ऐसे परिवर्तन को प्राधिकृत करने वाली आम बैठक के कार्यवृत्त की प्रति;	संलग्न करें
5.	*मुख्तारनामा/वकालतनामा/बोर्ड का संकल्प;	संलग्न करें
6.	*ऋणदाताओं और डिबेंचरहॉल्डरों की सूची;	संलग्न करें
7.	*निदेशकों से नियमों के अनुसार शपथपत्र;	संलग्न करें
8.	*आवेदन को सत्यापित करने वाला शपथपत्र;	संलग्न करें
9.	*कम्पनी के कम्पनी सेक्रेटरी और निदेशकों द्वारा ऋणदाताओं की सूची के सही होने और कम्पनी	के
	कार्यों के संबंध में शपथपत्र;	संलग्न करें
10	*निदेशकों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी नहीं किए जाने के संबंध में शपथपत्र;	संलग्न करें
11	*सामान्य रूप से कम्पनी और इसके अधिकारियों के विरूद्ध दायर किए गए अभियोग/निरीक्षण/उ	जाँच/
	अन्वेषण का ब्यौरा;	संलग्न करें
12	*पंजीकृत कार्यालय बदलने के नोटिस के लिए समाचार-पत्र में दिए गए विज्ञापन की प्रति;	संलग्न करें
13	*ऋणदाताओं की सूची का सत्यापन करने वाला शपथपत्र;	संलग्न करें
14	रजिस्ट्रार, राज्य के मुख्य सचिव, सेबी अथवा अन्य किसी विनियामक निकाय को आवेदन प्रस्तुत	Ŧ
	करने का प्रमाण (यदि लागू हो);	संलग्न करें
15	आपत्तियों की प्रति (यदि कोई प्राप्त हुई हो);	संलग्न करें
16	वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो ।	संलग्न करें

### घोषणा

मुझे तारीख \* ......के संकल्प संख्या \* .....के माध्यम से कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा यह फॉर्म हस्ताक्षरित करने और यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि इस फॉर्म की विषय-वस्तु के संबंध में और इससे संबंधित मामलों में कम्पनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है । मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि:

- इस फॉर्म अथवा इसके संलग्न दस्तावेजों में जो भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस फॉर्म से संबंधित कोई सूचना दबाई अथवा छुपाई नहीं गई है और कम्पनी के पास उपल्ब्ध मूल रिकॉर्ड के अनुसार हैं ।
- 2. सभी आवश्यक संलग्नक इस फॉर्म के साथ पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में संलग्न किए गए हैं ।
- 3. जिस मामले के संबंध में यह याचिका/आवेदन दायर किया गया है उसके संबंध में किसी विधि न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी अन्य पीठ अथवा बोर्ड के समक्ष कोई आवेदन, रिट याचिका अथवा वाद दायर नहीं किया गया था और इनमें से किसी के भी समक्ष ऐसा कोई आवेदन, रिट याचिका अथवा वाद लम्बित नहीं है

T

*निम्नलिखित द्वारा डिजिटर्ल	ो हस्ताक्षरित किया जाना	डीएससी बॉक्स है		
*पदनाम				
*निदेशक की निदेशक पहचा	न संख्या; अथवा			
प्रबंधक या सीईओ या सीएफ	ओ का डीआईएन या पैन;	अथवा		
कम्पनी सेक्रेटरी की सदस्यत	ा संख्या			
टिप्पणी : धारा 448 और 44 लिए दंड और झूठे साक्ष्य के			शः झूठे विवरण / प्रमाण-पत्र के	
संशोधन करें	फॉर्म जाँचें	पूर्व-जाँच	प्रस्तुत करें	
केवल कार्यालय के प्रयोग के	लिए : संलग्न करें	गने वाला ब्यौरा		
ई-फॉर्म सर्विस अनुरोध संख्या (एसआरएन)ई-फॉर्म दायर करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)				
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर				
यह ई-फॉर्म एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है				
यह ई-फॉर्म एतद्द्वारा रद्द किया जाता है (प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करें)				
हस्ताक्षरित किए जाने की तारीख				

6. निगमीकरण के समय कम्पनी का नाम (प्रमाण-प	त्र में दर्श	ाया जाना है)		
7. (क) जिस बैठक में विशेष संकल्प पारित किया ब	ד דופ דוכת	रममें सामिशन महम	गों की मंख्या भौ	न रचके शेरणों की
गः (भ) जित्त बठक न विशेष संभल्प पारित किया न संख्या	ગયા યા ર	סמים שוריינה מעדי	या फा सख्या जा	र उनक रायरा का
(i) *सदस्यों की संख्या				
(ii) उनके शेयरों की संख्या				
(-) Q > Q > >	<b>o</b>		<u>~ ~ ~</u>	<u> </u>
(ख) जिन सदस्यों ने नाम परिवर्तन के पक्ष में	मत ।दर	गा उनका ब्यारा आर ———	उनक शयरा का	संख्या
(i) * सदस्यों की संख्या				
(ii) उनके शेयरों की संख्या				
(ग) जिन सदस्यों ने नाम परिवर्तन के विरोध	में मत वि	देया उनका ब्यौरा औ	र उनके शेयरों व	नि संख्या
(i) * सदस्यों की संख्या				
(ii) उनके शेयरों की संख्या				
(घ) जिन सदस्यों ने वोटिंग में भाग नहीं लिय	ा उनका व	ब्यौरा और उनके शेर	ारों की संख्या	
(i) * सदस्यों की संख्या				
(ii) उनके शेयरों की संख्या				
संलग्नक				
1. *सदस्यों की बैठक का कार्यवृत्त	संलग्न	करें		
2. वैकल्पिक संलग्नक (यदि कोई हो)	संलग्न	करें		
	घोष	णा		
मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेत	दन और	इसके संलग्नकों में	दी गई सूचना	सही एवं पूर्ण है और
कम्पनी ने कम्पनी का नाम बदलने के लिए संबंधि	धेत प्राधि	करणों और विभागों	से सभी अनिवार	र्म अनुमोदन प्राप्त कर
लिए गए हैं।				
मुझे तारीख * के संकल्प संख्या * .				ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा
यह फॉर्म हस्ताक्षरित करने और यह आवेदन प्रस्तुत	न करने वे	<sup>5</sup> लिए प्राधिकृत किर	मा गया है ।	
* निम्नलिखित द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित किया	जाना है			
* पदनाम			डीएससी बॉक्स	

* निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; अथवा	
कम्पनी सेक्रेटरी की सदस्यता संख्या	

टिप्पणी : धारा 448 और 449 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: झूठे विवरण / प्रमाण-पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है ।

संशोधन करें	फॉर्म जाँचें		पूर्व-जाँच		प्रस्तुत करें
केवल कार्यालय के प्रयोग के	लिए :	दायर किए जा संलग्न करें	ने वाला ब्यौरा		
ई-फॉर्म सर्विस अनुरोध संख्या (एसआरएन)ई-फॉर्म दायर करने की तारीख					
(दिन/माह/वर्ष)					
प्राधिकृत करने वाले अधिकाई	री के डिजिट	न हस्ताक्षर			
यह ई-फॉर्म एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है					
यह ई-फॉर्म एतद्वारा रद किया जाता है (प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करें)					
हस्ताक्षर किए जाने की तारी	ख		(दिन/माह/वर्ष)		-

फॉर्म सं. आईएनसी-25
नाम बदलने के बाद निगमन का प्रमाण-पत्र
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 29 के अनुसरण में]
में एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस कम्पनी का नाम इस प्रमाण-पत्र की दिनाँक से से बदल कर कर दिया गया है और कम्पनी शेयरों से लिमिटेड है/ गारंटी से लिमिटेड है/ अनलिमिटेड कम्पनी है ।
कम्पनी का सीआईएन है
दो हजार में मुझे सौंपी गई है ।
मोहर
कम्पनी रजिस्ट्रार
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(राज्य)

### फार्म संख्या आईएनसी-26

## [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

वर्तमान कंपनियों के लिए लाईसेंस हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्दीय सरकार के समक्ष

.....क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013, कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(1) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 20 के संबंध में

तथा

.....में है, के मामलें में आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अदिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है जो धारा 8 के अंतर्गत अपने नाम में "लिमिटेड" अथवा "प्राईवेट लिमिटेड" शब्द जोडे बिना पंजीकृत होना चाहती है ताकि अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनी को..... को आयोजित साधारण वार्षिक अधिवेशन/असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के सबंध में अधिकार दिया जा सके।

कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के अंदर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार का पूरा पता) को अपने हित की प्रकृति और विरोध के कारण बताते हुए एक शपथ पत्र द्वारा अपनी आपत्तियां भेजेगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करेगा। और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय पर निम्नलिकित पते पर भेजी जाएंगीः

आवेदक के लिए और उसकी ओर से

.....

निदेशक

तारीख.....

स्थान.....

# [कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

## कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन

केन्दीय सरकार के समक्ष

.....क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013, कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(क) के संबंध में

तथा

.....लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय.....में है, के मामलें में आम जनता को सूचित किया जाता है कि याचिकर्ता कंपनी ने दिनांक .....को आयोजित सामान्य अधिवेशन/असाधारम सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के सबंध में कंपनी के संगम ज्ञापन में परिवर्तन की पृष्टि करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय......राज्य में बदल।

कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के अंदर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार का पूरा पता) को अपने हित की प्रकृति और विरोध के कारण बताते हुए एक शपथ पत्र द्वारा अपनी आपत्तियां भेजेगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करेगा। और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय पर निम्नलिकित पते पर भेजी जाएंगीः

आवेदक के लिए और उसकी ओर से

.....

निदेशक

तारीख.....

स्थान.....

टिप्पणः जो लागू न हो उसे काट दें।

[PART II—SEC. 3(i)]

फॉर्म सं. आईएनसी.27 सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी	ਸੇਂ
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और अथवा निजी कम्पनी को सार्वजनिक	कम्पनी
कम्पनी ( <i>निगमन</i> ) नियम, 2014 के नियम	
33 के अनुसरण में]	
फॉर्म की भाषा o अंग्रेजी o हिंदी	
फॉर्म भरने के लिए निर्देश किट देखें ।	
$1.$ *निम्न के लिए आवेदन $_{ m O}$ निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी में बदलना	
o सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में बदलना	
2. *(क) कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूर्व पूरित
(ख) वैश्विक स्थल संख्या	
3. (क) कम्पनी का नाम	
(ख) पंजीकृत कार्यालय का पता 	
(ग) कम्पनी की ई-मेल आईडी	
4* परिवर्तन के कारण	
5. * कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के समक्ष फॉर्म एमजीटी.14 भरने संबंधी विवरण	
(क) फॉर्म एमजीटी.14 की एसआरएन	
(ख) विशेष संकल्प पारित किए जाने की तारीख	
(ग) फॉर्म एमजीटी.14 भरने की तारीख	
6. *अधिकरण के आदेश का ब्यौरा	
(क) आदेश पारित करने की तारीख	

98

(ख) आदेश प्राप्त होने की तारीख
7. * निगमीकरण के समय कम्पनी का नाम (प्रमाण-पत्र में दर्शाया जाना है)
8. (क) जिस बैठक में परिवर्तन का निर्णय लिया गया था उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या और उनके शेयरों की
संख्या
(i) * सदस्यों की संख्या
(ii) उनके शेयरों की संख्या
(ख) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या
(i) * सदस्यों की संख्या
(ii) उनके शेयरों की संख्या
(ग) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या
(i) * सदस्यों की संख्या
(ii) उनके शेयरों की संख्या
(घ) जिन सदस्यों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या
(i) * सदस्यों की संख्या
(ii) उनके शेयरों की संख्या
संलग्नक
1. *सदस्यों की बैठक का कार्यवृत्त
2. *संबद्धता के परिवर्तित अनुच्छेद;
3. *अधिकरण का आदेश;
4. विलम्ब के लिए माफी हेतु आदेश;
5. वैकल्पिक संलग्नक (यदि कोई हो)

#### घोषणा

मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है और कम्पनी ने कम्पनी का नाम बदलने के लिए संबंधित प्राधिकरणों, विभागों और महत्वपूर्ण ऋणदाताओं से सभी अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं । मुझे तारीख \* .....के संकल्प संख्या \* ......के माध्यम से कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा यह फॉर्म हस्ताक्षरित करने और यह आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

निम्नलिखित द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित किया जाना है

\*पदनाम

डीएससी बॉक्स

\*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा

प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; अथवा

कम्पनी सेक्रेटरी की सदस्यता संख्या

टिप्पणी : धारा 448 और 449 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: झूठे विवरण के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है ।

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए :

दायर किए जाने वाला ब्यौरा संलग्न करें

ई-फॉर्म सर्विस अनुरोध संख्या (एसआरएन)
ई-फॉर्म दायर करने की तारीख(दिन/माह/वर्ष)
यह ई-फॉर्म एतद्द्वारा पंजीकृत किया जाता है
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर
हस्ताक्षर किए जाने की तारीख

-

प्ररूप सं.28		न्यायालय अथवा नि प्राधिकारी के आदेश का	केसी अन्य सक्षम नोटिस
फॉर्म की भाषा o अंग्रेजी o हिंदी			
फॉर्म भरने के लिए निर्देश किट देखें ।			
1 (क) कम्पनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या ( 	रित)		ण संख्या (एफसीआरएन)
(ख) कम्पनी की वैश्विक स्थल संख्या (जीएलएन)			
२ (क) कम्पनी का नाम			
(ख) कम्पनी के भारत में पंजीकृत कार्यालय अथव	ग कार्य के प्रमुख स्थ	ान का पता	
(🛛 ) कम्पनी की ई-मेल आईडी			
3 (क) आदेश निम्न द्वारा पारित किया □ या			
(ख) न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा किसी अ	न्य सक्षम प्राधिकारी	का नाम	
(0) स्थान			
(घ) याचिका अथवा आवेदन संख्या			
(ड.) आदेश संख्या			
4. आदेश पारित करने की तारीख	(दिन/माह/	वर्ष)	
5 (क) (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की जिस ६	••••		
(ii)कम्पनी अधिनियम,1956 की जिस धारा के त	-	-	
(ख) यदि कोई और हो तो उसका उल्लेख करें			

6. जितने दिनों के अंदर आदेश रजिस्ट्रार को दायर किया जाना हैं (उपर्युक्त भागों के अनुसरण में अथवा न्यायालय वे					
आदेश अथवा अधिकरण के आदेश और सक्षम प्राधिकारी के आदेश से , जैसी भी स्थिति हो, )					
7. आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी को आवेदन					
7. जादरा का प्रमाणित प्रांत जारा करन के लिए न्यायालय जयवा जायकरण जयवा संदाम प्रायकारा का जावदन प्रस्तुत करने की दिनांक:					
8. आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करने की तारीख					
9. रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने के लिए निर्धारित तिथि					
<ol> <li>10. □लतियां जोड़े जाने की स्थिति में प्ररूप 61 से सम्पूर्ण सर्विस अनुरोध संख्या (एसआरएन (एस)) ।</li> </ol>					
11. आमेलन की स्थिति में उल्लेख करें कि क्या फॉर्म भरने वाली कम्पनी अंतरण करने वाली कम्पनी है अथवा वर					
कम्पनी है जिसे अंतरण किया जा रहा है					
<ul> <li>अंतरण करने वाली कम्पनी</li> </ul>					
<ul> <li>कम्पनी जिसे अंतरण किया जा रहा है</li> </ul>					
(क) जिस कम्पनी को अंतरण किया जा रहा है					
उसका ब्यौरा					
सीआईएन (पूर्व पूरित)					
नाम					
आमेलन की निर्धारित दिनाँक (दिन/माह/वर्ष)					
(ख) अंतरण करने वाली कम्पनी (कम्पनियों) क					
ब्यौरा					
अंतरण करने वाली कम्पनी (कम्पनियों) की संख्या					
अंतरण करने वाली कम्पनी (कम्पनियों) की श्रेणी					
सीआईएन अथवा एफसीआरएन अथवा कोई और पंजीकरण संख्या					
नाम					
आमेलन की निर्धारित दिनाँक (दिन/माह/वर्ष)					
फोर्म आईएनसी.28 का एसआरएन					
अंतरण करने वाली कम्पनी (कम्पनियों) की श्रेणी					

नाम आमेल	न की निर्धारित दिनाँक
	आईएनसी.28 का एसआरएन
	। करने वाली कम्पनी (कम्पनियों) की श्रेणी
सीआई	एन अथवा एफसीआरएन अथवा कोई और पंजीकरण संख्या
नाम	
आमेल	न की निर्धारित तारीख (दिन/माह/वर्ष)
फोर्म 🕻	आईएनसी.28 का एसआरएन
/	
अंतरण	। करने वाली कम्पनी (कम्पनियों) की श्रेणी
सीआई	एन अथवा एफसीआरएन अथवा कोई और पंजीकरण संख्या
नाम	
आमेल	न की निर्धारित दिनाँक (दिन/माह/वर्ष)
फोर्म 🛛	आईएनसी.28 का एसआरएन
अंतरण	। करने वाली कम्पनी (कम्पनियों) की श्रेणी
सीआई	एन अथवा एफसीआरएन अथवा कोई और पंजीकरण संख्या
नाम	
आमेल	न की निर्धारित दिनाँक (दिन/माह/वर्ष)
फोर्म :	आईएनसी.28 का एसआरएन
	iद किए जाने के मामले में निम्न ब्यौरा दें

-

(ii) आय-कर स्थायी खाता संख्या (आय-कर पैन)	
(iii) परिसमापक का नाम	
(iv) परिसमापक का पता	
लाइन।	
लाइन ॥	
शहर	
राज्य	
देश	
पिन कोड	
(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 466 के अंतर्गत बंद किए जाने की प्रक्रिया पर रोक ल⊔ाए जाने की त	<del>n fi ia</del>
(ख) फन्पना जायानयन, 1558 को यारा 406 के जत्मत त बद किर जान को प्राक्रया पर राक लागर जान को त 	1419
(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 के अंतर्गत विघटन की तारीख	
(दिन/माह्र/वर्ष)	
(घ) (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 559 के अंतर्णत विघटन को शून्य करार दिए जाने की त 	गरीख
(ii) क्या आदेश कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के अंतर्णत विघटित की 🏽 ई कम्पनी के संबंध में है	
(iii) यदि हाँ तो उस अंतरण करने वाली कम्पनी का ब्यौरा दें जिसके विघटन को अमान्य करार दिया □या है	
सीआईएन अथवा एफसीआरएन (पूर्व पूरित)	
नाम	
आमेलन की तारीख	
(इ.) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 252 के अंतर्पत विघटन को शून्य करार दिए जाने की त	ारीख
(दिन/माह्/वर्ष)	

13. (क) संबंधित फॉर्म का एसआरएन -----(संबंधित फॉर्म के एसआरएन आईएनसी.22, आईएनसी.28, सीएचजी.1, सीएचजी.4, सीएचजी.9, एमजीटी.14 आदि का उल्लेख करें; यदि ला⊔ू हो) (ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66(1) के अंतर्गत विशेष संकल्प की तारीख ...... (दिन/माह/वर्ष) (🛛 ) संबंधित फॉर्म आईएनसी.23 अथवा सीएचजी.8 का एसआरएन, यदि लापू हो ...... 14. ∗क्या जुर्माना ल□ाया □ या है अथवा नहीं हाँ 0 नहीं 0 यदि हाँ तो जुर्माने के भ्यतान का एसआरएन ..... संलग्नक 1. \*न्यायालयके आदेश अथवा एनसीएलटी अथवा सीएलबी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा आदेश संलग्न करें 2. वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो संलग्न करें संलग्नकों की सूची संलग्नक हटाएं घोषणा मुझे तारीख \* ..... के संकल्प संख्या \* ..... के माध्यम से कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा

- इस फॉर्म अथवा इसके संलग्न दस्तावेजों में जो भी कहा 1 वा है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस फॉर्म से संबंधित कोई सूचना दबाई अथवा छुपाई नहीं 1 ई है और कम्पनी के पास उपल्ब्ध मूल रिकॉर्ड के अनुसार हैं ।
- 2. सभी आवश्यक संलग्नक इस फॉर्म के साथ पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में संलग्न किए 🛛 ए हैं ।

\*निम्नलिखित द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित किया जाना है..... \*फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले और फॉर्म प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा \*नाम 106

पद								
*पदनाम								
डीआईएन अ	ाथवा आय-कर पै	न अथवा सत	रस्यता संख्या					
			ध्यान आकर्षित	ा किया जाता है जिन	में क्रम	शिः झूठे	विवरण के लिए दंइ	5 और
	के लिए दंड का							
संशोधन व	ন্ট	फॉर्म जाँचें		पूर्व-जाँच		प्रस्तुत व	करें	
केवल कार्यालय के प्रयो⊔ के लिए :		लिए :	दायर किए जाव	ाने वाला ब्यौरा				
			संलग्न करें					
ई-फॉर्म सर्विस अनुरोध संख्या				(एस	आरएन)			
ई-फॉर्म दायर करने की तारीख(दिन/माह/वर्ष)								
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर								
यह ई-फॉर्म एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है								
यह ई-फॉर्म एतद्द्वारा रद्द किया जाता है (प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करें)								
हस्ताक्षरित किए जाने की तारीख								

[फाइल संख्या 01/09/2013 (भाग-l) सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

### New Delhi, the 31<sup>st</sup> March, 2014

**G.S.R. 250(E).--** In exercise of the powers conferred under section 3, section 4, sub-sections (5) and (6) of section 5, section 6, sub-section (1) and (2) of section 7, sub-section (1) and (2) of section 8, clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 11, sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 12, sub-sections (3), (4) and proviso to sub-section (5) of section 13, sub-section (2) of section 14, sub-section (1) of section 17, sub-section (1) and (2) of section 20 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

- 1. Short title and commencement.-
- (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the  $1^{st}$  day of April, 2014.
- 2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
  - (b) "Annexure" means the Annexure to these rules;
  - (c) "Form" or "e-Form" means a form in the electronic form or non-electronic form as specified under the Act or Rules made there under and notified by the Central Government under the Act;
  - (d) "Fees" means fees as specified in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014;
  - (e) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;
  - (f) "Section" means the section of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and said rules.

### 3. One Person Company.-

(1) Only a natural person who is an Indian citizen and resident in India-

- (a) shall be eligible to incorporate a One Person Company;
- (b) shall be a nominee for the sole member of a One Person
  - Company.

Explanation.- For the purposes of this rule, the term "resident in India" means a person who has stayed in India for a period of not less than one hundred and eighty two days during the immediately preceding one calendar year.

(2) No person shall be eligible to incorporate more than a One Person Company or become nominee in more than one such company.

(3) Where a natural person, being member in One Person Company in accordance with this rule becomes a member in another such Company by virtue of his being a nominee in that One Person Company, such person shall meet the eligibility criteria specified in sub rule (2) within a period of one hundred and eighty days.

(4) No minor shall become member or nominee of the One Person Company or can hold share with beneficial interest.

(5) Such Company cannot be incorporated or converted into a company under section 8 of the Act.

(6) Such Company cannot carry out Non-Banking Financial Investment activities including investment in securities of any body corporates.

(7) No such company can convert voluntarily into any kind of company unless two years have expired from the date of incorporation of One Person Company, except threshold limit (paid up share capital) is increased beyond fifty lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceeds two crore rupees.

### 4. Nomination by the subscriber or member of One Person Company.-

For the purposes of first proviso to sub-section (1) of section 3-

- (1) The subscriber to the memorandum of a One Person Company shall nominate a person, after obtaining prior written consent of such person, who shall, in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract, become the member of that One Person Company.
- (2) The name of the person nominated under sub-rule (1) shall be mentioned in the memorandum of One Person Company and such nomination in Form No INC.2 along with consent of such nominee obtained in Form No INC.3 and fee as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014 shall be filed with the Registrar at the time of incorporation of the company along with its memorandum and articles.

(3) The person nominated by the subscriber or member of a One Person Company may, withdraw his consent by giving a notice in writing to such sole member and to the One Person Company: Provided that the sole member shall nominate another person as nominee within fifteen days of the receipt

of the notice of withdrawal and shall send an intimation of such nomination in writing to the Company, along with the written consent of such other person so nominated in **Form No. INC.3.** 

- (4) The company shall within thirty days of receipt of the notice of withdrawal of consent under sub-rule (3) file with the Registrar, a notice of such withdrawal of consent and the intimation of the name of another person nominated by the sole member in Form No INC.4 along with fee as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014 and the written consent of such another person so nominated in Form No. INC.3.
- (5) The subscriber or member of a One Person Company may, by intimation in writing to the company, change the name of the person nominated by him at any time for any reason including in case of death or incapacity to contract of nominee and nominate another person after obtaining the prior consent of such another person in Form No **INC.3**:

Provided that the company shall, on the receipt of such intimation, file with the Registrar, a notice of such change in Form No INC.4 along with fee as provided in the **Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014** and with the written consent of the new nominee in Form No.INC.3 within thrity days of receipt of intimation of the change.

(6) Where the sole member of One Person Company ceases to be the member in the event of death or incapacity to contract and his nominee becomes the member of such One Person Company, such new member shall nominate within fifteen days of becoming member, a person who shall in the event of his death or his incapacity to contract become the member of such company, and the company shall file with the Registrar an intimation of such cessation and nomination in Form No INC.4 along with the fee as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014 within thirty days of the change in membership and with the prior written consent of the person so nominated in Form No.INC.3. 5. Penalty.-

If One Person Company or any officer of such company contravenes the provisions of these rules, One Person Company or any officer of the One Person Company shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and with a further fine which may extend to one thousand rupees for every day after the first during which such contravention continues.

#### 6. One Person Company to convert itself into a public company or a private company in certain cases.-

(1) Where the paid up share capital of an One Person Company exceeds fifty lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceeds two crore rupees, it shall cease to be entitled to continue as a One Person Company.

(2) Such One Person Company shall be required to convert itself, within six months of the date on which its paid up share capital is increased beyond fifty lakh rupees or the last day of the relevant period during which its average annual turnover exceeds two crore rupees as the case may be, into either a private company with minimum of two members and two directors or a public company with at least of seven members and three directors in accordance with the provisions of section 18 of the Act.

(3) The One Person Company shall alter its memorandum and articles by passing a resolution in accordance with sub-section (3) of section 122 of the Act to give effect to the conversion and to make necessary changes incidental thereto.

(4) The One Person Company shall within period of sixty days from the date of applicability of sub-rule (1), give a notice to the Registrar in **Form No.INC.5** informing that it has ceased to be a One Person Company and that it is now required to convert itself into a private company or a public company by virtue of its paid up share capital or average annual turnover, having exceeded the threshold limit laid down in sub-rule (1).

*Explanation*.-For the purposes of this rule,- "relevant period" means the period of immediately preceding three consecutive financial years;

(5) If One Person Company or any officer of the One Person Company contravenes the provisions of these rules, One Person Company or any officer of the One Person Company shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and with a further fine which may extend to one thousand rupees for every day after the first during which such contravention continues.

(6) A One Person company can get itself converted into a Private or Public company after increasing the minimum number of members and directors to two or minimum of seven members and two or three directors as the case may be, and by maintaining the minimum paid-up capital as per requirements of the Act for such class of company and by making due compliance of section 18 of the Act for conversion.

#### 7. Conversion of private company into One Person Company.-

(1) A private company other than a company registered under section 8 of the Act having paid up share capital of fifty lakhs rupees or less or average annual turnover during the relevant period is two crore rupees or less may convert itself into one person company by passing a special resolution in the general meeting.

(2) Before passing such resolution, the company shall obtain No objection in writing from members and creditors.

(3) The one person company shall file copy of the special resolution with the Registrar of Companies within thirty days from the date of passing such resolution in **Form No. MGT.14**.

(4) The company shall file an application in **Form No.INC.6** for its conversion into **One Person Company** along with fees as provided in in the **Companies** (**Registration offices and fees**) **Rules**, **2014**, by attaching the following documents, namely:-

(i) The directors of the company shall give a declaration by way of affidavit duly sworn in confirming that all members and creditors of the company have given their consent for conversion, the paid up share capital company is fifty lakhs rupees or less or average annual turnover is less than two crores rupees, as the case may be;

- (ii) the list of members and list of creditors;
- (iii) the latest Audited Balance Sheet and the Profit and Loss Account; and
- (iv) the copy of No Objection letter of secured creditors.

(5) On being satisfied and complied with requirements stated herein the Registrar shall issue the Certificate.

#### 8. Undesirable names.-

- (1) In determining whether a proposed name is identical with another, the differences on account of the following shall be disregarded-
  - (a) the words like Private, Pvt, Pvt., (P), Limited, Ltd, Ltd., LLP, Limited Liability Partnership;
  - (b) words appearing at the end of the names company, and company, co., co, corporation, corp, corpn, corp.;
  - (C) plural version of any of the words appearing in the name;
  - (d) type and case of letters, spacing between letters and punctuation marks;
  - (e) joining words together or separating the words does not make a name distinguishable from a name that uses the similar, separated or joined words;
  - (f) use of a different tense or number of the same word does not distinguish one name from another;
  - (g) using different phonetic spellings or spelling variations shall not be considered as distinguishing one name from another. Illustration (For example, P.Q. Industries limited is existing then P and Q Industries or Pee Que Industries or P n Q Industries or P & Q Industries shall not be allowed and similarly if a name contains numeric character like 3, resemblance shall be checked with 'Three' also;)
  - (h) misspelled words, whether intentionally misspelled or not, do not conflict with the similar, properly spelled words;
  - (i) the addition of an internet related designation, such as .com, .net, .edu, .gov, .org, .in does not make a name distinguishable from another, even where (.) is written as 'dot';
  - (j) the addition of words like New, Modern, Nav, Shri, Sri, Shree, Sree, Om, Jai, Sai, The, etc. does not make a name distinguishable from an existing name and similarly, if it is different from the name of the existing company only to the extent of adding the name of the place, the same shall not be allowed; such names may be allowed only if no objection from the existing company by way of Board resolution is submitted;
  - (k) different combination of the same words does not make a name distinguishable from an existing name, e.g., if there is a company in existence by the name of "Builders and Contractors Limited", the name "Contractors and Builders Limited" shall not be allowed unless it is change of name of existing company;
  - if the proposed name is the Hindi or English translation or transliteration of the name of an existing company or limited liability partnership in English or Hindi, as the case may be.
    - The name shall be considered undesirable, if-
      - (i) it attracts the provisions of section 3 of the Emblems and Names (Prevention and Improper Use) Act, 1950 (12 of 1950);
      - (ii) it includes the name of a registered trade mark or a trade mark which is subject of an application for registration, unless the consent of the owner or applicant for registration, of the trade mark, as the case may be, has been obtained and produced by the promoters;
      - (iii) it includes any word or words which are offensive to any section of the people;
  - (b) The name shall also be considered undesirable, if-
    - (i) the proposed name is identical with or too nearly resembles the name of a limited liability partnership;
    - (ii) it is not in consonance with the principal objects of the company as set out in the memorandum of association;

Provided that every name need not be necessarily indicative of the objects of the company, but when there is some indication of objects in the name, then it shall be in

(2) (a)

conformity with the objects mentioned in the memorandum;

- (iii) the company's main business is financing, leasing, chit fund, investments, securities or combination thereof, such name shall not be allowed unless the name is indicative of such related financial activities, viz., Chit Fund or Investment or Loan, etc.;
- (iv) it resembles closely the popular or abbreviated description of an existing company or limited liability partnership;
- (v) the proposed name is identical with or too nearly resembles the name of a company or limited liability partnership incorporated outside India and reserved by such company or limited liability partnership with the Registrar:

**Provided** that if a foreign company is incorporating its subsidiary company in India, then the original name of the holding company as it is may be allowed with the addition of word India or name of any Indian state or city, if otherwise available;

 (vi) any part of the proposed name includes the words indicative of a separate type of business constitution or legal person or any connotation thereof e.g. co-operative, sehkari, trust, LLP, partnership, society, proprietor, HUF, firm, Inc., PLC, GmbH, SA, PTE, Sdn, AG etc.;

*Explanation.*- For the purposes of this sub-clause, it is hereby clarified that the name including phrase **'Electoral Trust'** may be allowed for Registration of companies to be formed under section 8 of the Act, in accordance with the Electoral Trusts Scheme, 2013 notified by the Central Board of Direct Taxes (CBDT):

Provided that name application is accompanied with an affidavit to the effect that the name to be obtained shall be only for the purpose of registration of companies under Electoral Trust Scheme as notified by the Central Board of Direct Taxes;

- (vii) the proposed name contains the words 'British India';
- (viii) the proposed name implies association or connection with embassy or consulate or a foreign government;
- (ix) the proposed name includes or implies association or connection with or patronage of a national hero or any person held in high esteem or important personages who occupied or are occupying important positions in Government;
- (X) the proposed name is vague or an abbreviated name such as 'ABC limited' or '23K limited' or 'DJMO' Ltd: abbreviated name based on the name of the promoters will not be allowed. For example:- BMCD Limited representing first alphabet of the name of the promoter like Bharat, Mahesh, Chandan and David:

Provided that existing company may use its abbreviated name as part of the name for formation of a new company as subsidiary or joint venture or associate company but such joint venture or associated company shall not have an abbreviated name only e.g. Delhi Paper Mills Limited can get a joint venture or associated company as DPM Papers Limited and not as DPM Limited:

Provided further that the companies well known in their respective field by abbreviated names are allowed to change their names to abbreviation of their existing name after following the requirements of the Act;

(xi) the proposed name is identical to the name of a company dissolved as a result of liquidation proceeding and a period of two years have not elapsed from the date of such dissolution:

Provided that if the proposed name is identical with the name of a company which is struck off in pursuance of action under section 248 of the Act, then the same shall not be allowed before the expiry of twenty years from the publication in the Official Gazette being so struck off;

- (Xii) it is identical with or too nearly resembles the name of a limited liability partnership in liquidation or the name of a limited liability partnership which is struck off up to a period of five years;
- (Xiii) the proposed name include words such as 'Insurance', 'Bank', 'Stock Exchange', 'Venture Capital', 'Asset Management', 'Nidhi', 'Mutual fund' etc., unless a declaration is submitted by the applicant that the requirements mandated by the respective regulator, such as IRDA, RBI, SEBI, MCA etc. have been complied with by the applicant;

- (xiv) the proposed name includes the word "State", the same shall be allowed only in case the company is a government company;
- (XV) the proposed name is containing only the name of a continent, country, state, city such as Asia limited, Germany Limited, Haryana Limited, Mysore Limited;
- (xvi) the name is only a general one, like Cotton Textile Mills Ltd. or Silk Manufacturing Ltd., and not Lakshmi Silk Manufacturing Co. Ltd;
- (xvii) it is intended or likely to produce a misleading impression regarding the scope or scale of its activities which would be beyond the resources at its disposal:
- (xviii) the proposed name includes name of any foreign country or any city in a foreign country, the same shall be allowed if the applicant produces any proof of significance of business relations with such foreign country like Memorandum of Understanding with a company of such country:

Provided that the name combining the name of a foreign country with the use of India like India Japan or Japan India shall be allowed if, there is a government to government participation or patronage and no company shall be incorporated using the name of an enemy country. Explanation.- For the purposes of this clause, enemy country means so declared by the Central Government from time to time.

(3) If any company has changed its activities which are not reflected in its name, it shall change its name in line with its activities within a period of six months from the change of activities after complying with all the provisions as applicable to change of name.

(4) In case the key word used in the name proposed is the name of a person other than the name(s) of the promoters or their close blood relatives, No objection from such other person(s) shall be attached with the application for name. In case the name includes the name of relatives, the proof of relation shall be attached and it shall be mandatory to furnish the significance and proof thereof for use of coined words made out of the name of the promoters or their relatives.

(5) The applicant shall declare in affirmative or negative ( to affirm or deny ) whether they are using or have been using in the last five years , the name applied for incorporation of company or LLP in any other business constitution like Sole proprietor or Partnership or any other incorporated or unincorporated entity and if, yes details thereof and No Objection Certificate from other partners and associates for use of such name by the proposed Company or LLP, as the case may be, and also a declaration as to whether such other business shall be taken over by the proposed company or LLP or not .

(6) The following words and combinations thereof shall not be used in the name of a company in English or any of the languages depicting the same meaning unless the previous approval of the Central Government has been obtained for the use of any such word or expression-

(a) Board;

- (b) Commission;
- (c) Authority;
- (d) Undertaking;
- (e) National;
- (f) Union;
- (g) Central;
- (h) Federal;
- (i) Republic;
- (j) President;
- (k) Rashtrapati;
- (1) Small Scale Industries;
- (m) Khadi and Village Industries Corporation;
- (n) Financial, Corporation and the like;
- (o) Municipal;
- (p) Panchayat;
- (q) Development Authority;
- (r) Prime Minister or Chief Minister;
- (s) Minister;
- (t) Nation;
- (u) Forest corporation;
- (v) Development Scheme;
- (w) Statute or Statutory;

### (x) Court or Judiciary;

- (y) Governor;
- (z) the use of word Scheme with the name of Government (s), State, India, Bharat or any government authority or in any manner resembling with the schemes launched by Central, state or local Governments and authorities; and
- (za) Bureau
- (7) For the Companies under section 8 of the Act, the name shall include the words foundation, Forum, Association, Federation, Chambers, Confederation, council, Electoral trust and the like etc. Every company incorporated as a "Nidhi" shall have the last word 'Nidhi Limited' as part of its name.
- (8) The names released on change of name by any company shall remain in data base and shall not be allowed to be taken by any other company including the group company of the company who has changed the name for a period of three years from the date of change subject to specific direction from the competent authority in the course of compromise, arrangement and amalgamation.

#### 9. Reservation of name.-

An application for the reservation of a name shall be made in **Form No. INC.1** along with the fee as provided in the **Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014.** 

- 10. Where the articles contain the provisions for entrenchment, the company shall give notice to the Registrar of such provisions in Form No.INC.2 or Form No.INC.7, as the case may be, along with the fee as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014 at the time of incorporation of the company or in case of existing companies, the same shall be filed in Form No.MGT.14 within thirty days from the date of entrenchment of the articles, as the case may be, along with the fee as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014.
- **11.** The model articles as prescribed in Table F, G, H, I and J of Schedule I may be adopted by a company as may be applicable to the case of the company, either in totality or otherwise.

#### 12. Application for incorporation of companies.-

An application shall be filed, with the Registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated, in Form No.INC.2 (for One Person Company) and Form no. INC.7 (other than One Person Company) along with the fee as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014 for registration of a company:

#### 13. Signing of memorandum and articles.-

The Memorandum and Articles of Association of the company shall be signed in the following manner, namely:-

- (1) The memorandum and articles of association of the company shall be signed by each subscriber to the memorandum, who shall add his name, address, description and occupation, if any, in the presence of at least one witness who shall attest the signature and shall likewise sign and add his name, address, description and occupation, if any and the witness shall state that "I witness to subscriber/subscriber(s), who has/have subscribed and signed in my presence (date and place to be given); further I have verified his or their Identity Details (ID) for their identification and satisfied myself of his/her/their identification particulars as filled in"
- (2) Where a subscriber to the memorandum is illiterate, he shall affix his thumb impression or mark which shall be described as such by the person, writing for him, who shall place the name of the subscriber against or below the mark and authenticate it by his own signature and he shall also write against the name of the subscriber, the number of shares taken by him.
- (3) Such person shall also read and explain the contents of the memorandum and articles of association to the subscriber and make an endorsement to that effect on the memorandum and articles of association.
- (4) Where the subscriber to the memorandum is a body corporate, the memorandum and articles of association shall be signed by director, officer or employee of the body corporate duly authorized in this behalf by a resolution of the board of directors of the body corporate and where the subscriber is a Limited Liability Partnership, it shall be signed by a partner of the Limited Liability Partnership, duly authorized by a resolution approved by all the partners of the Limited Liability Partnership:

Provided that in either case, the person so authorized shall not, at the same time, be a subscriber to the memorandum and articles of Association.

- (5) Where subscriber to the memorandum is a foreign national residing outside India-
  - (a) in a country in any part of the Commonwealth, his signatures and address on the memorandum and articles of association and proof of identity shall be notarized by a Notary (Public) in that part of the Commonwealth.
  - (b) in a country which is a party to the Hague Apostille Convention, 1961, his signatures and address on the memorandum and articles of association and proof of identity shall be notarized before the Notary (Public) of the country of his origin and be duly apostillised in accordance with the said Hague Convention.

(c) in a country outside the Commonwealth and which is not a party to the Hague Apostille Convention, 1961, his signatures and address on the memorandum and articles of association and proof of identity, shall be notarized before the Notary (Public) of such country and the certificate of the Notary (Public) shall be authenticated by a Diplomatic or Consular Officer empowered in this behalf under section 3 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (40 of 1948) or, where there is no such officer by any of the officials mentioned in section 6 of the Commissioners of Oaths Act, 1889 (52 and 53 Vic.C.10), or in any Act amending the same;

(d) visited in India and intended to incorporate a company, in such case the incorporation shall be allowed if, he/she is having a valid Business Visa.

Explanation.- For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, in case of Person is of Indian Origin or Overseas Citizen of India, requirement of business Visa shall not be applicable.

### 14. Declaration by professionals.-

For the purposes of clause (b) of sub-section (1) of section 7, the declaration by an advocate, a Chartered Accountant, Cost accountant or Company Secretary in practice shall be in **Form No. INC.8**.

*Explanation (i)* "chartered accountant" means a chartered accountant as defined in clause (b) of sub section 1 of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949 (ii) "Cost Accountant" means a cost accountant as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 and (iii) "company secretary" means a "company secretary" or "secretary" means as defined in clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Company Secretaries Act, 1980.

# 15. Affidavit from subscribers and first directors.-

For the purposes of clause (c) of sub-section (1) of section 7, the affidavit shall be submitted by each of the subscribers to the memorandum and each of the first directors named in the articles in **Form No.INC.9** 

# 16. Particulars of every subscriber to be filed with the Registrar at the time of incorporation.

- (1) The following particulars of every subscriber to the memorandum shall be filed with the Registrar-
  - (a) Name (including surname or family name) and recent Photograph affixed and scan with MOA and AOA:
  - (b) Father's/Mother's/ name:
  - (c) Nationality:
  - (d) Date of Birth:
  - (e) Place of Birth (District and State):
  - (f) Educational qualification:
  - (g) Occupation:
  - (h) Income-tax permanent account number:
  - (i) Permanent residential address and also Present address (Time since residing at present address and address of previous residence address (es) if stay of present address is less than one year) similarly the office/business addresses :
  - (j) Email id of Subscriber;
  - (k) Phone No. of Subscriber;
  - (l) Fax no. of Subscriber (optional)

*Explanation.*- information related to (i) to (l) shall be of the individual subscriber and not of the professional *engaged in the incorporation of the company;* 

- (m) Proof of Identity:
  - For Indian Nationals:

PAN Card (mandatory) and any one of the following Voter's identity card

Passport copy

Driving License copy

Unique Identification N

- Unique Identification Number (UIN)
- For Foreign nationals and Non Resident Indians Passport
- (n) Residential proof such as Bank Statement, Electricity Bill, Telephone / Mobile Bill:

**Provided** that Bank statement Electricity bill, Telephone or Mobile bill shall not be more than two months old;

(o) Proof of nationality in case the subscriber is a foreign national.

- (p) If the subscriber is already a director or promoter of a company(s), the particulars relating to-
  - (i) Name of the company;
  - (ii) Corporate Identity Number;
  - (iii) Whether interested as a director or promoter;

(q) the specimen signature and latest photograph duly verified by the banker or notary shall be in the prescribed **Form No.INC.10.** 

- (2) Where the subscriber to the memorandum is a body corporate, then the following particulars shall be filed with the Registrar-
  - (a) Corporate Identity Number of the Company or Registration number of the body corporate, if any
  - (b) GLN, if any;
  - (c) the name of the body corporate
  - (d) the registered office address or principal place of business;
  - (e) E-mail Id;
  - (f) if the body corporate is a company, certified true copy of the board resolution specifying inter alia the authorization to subscribe to the memorandum of association of the proposed company and to make investment in the proposed company, the number of shares proposed to be subscribed by the body corporate, and the name, address and designation of the person authorized to subscribe to the Memorandum;
  - (g) if the body corporate is a limited liability partnership or partnership firm, certified true copy of the resolution agreed to by all the partners specifying *inter alia* the authorization to subscribe to the memorandum of association of the proposed company and to make investment in the proposed company, the number of shares proposed to be subscribed in the body corporate, and the name of the partner authorized to subscribe to the Memorandum;
  - (h) the particulars as specified above for subscribers in terms of clause (e) of sub- section (1) of section 7 for the person subscribing for body corporate;
  - (i) in case of foreign bodies corporate, the details relating to-
    - (i) the copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate; and (ii) the registered office address.

### 17. Particulars of first directors of the company and their consent to act as such.-

The particulars of each person mentioned in the articles as first director of the company and his interest in other firms or bodies corporate along with his consent to act as director of the company shall be filed in **Form No.DIR.12 along with** the fee as provided in the **Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014.** 

### 18. Certificate of incorporation.-

The Certificate of Incorporation shall be issued by the Registrar in Form No.INC.11.

19. License under section 8 for new companies with charitable objects etc.-

(1)A person or an association of persons (hereinafter referred to in this rule as "the proposed company"), desirous of incorporating a company with limited liability under sub-section (1) of section 8 without the addition to its name of the word "Limited", or as the case may be, the words "Private Limited", shall make an application in Form No.INC.12 along with the fee as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014 to the Registrar for a license under sub-section (1) of section 8.

### (2) The memorandum of association of the proposed company shall be in Form No.INC.13.

- (3) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the following documents, namely:—
  - (a) the draft memorandum and articles of association of the proposed company;
  - (b) the declaration in **Form No.INC.14** by an Advocate, a Chartered Accountant, Cost Accountant or Company Secretary in practice, that the draft memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder and that all the requirements of the Act and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 and matters incidental or supplemental thereto have been complied with;
  - (c) an estimate of the future annual income and expenditure of the company for next three years, specifying the sources of the income and the objects of the expenditure;
  - (d) the declaration by each of the persons making the application in Form No. INC.15.

### 20. License for existing companies.-

(1) A limited company registered under this Act or under any previous company law, with any of the objects specified in clause (a) of sub-section (1) of section 8 and the restrictions and prohibitions as mentioned respectively in clause (b) and (c) of that sub-section, and which is desirous of being registered under section 8, without the addition to its name of the

word "Limited" or as the case may be, the words "Private Limited", shall make an application in **Form No.INC.12** along with the fee as provided in the **Companies** (**Registration offices and fees**) **Rules**, **2014** to the Registrar for a licence under sub-section (5) of section 8.

(2) The application under sub-rule (1), shall be accompanied by the following documents, namely:-

- (a) the memorandum and articles of association of the company;
- (b) the declaration as given in **Form No.INC.14** by an Advocate, a Chartered accountant, Cost Accountant or Company Secretary in Practice, that the memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder and that all the requirements of the Act and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 and matters incidental or supplemental thereto have been complied with;
- (c) For each of the two financial years immediately preceding the date of the application, or when the company has functioned only for one financial year, for such year (i) the financial statements, (ii) the Board's reports, and (iii) the audit reports, relating to existing companies

(d) a statement showing in detail the assets (with the values thereof), and the liabilities of the company, as on the date of the application or within thirty days preceding that date;

(e) an estimate of the future annual income and expenditure of the company for next three years, specifying the sources of the income and the objects of the expenditure;

(f) the certified copy of the resolutions passed in general/-board meetings approving registration of the company under section 8; and

- (g) a declaration by each of the persons making the application in **Form No.INC.15.**
- (2) The company shall, within a week from the date of making the application to the Registrar, publish a notice at his own expense, and a copy of the notice, as published, shall be sent forthwith to the Registrar and the said notice shall be in **Form No. INC.26** and shall be published-
  - (a) at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district in which the registered office of the proposed company is to be situated or is situated, and circulating in that district, and at least once in English language in an English newspaper circulating in that district; and
  - (b) on the websites as may be notified by the Central Government.

(4) The Registrar may require the applicant to furnish the approval or concurrence of any appropriate authority, regulatory body, department or Ministry of the Central Government or the State Government(s).(5) The Registrar shall, after considering the objections, if any, received by it within thirty days from the date of publication of notice, and after consulting any authority, regulatory body, Department or Ministry of the Central Government or the State Government(s), as it may, in its discretion, decide whether the license

should or should not be granted.

- (6) The licence shall be in **Form No.INC.16**. or **Form No.INC.17**, as the case may be, and the Registrar shall have power to include in the licence such other conditions as may be deemed necessary by him.
- (7) The Registrar may direct the company to insert in its memorandum, or in its articles, or partly in one and partly in the other, such conditions of the license as may be specified by the Registrar in this behalf.

#### 21. Conditions for conversion of a company registered under Section 8 into a company of any other kind.

(1) A company registered under section 8 which intends to convert itself into a company of any other kind shall pass a special resolution at a general meeting for approving such conversion.

(2) The explanatory statement annexed to the notice convening the general meeting shall set out in detail the reasons for opting for such conversion including the following, namely:-

(a) the date of incorporation of the company;

(b) the principal objects of the company as set out in the memorandum of association;

(c) the reasons as to why the activities for achieving the objects of the company cannot be carried on in the current structure i.e. as a section 8 company;

(d) if the principal or main objects of the company are proposed to be altered, what would be the altered objects and the reasons for the alteration;

(e) what are the privileges or concessions currently enjoyed by the company, such as tax exemptions, approvals for receiving donations or contributions including foreign contributions, land and other immovable properties, if any, that were acquired by the company at concessional rates or prices or gratuitously and, if so, the market prices prevalent at the time of acquisition and the price that was paid by the company, details of any donations or bequests received by the company with conditions attached to their utilization etc.

(f) details of impact of the proposed conversion on the members of the company including details of any benefits that may accrue to the members as a result of the conversion.

(2) A certified true copy of the special resolution along with a copy of the Notice convening the meeting including the explanatory statement shall be filed with the Registrar in **Form No.MGT.14** along with the fee

- (3) The company shall file an application in Form No.INC.18 with the Regional Director with the fee along with a certified true copy of the special resolution and a copy of the Notice convening the meeting including the explanatory statement for approval for converting itself into a company of any other kind and the company shall also attach the proof of serving of the notice served to all the authorities mentioned in sub-rule (2) of rule 22.
- (4) A copy of the application with annexures as filed with the Regional Director shall also be filed with the Registrar.

# 22. Other conditions to be complied with by companies registered under section 8 seeking conversion into any other kind.-

- (1) The company shall, within a week from the date of submitting the application to the Regional Director, publish a notice at its own expense, and a copy of the notice, as published, shall be sent forthwith to the Regional Director and the said notice shall be in **Form No. INC.19** and shall be published-
  - (a) at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district in which the registered office of the company is situated, and having a wide circulation in that district, and at least once in English language in an English newspaper having a wide circulation in that district; and
  - (b) on the website of the company, if any, and as may be notified or directed by the Central Government.
  - (2) The company shall send a copy of the notice, simultaneously with its publication, together with a copy of the application and all attachments by registered post or hand delivery, to the Chief Commissioner of Income Tax having jurisdiction over the company, Income Tax Officer who has jurisdiction over the company, the Charity Commissioner, the Chief Secretary of the State in which the registered office of the company is situated, any organisation or Department of the Central Government or State Government or other authority under whose jurisdiction the company has been operating and if any of these authorities wish to make any representation to Regional Director, it shall do so within sixty days of the receipt of the notice, after giving an opportunity to the Company.
- (3) The copy of proof of serving such notice shall be attached to the application.

(4) The Board of directors shall give a declaration to the effect that no portion of the income or property of the company has been or shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend or bonus or otherwise to persons who are or have been members of the company or to any one or more of them or to any persons claiming through any one or more of them.

(4) Where the company has obtained any special status, privilege, exemption, benefit or grant(s) from any authority such as Income Tax Department, Charity Commissioner or any organisation or Department of Central Government, State Government, Municipal Body or any recognized authority, a "No Objection Certificate" must be obtained, if required under the terms of the said special status, privilege, exemption, benefit or grant(s) from the concerned authority and filed with the Regional Director, along with the application.

- (5) The company should have filed all its financial statements and Annual Returns upto the financial year preceding the submission of the application to the Regional Director and all other returns required to be filed under the Act up to the date of submitting the application to the Regional Director and in the event the application is made after the expiry of three months from the date of preceding financial year to which the financial statement has been filed, a statement of the financial position duly certified by chartered accountant made up to a date not preceding thirty days of filing the application shall be attached.
- (6) The company shall attach with the application a certificate from practicing Chartered Accountant or Company Secretary in practice or Cost Accountant in practice certifying that the conditions laid down in the Act and these rules relating to conversion of a company registered under section 8 into any other kind of company, have been complied with.
- (7) The Regional Director may require the applicant to furnish the approval or concurrence of any particular authority for grant of his approval for the conversion and he may also obtain the report from the Registrar

(8). On receipt of the application, and on being satisfied, the Regional Director shall issue an order approving the conversion of the company into a company of any other kind subject to such terms and conditions as may be imposed in the facts and circumstances of each case including the following conditions, namely;-

- (a) the company shall give up and shall not claim, with effect from the date its conversion takes effect, any special status, exemptions or privileges that it enjoyed by virtue of having been registered under the provisions of section 8;
- (b) if the company had acquired any immovable property free of cost or at a concessional cost from any government or authority, it may be required to pay the difference between the cost at which it acquired such property and the market price of such property at the time of conversion either to the government or to the authority that provided the immovable property;
- (C) any accumulated profit or unutilised income of the company brought forward from previous years shall be first utilized to settle all outstanding statutory dues, amounts due to lenders claims of creditors, suppliers, service

providers and others including employees and lastly any loans advanced by the promoters or members or any other amounts due to them and the balance, if any, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund within thirty days of receiving the approval for conversion;

(9) Before imposing the conditions or rejecting the application, the company shall be given a reasonable opportunity of being heard by the Regional Director

(10) On receipt of the approval of the Regional Director,

- (i) the company shall convene a general meeting of its members to pass a special resolution for amending its memorandum of association and articles of association as required under the Act consequent to the conversion of the section 8 company into a company of any other kind;
- (ii) the Company shall thereafter file with the Registrar.-

(a) a certified copy of the approval of the Regional Director within thirty days from the date of receipt of the order in **Form No.INC.20** along with the fee;

(b) amended memorandum of association and articles of association of the company.

(c) a declaration by the directors that the conditions, if any imposed by the Regional Director have been fully complied with.

(11). On receipt of the documents referred to in sub rule (10) above, the Registrar shall register the documents and issue the fresh Certificate of Incorporation.

#### 23. Intimation to Registrar of revocation of licence issued under section 8.-

Where the licence granted to a company registered under section 8 has been revoked, the company shall apply to the Registrar **in Form No.INC.20** along with the fee to convert its status and change of name accordingly.

# 24. Declaration at the time of commencement of business.-

The declaration filed by a director shall be in **Form No.INC.21** along with the fee as and the contents of the form shall be verified by a Company Secretary in practice or a Chartered Accountant or a Cost Accountant in practice:

Provided that in the case of a company requiring registration from sectoral regulators such as Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India etc, the approval from such regulator shall be required.

#### 25. Verification of registered office.-

(1) The verification of the registered office shall be filed in Form No.INC.22 along with the fee, and

(2) There shall be attached to said Form, any of the following documents, namely :-

- (a) the registered document of the title of the premises of the registered office in the name of the company; or
- (b) the notarized copy of lease or rent agreement in the name of the company along with a copy of rent paid receipt not older than one month;
- (c) the authorization from the owner or authorized occupant of the premises along with proof of ownership or occupancy authorization, to use the premises by the company as its registered office; and
- (d) the proof of evidence of any utility service like telephone, gas, electricity, etc. depicting the address of the premises in the name of the owner or document, as the case may be, which is not older than two months.

#### 26. Publication of name by company.-

The Central Government may as and when required, notify the other documents on which the name of the company shall be printed.

#### 27. Notice and verification of change of situation of the registered office.-

The notice of change of the situation of the registered office and verification thereof shall be filed in **Form No.INC.22** along with the fee and shall be attached to the said form, the similar documents and manner of verification as are specified for verification of Registered office on incorporation in terms of sub-section (2) of section 12.

### 28. Shifting of registered office within the same State.-

(1) An application seeking confirmation from the Regional Director for shifting the registered office within the same State from the jurisdiction of one Registrar of Companies to the jurisdiction of another Registrar of Companies, shall be filed by the company with the Regional Director in **Form no.INC.23** along with the fee.

(2) The company shall, not less than one month before filing any application with the Regional Director for the change of registered office.-

- (a) publish a notice, at least once in a daily newspaper published in English and in the principal language of that district in which the registered office of the company is situated and circulating in that district; and
- (b)

serve individual notice on each debenture holder, depositor and creditor of the company, clearly indicating the matter of application and stating that any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration of the memorandum may intimate his nature of interest and grounds of opposition to the

Regional Director with a copy to the company within twenty one days of the date of publication of that notice:

**Provided** that in case no objection is received by the Regional Director within twenty one days from the date of service or publication of the notice, the person concerned shall be deemed to have given his consent to the change of registered office proposed in the application:

**Provided** further that the shifting of registered office shall not be allowed if any inquiry, inspection or investigation has been initiated against the company or any prosecution is pending against the company under the Act.

#### 29. Alteration of Memorandum by change of name.-

- (1) The change of name shall not be allowed to a company which has defaulted in filing its annual returns or financial statements or any document due for filing with the Registrar or which has defaulted in repayment of matured deposits or debentures or interest on deposits or debentures.
- (2) An application shall be filed in **Form No.INC.24** along with the fee for change in the name of the company and a new certificate of incorporation in **Form No.INC.25** shall be issued to the company consequent upon change of name.

### 30. Shifting of registered office from one State or Union territory to another State.-

- (1) An application under sub-section (4) of section 13, for the purpose of seeking approval for alteration of memorandum with regard to the change of place of the registered office from one State Government or Union territory to another, shall be filed with the Central Government in **Form No. INC.23** along with the fee and shall be accompanied by the following documents, namely:-
  - (a) a copy of the memorandum and articles of association;
  - (b) a copy of the notice convening the general meeting along with relevant Explanatory Statement;
  - (c) a copy of the special resolution sanctioning the alteration by the members of the company;
  - (d) a copy of the minutes of the general meeting at which the resolution authorizing such alteration was passed, giving details of the number of votes cast in favor or against the resolution;
  - (e) an affidavit verifying the application;
  - (f) the list of creditors and debenture holders entitled to object to the application;
  - (g) an affidavit verifying the list of creditors;
  - (h) the document relating to payment of application fee;
  - (i) a copy of board resolution or Power of Attorney or the executed Vakalatnama, as the case may be.
  - (2) There shall be attached to the application, a list of creditors and debenture holders, drawn up to the latest practicable date preceding the date of filing of application by not more than one month, setting forth the following details, namely:-
    - (a) the names and address of every creditor and debenture holder of the company;
    - (b) the nature and respective amounts due to them in respect of debts, claims or liabilities:

**Provided** that the applicant company shall file an affidavit, signed by the Company Secretary of the company, if any and not less than two directors of the company, one of whom shall be a managing director, where there is one, to the effect that they have made a full enquiry into the affairs of the company and, having done so, have formed an opinion that the list of creditors is correct, and that the estimated value as given in the list of the debts or claims payable on a contingency or not ascertained are proper estimates of the values of such debts and claims and that there are no other debts of or claims against the company to their knowledge.

- (3) There shall also be attached to the application an affidavit from the directors of the company that no employee shall be retrenched as a consequence of shifting of the registered office from one state to another state and also there shall be an application filed by the company to the Chief Secretary of the concerned State Government or the Union territory
- (4) A duly authenticated copy of the list of creditors shall be kept at the registered office of the company and any person desirous of inspecting the same may, at any time during the ordinary hours of business, inspect and take extracts from the same on payment of a sum not exceeding ten rupees per page to the company.
- (5) There shall also be attached to the application a copy of the acknowledgment of service of a copy of the application with complete annexures to the Registrar and Chief Secretary of the State Government or Union territory where the registered office is situated at the time of filing the application.
- (6) The company shall at least fourteen days before the date of hearing-
  - (a) advertise the application in the **Form No.INC.26** in a vernacular newspaper in the principal vernacular language in the district in which the registered office of the company is situated, and at least once in English language in an English newspaper circulating in that district;

- (b) serve, by registered post with acknowledgement due, individual notice(s), to the effect set out in clause (a) on each debenture-holder and creditor of the company; and
- (c) serve, by registered post with acknowledgement due, a notice together with the copy of the application to the Registrar and to the Securities and Exchange Board of India, in the case of listed companies and to the regulatory body, if the company is regulated under any special Act or law for the time being in force.
- (7) Where any objection of any person whose interest is likely to be affected by the proposed application has been received by the applicant, it shall serve a copy thereof to the Central Government on or before the date of hearing.
- (8) Where no objection has been received from any of the parties, who have been duly served, the application may be put up for orders without hearing.
- (9.) Before confirming the alteration, the Central Government shall ensure that, with respect to every creditor and debenture holder who, in the opinion of the Central government, is entitled to object to the alteration, and who signifies his objection in the manner directed by the Central government, either his consent to the alteration has been obtained or his debt or claim has been discharged or has determined, or has been secured to the satisfaction of the Central Government.
- (10.) The Central Government may make an order confirming the alteration on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, and may make such order as to costs as it thinks proper:

Provided that the shifting of registered office shall not be allowed if any inquiry, inspection or investigation has been initiated against the company or any prosecution is pending against the company under the Act.

**31.** The certified copy of the order of the Central Government, approving the alteration of the memorandum for transfer of registered office of the company from one State to another, shall be filed in **Form No.INC.28** along with the fee as with the Registrar of the State within thirty days from the date of receipt of certified copy of the order.

#### 32. Change of objects for which money is raised through prospectus.

- (1) Where the company has raised money from public through prospectus and has any unutilised amount out of the money so raised, it shall not change the objects for which the money so raised is to be applied unless a special resolution is passed through postal ballot and the notice in respect of the resolution for altering the objects shall contain the following particulars, namely:-
  - (a) the total money received;
  - (b) the total money utilized for the objects stated in the prospectus;
  - (c) the unutilized amount out of the money so raised through prospectus,
  - (d) the particulars of the proposed alteration or change in the objects;
  - (e) the justification for the alteration or change in the objects;
  - (f) the amount proposed to be utilised for the new objects;
  - (g) the estimated financial impact of the proposed alteration on the earnings and cash flow of the company;
  - (h) the other relevant information which is necessary for the members to take an informed decision on the proposed resolution;
  - (i) the place from where any interested person may obtain a copy of the notice of resolution to be passed.
  - (2) The advertisement giving details of each resolution to be passed for change in objects which shall be published simultaneously with the dispatch of postal ballot notices to shareholders.
  - (3) The notice shall also be placed on the website of the company, if any.

#### 33. Alteration of articles.-

(1) For effecting the conversion of a private company into a public company or vice versa, the application shall be filed in Form No.INC.27 with fee.

(2) A copy of order of the competent authority approving the alteration, shall be filed with the Registrar in **Form No. INC.27** with fee together with the printed copy of the altered articles within fifteen days of the receipt of the order from the Central Government.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the term "competent authority" means, the Central Government.

#### 34. Copies of memorandum and articles, etc. to be given to members on request being made by them.-

A company shall on payment of fee, send a copy of each of the following documents to a member within seven days of the request being made by him-

- (1) the memorandum;
- (2) the articles;
- (3) every agreement and every resolution referred to in sub-section (1) of section 117, if and so far as they have not been embodied in the memorandum and articles.

#### 35. Service of documents.-

(1) A document may be served on a company or an officer thereof through electronic transmission.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the term, "electronic transmission" means a communication-

- (a) delivered by
  - (i) facsimile telecommunication or electronic mail when directed to the facsimile number or electronic mail address, respectively, which the company or the officer has provided from time to time for sending communications to the company or the officer respectively;
  - (ii) posting of an electronic message board or network that the company or the officer has designated for such communications, and which transmission shall be validly delivered upon the posting; or
  - (iii) other means of electronic communication,

in respect of which the company or the officer has put in place reasonable systems to verify that the sender is the person purporting to send the transmission; and

(b) that creates a record that is capable of retention, retrieval and review, and which may thereafter be rendered into clearly legible tangible form.

- (3) A document may be served on the Registrar or any member through electronic transmission.
- (4) For the purposes of sub-rule (3), the term, "electronic transmission" means a communication
  - (a) delivered by
    - (i) facsimile telecommunication or electronic mail when directed to the facsimile number or electronic mail address, respectively, which the Registrar or the member has provided from time to time for sending communications to the Registrar or the member respectively;
    - (ii) posting of an electronic message board or network that the Registrar or the member has designated for those communications, and which transmission shall be validly delivered upon the posting; or
    - (iii) other means of electronic communication,

in respect of which the Registrar or the member has put in place reasonable systems to verify that the sender is the person purporting to send the transmission, and

- (b) that creates a record that is capable of retention, retrieval and review, and which may thereafter be rendered into clearly legible tangible form.
- (5) For the purposes of sub-section (1) and (2) of section 20, "courier" means a document sent through a courier which provides proof of delivery.
- (6) In case of delivery by post, such service shall be deemed to have been effected- (i) in the case of a notice of a meeting, at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted; and (ii) in any other case, at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post.

# FORM NO. INC.1

[Pursuant to section 4(4) of The Companies Act, 2013 and pursuant to rule 8 & 9 of The Companies (Incorporation ) Rules 2014]



# Application for reservation of Name

	Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form.
1.	*Application for : Incorporating a new company (Part A, B, C) Changing the name of an existing company (Part B, C, D)
Par	t A: Reservation of name for incorporation of a new company
2.	Details of applicant (In case the applicant has been allotted DIN, then it is mandatory to enter such DIN)
	(a) *Director identification number (DIN) or Income tax Pre-Fill
	permanent account number (PAN) or passport number Verify Details
	(b) *First Name
	Middle Name
	*Surname (c) *Occupation Type o Self-employed o Professional o Homemaker o Student o Serviceman
	Area of occupation
	(d) Address *Line I
	Line II
	(e) *City
	(f) *State/Union territory
	If 'NA' selected, specify
	(g) *Pin Code
	(h) *ISO Country Code
	(i) Country
	(j) *e-mail Id
	(k) *Phone (with STD/ISD code)
	(m) Mobile (with Country code) -
	(I) Fax
3.	(a)*Type of company
	I Section 8 Company I Part I Company (Chapter XXI) I Producer Company I New Company (Others)
	(b) *State the class of proposed company
	Public Private Private (One Person Company)
	(c) *State the category of proposed company
	{Values: Company limited by shares, Company limited by guarantee, Unlimited company}
	(d) *State the sub-category of proposed company

{ <mark>\</mark>	/alues: Union Government company, State Government company, Non-Government company, Subsidiary of
	foreign company, Guarantee and association company)
<b>4</b> . *Na	me of the State/Union territory in which the proposed company is to be registered
5. *Nar	ne of the office of the Registrar of Companies in which the proposed company is to be registered
	ils of promoter(s) (In case the promoter(s) has been allotted DIN, then it is mandatory to enter such DIN)
*Enter	r the number of promoter(s)
١.	*Category
	{Values: Individual/company/foreign company/Company incorporated outside India/ body Corporate/ others}
	*DIN or Income-tax PAN or passport number or corporate identification number (CIN) or
	foreign commence sisteration number (FCDN) on
	any other registration number
	*Name
7. <b>*</b> Obj∉	ects of the proposed Company to be included in its MoA
8. *Part	iculars of proposed director(s)
	information of one director in case the proposed company is One Person Company or of two directors in case the
proposed	d company is a private company (other than producer company) or of three directors in case the proposed company is a
public co	ompany or of five directors in case the proposed company is a producer company)
*D	Director identification number (DIN)
N	lame
F	ather's Name
N	lationality Date of birth (DD/MM/YY)
	ncome tax permanent account number (PAN)
	assport number Voter identity card number
	adhaar number
	resent residential address
ſ	
9.	(a) *Whether the Promoters are carrying on any Partnership firm, sole proprietary or unregistered entity in
	the name as applied for <b>o</b> Yes <b>o</b> No
	(If yes, attach NOC from all owners/partners of such entity for use of such name)
	If yes, whether the business of such entity shall be taken over by the proposed Company
	If yes, whether the business of such entity shall be taken over by the proposed Company o Yes o No

(b) \*Whether the proposed name(s) contain(s) name of any person other than the promoter(s) or their close blood relatives o Yes o No

[If Yes, attach No objection certificate from such person(s)]

(c) \*Whether the proposed name(s) include(s) the name of relatives

o Yes o No (If Yes, attach proof of relation)

**10**\*Whether the proposed name is indicative of the object of the proposed company

o Yes o No

If yes, whether the proposed name is in consonance with the object of the proposed company

o Yes o No

#### Part B. Particulars about the proposed name(s)

**11.** \*Number of proposed names for the company

(Please give maximum six names in order of preference)

Proposed name	
Significance of key or coined word in the proposed name	
State the name of the vernacular language(s) if used in the proposed name	

12. \*Whether the proposed name is in resemblance with any class of Trade Marks Rules, 2002

#### o Yes o No

If Yes, Please specify the Class(s) of trade mark



**13.** \*Whether the proposed name(s) is/are based on a registered trademark or is subject matter of an application pending for registration under the Trade Marks Act.

Yes

No

If yes, furnish particulars of trade mark or application and the approval of the applicant or owner of the trademark

L

	<b>14.</b> In case the name is similar to any existing company or to the foreign holding company, specify name of such company and also attach copy of the No Objection Certificate by way of Board resolution (Duly attested by a Director of that company)
	a. Whether the name is similar to:
	existing Company
	b. In case of existing Company, provide CIN
	Pre fill
	c. Name of the Company
[	
-	<b>15</b> .(a) *Whether the proposed name includes the word such as Insurance, Bank, Stock Exchange, Venture Capital, Asset Management, Nidhi, or Mutual Fund etc.
	Yes No
	If Yes, whether the in-principle approval is received from <mark>(drop down: values- IRDA, RBI, SEBI, MCA, other)</mark> specify other
	o Yes o No (If yes, attach the approval or if No, attach the approval at the time of filing the Incorporation form)
	(b) *Whether the proposed name including the phrase 'Electoral trust'.
	Yes No
	[If Yes, attach the affidavit as per rule 8(2)(b)(vi)]
	Part C. Names requiring Central Government approval
	16. *State whether the proposed name(s) contain such word or expression for which the previous approval of
	Central Government is required.
	Yes
	No
	(If yes, this form shall be treated as an application to the Central Govt. for such approval and shall be
	dealt with accordingly)
	Part D. Reservation of name for change of name by an existing Company
	17. (a) *CIN of Company Pre-fill
	(b) Global Location Number(GLN) of Company
	18. (a) Name of Company
	(b) Address of the registered office of the Company

(c) email ID of the company

19. (a) \*State whether the change of name is due to direction received from the Central Government.

☑ Yes ☑ No (If yes, please attach a copy of such directions)

(b) \*Whether the proposed name is in accordance with the rule 8(8) and specific direction of the competent authority is attachedYesNo

(If 'Yes' selected, attach order of competent authority as required in Rule 8(8)

20.(a) \*Whether the change in name requires change in object of the company

🛛 Yes 🛛 🖓 No

(b) Reasons for change in name (in case of yes above, mention proposed objects of the company

# Attachments

# List of attachments

(	1) In case of change of name of an existing company,	Attach
	a copy of Board resolution;	
(2	2) If change of name is due to direction received from	
	the Central Government , then copy of such direction;	Attach
(3	3) In case the proposed name(s) are based on a registered	
	trademark or is a subject matter of an application pending	
	for registration under the Trade Marks Act, 1999, the	Attach
	approval of the owner of the trademark or the applicant	
	of such application for registration of Trademark;	
(4	4) Copy of Central Government's approval In case the	
	proposed name contains such word(s) or expression(s) for	Attach
	which the approval of Central Government is required,;	
(5	5) Proof of relation;	Attach
(6	6) In principle approval from the concerned regulator;	Attach
(7	7) NOC from the sole proprietor/partners/other associates;	Attach
(8	8) NOC from existing company,	Attach
(9	9) Copy of affidavit, in case proposed name including phrase	Attach
	'Electoral Trust'	
(2	10) Resolution of unregistered companies in case of	Attach

## Chapter XXI (Part I) companies;

(11) Order of competent authority as required in Rule 8(8)

- (12) NOC from such other persons as required in rule 8(4)
- (13) Optional attachment, if any.

Attach
Attach
Attach

**Remove Attachment** 

#### Declaration

I am a Promoter (proposed first subscriber) to the Memorandum of Association) and I am also authorized by other proposed promoter(s) and first subscriber(s) to sign and submit this application.

\*I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013, the rules thereunder and prescribed guidelines framed thereunder in respect of reservation of name, understood the meaning thereof and the proposed name(s) is /are in conformity thereof.

\*I have used the search facilities available on the portal of the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for checking the resemblance of the proposed name(s) with the companies and Limited Liability partnerships (LLPs) respectively already registered or the names already approved. I have also used the search facility for checking the resemblances of the proposed name(s) with registered trademarks and trade mark subject of an application under The Trade Marks Act, 1999 and other relevant search for checking the resemblance of the proposed name(s) to satisfy myself with the compliance of the provisions of the Act for resemblance of name and Rules thereof.

\*The proposed name(s) is/are not in violation of the provisions of Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 as amended from time to time.

\*The proposed name is not offensive to any section of people, e.g. proposed name does not contain profanity or words or phrases that are generally considered a slur against an ethnic group, religion, gender or heredity.

\*The proposed name(s) is not such that its use by the company will constitute an offence under any law for the time being in force.

I have complied with all the mandated requirements of the respective Act/regulator, such as IRDA, RBI, SEBI, MCA etc. (applicable only in case proposed name includes words like Insurance, Bank, Stock Exchange, Venture Capital, Asset Management, Nidhi, Mutual Fund, Finance, Investment, Leasing, Hire purchase etc. or any combination thereof).

\*To the best of my knowledge and belief, the information given in this application and its attachments thereto is correct and complete, and nothing relevant to this form has been suppressed.

I have been authorized by the Board of Directors resolution Number Dated

to sign and submit this application (for change of name).

\*I undertake to be fully responsible for the consequences in case the name is subsequently found to be in

thereof.

\*Designation

Company Secretary

\*To be digitally signed by

contravention of the provisions of section 4(2) and section 4(4) of The Companies Act, 2013 and rules thereto and I have also gone through and understood the provisions of section 4(5) (ii) (a) and (b) of The DSC BOX \*DIN or Income-tax PAN or passport number of the applicant or Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Note: Attention is drawn to the provisions of sections 7(5) and 7(6) which, inter-alia, provides that furnishing of any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

Modify For office use only :	Check Form	Prescrutiny Affix filing details	Submit
eForm Service request r	number (SRN)	eForm filing date	(DD/MM/YYYY)
Digital signature of the This e-Form is hereby ap			
This e-Form is hereby re	jected	Confirm Submission	
Date of signing		(DD/MM/YYYY)	
•		OR companies through electronic mode and	

Companies Act, 2013 and rules thereunder and fully declare myself responsible for the consequences

correctness given by the applicant and certification given by the practicing professional, in terms of the Name Availability Guidelines.

FORM NO. INC.2 One Person Company-
[Pursuant to section 3(1) and 7(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 4, 10, 12 and 15 of the Companies (Incorporation and Incidental) Rules, 2014] Application for Incorporation Hereita State
Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.
1. *Service Request Number (SRN) of Form INC.1
2. (a) Name of the company
(b) Type of Company is (c) Class of Company
(d) Category (e) Sub category
*(f) Whether the company is (Radio Button) Having share capital Not having share capital
3. (a) Name of the state/Union territory in which the company is to be registered
(b) Name of the office of the Registrar of Companies in which the company is to be registered
<ul> <li>4. *Whether the address for correspondence will be the address of Registered office of the Company</li> <li>□ Yes</li> <li>□ No</li> </ul>
I Address for correspondence till the date registered office of the company is established
*Line I
Line II
*City
*State/Union Territory * Pin code
*District
ISO Country code
Country
*Phone (with STD/ISD code) -
Fax
*email ID of the company
II (a) Address of the registered office of the company from the date of incorporation is
*Line I
Line II
*City
*State/Union Territory * Pin code
*District
ISO Country code
Country
*Phone (with STD/ISD code)
Fax
*email ID of the company

[भाग II—खण्ड 3(i)]

(b)." Registered Office is
Owned by Company     Owned by Director (Not taken on lease by company)
<ul> <li>Taken on Lease by company</li> <li>Owned by any other entity/ Person (Not taken on lease by company)</li> </ul>
(c) The full address of the police station under whose jurisdiction the registered office of the company is situated
Police station
Name * Address Line I
Line II
* City
* State
* Pin code
(d) *Particulars of the Utility Services Bill depicting the address of the Registered office (not older than two months)
5. *Capital structure of the company, in case of company having share capital
(a) Authorized capital of the company (in Rs.)
(i) Number of equity shares Nominal amount per equity share
Total amount of equity shares (in Rs.)
(ii) Number of preference shares Nominal amount per preference share
Total amount of preference shares (in Rs.)
(b) Subscribed capital of the company (in Rs.)
(i) Number of equity shares Nominal amount per equity share
Total amount of equity shares (in Rs.)
(ii) Number of preference shares Nominal amount per preference share
Total amount of preference shares (in Rs.)
6. *Main division of industrial activity of the company
Description of the main division
<ul> <li>Particulars of Promoter (first subscriber to the MOA)</li> <li>*Whether the promoter shall be the sole director of the company or Yes or No</li> </ul>
Director Identification number(DIN)
*Income-tax permanent account number (PAN)
*First Name Verify Details
Middle Name
*Surname
Family Name
* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name
KGender □ Male □ Female □ Transgender
*Nationality
*Educational qualification
*Occupation Type O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman
Area of occupation
Area of occupation Permanent Address
Area of occupation

# THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

*City						
*State/ Union Territor	-v		*Pi	n code		
ISO Country code	,					
Country						
						1
*Phone (with STD/ISE						
Mobile (with country o	code)	-				
Fax						
*email id						
*Whether present add	lress is same as	the permanen	nt address	🗆 Yes 🗆 No		
Present Address						
*Line I						
Line II						
*City	_					
* State/ Union Territo	ry			*Pin code		
*ISO Country code						
Country						
*Phone (with STD/ISE	Code)		7-			
Mobile (with country o	code)	-				1
Fax						J
email id						
	recent address			mont	-b(c)	
*Duration of stay at p			year(s)		.,	
If Duration of stay at	present address	is less than or	he year the	h address of previou	s residence	
*Proof of identity						
*Proof of identity *Residential Proof						
· _						
*Residential Proof	promoter of a compa	any(s), specify de	tails of such c	ompany(s) (In case dire	ctor or promoter in m	ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as	s an optional attac	hment)	ompany(s) (In case dire	ctor or promoter in m	ore than
*Residential Proof			hment)	ompany(s) (In case dire	tor or promoter in m	ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as	s an optional attac	hment)	ompany(s) (In case dire	ctor or promoter in m	ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as	s an optional attac	hment)	ompany(s) (In case dire	tor or promoter in m	ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as	s an optional attac	hment)	ompany(s) (In case dire	ctor or promoter in m	ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as Promoter	s an optional attac CIN	hment)	ompany(s) (In case dire	tor or promoter in m	ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as Promoter	s an optional attac CIN	hment)	ompany(s) (In case dire	ctor or promoter in m	ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as Promoter	s an optional attac CIN	hment)	ompany(s) (In case direc	ctor or promoter in m	ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as Promoter Promoter Promoter	s an optional attac CIN CIN	hment)		ctor or promoter in m	ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as Promoter Promoter Promoter	s an optional attac CIN CIN	hment)			ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as Promoter Promoter Promoter	s an optional attac CIN CIN	hment)			ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as Promoter Promoter Promoter	s an optional attac CIN CIN	hment)			ore than
*Residential Proof	h seperate sheet as Promoter Promoter Promoter	s an optional attac CIN CIN	hment)			ore than
*Residential Proof If already a director or p three companies, attack Director Name of the company Director Name of the company Director Name of the company *(a) Nomination	h seperate sheet as Promoter Promoter Promoter Promoter	s an optional attac CIN CIN		Pr	e-fill all	
*Residential Proof If already a director or p three companies, attack Director Name of the company Director Name of the company Director Name of the company (Director Name of the company Director (Director (Director) Name of the company (Director) (Direc	h seperate sheet as Promoter Promoter Promoter Promoter promoter promoter Promoter Promoter	cin cin cin cin cin cin cin cin cin cin	hment)	f association of ( <i>Sma</i> tion box) who shall	e-fill all all description box become the mem	x) do
*Residential Proof If already a director or p three companies, attack Director Name of the company Director Name of the company Director Name of the company I (Small description boo hereby nominate (Droo the company in the ev	h seperate sheet as Promoter Promoter Promoter Promoter promoter Promoter Promoter Promoter Promoter Promoter	cin cin cin cin cin cin cin cin cin cin	horandum o morandum o mall descrip	f association of (Sma tion box) who shall I declare that the n	e-fill all all description boo become the mem ominee is eligible	x) do aber of e for
*Residential Proof If already a director or p three companies, attack Director Name of the company Director Name of the company Director Name of the company (Director Name of the company Director (Director (Director) Name of the company (Director) (Direc	h seperate sheet as Promoter Promoter Promoter Promoter promoter Promoter Promoter Promoter Promoter Promoter	cin cin cin cin cin cin cin cin cin cin	horandum o morandum o mall descrip	f association of (Sma tion box) who shall I declare that the n	e-fill all all description boo become the mem ominee is eligible	x) do aber of e for
*Residential Proof If already a director or p three companies, attack Director Name of the company Director Name of the company Director Name of the company I (Small description boo hereby nominate (Droo the company in the ev	h seperate sheet as Promoter Promoter Promoter Promoter promoter Promo	cin cin cin cin cin cin cin cin cin cin	horandum o morandum o mall descrip	f association of (Sma tion box) who shall I declare that the n	e-fill all all description boo become the mem ominee is eligible	x) do aber of e for

[भाग II—खण्ड 3(i)]

*Income-tax permanent account number (PAN)
*First Name Verify Details
Middle Name
*Surname
Family Name
* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name
*Gender 🛛 Male 🗆 Female 🗆 Transgender
*Nationality *Date of Birth
*Place of Birth (District & State)
*Educational qualification
*Occupation Type O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman
Area of occupation
Permanent Address
*Line I
Line II
*City *State/ Union Territory *Pin code
ISO Country code
Country
*Phone (with STD/ISD code)
Mobile (with country code)
Fax
*email id
*Whether present address is same as the permanent address
Present Address
*Line I
Line II
*City
* State/ Union Territory *Pin code
*ISO Country code
Country
*Phone (with STD/ISD code) -
Mobile (with country code)
Fax
email id
*Duration of stay at present address year(s) month(s)
If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence
*Proof of identity
*Residential Proof
<ul> <li>(a) *Whether the Articles are entrenched or not <ul> <li>Yes</li> <li>No</li> <li>(If yes, entrenched Articles should be annexed thereto)</li> <li>(b) Number of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable</li> <li>Details of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable</li> </ul></li></ul>

# THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Sr.	Article	Conte	nt					
No.	Number							
NO.	Nullibei							
10. Par	ticulars of p	ayment of stamp du	ty					
(a) Sta	te or Union terr	itory in respect of which sta	2000					
	y is paid or to b						Pre-Fill	
(b) <sup>•</sup> W	hether stamp d	uty is to be paid electronica	ally through MCA21 syste	m	<ul> <li>Yes</li> </ul>	() N	lo 🔘 Not applicable	
(i) 0		duty to be paid						
	Type of docur Particular	ment/ s	Form 1NC.2		Memorandum of association	Arti	icles of association	
Amount	of stamp duty	to be paid (in Rs.)	1			tr		
	locument/	of stamp duty already paid Form 1	Memorandum of	-	Articles of		Others	1
	culars	Form	association		association		Others	
Total amou	nt of stamp	(		╡		_		
duty paid	(in Rs.)							
Mode of pay stamp duty	ment of			1,				
			L				J	
Name of ve Treasury o								
orany other	competent							
agency aut collect stan	horised to np duty or to							
sell stamp	papers or to							
to dispense								
vouchers o Governmer	n behalf of the							
Covenine								
Serial num	ber of							
embossing	or stamps or							
challan nur	er or treasury nber							
Registratio	n number of							
vendor								
Data of our	abase of							
Date of pur stamps or s	stamp paper or				l			1
(DD/MM/Y)	stamp duty							
(22:000	,							
Place of pu								
stamps or s	tamp paper of stamp duty							
	or stamp duty	I	I		I		I	
Attachn	nents							
		of Association						
2. *Ar	ticles of Ass	ociation				A	Attach	
		ity of the member ar				ļ	Attach	
		oof of the member a					Attach	
		card of member and						
		ominee in form INC.3					Attach	
		the subscriber and f in Form No. INC.9	ist Director to the			ŀ	Attach	
		ompanies (specifying	their (IN) having t	he	same	ļ	Attach	
		e address, if any;	, then erry having	ine	Sume	A	Attach	
		ature in Form INC.10	)				\ttach	
		cicles of Association				P	Attach	
		ered Office address				A	Attach	

	(Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent receipts)	Attach	
12.	Copies of the utility bills as mentioned above	A.L	
	(not older than two months)	Attach	
13.	Proof that the Company is permitted to use the address	Attach	
	as the registered office of the Company if the same is owned		
	by any other entity/Person (not taken on lease by company)	Attach	
	Consent from Director		
15.	Optional Attachment, if any	Attach	
	Declaration		
Ι			
all th the c	erson named in the articles as subscriber as well as the sole director of the c e requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder company and matters precedent or incidental thereto have been complied ed that: Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true,	in respect to with. It is fu	the registration of orther declared and
	information material to the subject matter of this form has been suppress the original records maintained by the promoters subscribing to the Me Articles of Association.	sed or conce morandum	ealed and is as per of Association and
2. 3.	All the required attachments have been completely, correctly and legibly at I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, company during the preceding five years;		
4.	I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach Act or any previous company law during the preceding five years;		, , ,
5.	I am not a director/promoter of any company which is defaulting in filing or return and/or any company which has been declared as vanishing company		tatements and annual
6.	I have also understood the provisions of sections 7(5), 7(6), 447, 448 and and understand that I shall be liable for punishment in terms of section 7(1 2013 in case of furnishing of false or incorrect information or for suppre- registration of captioned company.	5) and 7(6)	of the Companies Act,

Declaration
I
<ul> <li>, a person named in the articles as a * (<i>Drop down</i>) {Values: Director/Manager/Company Secretary} declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect to the registration of the company and matters precedent or incidental thereto have been complied with. I am authorized by the promoter subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association and the first director(s) to give this declaration and to sign and submit this Form. It is further declared and verified that</li> <li>1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.</li> <li>2. All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.</li> </ul>
*To be digitally signed by
* DSC BOX
*DIN of the director or DIN or Income tax PAN of
the manager or Membership number of the company secretary
Note: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, <i>inter-alia</i> , provides that furnishing of any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under section 447. Attention is also drawn to provisions of sections 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.
Modify Check Form Prescrutiny Submit
For office use only: Affix filing details
eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby registered
Digital signature of the authorising officer
Date of signing (DD/MM/YYYY)

FORM NO. INC.3	One Person Company -
[Pursuant to section 3(1) of the Companies Act, 2013 and pursuant to Rule 4 (2), (3), (4), (5) & (6) of the Companies (Incorporation ) Rules, 2014] सत्यमेव जयते	Nominee Consent Form
Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form.	
<ul> <li>(a) *SRN of Form INC.1 (In case of new company) or</li> <li>Corporate identity number (CIN) (In case of existing company)</li> <li>(b) Clabel location number (CIN)</li> </ul>	Pre-fill
(b) Global location number (GLN) 2. (a) Name of the One Person Company	
(b) Address of registered office of the company	
<ul> <li><b>3.</b> *Consent         <ul> <li>I (<i>Small description box</i>) hereby give my consent to become to event of death of (<i>Small description box</i>) subscriber/member of</li> <li><b>4.</b> Particulars of the nominee</li> </ul> </li> <li>Director Identification number(DIN)         <ul> <li>*Income-tax permanent account number (PAN)</li> <li>*First Name</li> </ul> </li> </ul>	
Middle Name *Surname Family Name	
* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name  *Gender Date Female Date of Dirth	
*Nationality *Date of Birth *Place of Birth (District & State) *Educational qualification *Cocupation Type O Self-employed O Professional O Homema Area of occupation Permanent Address *Line I	sker ØStudent ØServiceman
Line II  *City *State/ Union Territory ISO Country code	
Country *Phone (with STD/ISD code) - Mobile (with country code) Fax *email id	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

*Whether present address is same as the permanent address
Present Address
*Line I
Line II
*City
* State/ Union Territory     *Pin code
*ISO Country code
Country
*Phone (with STD/ISD code)
Mobile (with country code)
Fax
email id
*Duration of stay at present address year(s) month(s)
If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence
*Proof of identity
*Residential Proof
<b>Declaration</b> I do solemnly declare that I am an Indian citizen and resident in India and I have not been convicted of ar offence in connection with the promotion, formation or management of any company or LLP and have no been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act any previous company law or LLP Act in the last five years. I further declare that I am not a nominee in ar other One Person Company and I shall comply with the eligibility criteria specified in Rule 3(3) within the prescribed period. I understand that the person nominating me may withdraw my nomination without me
consent. To be physically signed by
Nominee
*Date
*Place
Enclosures 1. Copy of PAN card
2. Proof of identity
3. Residential Proof
Modify Check form
Note: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, <i>inter-alia</i> , provides that furnishing any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attra punishment for fraud under section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.
This is a non e-Form. User is required to fill the form electronically and duly signed copy shoul be attached with e-Form INC.2, INC.4 or INC.6, as the case may be.

	One Person Company –
FORM NO. INC.4	
[Pursuant to section 3(1) of the	Change in Member/
Companies Act, 2013 and Rule 4(4), (5) & (6) of the Companies (Incorporation )	
Rules 2014]	सत्यमेव जयते
Form language o English o Hindi	
Refer the instruction kit for filing the for	prm.
1. *This form is for	
<ul> <li>Notice of withdrawal of consent by</li> <li>Intimation about change in the na</li> <li>Intimation of cessation of membe</li> </ul>	ame of the nominee
<b>2.</b> *(a) Corporate identity number(CIN	N) of company Pre-fill
(b) Global Location Number of the c	company
<b>3.</b> (a) Name of One Person Company	
(b) Address of registered office of the company	
L	
(c) email Id of the company	
4. Notice of withdrawal of consent	t
Notice is hereby given that	
who was nominated as the nominee has withdrawn his/her consent vide	
which is	
attached herewith.	
5. Intimation about change in nom	nination
Notice is hereby given that	
, member of	
has nominated *	
vide intimation dated *	as his/her nominee in place of
who shall become the member of	of the company in the event of his/her death or his/her
	lares that the nominee is eligible for nomination within the
	es (Incorporation and Incidental) Rules 2014.
6. Intimation of cessation of member	
(a) Intimation is hereby given that	
has ceased to be the member of	
w.e.f.* due to *{ <mark>Dro</mark>	rop down - Values: Death of the member, Incapacity of member to
contract,	
change in ownership} and *	

-			
	*(Drop down: his/her nominee, the transferee) has become the sole member mentioned company.	of the ab	ove
	(b) *Whether the nominee is same (In case of change in ownership) o Yes o No		
7.	Intimation about the change of nominee		
	Further notice is given that *		
	*(Drop down - values: member, new member)		
	has nominated *		
	as his nominee w. e. f. who shall become the member of the cor	mpany in	
	the event of his/her death or incapacity to contract. He/she declares that the no		
	eligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies (Incorpor		
~	Incidental) Rules 2014.		
8.			
	Director Identification number(DIN)	Pre-Fill	
	*Income-tax permanent account number (PAN)	Verify Deta	ils
	*First Name	von j 20	
	Middle Name		
	*Surname		
	Family Name		I
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name		
	L *Gender 🛛 Male 🗆 Female 🗆 Transgender		
	*Nationality Date of Birth		
	*Place of Birth (District & State)		
	*Educational qualification		
		0 Servicemar	n
	Area of occupation		
	Permanent Address		
	*Line I		
	Line II		
	*City		
	*State/ Union Territory *Pin code		
	ISO Country code		
	Country		
	*Phone (with STD/ISD code)		
	Mobile (with country code)		
	Fax		1
	*email id		
	*Whether present address is same as the permanent address   Yes  No		
	Present Address		
	*Line I		-+
	Line II		
	* State/ Union Territory *Pin code		$\dashv$
	*ISO Country code		

# THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Country *Phone (v	ith STD/ISD code)
	th country code)
Fax	
email id	
*Duration	of stay at present address year(s) month(s)
	of stay at present address is less than one year then address of previous residence
*Proof of	dentity
*Resident	al Proof
Particula	rs of the new member
Director I	lentification number(DIN) Pre-Fill
*Income-	ax permanent account number (PAN)
*First Nar	Nerify Details
Middle Na	ne
*Surname	
Family Na	ne
* o Father	's Name o Mother's Name o Spouse's name
*Gender	Male - Female - Transgender
*Nationali	
	Birth (District & State)
*Occupati	nal qualification on Type   O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman
Area of oc	
Permane <u>n</u>	
*Line I	
Line II	
*City L	
	nion Territory *Pin code
ISO Count	ry code
Country	
	ith STD/ISD code)
-	th country code)
Fax	
*email id	procent address is same as the permanent address — Ves — No
whether	present address is same as the permanent address $\Box$ Yes $\Box$ No
Drocont A	
Present A	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

*City
* State/ Union Territory *Pin code
*ISO Country code
Country
*Phone (with STD/ISD code) -
Mobile (with country code)
Fax
email id
*Duration of stay at present address year(s) month(s)
If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence
*Proof of identity
*Residential Proof
Attachment(s)
(1) *Consent of the nominee in Form No. INC.3
(2) *Copy of PAN card of the new nominee and/or new member Attach
(3) Proof of identity of the new hommee and/of new member
(4) *Residential proof of the new nominee and/or new member (5) Nation of with drawal of exposent filed by the nominee
(5) Notice of withdrawal of consent filed by the nominee (c) Convert of intimation given by member for sharpe in particles. Attach
(6) Copy of intimation given by member for change in nominee
(7) Proof of Cessation of member (0) Ortigonal attach
(8) Optional attachment(s) - if any.
*To be digitally signed by member DSC BOX
*Income-tax PAN or Director identification number of the member
To be digitally signed by Director
Director identification number of the director; or
DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or
Membership number of company secretary
Membership humber of company secretary
Note: Attention is drawn to provisions of sections 448 and 449 which provide for
punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.
Modify Check Form Prescrutiny Submit
This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on
the basis of statement of correctness given by the company

Form language o English o Hindi         Refer the instruction kit for filing the form.         1. (a) *Corporate identity number (CIN) of the company         (b) Global location number (GLN)         2. (a) Name of the company         (b) Address of registered office of the company         (c) email Id of the company         (c) email Id of the company         (c) email Id of the company         (d) *Which of the following has exceeded beyond the threshold limit         0 * Obtic on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit         0 * Obta on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit         5. 1*         1. 1*       Cortificate from a Charteron/Manager or Company Secretary or CEO or CEO) of the one person company thereby affirm in the paid up share capital of the company as exceeded fifty lakh upgess or its average annual turnover during the top down (values: directon/Manager or Company Secretary or CEO or CEO) of the one person company thereby affirm in the paid up share capital of the conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act;         1. * * Copy of board resolution authorizing giving of notice;       Attach         2. * * Copy of board resolution authorizing giving of notice;       Attach         3. * Cortificate from a Chartered Accountant in practic for calculation of the average annual turnover during the relevant period nase cor	[Pursuant to Rule 6(4) of the Compa (Incorporation ) Rules, 2014]	C.5 mies		Intimation of threshold	fexceeding	
Refer the instruction kit for filing the form.         1. (a) *Corporate identity number (CIN) of the company       Pre-Fili         (b) Global location number (GLN)       Pre-Fili         2. (a) Name of the company       (b) Address of registered office of the company         (b) Address of registered office of the company       (c) email Id of the company         (c) email Id of the company       (c) email Id of the company         3. Date of incorporation of the one person company       (c)         4. (a) *Which of the following has exceeded beyond the threshold limit       o Paid up share capital of Average annual turnover         (c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit       (c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the following hase exceeded two corres rupes, the company Secretary or CEO or CEO or GEO of the one person company hereby affirm the forgo down (values: director/Manager or Company Secretary or CEO or GEO or for the one person company hereby affirm the store graving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act;         1. * Copy of board resolution authorizing giving of notice;       Attach         2. * Copy of beard resolution authorizing giving of notice;       Attach         3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basi of such criteria;       Attach			- सन्दापेन जराने			
1. (a) *Corporate identity number (CIN) of the company       Pre-Fill         (b) Global location number (GLN)       Pre-Fill         2. (a) Name of the company       (c)         (b) Address of registered office of the company       (c)         (c) email Id of the company       (c)         (c) email Id of the company       (c)         (c) email Id of the company       (c)         (a) *Which of the following has exceeded beyond the threshold limit       (c) email dup share capital o Average annual turnover         (b) *Anount exceeding beyond the threshold limit       (c)       • Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit         (c) *Date on which the paid up share capital of the capitoned company has exceeded fify lakh rupees or its average annual turnover duffirm to As the paid up share capital of the capitoned company has exceeded ify lakh rupees or its average annual turnover duffirm to As the paid up share capital of the capitoned company has exceeded ify lakh rupees or its average annual turnover duffirm to As the paid up share capital of the capitoned company has exceeded ify lakh rupees or its average annual turnover duffirm to As the paid up share capital of the converted into a private company or public company, as the case may be, has exceeded intershold incoments         7. If Copy of board resolution authorizing giving of notic;       Attach         8. Copy of the duly attacted latest financial statement;       Attach         9. Optional attachment(s), if any.		he form				
(b) Global location number (GLN) 2. (a) Name of the company (b) Address of registered office of the company (c) email Id of the company (c) email Id of the company (c) email Id of the company 3. Date of incorporation of the one person company 4. (a) *Which of the following has exceeded beyond the threshold limit o Paid up share capital o Average annual turnover (b) *Anounce exceeding beyond the threshold limit (c) email Id of the can which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit (c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit (c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit (c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit (c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover during relevant period has exceeded two core rupes, the company has cased to be a one person company in and consequently company is required to be converted into a private company or public company, as the case may be. Necessary steps are b taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act; <b>Matechannets</b> 1. *Copy of board resolution authorizing giving of notice; 2. *Copy of board resolution authorizing giving of notice; 3. *Copy of board resolution authorizing giving of notice; 3. *Copy of board resolution authorizing giving of notice; 3. *Copy of board resolution authorizing giving of notice; 3. *Copy of the duly attested latest financial statement; 3. *Copy of the duly attested haves for such contents in a private perid in case of conversion is on the basi	Kerer the list detion kit for filling t	ne torm.				
2. (a) Name of the company (b) Address of registered office of the company (c) endited of the company	1. (a) *Corporate identity number	(CIN) of the compa	ny		Pre-Fill	
(b) Address of registered office of the company         (c) email Id of the company         (a) "Which of the following has exceeded beyond the threshold limit         (a) "Which of the following has exceeded beyond the threshold limit         (c) "Data or which the paid up share capital or Average annual turnover         (b) "Amount exceeding beyond the threshold limit         (c) "Data on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit         (c) "Data on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit         (c) "Data on which the paid up share capital or average or Company Secretary or CEO or CEO) of the one person company hereby affirm 1         As the paid up share capital of the capioned company has exceeded fifty lakh ruppes or its average annual turnover during relevant period has exceeded two crore ruppes, the company as the case may be, hecessary steps are b taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act; titachments         1. "Copy of bead resolution authorizing giving of notice;       Attach         2. "Copy of the duly attested latest financial statement;       Attach         3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;       Attach         4. Optional attachment(s), if any.       Declaration       Attach <t< td=""><td>(b) Global location number (GL</td><td>.N)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	(b) Global location number (GL	.N)				
(b) Address of registered office of the company         (c) email Id of the company         (a) "Which of the following has exceeded beyond the threshold limit         (a) "Which of the following has exceeded beyond the threshold limit         (c) "Data or which the paid up share capital or Average annual turnover         (b) "Amount exceeding beyond the threshold limit         (c) "Data on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit         (c) "Data on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit         (c) "Data on which the paid up share capital or average or Company Secretary or CEO or CEO) of the one person company hereby affirm 1         As the paid up share capital of the capioned company has exceeded fifty lakh ruppes or its average annual turnover during relevant period has exceeded two crore ruppes, the company as the case may be, hecessary steps are b taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act; titachments         1. "Copy of bead resolution authorizing giving of notice;       Attach         2. "Copy of the duly attested latest financial statement;       Attach         3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;       Attach         4. Optional attachment(s), if any.       Declaration       Attach <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
(c) email Id of the company         3. Date of incorporation of the one person company         (a) "Which of the following has exceeded beyond the threshold limit         o Paid up share capital - 0 Average annual turnover         (b) *Amount exceeding beyond the threshold limit         (c) Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit         (c) Date on which the paid of the captioned company has exceeded fifty lakh rupces or its average annual turnover drifts the following effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act;         Attach         1. "Copy of board resolution authorizing giving of notice;         2. "Copy of the duly attested latest financial statement;         3. Optional attachment(s), if any.         1. "Copy of the duly attested latest financial statement;         3. Optional attachment(s), if any.         1. "To be digitally signed by         Declaration         1. "To be digitally signed by         Designation         9. Director identification number of the director; or Dinory is not the companies Act, 2013 and the rules made threuments is correct and complete.         **To be digitally signed by         Designation         0. Director identification number of the director; or Din or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the director; or Din or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
3. Date of incorporation of the one person company 4. (a) *Which of the following has exceeded beyond the threshold limit <ul> <li>o Paid up share capital or Average annual turnover</li> <li>(b) *Amount exceeding beyond the threshold limit</li> <li>(c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit</li> <li>(c) *Date on which the paid up share capital of a verage annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit</li> <li>5. I *</li> <li>(deop down) (values: director/Manager or Company Secretary or CEO or CFO) of the one person company hereby affirm 1</li> <li>As the paid up share capital of the captioned company has exceeded fifty lakh rupees or its average annual turnover during relevant period has exceeded two crore rupees, the company or public company, as the case may be. Necessary steps are b taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act;</li> <li><b>Xttachments</b></li> <li>Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;</li> <li>Coptional attachment(s), if any.</li> </ul> I* Copy of be digitally signed by Declaration I* To be digitally signed by Designation	(b) Address of registered office of	of the company				
3. Date of incorporation of the one person company 4. (a) *Which of the following has exceeded beyond the threshold limit <ul> <li>o Paid up share capital or A verage annual turnover</li> <li>(b) *Amount exceeding beyond the threshold limit</li> <li>(c) *Date on which the paid up share capital or a verage annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit</li> <li>(c) *Date on which the paid up share capital of the captioned company Secretary or CEO or CFO) of the one person company hereby affirm 1</li> <li>the drop down values: director/Manager or Company Secretary or CEO or CFO) of the one person company, hereby affirm 1</li> <li>the drop down values: director/Manager or Company Secretary or CEO or CFO) of the one person company, and consequently company is required to be converted into a private company or public company, as the case may be. Necessary steps are be taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act;</li> <li><b>Xtachments</b></li> <li>Copy of board resolution authorizing giving of notice;</li> <li>Copy of board resolution authorizing giving of notice;</li> <li>Copy of the duly attested latest financial statement;</li> <li>Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;</li> <li>Optional attachment(s), if any.</li> </ul> <b>Peclaration Peclaration</b> I <b>Copy and the Companies Act</b> 2013 and the rules made thereunder have been complied with. To the best of my knowle and belief, the information given in this application and its attachments is correct and complete. <b>*To be digitally signed by</b> Designation Discretor identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company Secretary Note: Attention is draw provisions of Section 448 and 449 which provide						
3. Date of incorporation of the one person company 4. (a) *Which of the following has exceeded beyond the threshold limit <ul> <li>o Paid up share capital or Average annual turnover</li> <li>(b) *Amount exceeding beyond the threshold limit</li> <li>(c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit</li> <li>(c) *Date on which the paid up share capital of a verage annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit</li> <li>5. I *</li> <li>(deop down) (values: director/Manager or Company Secretary or CEO or CFO) of the one person company hereby affirm 1</li> <li>As the paid up share capital of the captioned company has exceeded fifty lakh rupees or its average annual turnover during relevant period has exceeded two crore rupees, the company or public company, as the case may be. Necessary steps are b taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act;</li> <li><b>Xttachments</b></li> <li>Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;</li> <li>Coptional attachment(s), if any.</li> </ul> I* Copy of be digitally signed by Declaration I* To be digitally signed by Designation						
4. (a) *Which of the following has exceeded beyond the threshold limit       • Paid up share capital o Average annual turnover         (b) *Amount exceeding beyond the threshold limit       • Paid on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit         (c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit         5. 1*       • Choose on which the paid up share capital of the captioned company has exceeded fifty lakh rupees or its average annual turnover during relevant period has exceeded two core rupees, the company has ceased to be a one person company; and consequently company is required to be converted into a private company on public company, as the case may be. Necessary steps are baken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act;         Attachments       • Copy of the duly attested latest financial statement;         3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;       Attach         4. Optional attachment(s), if any.       Itach       Attach         1*       Declaration       . declare that al requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder have been complied with. To the best of my knowle and belief, the information given in this application and its attachments is correct and complete.       • To be digitally signed by         Descingnation       DSC BOX       • Dincetor	(c) email Id of the company					
4. (a) *Which of the following has exceeded beyond the threshold limit o Paid up share capital o Average annual turnover (b) *Amount exceeding beyond the threshold limit (c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit 5. 1* The drop down walkes: director/Manager or Company Secretary or CEO or CFO) of the one person company hereby affirm in As the paid up share capital of the captioned company has exceeded fifty lakh rupees or its average annual turnover during relevant period has exceeded two crore rupees, the company has cased to be a one person company; and consequently company is required to be converted into a private company or public company, as the case may be. Necessary steps are b taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act; Attachents 1. *Copy of the duly attested latest financial statement; 3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria; 4. Optional attachment(s), if any. Declaration 1.* To be digitally signed by Designation Designation DSC BOX •Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company Secretary Swet: Attention is drawn provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for revidence respectively. Modify Check Form Prescrutiny Submit	B Date of incorporation of the one	person company				
<ul> <li>o Paid up share capital o Average annual turnover</li> <li>(b) *Amount exceeding beyond the threshold limit</li> <li>(c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit</li> <li>5. 1*</li> <li>the drop down) (values: director/Manager or Company Secretary or CEO or CFO) of the one person company hereby affirm in As the paid up share capital of the captioned company has exceeded fity lakh rupees or its average annual turnover during relevant period has exceeded two crore rupees, the company has exceeded fity lakh rupees or its average annual turnover during trelevant period has exceeded two crore rupees, the company as the case may be. Necessary steps are b taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act;</li> <li><b>Xtachments</b> <ol> <li>*Copy of the duly attested latest financial statement;</li> <li>Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;</li> <li>Optional attachment(s), if any.</li> </ol> </li> <li><b>Declaration</b> <ol> <li>*To be digitally signed by </li> <li>Designation</li></ol></li></ul>	-				1	
(b) *Amount exceeding beyond the threshold limit (c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit (c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit (c) *Date on which the paid up share capital of the captioned company Secretary or CEO or CFO) of the one person company hereby affirm 1 (c) *Date on which the paid up share capital of the captioned company Secretary or CEO or CFO) of the one person company hereby affirm 1 (c) *Date on which the paid up share capital of the captioned company has exceeded fifty lakh rupees or its average annual turnover during relevant period has exceeded two crore rupees, the company on public company, as the case may be. Necessary steps are be taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act; <b>Xtachments</b> 1. *Copy of board resolution authorizing giving of notice; 2. *Copy of board resolution authorizing giving of notice; 3. *Copy of the duly attested latest financial statement; 3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria; 4. Optional attachment(s), if any. Declaration 1* requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder have been complied with. To the best of my knowle and belief, the information given in this application and its attachments is correct and complete. *To be digitally signed by Designation Decision for the Company Secretary Note: Attention is drawn provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for evidence respectively. Modify Check Form Prescrutiny Submit Thi						
(c) *Date on which the paid up share capital or average annual turnover of the company, as the case may be, has exceeded threshold limit          5. 1*						
threshold limit  The control of the company secretary or CEO or CEO) of the one person company hereby affirm in the paid up share capital of the captioned company has exceeded fifty lakh rupees or its average annual turnover during relevant period has exceeded two crore rupees, the company has ceased to be a one person company; and consequently company is required to be converted into a private company or public company, as the case may be. Necessary steps are be taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act;  Attachments  Attach			erage annual turnove	r of the company, a	s the case may be, has excee	eded
the drop down) (values: director/Manager or Company Secretary or CEO or CFO) of the one person company hereby affirm As the paid up share capital of the captioned company has exceeded fifty lakh rupes or its average annual turnover during relevant period has exceeded two crore rupees, the company has ceased to be a one person company; and consequently company is required to be converted into a private company or public company, as the case may be. Necessary steps are be taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act; <b>Xttachments</b> 1. *Copy of board resolution authorizing giving of notice; 2. *Copy of the duly attested latest financial statement; 3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria; 4. Optional attachment(s), if any. <b>Declaration</b> I*						
the drop down (values: director/Manager or Company Secretary or CEO or CFO) of the one person company hereby affirm. As the paid up share capital of the captioned company has exceeded fifty lakh rupes or its average annual turnover during relevant period has exceeded two crore rupees, the company has ceceade to be a one person company; and consequently company is required to be converted into a private company or public company, as the case may be. Necessary steps are be taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act; <b>Xtachments</b> 1. *Copy of board resolution authorizing giving of notice; 2. *Copy of the duly attested latest financial statement; 3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria; 4. Optional attachment(s), if any. <b>Declaration</b> I*	T *					
As the paid up share capital of the captioned company has exceeded fifty lakh rupees or its average annual turnover during relevant period has exceeded two crore rupees, the company has ceased to be a one person company; and consequently company is required to be converted into a private company or public company, as the case may be. Necessary steps are be taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act; <b>Xtachments</b> 1. *Copy of the duly attested latest financial statement; 3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria; 4. Optional attachment(s), if any. <b>Declaration</b> 1*  1* <b>Declaration</b> 1* <b>Declaration Declaration </b>		r/Manager or Comp	any Secretary or CE	$\frac{1}{2}$ or CEO) of the or	e person company hereby aff	firm
relevant period has exceeded two crore rupees, the company has ceased to be a one person company; and consequently company is required to be converted into a private company or public company, as the case may be. Necessary steps are b taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act;  Attach  Attac						
taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act;  Attachments  I. *Copy of the duly attested latest financial statement;  Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;  Optional attachment(s), if any.  Declaration  I*						
Attachments         1. *Copy of board resolution authorizing giving of notice;         2. *Copy of the duly attested latest financial statement;         3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;         4. Optional attachment(s), if any.         Declaration         I*	company is required to be conv	verted into a private				
1. *Copy of board resolution authorizing giving of notice;       Attach         2. *Copy of the duly attested latest financial statement;       Attach         3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;       Attach         4. Optional attachment(s), if any.       Attach         1*				company, as the cas		are b
<ul> <li>2. *Copy of the duly attested latest financial statement;</li> <li>3. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;</li> <li>4. Optional attachment(s), if any.</li> </ul> <b>Declaration</b> 1*	taken for giving effect to such co			company, as the cas		are b
of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria;       Attach         4. Optional attachment(s), if any.       Attach         Declaration         I*	taken for giving effect to such co Attachments	onversion in accord	ance with the provis	company, as the cas		are b
of conversion is on the basis of such criteria;       Attach         4. Optional attachment(s), if any.       Attach         Declaration         I*	taken for giving effect to such co Attachments 1. *Copy of board resolution	onversion in accord authorizing giving	ance with the provis of notice;	company, as the cas	ad with section 122 of the Ad	are b
4. Optional attachment(s), if any.       Attach         Declaration         I*	taken for giving effect to such or <b>Attachments</b> 1. *Copy of board resolution 2. *Copy of the duly attested 3. Certificate from a Chartered	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation	company, as the cas	ad with section 122 of the Ad	are b
Declaration         I*	<ul> <li>taken for giving effect to such or</li> <li>Attachments <ol> <li>*Copy of board resolution</li> <li>*Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turnor</li> </ol> </li> </ul>	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation	company, as the cas	ad with section 122 of the Ad Attach Attach	are b
I*	<ul> <li>taken for giving effect to such or</li> <li>Attachments <ol> <li>Copy of board resolution</li> <li>Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turnor of conversion is on the base</li> </ol> </li> </ul>	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria;	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation	company, as the cas	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach	are b
requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder have been complied with. To the best of my knowle and belief, the information given in this application and its attachments is correct and complete.         *To be digitally signed by       Designation         Designation       DSC BOX         *Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company Secretary       Dsc BOX         Note: Attention is drawn provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for evidence respectively.       Submit         Modify       Check Form       Prescrutiny       Submit	<ul> <li>taken for giving effect to such or</li> <li>Attachments <ol> <li>Copy of board resolution</li> <li>Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turnor of conversion is on the base</li> </ol> </li> </ul>	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria;	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation	company, as the cas	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach	are b
and belief, the information given in this application and its attachments is correct and complete.         *To be digitally signed by         Designation         *Director identification number of the director; or         DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or         Membership number of the Company Secretary         Note: Attention is drawn provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for evidence respectively.         Modify       Check Form         Prescrutiny       Submit	<ul> <li>taken for giving effect to such or</li> <li>Attachments <ol> <li>Copy of board resolution</li> <li>Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turnor of conversion is on the base</li> </ol> </li> </ul>	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria;	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case	company, as the cas	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach	are b
*To be digitally signed by         Designation       DSC BOX         *Director identification number of the director; or       DSC BOX         *Director identification number of the director; or       DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or         Membership number of the Company Secretary       Sote: Attention is drawn provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for evidence respectively.         Modify       Check Form       Prescrutiny       Submit         This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on	<ul> <li>taken for giving effect to such constraints</li> <li>1. *Copy of board resolution</li> <li>2. *Copy of the duly attested</li> <li>3. Certificate from a Chartered of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>4. Optional attachment(s), if</li> </ul>	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev sis of such criteria; any.	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case <b>Declaration</b>	company, as the car ions of section 18 re	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach Attach , declare th	are b ct; nat al
Designation	<ul> <li>taken for giving effect to such constraints</li> <li>1. *Copy of board resolution</li> <li>2. *Copy of the duly attested</li> <li>3. Certificate from a Chartered of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>4. Optional attachment(s), if</li> <li>I *</li> <li>I requirements of the Companies</li> </ul>	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case <b>Declaration</b> ules made thereunde	company, as the car ions of section 18 re	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach Attach , declare th ed with. To the best of my kr	are b ct; nat al
Designation	<ul> <li>taken for giving effect to such constraints</li> <li>*Copy of board resolution</li> <li>*Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> <li>I *</li> <li>requirements of the Companies</li> </ul>	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case <b>Declaration</b> ules made thereunde	company, as the car ions of section 18 re	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach Attach , declare th ed with. To the best of my kr	are b ct; nat al
*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company Secretary Note: Attention is drawn provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for evidence respectively.           Modify         Check Form         Prescrutiny         Submit           This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on	<ul> <li>taken for giving effect to such constraints</li> <li>*Copy of board resolution</li> <li>*Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> <li>I*</li> <li>requirements of the Companies and belief, the information given</li> </ul>	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case <b>Declaration</b> ules made thereunde	company, as the car ions of section 18 re	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach Attach , declare th ed with. To the best of my kr	are b ct; nat al
DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or         Membership number of the Company Secretary         Note: Attention is drawn provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for evidence respectively.         Modify       Check Form         Prescrutiny       Submit         This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on	<ul> <li>taken for giving effect to such or Attachments <ol> <li>*Copy of board resolution</li> <li>*Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> </ol> </li> <li>I* requirements of the Companies and belief, the information giver *To be digitally signed by</li></ul>	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case <b>Declaration</b> ules made thereunde and its attachments i	company, as the cas ions of section 18 re r have been complie s correct and comple	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach Attach , declare th ed with. To the best of my kr	are b ct; nat al
Membership number of the Company Secretary         Note: Attention is drawn provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for evidence respectively.         Modify       Check Form         Prescrutiny       Submit         This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on	<ul> <li>taken for giving effect to such or Attachments <ol> <li>*Copy of board resolution</li> <li>*Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> </ol> </li> <li>I* requirements of the Companies and belief, the information giver *To be digitally signed by</li></ul>	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case <b>Declaration</b> ules made thereunde and its attachments i	company, as the cas ions of section 18 re r have been complie s correct and comple	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach Attach , declare th ed with. To the best of my kr	are b ct; nat al
Note: Attention is drawn provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for evidence respectively.         Modify       Check Form       Prescrutiny       Submit         This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on	<ul> <li>taken for giving effect to such or Attachments <ol> <li>*Copy of board resolution</li> <li>*Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> </ol> </li> <li>I* <ul> <li>requirements of the Companies and belief, the information giver</li> </ul> </li> <li>*To be digitally signed by Designation <ul> <li>*Director identification number</li> </ul> </li> </ul>	onversion in accord authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r n in this application	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case <b>Declaration</b> ules made thereunde and its attachments i	company, as the cas ions of section 18 re r have been complie s correct and comple	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach Attach , declare th ed with. To the best of my kr	are b ct; nat al
evidence respectively.       Modify       Check Form       Prescrutiny       Submit         This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on	taken for giving effect to such or Attachments  1. *Copy of board resolution 2. *Copy of the duly attested 3. Certificate from a Chartered of the average annual turnol of conversion is on the bas 4. Optional attachment(s), if I* I* requirements of the Companies and belief, the information given *To be digitally signed by Designation *Director identification numbe DIN or PAN of the manager or	onversion in accord authorizing giving of latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r n in this application or of the director; or CEO or CFO; or	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case <b>Declaration</b> ules made thereunde and its attachments i	company, as the cas ions of section 18 re r have been complie s correct and comple	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach Attach , declare th ed with. To the best of my kr	are b ct; nat al
evidence respectively.       Modify       Check Form       Prescrutiny       Submit         This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on	taken for giving effect to such or Attachments  1. *Copy of board resolution 2. *Copy of the duly attested 3. Certificate from a Chartered of the average annual turnol of conversion is on the bas 4. Optional attachment(s), if I* I* requirements of the Companies and belief, the information given *To be digitally signed by Designation *Director identification numbe DIN or PAN of the manager or	onversion in accord authorizing giving of latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r n in this application or of the director; or CEO or CFO; or	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case <b>Declaration</b> ules made thereunde and its attachments i	company, as the cas ions of section 18 re r have been complie s correct and comple	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach Attach , declare th ed with. To the best of my kr	are b ct; nat al
This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on	<ul> <li>taken for giving effect to such or Attachments <ol> <li>*Copy of board resolution</li> <li>*Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> </ol> </li> <li>I* <ul> <li>requirements of the Companies and belief, the information giver</li> </ul> </li> <li>*To be digitally signed by Designation <ul> <li>*Director identification numbe DIN or PAN of the manager or Membership number of the Companies of the compani</li></ul></li></ul>	authorizing giving of latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r n in this application r of the director; or CEO or CFO; or mpany Secretary	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case Declaration ules made thereunde and its attachments i DS	company, as the car ions of section 18 re r have been complie s correct and comple C BOX	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach , declare th ed with. To the best of my kr ete.	are b ct;
This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on	<ul> <li>taken for giving effect to such of Attachments <ol> <li>*Copy of board resolution</li> <li>*Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> </ol> </li> <li>I* <ul> <li>guide the average annual turned of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> </ul> </li> <li>I* <ul> <li>guide the average annual turned of the average annual turned of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> </ul> </li> <li>I* <ul> <li>guide the average annual turned of the average annual turned of conversion is on the bas</li> </ul> </li> <li>Determine the average annual turned of the average an</li></ul>	onversion in accord authorizing giving of latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r n in this application r of the director; or CEO or CFO; or mpany Secretary	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case Declaration ules made thereunde and its attachments i DS	company, as the cas ions of section 18 re r have been complie s correct and comple C BOX	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach , declare th ed with. To the best of my kr ete.	are b ct;
	<ul> <li>taken for giving effect to such of Attachments <ol> <li>*Copy of board resolution</li> <li>*Copy of the duly attested</li> <li>Certificate from a Chartered of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> </ol> </li> <li>I* <ul> <li>guide the average annual turned of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> </ul> </li> <li>I* <ul> <li>guide the average annual turned of the average annual turned of the average annual turned of conversion is on the bas</li> <li>Optional attachment(s), if</li> </ul> </li> <li>I* <ul> <li>guide the average annual turned of the average annual turned of conversion is on the bas</li> </ul> </li> <li>Determine the average annual turned of the average an</li></ul>	onversion in accord authorizing giving of latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r n in this application r of the director; or CEO or CFO; or mpany Secretary	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case Declaration ules made thereunde and its attachments i DS	company, as the cas ions of section 18 re r have been complie s correct and comple C BOX	ad with section 122 of the Ad Attach Attach Attach Attach , declare th ed with. To the best of my kr ete.	are b ct;
	taken for giving effect to such co Attachments  1. *Copy of board resolution 2. *Copy of the duly attested 3. Certificate from a Chartered of the average annual turnol of conversion is on the bas 4. Optional attachment(s), if I* requirements of the Companies and belief, the information given *To be digitally signed by Designation *Director identification numbe DIN or PAN of the manager or Membership number of the Co Note: Attention is drawn provisions evidence respectively.	authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r n in this application r of the director; or CEO or CFO; or mpany Secretary s of Section 448 and	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case Declaration ules made thereunde and its attachments i DS 449 which provide fe	company, as the car ions of section 18 re r have been complie s correct and comple C BOX	Attach Attach Attach Attach Attach Attach declare th ed with. To the best of my kr ete.	are b ct;
	taken for giving effect to such co Attachments  1. *Copy of board resolution 2. *Copy of the duly attested 3. Certificate from a Chartered of the average annual turnol of conversion is on the bas 4. Optional attachment(s), if I* requirements of the Companies and belief, the information given *To be digitally signed by Designation *Director identification numbe DIN or PAN of the manager or Membership number of the Co Note: Attention is drawn provisions evidence respectively. Modify	authorizing giving o latest financial state ed Accountant in pra over during the relev- sis of such criteria; any. Act, 2013 and the r n in this application r of the director; or CEO or CFO; or mpany Secretary s of Section 448 and Check Form	ance with the provis of notice; ement; actice for calculation vant period in case Declaration ules made thereunde and its attachments i DS 449 which provide for	company, as the casions of section 18 re- ions of section 18 re- r have been complie s correct and comple C BOX	Attach Attach Attach Attach Attach Attach declare th ed with. To the best of my kr ete. Ise statement and punishment Submit	are b. ct; nat all nowle t for t

[/ A	FORM NO. INC.6 Pursuant to section 18 of the Companies ct, 2013 and Rule 7(4) the Companies Incorporation ) Rules, 2014]
	Form language o English o Hindi
	Refer the instruction kit for filing the form.
1.	*Application for o Conversion of OPC into private company o Conversion of OPC into public company o Conversion of Private company into OPC
2.	(a) *Corporate identity number (CIN) of the company       Pre-Fill         (b) Global location number (GLN)
3.	(a) Name of the company         (b) Category         (c) Sub-category of the company         (d) Address of Registered office of the company
	(e) Date of incorporation of the company         (f) email ID of the company         (g) Whether company is having share capital or not
4. Pa	*Name of the company at the time of incorporation (to be displayed in the certificate)
5.	<ul> <li>(a) *Whether the conversion is mandatory by provisions of the Companies Act, 2013</li> <li>o Yes</li> <li>o No</li> </ul>
	(b) *Mention which of the following has exceeded the threshold limit o Paid up share capital o Average annual turnover
	(c) *Mention the SRN of form INC.5
6.	*(a) Date of exceeding the threshold limit
	*(b) Amount so exceeded the threshold limit
	*(c) Specify the relevant period
7.	I * ,
	<ol> <li>As the paid up share capital of the captioned company has exceeded fifty lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period has exceeded two crore rupees, the company has ceased to be a one person company; and consequently the company is required to be converted into a private company or public company, as the case may be;</li> <li>Necessary steps are being taken for giving effect to such conversion in accordance with the provisions of section 18 read with section 122 of the Act.</li> </ol>
	rt B *Existing number of directors in the company

	(Number of directors shall be minimum 2 in case of conversion into private company or 3 in case of conversion into public company)
9.	Particulars of special resolution
	(a) *SRN of Form MGT.14
	(b) *Date of filing Form MGT.14
	(c) *Date of passing the special resolution
10.	I. Capital structure of the company
	(a) Authorized capital of the company (in Rs.)
	*(i) Number of equity shares Nominal amount per equity share
	Total amount of equity shares (in Rs.)
	*(ii) Number of preference shares Nominal amount per preference share
	Total amount of preference shares (in Rs.)
	* (b) Paid up capital of the company (in Rs.)
	(i) Number of equity shares Nominal amount per equity share
	Total amount of equity shares (in Rs.) (ii) Number of preference shares Nominal amount per preference share
	(ii) Number of preference shares Nominal amount per preference share Total amount of preference shares (in Rs.)
	II. Number of members
	(a) Maximum number of members
	(b) Maximum number of members excluding proposed employees
	(c) Number of members
	(d) Number of members excluding proposed employee(s)
DAG	RT C
11.	Particulars of the person who will be sole member of the OPC subsequent upon conversion Director Identification number(DIN) Dres E(1) Dr
	*Income-tax permanent account number (PAN)
	*First Name
	*Surname
	Family Name
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name Gender D Male D Female D Transgender
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name  Gender Date Date of Birth  Nationality  *Date of Birth
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name   Gender Dale Female Transgender  Nationality Date of Birth  Place of Birth (District & State)
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name   *Gender Dale Female Transgender  *Nationality Date of Birth  *Place of Birth (District & State)  *Educational qualification  *Occupation Type O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman Area of occupation
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name   *Gender Male Female Transgender  *Nationality *Date of Birth  *Place of Birth (District & State)  *Educational qualification  *Occupation Type O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name   *Gender I Male Female Transgender  *Nationality Table of Birth  *Place of Birth (District & State)  *Educational qualification  *Occupation Type O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman Area of occupation Permanent Address
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name   *Gender I Male Female Transgender  *Nationality Date of Birth *Place of Birth (District & State)  *Educational qualification *Occupation Type O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman Area of occupation Permanent Address *Line I
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name   *Gender Male Female Transgender  *Nationality *Date of Birth  *Place of Birth (District & State)  *Educational qualification  *Occupation Type O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman Area of occupation Permanent Address *Line I Line II
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name   *Gender Male Female Transgender  *Nationality *Date of Birth  *Place of Birth (District & State)  *Educational qualification  *Occupation Type O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman Area of occupation Permanent Address *Line I Line II *City
	* o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name  Gender Male Female Transgender  Nationality *Date of Birth  Place of Birth (District & State)  Educational qualification  *Occupation Type O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman Area of occupation Permanent Address  Line I Line II  *City *State/ Union Territory *Pin code

[भाग II—खण्ड 3(i)]

Mobile (with	country code) -	
Fax		
*email id		
*Whether pr	esent address is same as the permanent address	
Present Add	ess	
*Line I		
Line II		
*City		
* State/ Uni		
*ISO Countr	y code	
Country		
	STD/ISD code)	
	country code) -	
Fax		
email id		
	stay at present address year(s) month(s)	
If Duration of	f stay at present address is less than one year then address of previous residence	
*Proof of ide	ntity	
*Residential	Droof	
Residential		
Nomination I <i>(Small descr</i>	<i>iption box</i> ), the member of * ( <i>Small description box</i> ) do hereby nominate ( <i>Small description bo</i>	<mark>ox)</mark>
I <mark>(Small descr</mark> who shall bec the nominee i	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.	<mark>ox)</mark> hat
I <i>(Small descr</i> who shall bec the nominee i Particulars of	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014. The person who will be nominee of the sole member subsequent upon conversion	<mark>ox)</mark> hat
I <i>(Small descr</i> who shall bec the nominee i Particulars of Director Ide	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.	<mark>)x)</mark> hat
I <i>(Small desci</i> who shall bec the nominee i Particulars of Director Ide *Income-ta	the person who will be nominee of the sole member subsequent upon conversion $Pre-Fill$	<mark>)x)</mark> hat
I <i>(Small descr</i> who shall bec the nominee i Particulars of Director Ide *Income-ta *First Name	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.	<mark>bx)</mark> hat
I <i>(Small desci</i> who shall beco the nominee i Particulars of Director Iden *Income-tax *First Name Middle Name	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.	<mark>ox)</mark> hat
I <i>(Small descr</i> who shall bec the nominee i Particulars of Director Ide *Income-ta *First Name	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.	hat
I <i>(Small desci</i> who shall beco the nominee i Particulars of Director Iden *Income-tax *First Name Middle Name	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.	<mark>אכ)</mark> hat
I <i>(Small desci</i> who shall beco the nominee i Particulars of Director Iden *Income-tax *First Name Middle Name *Surname	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.	b <mark>x)</mark> hat
I <i>(Small desci</i> who shall beco the nominee i Particulars of Director Iden *Income-tax *First Name Middle Name *Surname Family Name	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.	<mark>xx)</mark> hat
I <i>(Small desci</i> who shall beco the nominee i Particulars of Director Iden *Income-tax *First Name Middle Name *Surname Family Name * o Father's	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.	<mark>) x)</mark> hat
I (Small descr who shall become the nominee is Particulars of Director Iden *Income-tax *First Name Middle Name *Surname Family Name * o Father's  *Gender	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.	b <mark>x)</mark> hat
I (Small descr who shall become the nominee is Particulars of Director Iden *Income-tax *First Name Middle Name *Surname Family Name * o Father's Cender	bome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.	bx) hat
I <i>(Small desci</i> who shall beco the nominee i Particulars of Director Idea *Income-tax *First Name Middle Name *Surname Family Name *o Father's  *Gender = *Nationality *Place of Bir	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014. the person who will be nominee of the sole member subsequent upon conversion http://www.number(DIN) Pre-Fill verify Details Pre-manent account number (PAN) Verify Details Verify Details Mame o Mother's Name o Spouse's name Male - Female - Transgender *Date of Birth (District & State)	<mark>) x)</mark> hat
I <i>(Small desci</i> ) who shall become the nominee is Particulars of Director Iden *Income-tax *First Name Middle Name *Surname Family Name *o Father's *Gender = *Nationality *Place of Bin *Educationa	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.   the person who will be nominee of the sole member subsequent upon conversion   ntification number(DIN)   permanent account number (PAN)   Vorifv Detaile   a   a   b   a   a   b   b   b   b   c   a   b   b   c<	bx) hat
I <b>(Small descr</b> who shall become the nominee is Particulars of Director Idea *Income-tax *First Name Middle Name *Surname Family Name *o Father's sender = *Nationality *Place of Bir *Educationa *Occupation	ome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.   the person who will be nominee of the sole member subsequent upon conversion   ntification number(DIN)   permanent account number (PAN)   Varify Details     a     Male     Female     Transgender   * Date of Birth   th (District & State)     qualification     Type   O Self-employed O Professional O Homemaker O Student	hat
I (Small descr who shall become the nominee is Particulars of Director Iden *Income-tax *First Name Middle Name *Surname Family Name * o Father's Gender *Nationality *Place of Bir *Educationa Area of occu	pome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.         the person who will be nominee of the sole member subsequent upon conversion         ntification number(DIN)       Pre-Fill         permanent account number (PAN)       Vorify Details         Image: Sole of Mother's Name o Spouse's name       Vorify Rule of Birth         Male or Female or Transgender       *Date of Birth         multification       Type         O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman	bx) hat
I <b>(Small descr</b> who shall become the nominee is Particulars of Director Idea *Income-tax *First Name Middle Name *Surname Family Name *o Father's sender = *Nationality *Place of Bir *Educationa *Occupation	pome the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare the seligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies Rules, 2014.         the person who will be nominee of the sole member subsequent upon conversion         ntification number(DIN)       Pre-Fill         permanent account number (PAN)       Vorify Details         Image: Sole of Mother's Name o Spouse's name       Vorify Rule of Birth         Male or Female or Transgender       *Date of Birth         multification       Type         O Self-employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman	bx) hat

144

#### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Line II	-
*City	
	ion Territory *Pin code
ISO Countr	y code
Country	
	th STD/ISD code) -
Mobile (with	h country code) -
Fax	
*email id	
*Whether p	present address is same as the permanent address $\ \square$ Yes $\ \square$ No
Present Add	dress
*Line I	
Line II	
*City	
* State/ Un	nion Territory *Pin code
*ISO Count	ry code
Country	
*Phone (wit	th STD/ISD code)
Mobile (with	h country code) -
Fax	
email id	
*Duration c	of stay at present address year(s) month(s)
If Duration	of stay at present address is less than one year then address of previous residence
*Proof of id	lentity
*Residentia	Il Proof
achments	
	emorandum of association Attach
	ticles of association Attach
*Copy of th	e duly attested latest financial statement.

- 4. \*Copy of board resolution authorizing giving of notice;
- 5. Certificate from a Chartered Accountant in practice for calculation of the average annual turnover during the relevant period in case of conversion is on the basis of such criteria.
- Affidavit confirming that all the members of the company have given their consent for conversion, the paid up capital of the company is Rs 50 lakhs or less and turnover is less than Rs 2 crores in the immediately preceding year.



Attach

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	145
7. Copy of minutes, list of creditors and list of members.	Attach
8. Copy of NOC of every creditors with the application for Conversion.	Attach
9. Consent of the nominee in Form No. INC.3	Attach
10. Copy of PAN card of the nominee and member	Attach
11. Proof of identity of the nominee and member	Attach
12. Residential proof of the nominee and member	
13. Optional attachment(s) - if any.	Attach
Declaration	
I*	
, a * ( <i>Drop down</i> ) {Values: Director/Manager/Company Secretary /CEO/CFO} the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in company and matters precedent or incidental thereto have been complied with directors to give this declaration and to sign and submit this Form. It is further	n respect to the conversion of the I am authorized by the board of
Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true information material to the subject matter of this form has been suppresse original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandu Association.	d or concealed and is as per the
No objection certificate has been received from the members and creditors company into OPC.	allowing conversion from private
lacksquare *All the required attachments have been completely, correctly and legibly att	ached to this form.
*To be digitally signed by	
*Designation DSC BOX	
	-
*Director identification number of the director; or	
DIN or PAN of the manager/CEO/CFO; or Membership	
number of the Company Secretary	
To be digitally signed by DSC BOX	
Member (In case of conversion of OPC)	
PAN or DIN of member	
Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which p	rovide for nunishment for false
statement and punishment for false evidence respectively.	
Modify Check Form Prescrutiny	Submit
For office use only: Affix filing details	
eForm Service request number (SRN) eForm filing date	(DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby registered	
Digital signature of the authorising officer Confirm submission	
Date of signing (DD/MM/YYYY)	

FORM NO. INC.7 Application for Incorporation
[Pursuant to Section 7(1) of the Companies Act, 2013 and pursuant to Rule 10, 12, 14 and 15 of the Companies (Incorporation) Rules 2014] of Company (Other than OPC)
Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.
1. *Service Request Number (SRN) of Form INC.1         2. (a) Name of the company         (b) Type of Company is         (c) Class of Company         (d) Category
(d) Category (e) Sub category
(f) Section 8 license number
*(g) Company is O Having share capital O Not having share capital
3. (a) Name of the state/Union territory in which the company is to be registered
(b) Name of the office of the Registrar of Companies in which the company is to be registered
<ul> <li>(c) *Whether the address for correspondence will be the address of Registered office of the Company</li> <li>o Yes</li> <li>o No</li> <li>(d) Address for correspondence till the registered office of the company is established</li> </ul>
*Line I
Line II
*City
*State/Union Territory
*District *Pin code
ISO Country code
Country

*Phone (With STD/ISD code) -
Fax
*email ID of the company
4. I. *Capital structure of the company
(a) Authorized capital of the company (in Rs.)
(i) Number of equity shares
Total amount of equity shares (in Rs.)
(ii) Number of preference shares Nominal amount per preference share
Total amount of preference shares (in Rs.)
(b) Subscribed capital of the company (in Rs.)
(i) Number of equity shares Nominal amount per equity share
Total amount of equity shares (in Rs.)
(ii) Number of preference shares Nominal amount per preference share
Total amount of preference shares (in Rs.)
<ul> <li>(a) Enter the maximum number of members</li> <li>(b) Maximum number of members excluding proposed employees</li> <li>(c) Number of members</li> <li>(d) Number of members excluding proposed employee(s)</li> </ul>
5. *Main division of industrial activity of the company
Description of the main division
6. *(a) Whether the proposed company shall be conducting any activities which require approval from any spectral regulator (Like RBI in case of NBFI and Banking activities) to commence such activities o Yes o No
(b) If yes, please enter the name of such Regulatory authority and the proposed activity.
<ul> <li>*Enter the number of promoters (first subscribers to the Memorandum of Association (MOA))</li> <li>Particulars of Promoters (first subscribers to the MOA)</li> </ul>

# THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

*Category	
- * Director Iden	itification number(DIN) or Income -tax permanent account
number (Incor	ne- tax PAN) or passport number or corporate identity
	Or foreign company registration number(FCRN) Pre-Fill Verify Details
or any other re	egistration number
*First Name	
Middle Name	
*Surname	
Family Name	
*o Father's Na	me o Mother's Name o Spouse's name
*Nationality	*Date of Birth
*Gender (Radi	o button) 🛛 Male 🗆 Female 🗆 Transgender
*Place of Birth	(District & State)
*Occupation ty	ype O Self Employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman
*Area of Occu	
*Educational c	ualification
*Name of the	entity
	ermanent Account Number (PAN)
	dress/Registered address/Principal place of business
*Line I	
Line II	
*City	
*State /Union	Territory *Pin code
*ISO Country	code
Country	
*Phone (With	STD/ISD code)
Mobile	
Fax	
*email id	
*Whether pres	sent address is same as the permanent address $\Box$ Yes $\Box$ No (Radio button)
Present Addres	55
*Line I	
Line II	

*State/Union Territor	ry *Pin code
*ISO Country code	
Country	
*Phone(With STD/IS	D code)
Mobile	
Fax	
*Duration of stay at	
If Duration of stay at	present address is less than one year then address of previous residence
*Proof of identity	
*Residential Proof	
L already a director or	promoter of a company(s), specify details of such company(s) (In case director or promoter in more than
three companies, attac	promoter of a company(s), specify details of such company(s) (in case director of promoter in more than ch seperate sheet as an optional attachment) Promoter CIN
Director	
Name of the company	
	Promoter CIN
Name of the company	
Director	Promoter CIN Pre-fill all
Name of the company	
* Number of shares s	ubscribed * Total amount of shares subscribed (in Rs.)
* Particulars of auth	orised person
	authorised person
b) o Father's Na	me o Mother's Name o Spouse's name
c) Gender o M	ale o Female o Transgender
d) Nationality	f) Date of Birth
f) Phone (With	STD/ISD code)
g) email ID	
(a) *Whether the Arti	icles are entrenched or not o Yes o No
. ,	icles are entrenched or not o Yes o No Articles should be annexed thereto)

### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Sr. Ar	ticle	Content	t				
lo. Nu	mber						
Particula	rs of pay	ment of stamp du	ıty				
		ory in respect of which					
	paid or to be		stamp				Pre-Fill
(b) Wheth	er stamp du	ty is to be paid electron	ically through MCA21 s	ystem	⊖ Yes	O No O	Not applicable
		duty to be paid		2.2			
Тур	e of docum Particulars	nent/	Form INC.7		morandum of association	Articles of	association
Amount of s	tamp duty to	o be paid (in Rs.)					
.,		of stamp duty already pa	Memorandum	~#	Articles of		hers
Type of doo Particu		Form INC.7	association		association		ners
Total amount							
duty paid	(in Rs.)						
Mode of paym stamp duty	ent of					ılr	
Name of vend	oror	L				1	
Treasury or A orany other co							
agency author collect stamp	ised to						
sell stamp pap emboss the do	pers or to						
to dispense st	amp						
vouchers on b Government	ehalf of the						
Serial number embossing or						1	
stamp paper of	r treasury						
challan numbe							
Registration n vendor	umber of						
Data of surplu							
Date of purcha stamps or star	mp paper or				]		
payment of sta (DD/MM/YYYY)	amp duty Y)		┘┃└────				
Place of purch stamps or star	ase of no paper						
or payment of	stamp duty						
L		1	1			1	
achments					At	tach	
*Memoran	idum of as	ssociation				tach	
*Articles o	f associat	ion			At	tach	
*Declarati	on in Forr	n No. INC.8			At	tach	

4) \*Affidavit from each of the subscriber to the memorandum in Form No. INC.9 Attach

[ भाग II—खण्ड 3(i) ]

5) 6)

7)

8)

9)

*Proof of residential address	Attach	
Specimen Signature in Form INC.10		
Proof of identity	Attach	
Entrenched Articles of association	Attach	
Copy of In-principle approval granted by sectorial regulator if already taken	Attach	

- 10) NOC in case there is change in the promoters (first subscribers to Memorandum of Association)
- 11) Proof of nationality (in case the subscriber is a foreign national)
- 12) PAN card (in case of Indian national)

- 13) Copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate and registered office address
- 14) Copy of resolution/consent by all the partners or board resolution authorizing to subscribe to MOA
- 15) Optional attachment, if any

#### Declaration

I \*(Small description box), a person named in the articles as a \* (Drop down) {Values: Director/Manager/Company Secretary declare that all the requirements of The Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect to the registration of the company and matters precedent or incidental thereto have been complied with. I am authorized by other promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association and the first directors to give this declaration and to sign and submit this Form. It is further declared and verified that:

- 1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.
- 2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
- \* (Small description box), a/an \* (Drop down) {Values: Chartered Accountant/ Company Secretary/ Cost Accountant/ Advocate} having Membership number \* \_\_\_\_\_ and/or certificate of practice number 3. has been engaged to give declaration under section 7(1) (b) and such declaration is attached.

To be	digital	lly s	igned	by
-------	---------	-------	-------	----

*Designation	Drop down	{Values: Director, Manager, Company Secretary}	
	ctor; or DIN or Income tax PAN of r Membership number of the company se	cretary	]
false or incorre for fraud unde	n is drawn to provisions of section 7(5) ect particulars of any information or suppler Section 447. Attention is also drawn r false statement and punishment for fals	ression of any material information sha n to provisions of section 448 and 44	II attract punishment

For office use only:	Affix filing details
eForm Service request number (SRN)	eForm filing date (DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby registered Digital signature of the authorising officer	Confirm submission
Date of signing	(DD/MM/YYYY)

Attach

Attach

Attach

Attach Attach

Attach

DSC BOX

# Declaration

[Pursuant to section 7(1)(b) and rule 14 of the Companies (Incorporation ) Rules, 2014]

Name of the Company:

I ,.....,

an advocate who is engaged in the formation of the company

a Chartered Accountant in India who is engaged in the formation of the company

a Cost Accountant in India who is engaged in the formation of the company

a Company Secretary in practice in India who is engaged in the formation of the company

declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with.

Date:

Signature:

Place:

Membership No.:

# Form No. INC-9 Affidavit

[Pursuant to section 7(1)(c) of the Companies Act, 2013 and rule 15 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Name of the proposed company:

I ....., being the subscriber to the memorandum / named as first director in the articles, of the above named proposed company, hereby solemnly declare and affirm that:

I have not been convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company during the preceding five years; and

I have not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous company law during the preceding five years; and

All the documents filed with the Registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature:

Place:

# Form No. INC - 10 Form for verification of signature of subscribers [Pursuant to rule 16 (1) (q) of Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Size 4'\*4' (passport size)

to be attested by Banker/Notary

1. Names, father's name and Address of subscribers/first directors:

2. Specimen signatures:

Attestation (Signature of witness)

Note:

- 1. In point no. 1 above, strike off whichever is not applicable.
- 2. Person who is attesting should indicate his/her name, address and ID number,

Certificate	of	Incorp	oration
-------------	----	--------	---------

[Pursuant to sub- section (2) of section7 of the Companies Act, 2013and rule 8 the Companies (Incorporation ) Rules, 2014]

Ι	hereby	certify	that		(name	of	the	company)	is
in	corporate	d on this	5	day of	two th	iousai	nd	under t	the
Сс	Companies Act, 2013 and that the company is limited by shares / limited								
by	by guarantee/ unlimited company.								

The CIN of the company is .....

Given	under	my	hand	at	·····	this	 day	of	 two
thousa	and								

SEAL:

.....

Registrar of Companies

.....

(State)

FORM NO. INC.12 Application for grant o
[Pursuant to 8(1) and 8(5) of the Companies Act, 2013 and Rule 19 & 20 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] License under section
Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.
1. *Application for
Grant of license to a new company (Part A)
Grant of license to an existing company (Part B)
Part A: Grant of license to a new company
<ul><li>2. (a) *Name of the Applicant</li></ul>
(b) *Address
(c) *Occupation Type Area of occupation
(d) *Phone (with STD/ISD) (e) Fax
(f) *email Id
3. *Indicate Registrar of Companies (ROC) reference number for name approval
(Service Request Number (SRN) of Form INC.1) Pre-Fill
4. (a) Name of the company
(b) Company is (c) Type of Company
(d) Category (e) Sub category
*(f) Whether the company will Have share capital Not have share capital
5. I. Proposed authorized capital
II. Proposed maximum number of members
Proposed maximum number of members excluding proposed employees
6. *a. Main division of industrial activity of the proposed company
Description of the main division
*b. Brief description of the work, if any already done or proposed to be done in pursuance of section 8
*c. Crounds on which application is made
*c. Grounds on which application is made
7. *Enter the number of proposed promoters (first subscribers to MOA)
Particulars of Promoters (first subscribers to the MOA)

	lange information of two promotors in and the proposed company is a private company or cover
	(specify information of two promoters in case the proposed company is a private company or seven promoters in case the proposed company is a public company)
I	promoters in case the proposed company is a public company)
•	
	*Category
	* Director Identification number (DIN) or Income-tax permanent account number
	(Income-tax PAN) or passport number or corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) or any other registration number
	*Name
	Name of the authorized representative
II	
	*Category
	*Director Identification number (DIN) or Income-tax permanent account number
	(Income-tax PAN) or passport number or corporate identity number (CIN) or
	foreign company registration number (FCRN) or any other registration number *Name Pre-fill
	Name of the authorized representative
8.	*Enter the number of proposed directors
	(specify information of two directors in case the proposed company is a private company or three directors in
	case the proposed company is a public company)
	Particulars of the proposed directors
Ι	
	*Proposed designation
	*Director identification number (DIN)
	*Director identification number (DIN) Name of the person
	Name of the company or institution
	whose nominee the appointee will be
	(Only in case of nominee director)
II	
11	*Proposed designation
	*Director identification number (DIN) Pre-fill
	Name of the person
	Name of the company or institution
	whose nominee the appointee will be
	(Only in case of nominee director)
9.	*Enter the number of key managerial personnel
	(specify information of up to four key managerial persons)
-	Particulars of the key managerial personnel
Ι	
	*Proposed designation Pre-fill

### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

			on number (DIN) or ent account number (PAN)
	Nam	e of the person	
	Mem	bership numbe	(in case of Company Secretary)
II	*Pro	oosed designati	on
			ion Number (DIN) or Pre-fill P
		me-tax perman e of the person	ent account number (PAN)
		e of the person	
	Mem	bership numbe	r (in case of Company Secretary)
	(If y ) Num	es, entrenched ber of Articles t	es will be entrenched
Si	r.	Article	Content
N	0.	Number	
Part	B: Gra	nt of license t	o an existing company
		porate Identity	
(1	b) Glob	al Location Nur	nber (GLN) of company
		e of the compa	
(I Г	b) Addı	ess of the com	pany
()	c) ema	il ID of the com	pany
<b>13.</b> (a	a) Com	pany is	
(1	o) Cate	gory	(c) Sub category
(0	d) Whe	ther the compa	ny is having share capital Yes No
		rized capital of num number o	

	Maximum number of members excluding present and past employees								
15.	a. Main division of industrial activity of the company								
	Description of the main division								
	*b. Brief description of the work, if any already done or proposed to be done in pursuance of section 8								
	*c. Grounds on which application is made								
16.	*Enter the number of directors								
	(Specify information of two directors in case the company is a private company or three directors in case the company is a public company)								
	Particulars of the directors								
I									
1	*Designation								
	Pre-fill								
	*Director Identification Number (DIN)								
	Name of the person								
	Name of the company or institution								
	whose nominee the appointee is								
	(Only in case of nominee director)								
Π									
	*Designation								
	*Director Identification Number (DIN)								
	Name of the person								
	Name of the company or institution								
	whose nominee the appointee is								
	(Only in case of nominee director)								
17.	*Enter the number of key managerial personnel								
	(Specify information of up to four key managerial persons)								

### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Pa	articular	s of the key m	anageria	al personnel					
T									
Ι	*D!								
	*Desig	gnation	L	Pre-fil	1				
	*Direc	tor Identificat	ion Num	ber (DIN) or					
				unt number (PAN)					
	Name of the person								
	Memb	ership number	r (in case	e of Company Secretary)					
II	*•• •								
	*Desig	gnation	[						
	*Direc	tor Identificat	ion Num	iber (DIN) or					
				Pre-fill Pre					
	Name	of the person							
	Mamb	archin number	(in one						
	Memb			e of Company Secretary)					
<b>18.</b> (a	a) *Whe	ther the Article	es are ei	ntrenched 🗆 Yes 🗆 No					
				should be annexed thereto)					
(b				provisions of entrenchment shall be applicable					
	Detail	s of Articles to	which p	provisions of entrenchment shall be applicable					
Sr		Article		Content					
No	).	Number							
Att	tachme	nts							
(1)	*Dra	ft Memorandu	m of ass	sociation as per form no. INC.13	Attach				
(2)		ft Articles of A			Attach				
(3)		laration as per			Attach				
(4)		laration as per			Attach				
(5) (6)				penditure for next three years C of the concerned authority/sectoral regulator, department or Ministry	Attach				
(0)		e Central or St			Attach				
	0. 61				Attach				

[भाग II—खण्ड 3(i)]

(7) Entrenched arti	icles of association				
(8) Copy of resolut	tion passed in general m	neeting and board	meeting		Attach
(9) last one/two ye	ear's financial statement	:(s), board's report	(s) and Audit repo	rt(s)	Attach
(10) Assets and liab	ilities statements with t	heir values as per	applicable rule		Attach
(11) List of proposed	d promoters.				Attach
(12) List of proposed	d directors/ directors.				Attach
(13) List of key man	nagerial personnel.				Attach
(14) Optional attach	iment, if any				Attach
		Declaration			
		Deciaration			
	named in the articl	$\frac{1}{1}$	down y yaluoc-	director/managor/	Company
	CEO/CFO/promoter) of the content of		down. values-		Company
	authorized by the Board	of Directors of the	e Company vide res	solution number	
dated	 requirements of Compa	nies Act. 2013 an	d the Rules thereto	made thereunder	in respect
	er of this form have beer				
	authorized by other pr			bers to the Memo	randum of
	and Articles of Associat lare that all the informat			ct and complete in	cluding the
	ts to this form and nothi	-			
	by further certified that				
	/ Company Secretary/ ( of practice number (Big				
	l rule 19(3) (b) or rule 2				
*To be digitally sig	gned by DSC BO2	v			
	DSC BO	A			
*Designation					
	ion Number of the direct	· ·			
	r of the company secreta nanager or CEO or CFO o				
	s drawn to provisions false or incorrect pa				
	attract punishment ction 448 and 449				
	lse evidence respectiv		ioi punisiment		
Modify	Check Forr	n	Prescrutiny	Su	ubmit
For office use only :			A. 67 . 611		
eForm Service reques	st number (SPNI)	oEor	Affix filing det	ails	(DD/MM/YYYY
-	the authorising officer	eron	n ming date		
This e-Form is hereby	-	<b>27-01</b>			
This e-Form is hereby	/ rejected	Cc	nfirm Submission		
····· <b>····</b> ,					
Date of signing			(DD/MM/YYYY)		

### Memorandum of Association

[Pursuant to rule 19(2) the Companies (Incorporation ) Rules, 2014].

- **1.** The name of the company is ".....".
- The registered office of the company will be situated in the State of.....
- **3.** The objects for which the company is established are:

.....

.....

the doing of all such other lawful things as considered necessary for the furtherance of the above objects :

Provided that the company shall not support with its funds, or endeavour to impose on, or procure to be observed by its members or others, any regulation or restriction which, as an object of the company, would make it a trade union.

4. The objects of the company extend to the .....

[Here enter the name of the State or States, and Country or Countries]

- 5.(i) The profits, if any, or other income and property of the company, whensoever derived, shall be applied, solely for the promotion of its objects as set forth in this memorandum.
  - (ii) No portion of the profits, other income or property aforesaid shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise by way of profit, to persons who, at any time are, or have been, members of the company or to any one or more of them or to any persons claiming through any one or more of them.
  - (iii) No remuneration or other benefit in money or money's worth shall be given by the company to any of its members, whether officers or members of the company or not, except payment of out-of-pocket

expenses, reasonable and proper interest on money lent, or reasonable and proper rent on premises let to the company.

- (iv) Nothing in this clause shall prevent the payment by the company in good faith of prudent remuneration to any of its officers or servants (not being members) or to any other person (not being member), in return for any services actually rendered to the company.
- (v) Nothing in clauses (iii) and (iv) shall prevent the payment by the company in good faith of prudent remuneration to any of its members in return for any services (not being services of a kind which are required to be rendered by a member), actually rendered to the company;
- 6. No alteration shall be made to this memorandum of association or to the articles of association of the company which are for the time being in force, unless the alteration has been previously submitted to and approved by the Registrar.
- **7.** The liability of the members is limited.
- 8. [FOR COMPANIES LIMITED BY GUARANTEE]

Each member, undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within one year afterwards, for payment of the debts or liabilities of the company contracted before he ceases to be a member and of the costs, charges and expenses of winding up, and for adjustment of the rights of the contributories among themselves such amount as may be required not exceeding a sum of Rs. .....

[FOR COMPANIES LIMITED BY SHARES]

The share capital of the company will consist of Rs. ..... divided into ...... shares of ...... rupees each.

9. True accounts shall be kept of all sums of money received and expended by the company and the matters in respect of which such receipts and expenditure take place, and of the property, credits and liabilities of the company; and, subject to any reasonable restrictions as to the time and manner of inspecting the same that may be imposed in accordance with the regulations of the company for the time being in force, the accounts shall be open to the inspection of the members.

Once at least in every year, the accounts of the company shall be examined and the correctness of the balance-sheet and the income and expenditure account ascertained by one or more properly qualified auditor or auditors.

- **10.** If upon a winding up or dissolution of the company, there remains, after the satisfaction of all the debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall not be distributed amongst the members of the company but shall be given or transferred to such other company having objects similar to the objects of this company, subject to such conditions as the Tribunal may impose, or may be sold and proceeds thereof credited to the Rehabilitation and Insolvency Fund formed under section 269 of the Act.
- **11.** The Company can be amalgamated only with another company registered under section 8 of the Act and having similar objects.
- 12. We, the several persons whose names, addresses, descriptions and occupations are hereunto subscribed are desirous of being formed into a company not for profit, in pursuance of this Memorandum of Association: Names, addresses, descriptions and occupations of subscribers:

1	of	*
2	of	
3	of	*
4	of	*
5	of	*
6	of	*
7	of	*
Witnesses to the al	pove signatures of:	
1	••	
2		
Dated the	day of	20
*If the association	is a company limited by	shares, here enter
"number of shares	" taken by each subscri	ber.

# Form No. INC-14

### Declaration

[*Pursuant to section 7(1)(b) and rule 19 (3)(b) of* the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Name of the Company:

Ι,....,

an advocate who is engaged in the formation of the company

a Chartered Accountant in India who is engaged in the formation of the company

a Cost Accountant in India who is engaged in the formation of the company

a Company Secretary in practice in India who is engaged in the formation of the company

do hereby declare that:

- (a) the draft memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder; and
- (b) all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with.

Signature:

Place:

Date:

Membership No.:

### Declaration

[Pursuant to rule 19 (3)(d) of the Companies (Incorporation ) Rules, 2014]

In connection with the application of ...... [name of the proposed company ] for a licence under section 8 of the Companies Act, 2013, I ....., [ name of the person ] do hereby declare that —

- (a) the draft memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of section 8 and rules made thereunder; and
- (b) all the requirements of the Act and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 8 and matters incidental or supplemental thereto have been complied with;

and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

Place:

Signature:

Date:

Address:

Name:

### Licence under section 8 (1) of the Companies Act, 2013

[Pursuant to rule 20 the Companies (Incorporation ) Rules, 2014]

WHEREAS it has been proved to my satisfaction that ....., a person or an association of persons to be registered as a company under the Companies Act, 2013, for promoting objects of the nature specified in clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, and that it intends to apply its profits, if any, or other income and property in promoting its objects and to prohibit the payment of any dividend to its members;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 8 of the said Act, I, the Registrar at ....., hereby grant, this licence, directing that the said person or association or persons be registered as a company with limited liability without the addition of the word "Limited", or as the case may be, the words "Private Limited" to its name, subject to the following conditions, namely:

- that the said company shall in all respects be subject to and governed by the conditions and provisions contained in its memorandum of association;
- (2) that the profits, if any or other income and property of the said company, whensoever derived, shall be applied solely for the promotion of the object as set forth in its memorandum of association and that no portion thereof shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividend, bonus, or otherwise by way of profit, to persons who at any time are or have been members of the said company or to any of them or to any person claiming through any one or more of them;
- (3) that no remuneration or other benefit in money or money's worth shall be given by the company to any of its members except payment of out-of-pocket expenses, reasonable and proper interest on money lent, or reasonable and proper rent on premises let to the company;

- (5) that nothing in this clause shall prevent the payment by the company in good faith of prudent remuneration to any of its officers or servants (not being members) or to any other person (not being member), in return for any services actually rendered to the company;
- (6) that nothing in clauses (3), (4) and (5) shall prevent the payment by the company in good faith of prudent remuneration to any of its members in return for any services (not being services of a kind which are required to be rendered by a member), actually rendered to the company;
- (7) that no alteration shall be made to the memorandum of association or to the articles of association of the company, which are for the time being in force, unless the alteration has been previously submitted to and approved by the Registrar;
- (8) The Company can be amalgamated only with another company registered under section 8 of the Act and having similar objects; and
- (9) that, without prejudice to action under any law for the time being in force, this licence shall be liable to be revoked, if the company:
  - (a) contravenes any of the requirements of section 8 of the Act or the rules made thereunder or any of the conditions subject to which a licence is issued;
  - (b) if the affairs of the company are conducted fraudulently or in a manner violative of the objects of the company or prejudicial to public interest.

.....

Registrar

Dated this......20.....

# Form No. INC-17 Licence under section 8(5) of the Companies Act, 2013

[Pursuant to rule 20 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] WHEREAS it has been proved to my satisfaction that the objects of.....Limited/ Private Limited, being a company registered under the Companies Act, ......, as a limited company are restricted to those specified in, clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the said Act and that it intends to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and to prohibit the payment of any dividend to its members;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the said Act, I, the Regional Director at ....., hereby grant this licence authorising the company by a special resolution to change its name by omitting the word "Limited", or as the case may be, the words "Private Limited" from such name subject to the following conditions, namely:

- that the said company shall in all respects be subject to and governed by the conditions and provisions contained in its memorandum of association;
- (2) that the profits, if any or other income and property of the said company, whensoever derived, shall be applied solely for the promotion of the objects as set forth in its memorandum of association and that no portion thereof shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise by way of profit to persons who at any time are or have been members of the said company or to any of them or to any person claiming through any one or more of them;
- (3) that no remuneration or other benefit in money or money's worth shall be given by the company to any of its members except payment of out-of-pocket expenses, reasonable and proper interest on money lent, or reasonable and proper rent on premises let to the company;

- (4) that nothing in this clause shall prevent the payment by the company in good faith of prudent remuneration to any of its officers or servants (not being members) or to any other person (not being member), in return for any services actually rendered to the company;
- (5) that nothing in clauses (3) and (4) shall prevent the payment by the company in good faith, of prudent remuneration to any of its members in return for any services (not being services of a kind which are required to be rendered by a member), actually rendered to the company;
- (6) that no alteration shall be made to the memorandum of association or in the articles of association of the company, which are for the time being in force, unless the alteration has been previously submitted to and approved by the Registrar;
- (7) The Company can be amalgamated only with another company registered under section 8 of the Act and having similar objects; and
- (8) that, without prejudice to action under any other law for the time being in force, this licence shall be liable to be revoked, if the company:
  - (a) contravenes any of the requirements of section 8 of the Act or the rules made thereunder or any of the conditions subject to which a licence is issued;
  - (b) if the affairs of the company are conducted fraudulently or in a manner violative of the objects of the company or prejudicial to public interest.

.....

Registrar

Dated this.....20.....

[भाग II—खण्ड 3(i)]

l	7	1	
		_	

FORM NO. INC.18	सत्यमेव जयते	Application to Region for conversion of sec company into compan other kind	tion 8
Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form			
1. (a)*Corporate identification number (CIN) of t	he company		Pre-fill
(b) Global location number (GLN) of the compa	any		
2. (a) Name of the company			
(b) Registered office address of the company			
(c) email ID of the company			
3. License number issued to the Company under	Section 8		
4. (a) Date of incorporation of the company (b) Type of company			
5. *Present object of the company			
<ol> <li>*The proposed object of the company operations of the company and manner of app</li> </ol>			
<ol> <li>7. Brief description of the activities of the compare</li> </ol>	ny done in pursuar	nce of section 8, if any	
8. *Detailed reasons for conversion into any othe	er kind of company	,	
9. (a) *Date of passing board resolution			
(b) *Date of passing special resolution			
(c) *SRN of Form No. MGT.14		]	
10. (a) *Whether the company is regulated unde	er a special Act 🛛 Y	′es 🗆 No	
(b) If yes, furnish the below details			
(i) *Name of the regulatory body			

THE	GAZETTE	OF	INDIA ·	EXTRAORDINARY	
	UALETTE	ULL.	IINDIA.		

(ii) *Date of obtaining the approval of regulatory body approving conversion	
11. *Number of existing director(s) and key managerial personnel *Particulars of existing director(s) and key managerial personnel	
(i) DIN or Income tax PAN Pre-fill	
(ii) Name	
(iii) Designation	
12. *Whether the company has obtained any special status/ privilege as mentioned in rule	22(4)
□ Yes □ No	
(If yes, name the authority and attach No objection certificate)	
13. *Whether the company has acquired any immovable property through lease or otherwis Government or authority or body corporate or person since incorporation at concession	-
□ Yes □ No	
(If yes, attach proof of payment of differential amount as per rules)	
14. *Whether company has received any donation and/or grant/benefits from any person o incorporation   Yes  No (If yes, attach the details of the same)	r authority since
15. *Whether there is any surplus amount after payment of dues to be transferred to IEPF	as per applicable rule
□ Yes □ No	
If yes, mention the amount to be so transferred	
16. *Whether the company is regular in filing of financial statements, annual returns and of filings $\square$ Yes $\square$ No	ther due statutory
17. * Whether NOC is obtained from all the creditors $\Box$ Yes $\Box$ No (If Yes, attach	the NOC)
18. *Whether the company is being regulated by any sectoral regulator $\square$ Yes $\square$ No	
If yes, attach approval/concurrence of the regulator and specify the below	
Name of the regulator	
Letter number Approval/concurrence Dated	
19. I *	
the Director of the company hereby affirm that:	their dues or to source
<ul> <li>The conversion is not being sought with the object of depriving the creditors of loss or prejudice to any person.</li> </ul>	their dues or to cause
b) No portion of the income or property of the company has been paid or transferr	
by way of dividend or bonus or otherwise to persons who are or have been me the company or to any one or more of them or to any persons claiming throu	•
them.	
c) I/We shall be liable under section 448 of the Act and under relevant provision of 1860 and any other law as applicable, if any statement in this application is found	
in any material particular is found to be omitted.	,
Attachment(s)	
1. * Memorandum of association;	Attachment
2. * Articles of association;	Attachment
<ol> <li>*Copy of board resolution(s);</li> <li>*Copy of the special resolution passed and Notice convening the general meeting</li> </ol>	Attachment
along with the relevant explanatory statement annexed thereto;	Attachment

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	173
	(in practise) certifying that the conditions laid down	Attachment
	pilities of the company as on the date not earlier than	Attachment
thirty days of that date duly		Attachment
	a registered valuer about the market value of assets; s, the Board's reports, annual returns and	Attachment
	the two financial years immediately preceding	Attachment
	, where the company has functioned only for	
one financial year, for such y	ear;	Attachment
9. Statement of financial positio		Attachment
	enated if any, during the preceding three financial years;	
11. Written consent of the lender		Attachment
<ol> <li>NOC from the concerned auth</li> <li>Proof of payment of different</li> </ol>		Attachment
	efit received since incorporation of company;	Attachment
15. Copy of NOC received from se		Attachment
16. NOC from all the creditors		Attachment
17. Optional attachment(s)		Attachment
	<b>Declaration</b> Directors of the Company vide *resolution number	*dated
to sign this form and declare that	all the requirements of Companies Act, 2013 and the rule	s made thereunder in
respect of the subject matter of the	nis form and matters incidental thereto have been complie	ed with. I further
declare that:		
	m and in the attachments thereto is true, correct and com ubject matter of this form has been suppressed or conceal	
original records maintained b 2. All the required attachments	y the company. have been completely and legibly attached to this form;	
3. *I		,
a *{Drop.downValues: Cha	rtered Accountant/ Company Secretary/ Cost Accountant,	() baying
*Membership number	and *Certificate of practice number	<sup>r</sup> naving
-	claration as per applicable rules and such declaration is at	tached.
*To be digitally signed by	DSC BOX	
Director		
*Director identification number of	the director	
-	ovisions of Section 448 and 449 which provide for p nishment for false evidence respectively.	unishment for false
Modify	Check Form Prescrutiny	Submit
For office use only :	Affix filing details	
eForm Service request number (SF Digital signature of the authorisin This e-Form is hereby approved	,	(DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby rejected	Confirm Submission	
Date of signing		

### Notice

[[Pursuant to rule 22 the Companies (Incorporation ) Rules, 2014]

- Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (5) of section 8 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at ........... for a licence that ----- a limited company may be given a licence to be registered under sub-section (5) of section 8 of the Companies Act, 2013 without the addition of the word "Limited" or the case may be, the words "Private Limited" to its name.
- 2. The principal objects of the company are as follows:
- **3.** A copy of the draft memorandum and articles of the proposed company may be seen at......] [give the address here].
- 4. Notice is hereby given that any person, firm, company, corporation or body corporate, objecting to this application may communicate such objection to the Registrar at ....., within thirty days from the date of publication of this notice, by a letter addressed to the Registrar (give the address) a copy of which shall be forwarded to in the Applicant at (give the address).

Dated this.....day of.....20.....

Name(s) of Applicant

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

FORM NO. INC.20 [Pursuant to section 8(4) and 8(6) of The Companies Act, 2013 and Rule 23 of The Companies (Incorporation ) Rules 2014]
Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.
1.(a) *Corporate identity number (CIN) of the company       Pre-Fill         (b) Global location number (GLN) of the company
2.(a) Name of the company
(b) Address of the registered office of the company
(c) Type of company (d) email ID of company
<ul> <li>3. License number issued under section 8</li> <li>4. *Whether application for revocation of license is made</li> <li>o Voluntarily o On directions of the central government</li> </ul>
5. (a) *Date of issue of order
(b) *Due date for filing the order
(c) *SRN of form INC.18
(d) *Reason for revocation/surrender of such license
6. *Mention the name of the company in view of the order of revocation of license under section 8

(The word(s) Private limited, Limited may be added in name of the company and the word(s) like Electoral trust, foundation, forum, association, federation, chambers, confederation, council etc. shall be removed from the name. Thereupon the status of company will be changed accordingly.) Attachment(s) Attach (1) \*Copy of order of Central Government; (2) \*Copy of altered Memorandum and articles of association; Attach (3) \*Declaration of directors for compliance of conditions; Attach Attach (4) Optional attachment(s) (if any) Declaration I am authorized by the Board of Directors of the Company vide \*resolution number \*dated to sian this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that: 1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company. 2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form. DSC BOX \*To be digitally signed by \*Designation \*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively. Modify Submit Check Form Prescrutiny For office use only: Affix filing details eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY) This e-Form is hereby registered Confirm submission Digital signature of the authorising officer Date of signing (DD/MM/YYYY)

[भाग II—खण्ड 3(i)]

[  Ca th	FORM NO. INC.21 Pursuant to Section 11(1)(a) of the ompanies Act, 2013 and Rule 24 of he Companies (Incorporation) ules, 2014]
	Form language o English o Hindi
	Refer the instruction kit for filing the form.
1.	*(a) Corporate identity number (CIN) of company (b) Global location number (GLN) of company
2.	(a) Name of the company (b) Address of the registered office of the company
	(c) email ID of the company
3.	(a) *Whether the affairs of the Company is regulated by any sectoral regulator (like RBI in case of NBFI activities)
	o Yes o No (b) *Specify the name of the regulator Specify 'others'
	(c) *Specify the letter number/registration number and date of approval/registration
4.	*Particulars of the paid up capital
	Total paid up capital of the company
	(i)(a)Number of total equity shares (b) Nominal amount per equity share (c)Total amount of equity shares
	(ii)(a)Number of total preference shares (b)Nominal amount per preference share
	(c)Total amount of preference shares
5.	Particulars of payment of stamp duty
	State or Union territory in respect of which stamp duty is paid
	Type of document/Particulars Form INC.21
	*Total amount of stamp paper (in Rs.)
	Mode of payment of stamp duty
	Name of vendor authorised to sell stamp papers on behalf of the Government

### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Serial number of stamp paper	
Registration number of vendor	
Date of purchase of stamp paper	(DD/MM/YYYY)
Place of purchase of stamp paper	
Attachments	List of Attachments
<ul><li>(1)*Specimen signature in form INC.10.</li><li>(2) Certificate of Registration issued by the RBI</li></ul>	Attach
(Only in case of Non-Banking Financial Companies)/	Attach
from other regulators	Attach
(3) Optional attachment(s) (if any)	Remove attachment
	aration
I am authorized by the Board of Directors of the Company	vide resolution number. * dated
	e that all the requirements of Companies Act, 2013 and the er of this form and matters incidental thereto have been
<ul><li>material to the subject matter of this form has been maintained by the company.</li><li>2. All the required attachments have been completely ar</li><li>3. Every subscriber to the MOA has paid the value for sl company is not less than the 1 lakh rupees in case company.</li></ul>	its thereto is true, correct and complete and no information suppressed or concealed and is as per the original records ad legibly attached to this form. hares agreed to be taken by him and the paid up capital the se of private company or 5 lakh rupees in case of public ion of its registered office as provided in subsection (2) of
*To be digitally signed by DSC BOX	
Director	
*Director identification number	
Note: Attention is drawn to provisions of Section statement / certificate and punishment for false evident	448 and 449 which provide for punishment for false dence respectively.
Modify Check Form	Prescrutiny Submit
This eForm has been taken on file maintained by the the basis of statement of correctness given by the	ne registrar of companies through electronic mode and or company

178

-

### FORM NO. INC.22

Form language o English o Hindi

[Pursuant to section 12(2) & (4) of The Companies Act, 2013 and Rule 25 and 27 of The Companies (Incorporation ) Rules 2014]

Refer the instruction kit for filing the form. 1. \*This Form is for o New company



Notice of situation or change of situation of registered office o Existing company Pre-fill

or SRN of Form No. INC.1 (b) Global location number (GLN) of company

2. \*(a) Corporate identity number (CIN) of company

- 3. (a) Name of the company
  - (b) Address of the registered office of the company

- (c) Name of the office of existing Registrar of Companies (RoC)
- (d) \*Purpose of the form

Change within local limits of city, town or village Change outside local limits of city, town or village, within the same RoC and state Change in RoC within the same state Change in state within the jurisdiction of same RoC Change in state outside the jurisdiction of existing RoC

- 4. Notice is hereby given that
  - \*(a) The address of the registered office of the company with effect from

o	(DD/MM/YYYY) is
o The date of ir	corporation of company is
*Address Line I	
Line II	
* City	
* District	
* State/Union To	erritory
Country	

THE	GAZETTE	OF	INDIA :	: EXTRAORDINARY

*Pin code	
*email ID	
(b) *Registered office is	5
o Owned by compa	
	y company o Owned by any other entity/Person(Not taken on lease by company
	proposed RoC or new RoC
(d) Full address of the r	ا police station under whose jurisdiction the registered office is situated
*Name	
*Address Line I	
Address Line I	
*City	
State/Union Territo	
*Pin code	
(not older than tw 5. (a) *SRN of Form MG (b) *SRN of relevant	GT.14
Attachments	List of Attachments
<ol> <li>*Proof of Registered Of (Conveyance/ Lease de along with the rent rec</li> <li>*Copies of the utility bi above (not older than t</li> <li>*A proof that the Comp to use the address as the office of the Company i by any other entity/ Pe lease by company);</li> <li>*Copy of order of comp (5) List of all the companie having the same register</li> <li>Optional attachment, if</li> </ol>	eed/Rent Agreement Attach   ceipts) etc.; Attach   ills as mentioned Attach   two months); Attach   pany is permitted Attach   the registered Itach   if the same is owned Itach   erson (not taken on Attach   petent authority; Attach   es (specifying their CIN) Attach   tered office address, if any; Attach
	Declaration
I *	
company	e articles as a (Drop down: director / manager / Company Secretary) of the y the Board of Directors of the company vide resolution numberdated
to sign this form and declare	e that
	of The Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the

[भाग II—खण्ड 3(i)]

*I also declare that all the inf	5			complete including the
attachments to this form and no				Chautanad Assauntant/
It is hereby further certified that Company Secretary/ Cost Acco				and certificate of
practice number			peen duly engaged for	
*To be digitally signed by	DSC BOX			
*Designation				
*Director identification number of th				
	· · ·			7
DIN or PAN of the manager or CEO of	,			
Membership number of the Company	' secretary			
(	Certificate by pra	cticing pro	fessional	
I declare that I have been duly en	gaged for the pur	pose of certi	fication of this form.	It is hereby certified that I
have gone through the provisions of form and matters incidental theret original records maintained by the correct and complete and no inform	of The Companies o and I have verifi e company which	Act, 2013 an ied the abov is subject m	d rules thereunder f e particulars (includ natter of this form a	or the subject matter of this ing attachment(s)) from the and found them to be true,
•				fficers of the company and
maintained as per the rele	•	•		
<ol> <li>All the required attachmer</li> <li>I further declare that I h</li> </ol>		. ,	5,	is form; in the form at the address
	• •	5	<b>.</b>	mpany is functioning for the
business purposes of the o	company.			
	DSC BOX			
To be digitally signed by	DSC BOX			
Chartered accountant (in whole	-time practice) or	Cost ac	countant (in whole-time	e practice) or
Company secretary (in whole-ti	me practice)			
Whether associate or fellow	Associate	Fellow		
<b></b>				_
Membership number				
Certificate of practice number				
Note: Attention is drawn to provisio	ns of Soction 44	8 and 440 y	which provide for r	unichmont for falco
statement / certificate and punishn				
Modify Check F	orm	Prescruti	ny	Submit
For office use only:		Affix filin	ng details	
eForm Service request number (SRN)		eForm fili	ng date	(DD/MM/YYYY)
Digital signature of the authorising of	/icer			
This e-Form is hereby registered		Confirm s	ubmission	
Date of signing		(DD/MM/	YYYY)	
	OR			
This eForm has been taken on file mai statement of correctness given by the	ntained by the regis	trar of compa	anies through electro	nic mode and on the basis of

181

[PART II—SEC. 3(i)]

[/ 1 2 C R F	FORM NO. INC.23Application to the Regional Director for approval to shift the Registered Office from one state to another state or from jurisdiction of one Registrar to another Registrar within the same StateOrm language o English o Hindi
R	efer the instruction kit for filing the form.
1.	<ul> <li>*Application is for shifting the Registered Office from         <ul> <li>One state to another state</li> <li>One registrar to another registrar within the State</li> </ul> </li> </ul>
2.	(a) *Corporate identity number (CIN) of company       Pre-fill         (b) Global location number (GLN) of company
3.	(a) Name of the company (b) Address of the registered office of the company
	(c) Name of the existing ROC
4.	<ul> <li>*(a) Name of the state/Union territory where the new registered office of the company would be situated</li> <li>*(b) Name of the office of new ROC where the new proposed registered office of the company would be situated</li> </ul>
	*(c) Reasons for shifting the registered office
5.	*(a) Service request number of Form MGT.14
	*(b) Date of filing Form MGT.14
	*(c) Date of passing the special resolution
6.	<ul> <li>(a) Details of members present at the meeting where the decision of shifting was taken and number of shares held by them</li> <li>(i) Number of members</li> <li>(ii) Number of shares held by them</li> </ul>
	<ul> <li>(b) Details of the members who voted in favour of the proposal and number of shares held by them</li> <li>(i) *Number of members</li> <li>(ii) Number of shares held by them</li> </ul>
	<ul> <li>(c) Details of the members who voted against the proposal and number of shares held by them</li> <li>(i) *Number of members</li> <li>(ii) Number of shares held by them</li> </ul>
	<ul> <li>(d) Details of members who abstained from voting and number of shares held by them</li> <li>(i) *Number of members</li> <li>(ii) Number of shares held by them</li> </ul>
7.	*(a) Total Number of creditors *(b) Total Number of depositors *(c) Total Number of debenture holders

-

[ भा	া II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	183
	(d) Brief details of the objections, if rec	eived any in response to the advertisement	
0			
8.	*Whether any prosecution is pending ag o Yes o No If yes, Give brief details of the prose		
		cution	
9.	*Whether any of the following is initiate	d against the company under the Act	
5.	o inquiry o inspection o investigat If yes, Give brief details of the inquir	ion	
10.	*Whether the company has serviced the and the chief secretary of the state o Yes o No	e copy of the application with complete annex	sures with the Registrar
	If yes, specify the date of service		
11.	Facts of the case are given below		
	(Give a concise statement of facts in a c separate issue, fact or otherwise)	hronological order, each paragraph containin	g as nearly as possible a
Att	achments		
1.	*Copy of Memorandum of Association a	nd articles of association;	Attach
2.	*Copy of notice of the general meeting	along with relevant explanatory statement;	Attach
3.	*Copy of special resolution sanctioning a	alteration;	Attach
4.	*Copy of the minutes of the general me	eting authorizing such alteration;	Attach
5.	*Power of attorney/vakalatnama/Board	resolution;	Attach
6.	*List of creditors and debenture holders	;	Attach
7.	*Affidavit from Directors in terms of Rul	es;	
8.	*Affidavit verifying the application;		Attach
9.	*Affidavit by the company secretary of t	the company and the directors in regards	Attach

to the correctness of list of creditors and affairs of the company;
10. *Affidavit by directors about no retrenchment of employees; Attach
11. *Details of prosecution/inspection/inquiry/Investigation filed against the
company and its officers in default;
12. *Copy of newspaper advertisement for notice of shifting the registered office; Attach
13. *Affidavit verifying the list of creditors; Attach
14. Proof of service of the application to the Registrar, Chief secretary of the state,
SEBI or any other regulatory authority (if applicable); Attach
15. Copy of objections (if received any); Attach
16. Optional attachment(s), if any.
Declaration
I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number * Dated * Dated * Login this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that: <ol> <li>Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.</li> <li>All the required attachments have been completely and legibly attached to this form</li> <li>Any application, writ petition or suit had not been filed regarding the matter in respect of which this petition/application has been made, before any court of law or any other authority or any other Bench or the Board and not any such application, writ petition or suit is pending before any of them.</li> </ol> <li>*To be digitally signed by DSC BOX *Designation *Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company secretary</li>
Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.
Modify Check Form Prescrutiny Submit
For office use only : Affix filing details
eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)
Digital signature of the authorising officer This e-Form is hereby approved
This e-Form is hereby rejected Confirm Submission
Date of signing (DD/MM/YYYY)

FORM NO. INC.24Application for approval of Central Government for change of name[Pursuant to section 13(2) of The Companies Act, 2013 and Rule 29(2) of The Companies (Incorporation I) Rules 2014]Application for approval of Central Government for change of name
Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form. Pre-fill
1. *(a) Corporate Identity Number (CIN) of the company
(b) Global Location Number of the company
2 (a) Name of the Company
2. (a) Name of the company
(b) Address of the registered office of the company
(c) email ID of the company
3. (a) *Service Request Number (SRN) of Form INC.1
(b) Proposed name of the company
4. *Reason(s) for change of name
5. *Particulars of filing Form MGT. 14 with Registrar of Companies (RoC)
(a) SRN of Form MGT.14
(b) Date of passing the special resolution
(c) Date of filing Form MGT.14
6. Name of the company at the time of incorporation (to be displayed in the certificate)
7. (a) Number of members present at the meeting where the special resolution was passed for change of pame and number of shares hold by them
of name and number of shares held by them (i) *Number of members
(i) *Number of members (ii) Number of shares held by them
(b) Number of members who voted in favour of change of name and number of shares held by them
(i) *Number of members

186		THE	E GAZETTE O	F INDIA : H	EXTRAORDIN	ARY	[PART II—SEC. 3(i)]
	(ii) N	Jumber of shar	es held by them				
(c) I	Number of r	nembers who	voted against	the change	of name and	number of share	S
l	held by ther	n					
	()	Number of m Number of shar	nembers es held by them				
(d)	Details of m	embers who	abstained from	voting and	l number of sh	ares held by then	n
	(i) *Num	ber of membe	ers				
	(ii) Numb	er of shares h	neld by them				
Attac	hments				_		
1. <b>*</b> Ⅳ	linutes of th	e members' r	neeting	Attach			
2. Op	tional attac	hment(s) (if a	any)	Attach			
•		.,					
				Declarat	tion		
comp	lete and com		ned all the mand				nents is correct and es and departments in
I have	been author	ized by the Bo	ard of director's	resolution n	umber *	date	ed *
to sigr	n and submit	this application	n.				
	e digitally s	igned by					
*Desig	gnation					DSC BOX	
*Direc	ctor identifica	tion number of	f the director; or				'
		manager or CE					
Memb	ership numb	er of the compa	any secretary				
			ovisions of Sec nishment for fa			provide for punisł y.	ment for false
	Modify		Check Form		Prescrutiny	S	Submit
Fo	or office use o	nly :			Affix filing	details	
		equest number (S		eFor	m filing date		(DD/MM/YYYY)
		e of the authoris ereby approved	sing officer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	-

Confirm Submission

(DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby rejected

Date of signing

### 187

### Form No. INC-25

# Certificate of Incorporation pursuant to change of name

[Pursuant to rule 29 the Companies (Incorporation ) Rules, 2014]
I hereby certify that the name of the company has been changed from
toto with effect from
the date of this certificate and that the company is limited by
shares/limited by guarantee/ unlimited company.
The CIN of the company is
Given under my hand at this day of two
thousand
SEAL:
Registrar of Companies
(State)

### Form no INC-26

[[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for License for existing companies

Before the Central Government \_\_\_\_\_Region

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 8(1) of Companies Act, 2013 and Rule 20) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

### AND

In the matter of \_\_\_\_\_\_ Limited having its registered office at

\_\_\_\_\_, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company made application to the Central Government under section 8 of the Companies Act, 2013 which is desirous of being registered under section 8, without the addition to its name of the word "Limited" or the words "Private Limited", in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/ Extra ordinary general meeting held on \_\_\_\_\_\_ to enable the company for obtaining license under section 8 of the Act.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/staus of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the concerned Registrar of Companies (complete address of registrar), within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant

Director
Date
Place

[[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

## Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

Before the Central Government

Region

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of \_\_\_\_\_\_ Limited having its registered office at \_\_\_\_\_, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/ Extra ordinary general meeting held on \_\_\_\_\_\_ to enable the company to change its Registered office from "State of \_\_\_\_\_".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the \_\_\_\_\_\_, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant

Director	
Date	
Place	

Note:- Strike off whichever is not applicable.

90	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. ]
[P Ac	<b>FORM NO. INC.27</b> Pursuant to section 14 of the Companies tr, 2013 and Rule 33 of the Companies incorporation ) Rules, 2014]
	Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form.
1.	*Application for o Conversion of private company into public company o Conversion of public company into private company
2.	*(a) Corporate identity number(CIN) of company Pre-fill
	(b) Global Location Number
3.	
	(b) Address of registered office
	(c) email Id of the company
4.	*Reason(s) for conversion
5.	*Particulars of filing Form MGT.14 with Registrar of Companies
	(a) SRN of Form MGT.14
	(c) Date of filing Form MGT.14
c	
6.	*Particulars of the order of competent authority (a) Date of passing the order
	(b) Date of receiving the order
7.	*Name of the company at the time of incorporation (to be displayed in the certificate)
ſ	
l	
8.	(a) Details of members present at the meeting where the decision of conversion was ta
	and number of shares held by them (i) *Number of members
	(ii) Number of shares held by them

(b) Details of the members who voted in favour of the proposal and number of shares held
by them (i) *Number of members
(ii) Number of shares held by them
(c) Details of the members who voted against the proposal and number of shares held by them
(i) *Number of members
(ii) Number of shares held by them
(d) Details of members who abstained from voting and number of shares held by them (i) *Number of members (ii) Number of shares held by them
Attachments
1. *Minutes of the members' meeting;
2. *Altered Articles of Association;
3. *Order of competent authority ;
4. Order for condonation of delay;
5. Optional attachment(s) (if any)
Declaration To the best of my knowledge and belief, the information given in this application and its attachments are correct and complete. The company has obtained all the mandatory approvals from the concerned authorities, departments and substantial creditors. I have been authorized by the board of directors' resolution number * to sign and submit this application.
To be digitally signed by
*Designation DSC BOX
*Director identification number of the director; or
DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of Company secretary
Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.
For office use only : Affix filing details
eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby registered
Digital signature of the authorising office Confirm Submission
Date of signing (DD/MM/YYYY)

FORM NO. INC.28 Notice of Order of the Court or any other competent authority
सत्यमेव जयते Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.
1.(a) *Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company
(b) Global location number (GLN) of company
2.(a) Name of the company
(b) Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company
(c) e-mail ID of the company
3.(a) <sup>*</sup> Order passed by
(b) Name of the court or Tribunal or any other competent authority
(c) <sup>*</sup> Location
(d) *Petition or application number
(e) <sup>*</sup> Order number
4. Date of passing the order (DD/MM/YYYY)
5.(a) (i) Section of the Companies Act, 2013 under which order passed
(ii) Section of the Companies Act, 1956 under which order passed
(b) If others, mention
6. Number of days within which order is to be filed with Registrar (To be entered pursuant to aforesaid sections or in terms of court order or Tribunal order or order of the competent authority, as the case may be)
7. Date of application to court or Tribunal or the competent authority for issue of certified copy of order (DD/MM/YYYY)
8. *Date of issue of certified copy of order (DD/MM/YYYY)
9. Due date by which order is to be filed with Registrar (DD/MM/YYYY)
10. In case of compounding of offence, enter Service request number (SRN)(s) of Form 61.

192

[भाग II—खण्ड 3(i)]

-

11. In case of amalgamation, mention whether company filing the form is transferor or transferee OTransferor OTransferee
(a) Details of transferee company
CIN Pre-fill
Name
Appointed date of amalgamation (DD/MM/YYYY)
(b) Details of transferor company(s)
Number of transferor company(s)
Category of the transferor company
CIN or FCRN or any other registration number Pre-fill
Name
Appointed date of amalgamation (DD/MM/YYYY) SRN of Form INC.28
Category of the transferor company
CIN or FCRN or any other registration number Pre-fill
Name
Appointed date of amalgamation (DD/MM/YYYY) SRN of Form INC.28
Category of the transferor company
CIN or FCRN or any other registration number Pre-fill
Name
Appointed date of amalgamation (DD/MM/YYYY) SRN of Form INC.28
Category of the transferor company
CIN or FCRN or any other registration number Pre-fill
Name
Appointed date of amalgamation (DD/MM/YYYY) SRN of Form INC.28
Category of the transferor company
CIN or FCRN or any other registration number Pre-fill
Name
Appointed date of amalgamation (DD/MM/YYYY) SRN of Form INC.28

#### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

12. In case of winding up, provide	e the following details winding up under section 445 of the Con	nonios Act 1956	(DD/MM/YYYY)
	ount number (Income-tax PAN)		(,
(iii) Name of liquidator			
(iv) Address of liquidator			
Line I			
Line II			
City			
State			
Country			
Pin code			
(b) Date with effect from which win under section 466 of the Compan	nding up proceedings have been sta	yed (DI	D/MM/YYYY)
(c) Date of dissolution under secti	on 481 of the Companies Act, 1956	(DI	D/MM/YYYY)
(d) (i) Date with effect from which under section 559 of the Com	dissolution has been declared as vo panies Act, 1956.	id (DI	D/MM/YYYY)
(ii) Whether the order is in the	respect of company dissolved under	<b>section</b> 394 of the Companies Act, 19	56 Yes No
(iii) If yes, provide details of the	e transferor company whose dissoluti	ion has been declared as void	
CIN or FCRN		Pre-fill	
Name			
Date of amalgamation	(DD	/MM/YYYY)	
(e) Date with effect from which di Under section 252 of the Com	ssolution has been declared as v		
13.(a) SRN of relevant form			
(Mention the SRN of relevant form ING	L C.22, INC.28, CHG.1, CHG.4, CHG.9, MGT.14 OI	r any other form; if applicable	
(b) Date of special resolution und	er section 66(1) of the Companies Act,	, 2013	(DD/MM/YYYY)
(c) SRN of relevant Form INC.23 or C	HG.8, if applicable		
14. *Whether penalty involved or no	t 🔿 Yes 🔿 No		
If yes, SRN of payment of penal	ty		
Attachments		List of attachments	
1. *Copy of court order or NCLT or C order by any other competent aut	Attaon	E	
2. Optional attachment(s) - if any	Attach		
		Remove attachr	nent

[भाग II—खण्ड 3(i)]

Declaration				
I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution no. * Dated * Dated * Dated * Dated * Dated * Directors of the Subject matter of this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that: 1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company. 2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form				
*To be digitally signed by Particulars of the person signing and submitting the form				
*Name				
Capacity				
*Designation				
DIN or Income-tax PAN or Membership number				
Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively           Modify         Check Form         Prescrutiny         Submit				
For office use only: Affix filing details				
eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)				
This e-Form is hereby registered Digital signature of the authorising officer Confirm submission				
Date of signing (DD/MM/YYYY)				

### [F. No. 01/09/2013 (Part -I) CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

195